खण्ड-390, अंक-1
शुक्रवार, 5 फाल्गुन, शक संवत् 1910
(24 फरवरी, 1989 ई0)

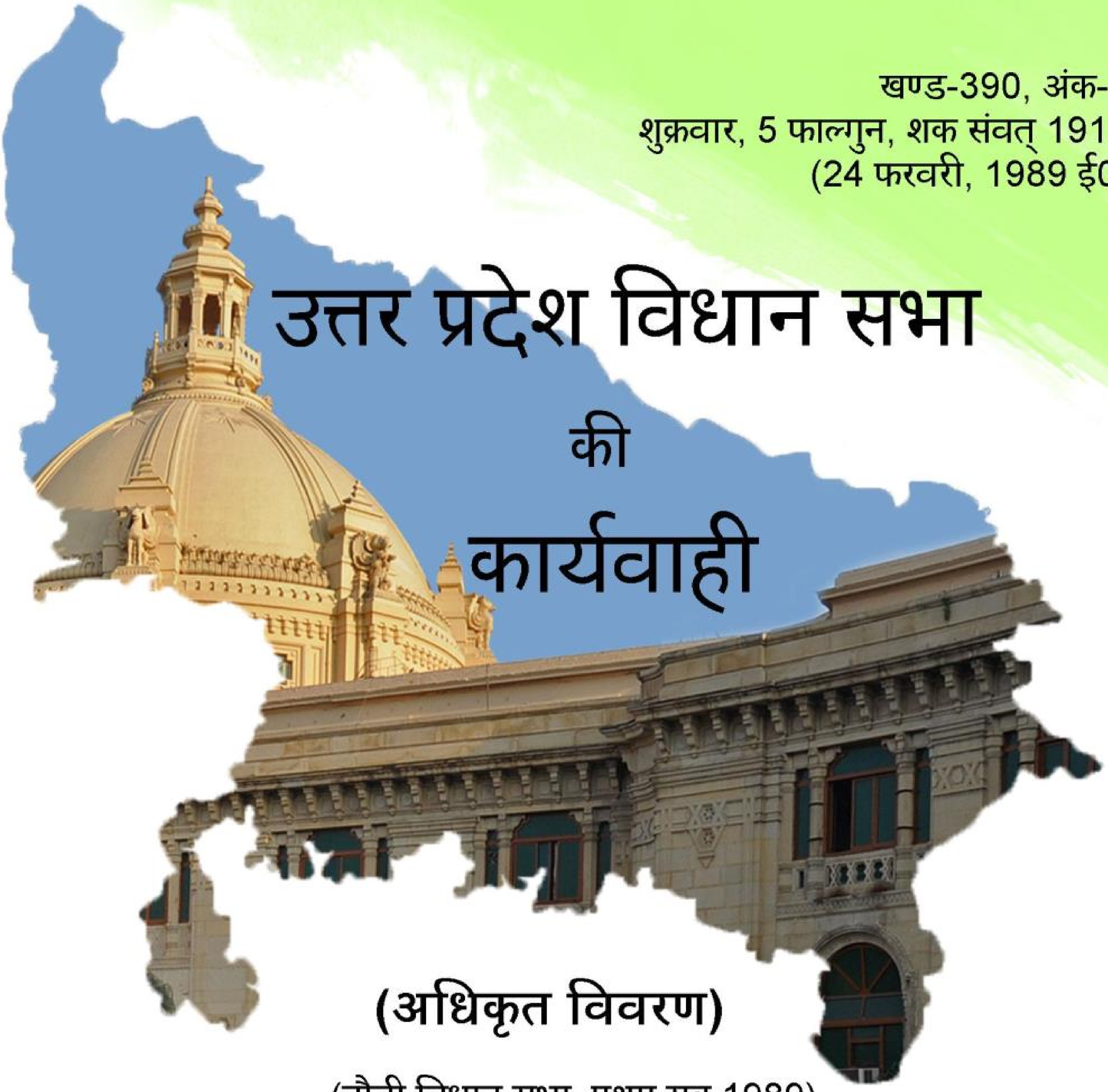

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(नौवी विधान सभा, प्रथम सत्र 1989)

खण्ड 390 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश (भारत)
1989

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
महामहिम राज्यपाल, मन्त्री परिषद्, नेता विरोधी दल, उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी तथा अधिष्ठाता मण्डल ..	क–घ
उपस्थित सदस्य	1
प्रश्नोत्तर	3–95
जिला फैजाबाद में विकास खण्ड पूरा मया स्थित में मगवा कीट स्कीम योजना के निर्माण में घोटाले के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	96
जनपद फैजाबाद में अयोध्या में संस्कृत विश्वविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	96
राजकीय श्रम हितकारी केन्द्रों पर नियुक्त उपधारक तथा अन्य कर्मचारियों को पेंशन, ग्रेचुटी, फण्ड, आदि की सुविधाएं दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	96–97
जनपद हरदोई के कस्बा मल्लावां एवं कुरसठ को स्थापना अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	97
जिला फैजाबाद की तहसील अकबरपुर के ग्राम सुल्हन तारा में मजदूरों की भूमि तथा पाठशाला आदि की भूमि पर अवैध कब्जा के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	97
मेसर्स फर्टिलाइजर्स, फर्रुखाबाद द्वारा फैलने वाले प्रदूषण को दूर करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	97–98
जिला गाजीपुर के कासिमाबाद ब्लाक में उच्चतर माध्यमिक बालिका विद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	98
औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं	98
विज्ञप्ति संख्या एस0 टी0–2–7317/दस–6(1)–88–उ0 प्र0 अधि0–15–48 आदेश–88, दिनांक 31 अक्तूबर, 1988, विज्ञप्ति संख्या एस0 टी0–2–5530/दस–13(29)–84–उ0 प्र0 अधि0–15–48 आदेश–88, दिनांक 31 अक्तूबर, 1988, एवं विज्ञप्ति संख्या एस0 टी0–2–7376/दस–6–(1)–88–उ0 प्र0 अधि0–15–48 आदेश–88, दिनांक 31 अक्तूबर, 1988 (पटल पर रखी गयी) ..	98–112
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) (नवां संशोधन) विनियमन, 1988..(पटल पर रखा गया) ..	112
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (अठारहवां संशोधन) नियमावली, 1988 (पटल पर रखी गयी)	112

विषय	पृष्ठ संख्या
किशोर न्याय (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1987 एवं तत्सम्बन्धी शुद्धि-पत्र संख्या 442/छब्बीस-2/88/28(पी)/87, दिनांक 17 जून, 1988 (पटल पर रखी गयी)	112
श्रम अनुभाग-2 की आज्ञा संख्या 6921 (एच0 आई0)/36-2-234 (डब्लू) (एस0 एम0)-88, दिनाँक 2 नवम्बर, 1988, अधिसूचना संख्या 6255 (एच0 आई0)/36-2-234(डब्लू) (एस0 एम0)-81, दिनांक 24 नवम्बर, 1988 एवं अधिसूचना संख्या 385 (एच0 आई0)/36-2-234(डब्लू) (एस0 एम0)-81, दिनांक 12 जनवरी, 1989 (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	113
उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् में सदस्यों का निर्वाचन सम्पन्न किये जाने हेतु कार्यक्रम के सम्बन्ध में सदन को दी गयी सूचना ..	113
वित्तीय वर्ष 1989-90 की लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति तथा सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति और 30 स्थायी समितियों का निर्वाचन सम्पन्न किये जाने हेतु कार्यक्रम के सम्बन्ध में सदन को दी गयी सूचना ..	114
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	114-115
कानपुर में कपड़ा मिल मजदूरों के आन्दोलन से उत्पन्न स्थिति विषयक कार्य-स्थगन की सूचना पर चर्चा कराये जाने की मांग..	115-129
कानपुर के कपड़ा मजदूरों के आन्दोलन के सम्बन्ध में 7 सदस्यों की सर्वदलीय समिति के गठन का प्रस्ताव..(स्वीकृत) ..	129-131
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं (जारी)	131-139
वित्तीय वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (जारी) ..	139
सदन में नियमों का कड़ाई से पालन किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	139-140
वित्तीय वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (जारी) ..	140-142
कानपुर के कपड़ा मजदूरों के आन्दोलन के सम्बन्ध में गठित सर्वदलीय समिति के सदस्यों के नामों की घोषणा ..	142
वित्तीय वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा..(जारी) ..	142-145
कानपुर के कपड़ा मजदूरों के आन्दोलन के सम्बन्ध में गठित सर्वदलीय समिति में 7 सदस्यों के बजाय 9 सदस्य कर दिये जाने हेतु सदन की सहमति का प्रस्ताव (स्वीकृत)	145-146
वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा..(जारी) ..	146-149
वित्तीय वर्ष 1989-90 में उत्तर प्रदेश सरकार के व्यय के लिये लेखानुदान का प्रस्ताव..(स्वीकृत)	14

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1989..(पुरःस्थापित) ..	149–150
वित्तीय वर्ष 1989–90 के लिये दो माह का लेखानुदान लिये जाने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण की मांग	150
उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1989..(पारित) ..	150–161
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	161
दिनांक 11 फरवरी, 1989 को अवध शुगर मिल, हरगांव, जिला सीतापुर के खजाने का एक लाख बीस हजार रुपया चलती ट्रेन से आतंकवादियों द्वारा लूट लिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सूचना पर नियम 51 के अन्तर्गत गृह राज्य मंत्री का वक्तव्य ..	161–163
दर्शक दीर्घा में नारे लगाकर सदन की अवमानना करने हेतु, दण्डित श्री राज बहादुर सिंह की मार्शल की अभिरक्षा से रिहाई हेतु सदन की सहमति ..	163–164
औचित्य के प्रश्न पर दी गयी सूचना/न्यायालय में अभिलेखों के प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में पुनर्विचार हेतु किये गये अनुरोध पर श्री अध्यक्ष द्वारा लिये गये निर्णयों की सूचना ..	164
श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी एवं श्री अचल सिंह, सदस्य विधान सभा द्वारा अधिकारियों एवं कर्मचारियों की प्रोन्नति का आधार योग्यता रखे जाने की घोषणा सदन के बाहर किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये औचित्य के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	164–165
श्री माता प्रसाद पाण्डेय, सदस्य विधान सभा द्वारा शिक्षा विभाग में पर्सनल एकाउन्ट विषयक कथित वित्तीय अनियमितता के सम्बन्ध में दिये गये औचित्य के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	165
कतिपय सदस्यों द्वारा न्यायालय में अभिलेखों के प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में पुनर्विचार हेतु किये गये अनुरोध पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	165–167
प्रदेश के असहायताप्राप्त विद्यालयों को अनुदान सूची पर न लाने के बारे में शिक्षकों द्वारा किये जा रहे घेराव तथा धरना से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री बलराम यादव आदि द्वारा दिनांक 17 फरवरी, 1989 को दी गयी सूचनाओं पर एक घन्टे की चर्चा का स्थगन ..	167
नस्थियां	169–173

बिहार विधान सभा
सचिवालय प्रदेश

राज्यपाल

श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ

मंत्रि-परिषद्

1—श्री नारायण दत्त तिवारी .. मुख्य मंत्री तथा सामान्य प्रशासन, आवास, प्राविधिक शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं परिस्थिति विज्ञान, पर्वतीय विकास, नागरिक उड्डयन, वित्त, सांस्कृतिक कार्य, सूचना, पुर्त धर्मस्व, आबकारी, मद्य निषेध एवं उद्योग मंत्री ।

2—श्री बलदेव सिंह आर्य .. नगर विकास मंत्री ।

3—श्री लोकपति त्रिपाठी .. सिंचाई मंत्री ।

4—श्री अजीत प्रताप सिंह .. वन मंत्री ।

5—चौधरी नरेन्द्र सिंह .. ऊर्जा एवं बीस सूत्री कार्यक्रम मंत्री ।

6—श्री अम्मार रिजवी .. सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री ।

7—श्री गोपी नाथ दीक्षित .. जन-स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री ।

8—श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी .. शिक्षा, खेलकूद एवं युवा कल्याण मंत्री ।

9—श्री श्याम सूरत उपाध्याय .. ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री ।

10—श्री सईदुल हसन .. श्रम एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री ।

11—श्रीमती सुशीला रोहतगी .. गृह मंत्री ।

12—श्री अरुण कुमार सिंह .. दुग्ध विकास, पशुधन एवं मत्स्य मंत्री ।

13—श्री हुकुम सिंह .. खाद्य एवं रसद मंत्री ।

14—श्रीमती बेनी बाई .. लघु एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री ।

15—श्री रघुवीर सिंह यादव .. नियोजन मंत्री ।

16—डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल .. कृषि मंत्री ।

17—श्री माता प्रसाद .. राजस्व मंत्री ।

राज्य मंत्री

1—श्रीमती दीपा कौल .. हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री ।

2—श्री ओम प्रकाश रिछारिया .. न्याय एवं विधायिका, वित्त, संस्थागत वित्त, बिक्री-कर, मनोरंजन कर, पंजीयन, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री ।

3—श्री संकठा प्रसाद शास्त्री .. ग्राम विकास, गृह मंत्री ।

4—श्री मानपाल सिंह .. जेल, होमगार्ड्स, नागरिक सुरक्षा, राजनैतिक पेंशन मंत्री ।

5—श्री समर पाल सिंह .. सहकारिता मंत्री ।

6—श्री प्रमोद तिवारी .. परिवहन मंत्री ।

7—श्री मुईद अहमद .. सिंचाई मंत्री ।

8—श्री नरेश चन्द्र .. नगर विकास, सूचना, संसदीय कार्य मंत्री ।

9—श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान .. शिक्षा मंत्री ।

10—श्री बिहारी लाल दोहरे .. स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, चिकित्सा, शिशु कल्याण, महिला कल्याण मंत्री ।

11—श्री चेतराम गंगवार .. बीस सूत्री कार्यक्रम, प्राविधिक शिक्षा, विज्ञान एवं प्रोद्योग, परिस्थिति विज्ञान एवं पर्यावरण मंत्री ।

12—श्री सीताराम निषाद .. राजस्व, प्रान्तीय विकास दल, राष्ट्रीय दल, राष्ट्रीय एकीकरण मंत्री ।

13—श्री जगदम्बिका पाल .. शिक्षा, वन, संसदीय कार्य मंत्री ।

14—श्री शिव बालक पासी .. कृषि मंत्री ।

15—श्री गौरी शंकर .. नियोजन, ग्राम्य विकास, प्रोटोकाल मंत्री ।

16—श्री सईदुज्जमा .. गृह मंत्री ।

17—श्री राम औतार दीक्षित .. ऊर्जा मंत्री ।

18—श्री गुलाब सिंह .. पर्यटन, पर्वतीय विकास मंत्री ।

19—श्री कोकब हमीद .. ऊर्जा, खाद्य तथा रसद मंत्री ।

20—श्री अजीत सिंह सेठी .. शिक्षा, नगर विकास मंत्री ।

21—श्री बृजेन्द्र पाल सिंह यादव .. श्रम, दुग्ध विकास मंत्री ।

22—श्री शिवनाथ सिंह कुशवाहा .. सार्वजनिक निर्माण मंत्री ।

23—श्री जीनाथ सिंह .. आवास, जल सम्पूर्ति, क्षेत्रीय विकास मंत्री ।

उत्तर प्रदेश संसदीय पुस्तकालय

उप मंत्री

1—श्रीमती हितेश कुमारी .. सिंचाई मंत्री ।

2—श्री निसार हुसैन .. लघु उद्योग, गन्ना मंत्री ।

3—श्रीमती प्रमिला बहुवार मेहरा.. परिवहन, पर्यटन, सांस्कृतिक कार्य मंत्री ।

4—श्री शैलेन्द्र कुमार .. हरिजन एवं समाज कल्याण, वन मंत्री ।

5—श्रीमती रीना कुमारी .. ऊर्जा मंत्री ।

6—श्री राम दुलार यादव .. बीस सूत्री कार्यक्रम, सहकारिता मंत्री ।

नेता विरोधी दल

श्री सत्यपाल सिंह

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री नियाज हसन

उपाध्यक्ष

श्री त्रिलोक चन्द्र

सचिव

श्री माल चन्द्र शुक्ल

अधिष्ठाता मंडल

1—श्री खान गुफरान ज.हिदी, सदस्य, विधान सभा (फतेहपुर) ।

2—श्री राम सकल तिवारी, सदस्य, विधान सभा (देवरिया) ।

3—कर्नल केशरी सिंह, सदस्य, विधान सभा (बस्ती) ।

4—श्री मनहरन नाथ कौल, सदस्य, विधान सभा (बहराइच) ।

5—श्री भगवती सिंह विशारद, सदस्य, विधान सभा (उन्नाव) ।

6—श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय, सदस्य, विधान सभा (गोण्डा) ।

7—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, सदस्य, विधान सभा (सीतापुर) ।

8—श्री रघुबर दयाल वर्मा, सदस्य, विधान सभा (आगरा) ।

9—श्री राम शरण दास, सदस्य, विधान सभा (सहारनपुर) ।

10—श्री कौशिक, रमा शंकर, सदस्य, विधान सभा (मुरादाबाद) ।

विधान सभा

9222

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 24 फरवरी, 1989

विधान सभा की बैठक सभा मंडप लखनऊ में दिन के 11 बजकर 3 मिनट पर अध्यक्ष श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुयी ।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अबीजुर्रहमान, श्री	बिजनौर	मनोहर लाल, श्री	उन्नाव
अफजाल अन्सारी, श्री	गाजीपुर	मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री	बस्ती
अमीर आलम खां, श्री	मुजफ्फरनगर	मुस्तमन्द अली खां, श्री	मथुरा
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री	बरेली	मुहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
अरविन्द तिवारी, श्री	जालौन	मनेजर सिंह, श्री	बलिया
अरुण प्रताप सिंह, श्री	गोण्डा	रफीक अहमद, श्री (उर्फ रफ्फन)	बरेली
अलमेलु अम्माल, कुमारी	बस्ती	राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
अशरफ इमाम, श्रीमती	मिर्जापुर	राम औतार दीक्षित, श्री	हरदोई
औसान सिंह, श्री	इटावा	राम गोविन्द चौधरी, श्री	बलिया
काजी मोहिउद्दीन, श्री	सहारनपुर	राम नरेश शुक्ल, श्री	प्रतापगढ़
काशी सिंह ऐरी, श्री	पिथौरागढ़	लालता प्रसाद निषाद, चौधरी	गाजीपुर
कुशल पाल सिंह, श्री	मथुरा	लोकपति त्रिपाठी, श्री	मिर्जापुर
केशरी सिंह, कर्नल	बस्ती	लोकेन्द्र दत्त सकलानी, श्री	टिहरी गढ़वाल
कौशिक रमा शंकर, श्री	मुरादाबाद	विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री	बलिया
गजराज सिंह, श्री	गाजियाबाद	विजय लक्ष्मी, श्रीमती	बलिया
गौरी शंकर, श्री	इटावा	विजय सिंह, श्री	मिर्जापुर
गौरी शंकर भइया, श्री	बलिया	विमला सिंह, श्रीमती	गाजियाबाद
चारुशीला, श्रीमती	मुजफ्फरनगर	वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री	गोरखपुर
चेतराम गंगवार, श्री	बरेली	शफीकुर्रहमान बर्क, श्री	मुरादाबाद
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री	गोरखपुर	शारदानन्द अंचल, श्री	बलिया
दलजीत सिंह, श्री	रामपुर	शीनाब सिंह, श्री	बिजनौर
धरमाई लाल, श्री	हरदोई	शिव मंगल सिंह, श्री	बलिया
पुष्पा सिंघल, श्रीमती	मुरादाबाद	शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	गोरखपुर
प्रेमपाल सिंह, श्री	एटा	शूरवीर सिंह सजवाण, श्री	टेहरी गढ़वाल
बल्देव सिंह आर्य, श्री	उत्तरकाशी	सतीश अजमानी, श्री	खीरी
बसन्त सिंह गहलौत, श्री	बिजनौर	सुरेश चन्द्र, श्री	बंनीशाल
बुधपाल सिंह "खुर्जावाले", श्री	बुलन्दशहर	हरशरन सिंह, श्री	मेरठ
ब्रजेन्द्र पाल सिंह, श्री	मुरादाबाद	हरिशचन्द्र, हरीश जी, श्री	बस्ती
मंगल देव, श्री	गोण्डा	हीरा सिंह बिष्ट, श्री	देहरादून

बिधान सभा प्रदेश

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, दिनांक 24 फरवरी, 1989

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

नेपाल प्रोजेक्ट, महेन्द्र नगर में सेतु निगम का विटुमिन (कट बैंक) जलकर भस्म होने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

**1--श्री सरदार सिंह--

क्या सा0 नि0 मंत्री की जानकारी में है कि नेपाल प्रोजेक्ट महेन्द्र नगर में सेतु निगम का लगभग 20 लाख रुपये की लागत का विटुमिन (कट बैंक) जल कर भस्म हो गया है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं तथा उनके खिलाफ़ क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या जांच का पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा मंत्री जी करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री(श्री अम्मार रिजवी)--

जी हां । 16.50 लाख रुपये का विटुमिन जलकर भस्म हो गया है । जांच समिति ने जांच के दौरान किसी को दोषी नहीं पाया है । अतः कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

जांच का पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखना जनहित में नहीं है ।

श्री सरदार सिंह--

अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें आपका संरक्षण चाहता हूं । 16.50 लाख रुपये का विटुमिन जलकर राख हो गया । आज इनकी हालत यह हो गयी है की विदेशों से जो आर्डर काम करने के इनको मिलते थे वह अब मिलना बन्द हो रहे हैं । हजारों बोरी सीमेन्ट चोरी हो रही है और यह सरकार इसमें यह उत्तर दे रही है कि रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखना जनहित में नहीं है । मैं मान्यवर, यह जानना चाहता हूं कि वह ऐसे कौन से कारण हैं कि जिससे रिपोर्ट को सदन में रखना जनहित में नहीं है ? मैं यह भी जानना चाहूंगा की जांच रिपोर्ट क्या है और वह जांच किसने की ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, इसकी जांच श्री डी0 एम0 गुप्ता, जनरल मैनेजर, मैकेनिकल तथा दूसरे श्री बागेश्वर प्रसाद, जनरल मैनेजर, फारेन वर्क्स ने की है । भारत और नेपाल का जो बार्डर है वहां पर यह विटुमिन रखा था और उसमें आग लग गयी । मैंने जांच रिपोर्ट स्वयं भी देखी है । वहां पर 2 हजार ड्रम भी रखे हुये थे और किसी कारणवश उसमें आग लग गयी । इसकी काफी जांच की गयी लेकिन यह पता नहीं चल पाया कि आग कैसे लगी, न कोई कारण मिला कि आग कैसे लगी । इस बात की संभावना की जा रही है कि वहां आस-पास कुछ चरवाहे रहते हैं, जिनकी घास से आग लग गयी क्योंकि वहां पर कुछ घास वगैरह पड़ी हुयी देखी गयी, नुकसान तो हुआ, इससे तो किसी को इंकार नहीं हो सकता है लेकिन सारे जले हुए विटुमिन के बारे में हम लोगों ने इन्श्योरेंस कम्पनी पर क्लेम किया है, जिससे हुए सारे नुकसान का पैसा वापस मिल जायेगा ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर नियमों में दिया हुआ है कि गोपनीयता के कारण कहां जनहित का सहारा लिया जा सकता है। नियम 38(3) के अन्तर्गत माननीय मंत्री जी किसी प्रश्न को जनहित में कह कर इन्कार कर सकते हैं, लेकिन यह उन परिस्थितियों के लिए है जब गलती से नियम 28(15) का अनुपालन न करते हुए कोई प्रश्न स्वीकार कर लिया गया हो। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि यह किन परिस्थितियों में यह जनहित का सहारा लिया गया है, यहां पर कौन सा अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय या मंत्री परिषद् का कोई गोपनीय विनिश्चय से सम्बन्धित मामला आ पड़ा था। यह इसलिए सिर्फ किया गया कि भ्रष्टाचार पर पर्दा पड़ा रहे।

श्री अम्मार रिजवी—

मैंने मान्यवर जब यह बात कही थी तो कह दिया था कि सम्भावना शायद इसी बात की है, वैसे जांच रिपोर्ट के अन्दर ऐसी कोई बात नहीं आयी है, इसलिए इसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं है, जिसे बहुत ज्यादा छिपाया जाय।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह सेतु निगम का प्रोजेक्ट और इसमें सबसे बड़े अधिकारी कौन-कौन थे? दूसरी बात यह कि जांच समिति कब गठित हुयी और इसके सदस्य कौन-कौन हैं और तीसरी बात इसमें यह कही गयी है कि जलकर भस्म हो गया, एक तो यह कि आग लगी, जल गया, लेकिन जलकर भस्म हो गया, यह क्या है?

श्री अम्मार रिजवी—

जांच समिति दो सदस्यों की है, जिसमें एक हैं श्री डी० एम० गुप्ता और दूसरे हैं बागेश्वर प्रसाद।

श्री सरदार सिंह—

इन अधिकारियों के पद क्या हैं?

श्री अम्मार रिजवी—

श्री डी० एम० गुप्ता, जनरल मैनेजर हैं मैकेनिकल के और श्री बागेश्वर प्रसाद भी जनरल मैनेजर हैं फारेन वर्क्स के और विटुमिन के अन्दर खासियत है कि जब जलता है तो बिल्कुल जल जाता है और अगर बच जाता है, तो बच जाता है। तो इस प्रकार केवल ढाई सौ ड्रम जलने से बच गये हैं और बाकी सब जल गये हैं।

श्री राकेशधर त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी के जवाब के सम्बन्ध में यह जानना चाहता हूं जो उन्होंने अभी बताया कि इन अधिकारियों ने जांच की है। यह जांचकर्ता अधिकारी मान्यवर, निगम के ही कर्मचारी हैं और इन्हीं लोगों से जांच कराई गयी है। दूसरे जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि नुकसान हुआ है तो इस नुकसान की वजह से अब तक किन-किन लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गयी है और वह कौन-कौन दोषी अधिकारी/कर्मचारी हैं, यह बताने का कष्ट करें?

श्री अम्मार रिजवी--

जांच से बिलकुल तय नहीं हो पाया कि क्या कारण था ? एक जगह पर बिटुमिन रखी है और किसी प्रकार से उसमें आग लग गयी । वहां पर चौकीदार था, 18 आदमियों का स्टेटमेंट लिया गया और पूरी विस्तार से जांच करायी गयी कि किसकी गलती से हुआ, लेकिन जब किसी की जिम्मेदारी साबित न हो तो किसको सजा दी जाये ।

श्री सरदार सिंह--

जब जलने को आप स्वीकार करते हैं, तो किसी न किसी की गलती अवश्य होगी ?

श्री अम्मार रिजवी--

जलने को तो स्वीकार किया जा रहा है । किसी कि गलती पायी जाये तब तो उसको सजा दी जाये । निर्दोष व्यक्ति को सजा देना कहां तक उचित है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

नियमतः इस घटना की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करायी जानी चाहिये, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसकी एफ० आई० आर० लिखाई गयी और यदि लिखायी गयी तो किस पुलिस स्टेशन में लिखाई गयी ? दूसरी बात यह है कि इस कारण बीमा कम्पनी क्षतिपूर्ति करने में बाधा लगा दी होगी ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, जहां तक बीमा कम्पनी का सवाल है, बीमा कम्पनी की टीम आयी थी, उसने इसको रिजेक्ट नहीं किया है, वह सारी चीजों को देख रही है । क्लेम बीमा कम्पनी के पास है । इसकी सूचना किसी पुलिस स्टेशन को दी गयी, इसकी सूचना इस समय मेरे पास नहीं है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि जो अधिकारी वहां पर कार्यरत है उनका ग्रेड और जिन लोगों ने जांच की है उनका ग्रेड बराबर है । अगर है तो क्या माननीय मन्त्री जी विभागीय जांच से हटकर किसी बाहरी एजेन्सी से या कोई समिति बनाकर करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

जिन लोगों ने जांच किया है, वह काफी सीनियर थे ।

श्री हर्षवर्धन--

मैं जानना चाहूंगा कि माननीय मन्त्री जी ने बताया कि 2 हजार कन्टेनर थे और 250 जल कर रख हो गये, तो क्या 1750 कन्टेनर वहां पर मौजूद पाये गये ?

श्री अम्मार रिजवी--

जो बिटुमिन थी वह जल गयी और जिस हालत में कन्टेनर थे, उसी हालत में वह है, वह मौजूद हैं । माननीय सदस्य चाहें तो खुद देख सकते हैं ।

श्री सरदार सिंह—

जल कर इतनी बड़ी चीज नष्ट हो गयी और उसकी रखवाली के लिये किसी आदमी को आपने नहीं रखा। किसी की जिम्मेदारी नहीं है। चौकीदार होगा, किसी आफीसर की देख-रेख में होगी, लेकिन मन्त्री जी कहते हैं कि कोई दोषी नहीं पाया गया, तो हमारी समझ से जनहित में पुलिस में रिपोर्ट भी नहीं दर्ज करायी। सक्सेना की नियुक्ति ही वहां पर इसलिये की गयी है कि वह महिनवारी इनको देते रहें और उसको पूरा करने के लिये यह नाटक रचा गया है। गाजियाबाद में सीमेंट रखा था वह चोरी हो गया उसकी भी एफ0 आई0 आर0 नहीं लिखाई गयी। तो इस प्रकार से प्रदेश का पूरा पैसा इंगलैंड जा रहा है। चौकीदार को भी सस्पेंड नहीं किया गया, कोई जे0 ई0 तो होगा जो इसके लिये जिम्मेदार होगा, कोई तो दोषी पाया जाता। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इस भ्रष्टाचार को बचाने के लिये सार्वजनिक निर्माण विभाग के अतिरिक्त किसी अन्य विभाग से, सिंचाई विभाग से या शासन के अन्य विभागों के अधिकारियों से जांच करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न कर लीजिये।

श्री सरदार सिंह—

मेरा सवाल है कि क्या सरकार मेरी सूचना को सही मानकर एम0 डी0 सक्सेना ने यह आग अपनी महिनवारी माननीय मन्त्री जी को देने के लिये लगवायी और इसी कारण से पुलिस में भी उसकी रिपोर्ट नहीं लिखाई गयी है, तो क्या किसी अन्य विभाग के अधिकारियों से या शासन के अधिकारियों से जांच करायेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी—

जो महीने में मिलता है, उसमें सरदार सिंह का बराबर का हिस्सा होता है, भले ही सदन में वह न बतावें तो यह दूसरी बात है, हमारा और उनका बराबर का हिस्सा होता है। विभागीय जांच करायी गयी है और अगर माननीय सदस्य सन्तुष्ट नहीं हैं तो दूसरे विभाग के अधिकारियों से जांच करा ली जायेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ?

श्री राम शरण दास—

मान्यवर, जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने बताया साढ़े सोलह लाख का सामान जल गया और आज तक पुलिस में रिपोर्ट नहीं करायी गई। मैं श्री अम्मार रिजवी से पूछना चाहता हूं कि पुलिस में इस सामान के जल जाने की रिपोर्ट क्यों नहीं करायी गई ? वे जवाब दे रहे हैं हिस्सेदारी और बंटवारे का। मैं यह इल्जाम नहीं लगाऊंगा कि आप ले रहे हैं लेकिन अधिकारियों का नैतिक कर्तव्य है जिनकी देख-रेख में यह पुल जला है। उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं करायी। उसका क्या नतीजा निकला मैं नहीं कहता लेकिन पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं कराई ? कैसे बीमा कम्पनी से पैसा वसूल करेंगे ? मैं इस बात को पूरी ताकत से कहूंगा कि इसकी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करायें और उन अधिकारियों के खिलाफ उन्होंने लापरवाही बरती है, सख्त से सख्त कार्यवाही आप करें। क्या यह उनके [××] का पैसा है, अधिकारियों का है या किसी मन्त्री का है। यह जनता का पैसा है। इसकी आप जांच करायें और दोषी अधिकारियों को सजा दें।

नोट—[××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अम्मार रिजवी—

इंश्योरेन्स में जो क्लेम इसके लिये दायर किया गया था उसको स्वीकार करके ही बीमा कम्पनी ने अपनी एक टीम भेजी थी। तो यह निश्चित है कि पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हुई होगी क्योंकि तभी इन्श्योरेन्स कम्पनी अपनी टीम भेजती है। माननीय राजेन्द्र गुप्त जी ने एक प्रश्न किया था कि किस थाने में रिपोर्ट लिखायी गई थी। उसकी सूचना चूंकि इस समय मेरे पास नहीं है इसलिये मैं उसे नहीं दे सका। उसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी। जहां तक जांच करने की बात है, इसकी जांच उच्च अधिकारी से करायी गई थी। लेकिन जैसा कि सरदार सिंह जी ने कहा कि किसी दूसरे विभाग के अधिकारी से इसकी जांच करायें तो वह भी हम करा देंगे और बीमा कम्पनी से पैसा क्लेम करेंगे और पैसा मिल जायेगा।

(व्यवधान)

श्री सरदार सिंह—

मेरा स्पष्ट आरोप है कि जब से डाक्टर साहब इस विभाग में आये हैं, तब से वहां पर भ्रष्टाचार चल रहा है। इस तरह से प्रदेश की 12 करोड़ जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा मन्त्री जी बाहर भेज रहे हैं। इसके विरोध में मैं सदन का त्याग करता हूं।

(व्यवधान)

[(श्री सरदार सिंह सदन त्याग कर चले गये।)

जनपद हरदोई और फर्रुखाबाद के बीच निर्मित मेहन्दी घाट पुल का नियन्त्रण फर्रुखाबाद जिले द्वारा रखे जाने का औचित्य

**2—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई और फर्रुखाबाद के बीच गंगा नदी और उस पर निर्मित मेंहदीघाट पुल जनपद हरदोई की सीमान्तर्गत आता है फिर भी उस पर प्रशासनिक नियन्त्रण फर्रुखाबाद जिले द्वारा किये जाने का औचित्य क्या है ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां।

टोल कलेक्शन बूथ का निर्माण फर्रुखाबाद की ओर किया गया गया है। जिस जनपद के सीमान्तर्गत टोल कलेक्शन बूथ निर्मित किया गया है उसी जनपद के अन्तर्गत कार्यरत खंड से सेतु का नियन्त्रण रखा गया है। यह विभाग की सुविधानुसार विभाग का प्रशासनिक निर्णय है।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, फर्रुखाबाद और हरदोई जिले के बीच में गंगा वाद-विवाद का विषय बनी हुई है। माननीय मन्त्री जी ने यह स्वीकार किया है कि गंगा नदी और उस पर बना पुल हरदोई की सीमा के अन्तर्गत आता है सिर्फ टोल कलेक्शन का बूथ फर्रुखाबाद

की तरफ बनाया है वह हरदोई की सीमा में है और सुविधा के लिहाज से फर्रुखाबाद द्वारा प्रशासनिक नियन्त्रण उस पर कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि फर्रुखाबाद में जहां बूथ टोल कलेक्शन के लिये बनाया है वहां से डी0 सी0 यू0 बेलग्राम नजदीक है और सुविधा की दृष्टि से भी ज्यादा ठीक है। मैं चाहूंगा कि इस सुविधा को दृष्टि में रखते हुये जो टोल कलेक्शन बूथ है उस पर नियन्त्रण डी0 सी0 यू0 बेलग्राम से करने का आश्वासन आप देंगे ?

श्री अम्मार रिज़वी—

अध्यक्ष महोदय, इससे पहले वहां पर एक पंटून ब्रिज बना हुआ था और उसी तरफ से टोल कलेक्शन होता था। जिस तरफ से माननीय सदस्य बता रहे हैं उस तरफ से थोड़ा ढलान और निचाई है। मेरी अभी माननीय सदस्य राम आसरे जी से बात हुई थी उन्होंने कुछ और तथ्य उसके सम्बन्ध में बताये। उसके सम्बन्ध में मैं विभागीय अधिकारियों की एक मीटिंग बुलाऊंगा और उसमें माननीय सदस्य को भी बुलाकर सारी चीजों पर निश्चय कर लेंगे ताकि इस सम्बन्ध में कोई हल निकाल सके।

श्री संतोष चतुर्वेदी एडवोकेट—

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो मेंहदीघाट फर्रुखाबाद में पुल बना है वह किस योजना के अन्तर्गत बना है क्या किस योजना का पैसा इसमें लगा है ?

श्री राम आसरे वर्मा—

मैं बता दूं ब्रिज कारपोरेशन द्वारा बनाया गया है।

श्री अम्मार रिज़वी—

यह गंगा जी पर बना है इसकी लागत साढ़े 5 करोड़ रुपया है और इसके अन्दर टोटल खर्चा सड़क बंधा वगैरह बनाने में करीब 10 करोड़ 42 लाख आया है। इसे ब्रिज कारपोरेशन ने बनाया है और 3, 4 महीने से इसमें टोल टैक्स वसूल किया जा रहा है और उसका पैसा एक ही सिट में जाता है स्टेट के खाते में चाहे कहीं से वसूला जाय चाहे फर्रुखाबाद में वसूल हो या हरदोई में या किसी दूसरी जगह।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जनपद इलाहाबाद के अन्तर्गत हण्डिया धनूपुर तथा सैदाबाद ब्लाकों में एक-एक उद्योग स्थापित करने की मांग

*1—श्री राकेशधर त्रिपाठी—

क्या उद्योग मन्त्री को जानकारी है कि जनपद इलाहाबाद के अन्तर्गत हण्डिया, धनूपुर तथा सैदाबाद ब्लाकों में कोई छोटा या बड़ा उद्योग नहीं है ? यदि हां, तो क्या उद्योग मन्त्री जी इन उक्त तीनों ब्लाकों के पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक ब्लाक में एक-एक उद्योग स्थापित करने पर विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु एवं ग्रामीण उद्योग मन्त्री (श्रीमती बेनी बाई)—

जनपद इलाहाबाद के विकास खंड हण्डिया, धनूपुर एवं सैदाबाद ब्लाकों में क्रमशः 154, 40 एवं 72 लघु औद्योगिक इकाइयां स्थापित हैं। इन विकास खंडों में बृहद एवं मध्यम उद्योग की कोई इकाई स्थापित नहीं है।

विकास खण्ड हण्डिया में मिनी औद्योगिक आस्थान की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। विकास खण्ड धनूपुर एवं सैदाबाद में भी मिनी औद्योगिक के आस्थान की स्थापना का प्रस्ताव है।

वर्तमान में इन तीनों ब्लाकों में कोई बृहद उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है।

श्री राकेशधर त्रिपाठी--

माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि पिछले विधान सभा सत्र में निवर्तमान मुख्य मंत्री श्री वी० बहादुर सिंह जी ने घोषणा की थी उद्योग शून्य जिला और ब्लाक में एक-एक औद्योगिक इकाई लगायी जायेगी तो क्या उद्योग शून्य ब्लाकों में कोई इकाई स्थापित की जा रही है या यह सरकार उस घोषणा को बदलने का काम कर रही है। दूसरी बात जो इकाइयां लगायी हैं वह कहां-कहां किस-किस ब्लाक में कितनी लागत की लगायी गयी है। जो जवाब में कहा है कि आस्थान लगाये गये हैं तो वह कोई नहीं लगे हैं केवल शेड बने हैं।

श्रीमती बेनी बाई--

पहली बात तो यह है कि इलाहाबाद उद्योग शून्य जिला नहीं है तो फिर ब्लाक का प्रश्न नहीं आता है क्योंकि ब्लाक जिले में ही आता है जब जिला शून्य होगा तभी ब्लाक आयेगा। दूसरी बात हंडिया में मिनी इंडस्ट्रियल इस्टेट की स्थापना का कार्य तेजी पर है।

(व्यवधान)

श्री राकेश धर त्रिपाठी--

आपके भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने घोषणा की थी।

श्री अध्यक्ष--

पहले उत्तर तो सुन लीजिये उसके बाद पूछिये।

श्रीमती बेनी बाई--

मुझे ऐसा लगता है वह उतावले हैं। मैं बताना चाहती हूं कि बृहद उद्योग स्थापित करने का कोई प्रश्न इस समय विचाराधीन नहीं है। लेकिन मिनी इंडस्ट्रियल इस्टेट का काम हंडिया में तेजी पर है संभावना है कि दो तीन महीने में पूरा हो जायेगा। दूसरा सैदाबाद और धनूपुर में मिनी इंडस्ट्रियल इस्टेट स्थापित करना प्रस्तावित है जैसे ही जमीन मिलती है काम शुरू हो जायेगा।

श्री राकेश धर त्रिपाठी--

जो सूची दी है वह कुटीर उद्योग की है।

श्री अध्यक्ष--

अब हो गया आगे बढ़ें।

[शुक्रवार, दिनांक 24 फरवरी, 1989 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

सा0 नि0 वि0 में मृतक कर्मचारियों के आश्रितों की नियुक्ति

*1--राज किशोर सिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सा0 नि0 वि0 में मृतक कर्मचारियों की आश्रितों नियुक्ति, मृतक कर्मचारी नियुक्ति सेवा नियमावली 1974, जो संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत शासनादेश सं0 6-12-1973-नियुक्ति-4, दिनांक 2-12-1973, सं0 6-12-1973-नियुक्ति-4, दिनांक 7-10-74 एवं अन्य के प्राविधान के अनुसार नियमित पद पर न करके मासिक पैमाने पर कार्य प्रभारित अधिष्ठान या मस्टररोल पर की गयी है और वर्तमान में भी यही प्रक्रिया अपनायी जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

शासन के वर्तमान आदेश तथा विभाग में भर्ती की स्थिति को देखते हुये कार्यवाही की जाती है ।

श्री राज किशोर सिंह--

मान्यवर, मैंने प्रश्न में मृतकों के आश्रितों की नियुक्ति के संबंध में जो नियमावली बनायी गयी है उसका उल्लेख किया है लेकिन उत्तर गोलमोल दिया है । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मृतकों के आश्रितों की भर्ती के लिये वर्तमान में क्या आदेश है ?

श्री अम्मार रिजवी--

उत्तर है जी हां आदेश है । इसके साथ ही मैं माननीय सदस्य का अनुग्रहीत हूं कि उन्होंने मेरा ध्यान आकर्षित किया है कि सर्विसेज हैं, यदि उनकी किसी प्रकार से मृत्यु हो जाती है तो उनके आश्रितों की जो अर्हतायें हैं उसके अनुसार विभाग में रखा जाये और जगह देना चाहिये साथ ही साथ यह भी है कि टेम्पोरेरी वर्क चार्ज जो है उसके ऊपर 3 साल कार्य करना होता है और उसके बाद नियमित वर्क चार्ज में रखा जाता है । दिनांक 31 दिसम्बर, 1973 से जो नियमावली लागू हुयी उसके अनुसार प्रक्रिया लागू है । लेकिन कठिनाई होती है कि आश्रितों को देर से नौकरी मिलती है, मान्यवर, जो प्रश्न आता है तो इसकी सूचना एकत्र की तो 72 लोग ऐसे हैं जिनको हम अभी तक जगह नहीं दे पाये हैं इसके लिये मैं माननीय सदस्य और सदन को सूचित करना चाहूंगा कि मुख्यालय पर जो मुख्य अभियन्ता हैं उनको मानेटरिंग सेल का इंचार्ज बनाया है और हर महीने सारे प्रदेश की मानेटरिंग करके कि आश्रितों को नौकरी नहीं मिली है तो दी जाये और शासन को इसकी सूचना भेजी जाये ।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि नियमावली बनी है और शासन के वर्तमान आदेशों के अनुसार विभाग में भर्ती की कार्यवाही की जाती है । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस समय मृतकों के आश्रितों की नियुक्ति के संबंध में जिस नियमावली का हवाला दिया है उसके तहत की जाती है या वर्तमान आदेश के तहत ? यदि वर्तमान आदेश के तहत की जाती है तो वह वर्तमान आदेश क्या है ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, जब नियमावली बन गयी है तो उसी के अनुसार कार्य किया जाता है और आदेश नियमावली के आधार पर ही पारित किये जाते हैं ।

जालौन और झांसी जिले में विधवाओं और विकलांगों की पेन्शन राशि में वृद्धि किये जाने पर विचार

*2—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री आवेदन पत्रों की संख्या को देखते हुए जालौन और झांसी जिले में विधवाओं तथा विकलांगों को निराश्रित पेंशन के निर्धारित कोटे में वृद्धि करने तथा भीषण महंगाई को देखते हुये पेंशन राशि को साठ रुपया प्रति माह से बढ़ा कर सौ रुपया प्रति माह करने पर विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मन्त्री (श्री शैलेन्द्र कुमार)—

जालौन और झांसी जिले सहित प्रदेश के मैदानी क्षेत्र के समस्त जिलों में आवेदन पत्रों की संख्या को देखते हुये निराश्रित विधवाओं को उनके भरण-पोषण की योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि की जा रही है। परन्तु वित्तीय संसाधनों के कमी के कारण निराश्रित विकलांगों के निर्धारित कोटे में वृद्धि करना एवं निराश्रित विधवाओं तथा निराश्रित विकलांगों को दिये जाने वाले इस अनुदान की राशि में वृद्धि करना सम्भव नहीं है।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

मान्यवर, मन्त्री जी ने स्वीकार किया है कि निराश्रित विधवाओं को भरण पोषण की योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि की जा रही है लेकिन निराश्रित विकलांगों की संख्या में वृद्धि करने को तैयार नहीं हैं और कहा है कि वित्तीय संसाधनों की कमी है, तो क्या इस पर विचार करेंगे कि निराश्रित विकलांगों को भी निर्धारित कोटे में प्रत्येक जिले में वृद्धि की जाये।

श्री अध्यक्ष—

जो उन्होंने कहा उस पर आप विचार कर लें।

हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मन्त्री (श्रीमती दीपा)—

माननीय सदस्य की इच्छानुसार हम लोग खुद इच्छुक हैं। जैसा आपने प्रश्न में देखा सीमित संसाधनों के आधार पर जो और भी कमजोर वर्ग के लोग हैं, निराश्रित विधवाएं हैं, उसकी पहले कोशिश की गयी है और उसकी हमने कोशिश की है।

श्री मित्रसेन—

मन्त्री जी ने स्वीकार किया है कि निराश्रित विधवाओं के कोटे में वृद्धि की जा रही है, तो इस समय उनके कोटे में कितनी है और कितने की वृद्धि इस साल की जा रही है ?

श्रीमती दीपा—

क्योंकि यहां पर प्रश्न केवल दो जिलों का था, बाकी की मैं सूचना बाद में आपको उपलब्ध करा दूंगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

इस समय जो अलग-अलग जिलों में शासन की ओर से निर्देश जारी किये गये हैं, उसमें एक भी नये व्यक्ति को बढ़ाने की अनुमति नहीं दी गयी है। अब बजट में

सा बढ़ाने की बात कही गयी है। हालांकि अभी बजट पास नहीं हुआ है, लेकिन पास होगा और बढ़ेगा। तो मैं इतना जानना चाहता हूं कि जो विधवाओं के बारे में आपने उदारता बरती है, तो विकलांगों के बारे में भी वैसा विचार न करने का क्या कारण है? क्या सरकार यह आश्वासन देने की कृपा करेगी कि उनका कोटा बढ़ाया जायेगा? फिर तो 60 रुपये का बन्धन है, उसका भी बढ़ाने के बारे में भी क्या कोई आश्वासन सरकार देने की कृपा करेगी?

श्रीमती दीपा--

शासन तो कल्याणकारी शासन है। इस पर हम लोगों को पूरा ध्यान है, हम कटिबद्ध हैं और पूरी कोशिश हो रही है। हम आपके सहयोग के लिए हमेशा कहते हैं और आपका हमेशा सहयोग मिलता रहेगा, जैसा मिलता आया है। इस विश्वास के साथ यह बात कही गयी है।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय--

उन्होंने कहा सूची उपलब्ध नहीं है, प्राप्त कर ली जाएगी। लेकिन कोटा बढ़ाने की बात उन्होंने स्वीकार की है, तो वह कितने प्रतिशत कोटा बढ़ाया गया है?

श्रीमती दीपा--

जो सूचना मेरे पास है हमारी जो लम्बित विधवाएं हैं झांसी की वह 330 हैं और विकलांग वहां 278 हैं, तथा जालौन में 462 विधवाएं हैं और 67 विकलांग हैं।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा जनपद फैजाबाद की कटेहरी विधान सभा क्षेत्र के साथ किये जा रहे भेदभावपूर्ण व्यवहार के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*3--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा जनपद फैजाबाद की कटेहरी विधान सभा क्षेत्र के साथ किये जा रहे भेदभावपूर्ण एवं सौतेले व्यवहार के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को सम्बोधित दिनांक 10 जून, 1988 का पत्र मिल गया है? यदि हां, तो शिकायतें तथा उन पर अब तक की कुल कार्यवाही का विवरण क्या है और इस प्रकार का भेदभावपूर्ण व्यवहार करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां।

माननीय विधायक के पत्र दिनांक 10 जून, 1988 में निम्नलिखित दो मांगे थी:

(1) भीटी--महरुआ मार्ग को लेपन स्तर तक पक्का करना।

इस मार्ग की कुल लम्बाई 13.25 कि0मी0 में से 4 कि0 मी0 लेपन स्तर तक पक्का है. शेष 9.25 कि0 मी0 में से 6.25 कि0 मी0 को लेपन स्तर तक पक्का करने के लिये स्वीकृति जिला सेक्टर 88-89 में जारी की जा रही है। शेष 3.00 कि0 मी0 की स्वीकृति जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति की संस्तुति एवं धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

(2) महरुआ-बिकवा-जोतपुर मार्ग--

महरुआ-बिकवा-जोतपुर मार्ग की कुल 18 कि0 मी0 लम्बाई में से 11 कि0 मी0 खड़ंजा स्तर तक पक्का है। शेष 7 कि0 मी0 को पक्का कराने की स्वीकृति जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन एवं धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में कहने से पहले मैं आपका संरक्षण चाहूंगा मुझे ऐसा लगता है मंत्री जी के जवाब से कि इन्होंने सत्य का गला घोटने और भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से पर्दा डालने का ठेका ले रखा है। मैंने पत्र में स्पष्ट लिखा था कि 1987-88 की जिला योजना हमारे जिले की योजना थी जो अनुश्रवण समिति से सर्वसम्मति से पारित हुई थी लेकिन उसमें से हमारे क्षेत्र की सड़कों को काट दिया गया, मैंने इस सम्बन्ध में मंत्री जी को पत्र लिखा यह भेद-भाव पूर्ण व्यवहार किया गया है इस सन्दर्भ में मैंने तमाम चीजों का हवाला दिया था। एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को भी इसमें लिखा मान्यवर, 1988-89 की योजना में उसे ले रहे हैं तो मान्यवर, ऐसे कौन से कारण थे, सीताराम निषाद जी उस विभाग के राज्य मंत्री जी थे। सारे जिले की योजनाओं को काटकर स्टेट सेक्टर में जितनी सड़कें स्वीकृत हुई वह, सारे एक क्षेत्र में स्वीकृत हुयी सारे पुल एक क्षेत्र में स्वीकृत हुए। मान्यवर, जो पत्र मैंने लिखा है उसमें शासनादेश का भी हवाला दिया है। उस समय टांडा उप चुनाव में योजनाओं की भरमार कर दी गई अब लेकिन वह सब धूरी पड़ी है। इस समय माननीय मंत्री जी से निवेदन करना है कि क्या मेरे पत्र को गृह सचिव ने निर्माण विभाग भेजा ? उसमें क्या कार्यवाही हुई इसको मंत्री जी सदन के पटल पर रखें। स्टेट सेक्टर में जिन बातों को पूरा करने के लिए लिखा है उस पर क्या करेंगे ? यह भी बता दें ?

श्री अम्मार रिजवी--

तिवारी जी ने पत्र में सब बातें लिखीं और उनके बारे में कहा भी, स्टेट सेक्टर की जहां तक बात है तो उसमें वस्तुस्थिति स्पष्ट है कुछ सड़कें, कुछ पुल ऐसे हैं जो जिला सेक्टर में किसी वजह से पूरे नहीं हो पा रहे हैं उस पर विचार किया जाएगा। दूसरी बात इन्होंने कही कि मंत्री जी के क्षेत्र में सारी सड़कें बना दी गईं तो उस समय कमेटी में वहां क्या तय हुआ था इसको भी दिखवा लेंगे।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मेरे पत्र में स्पष्ट लिखा हुआ था और उसकी इन्हें जानकारी नहीं है तो मैं कहूंगा कि यह भ्रष्टाचार को अपने संरक्षण में बढ़ावा दे रहे हैं। हमारे क्षेत्र में भ्रष्टाचार का नंगा खेल करा रहे हैं।

मेरे पत्र में जो चीजें लिखी थीं उनकी जांच क्यों नहीं कराई गई। मेरे पत्र से सम्बन्धित सारे कागजात और सूचनायें मंत्री जी के पास न होने का कौन सा कारण है यह कोई बात नहीं कि मेरे पास सूचना नहीं है उसको मैं दिलवा लूंगा। एक-एक शासनादेश की संख्या और गोपनीय पत्र संख्या का नम्बर दिया गया है।

सन् 1987-88 की जिला योजना जो सर्वसम्मति से स्वीकृत होकर आयी थी उसमें मेरे क्षेत्र की सड़क को किस अधिकारी ने काटा और उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री अध्यक्ष—

आपका प्रश्न काफी लंबा हो गया है ।

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी—

इस सरकार का भ्रष्टाचार इतना लम्बा हो गया और सरकार के मंत्रियों के हाथ सत्य का गला घोंटने के लिये लम्बे हो गये हैं । मान्यवर, यह गम्भीर मामला है । सारे विपक्ष के माननीय सदस्यों के क्षेत्र में किये जाने वाले कार्यों में कमी की जा रही है इसलिये मैं स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि 1987-88 की जिला योजना में हम यरे क्षेत्र की सड़क को क्या काटा गया और 1988-89 की जिला योजना में उसको क्यों शामिल किया गया । 1988-89 की जो मेरे क्षेत्र की योजनायें हैं, इस उत्तर को देने से स्पष्ट है कि उसमें भी कटौती किया है । 1987-88 में मेरे क्षेत्र में जो सर्व सम्मति से प्रस्ताव आया था भीटी महरुआ सड़क के बारे में उसको क्यों काटा गया और उसको 88-89 में क्यों लिया जा रहा है । इसी तरह से महरुआ बिकवा जोतपुर-मार्ग के बारे में आपने कहा है कि जिला अनुश्रवण समिति की सिफारिश के बाद देखा जायगा तो इसका क्या कारण है और यह किस आधार पर कहा जा रहा है ?

श्री अम्बार रिजवी—

मान्यवर, माननीय तिवारी जी ने एक बात यहां पर कही कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है । मैं आपके माध्यम से नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि जिला योजना इसीलिये बनायी गयी है कि जितने माननीय विधायक हैं वह सब लोग उसके प्लान में हिस्सा लें और सारे निर्णय जिलास्तर पर हों । इस सम्बन्ध में कुछ लोगों को आपत्ति भी थी लेकिन जिला योजना लागू की गयी । जहां तक फैजाबाद का सम्बन्ध है और जो यह कहा गया कि 1987-88 में सड़क को क्यों काटा गया और 88-89 में क्यों जोड़ा गया तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी—

मान्यवर, मंत्री जी स्पष्ट उत्तर नहीं दे रहे हैं मेरा सवाल था कि 87-88 में क्यों काटा गया जबकि सर्व सम्मति से सिफारिश की गयी थी । 87-88 में पैसा क्यों नहीं भेजा गया और 88-89 में महरुआ-जिकुआ-जोतपुर सड़क पर खड़ंजे स्तर तक का कार्य करने की बात की गयी थी जिसको आपने कहा है कि जिला अनुश्रवण की सिफारिश के बाद देखा जायगा तो यह किस आधार पर कहा गया है । 87-88 में स्टेट सेक्टर में श्री सीताराम निषाद के क्षेत्र में ही सारी सड़कें किस मानक के आधार पर ली गयीं और टांडा क्षेत्र में जो घोषणा की गयी थी जिसकी राजाज्ञा का मैंने सन्दर्भ दिया था उसको किस आधार पर किया है यह स्पष्ट बतायें ?

श्री अम्बार रिजवी—

मान्यवर, 1987-88 में जब आपकी योजना यहां आयी, नियोजन विभाग और वित्त विभाग सारे विभागों की जो योजनायें आती हैं, धन की उपलब्धता के अनुसार उस पर कार्यवाही होती है, उसके अनुसार उस पर कार्यवाही हुई होगी । माननीय तिवारी जी के यहां की सड़क ही नहीं काटी गयी बल्कि इस पक्ष के तथा उस पक्ष में बैठे हुये अनेक माननीय विधायकों के यहां की योजनायें कटी हैं । श्रीमन् आपके यहां की भी योजना कटी है ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय तिवारी जी, आपकी तरह मैं भी इसका भुक्तभोगी हूं ।

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी—

श्रीमन्, इसीलिये मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। चूंकि इनके मंत्री थे इसीलिये सारी योजनायें स्टेट और जिला सेक्टर की वहां ले जायीं गयीं। या तो आप आश्वासन दें कि 88-89 में यह योजनायें ले ली जायेंगी वरना जो मेरे क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय हुआ है उसको मैं सहन करूंगा तो यह मेरे द्वारा मेरे क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय होगा। मान्यवर, सदन चले या न चले। मुझे अपने प्रश्न का उत्तर मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी, तिवारी जी की सड़क को दिखवा लें।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

यह केवल माननीय तिवारी जी की ही सड़क का प्रश्न नहीं है, यह पूरे प्रदेश की सड़कों का प्रश्न है। माननीय तिवारी जी ने अपने प्रश्न के माध्यम से शासन का ध्यान आकर्षित किया है, यह मामला सम्पूर्ण प्रदेश का है और प्रतिपक्ष के विधायकों के जो क्षेत्र हैं, राजनैतिक विद्वेष से ग्रसित होकर यह सरकार उसकी उपेक्षा कर रही है। हम चाहते हैं कि आप इस सम्बन्ध में हमारा संरक्षण करें, क्योंकि अनेक बार सरकार की तरफ से यह बात कही गयी कि विधायकों के किसी क्षेत्र में भेद नहीं रखा जायगा। घटौती करना हो, तो कीजिए, लेकिन यह देखना कि उमुक क्षेत्र का विधायक कौन है, यह अत्यन्त गर्हित और निन्दनीय बात है। इसलिए मान्यवर, इस विषय पर चिन्ता हम सभी विधायकों की है। इसके बारे में आप अपने कक्ष में शासन के प्रतिनिधि को बुला लें, हम लोग भी आ जायं और इस संदर्भ में पूरी समीक्षा करके देख लें कि कहां पर कैसी आवश्यकता है उसकी समीक्षा कर लें।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मेरा यह सुझाव है कि आप अपने कक्ष में किसी दिन बैठक बुला लें।

(व्यवधान)

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, जब माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त ने यह भेदभाव की बात कही, क्योंकि हमारा जिला और उनका जिला एक ही है। मान्यवर, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त के क्षेत्र में राष्ट्रीय मार्ग का बाई पास बन रहा है, उनके क्षेत्र में बहुत बड़े पुल का शिलान्यास हो रहा है उनके क्षेत्र में बांध बन रहा है और सीतापुर की सारी सड़कें जो हैं, वे पक्की की जा रही हैं और पूरी तरह से उस पर कार्य हो रहा है। माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त के क्षेत्र में बहुत बड़े पुल का निर्माण किया जा रहा है। मान्यवर, अगर यह भेदभाव होता, तो माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त के क्षेत्र में यह कार्य न होता। मान्यवर, शासन की यह मंशा रहती है कि सारे विधायकों के क्षेत्र में बराबर कार्य

हो । माननीय तिवारी जी का क्षेत्र पकौनन पिछड़ा हुआ है, इसको मान्यवर, हम दिखवा लेंगे ।

(विरोधी पक्ष के कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

अब मैं खड़ा हूं, आप ही का समय जा रहा है ।

माननीय तिवारी जी, माननीय मंत्री जी ने कहा कि आपकी सड़क स्टेट सेक्टर में बनवा दी जायगी और अगर आपको कुछ कहना है, तो आप मंत्री जी के साथ मेरे कक्ष में आ सकते हैं और बात कर सकते हैं ।

(कुंवर रेवतीरमण सिंह के खड़े होने पर)

माननीय रेवती रमण सिंह, अब कोई प्रश्न नहीं ।

इसमें तो सब समय चला जायेगा ।

(विरोध पक्ष के कई माननीय विधायकों द्वारा बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह जी आपसे यह आशा नहीं की जा रही है कि आप एक प्रश्न पर इतना समय ले लेंगे । यह यहां मुनासिब है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, आपसे इस बात का संरक्षण चाहता हूं कि माननीय तिवारी जी ने एक सवाल किया था, यह केवल फैजाबाद तक ही या इनके क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है । यह सबके क्षेत्र और जनहित का सवाल है । क्या इन लोगों ने कोई अपना नियम बना रखा है कोई उसका आधार तो होना चाहिए । जिला अनुश्रवण समिति से जो सिफारिशें आती हैं उनको ये किस बिना पर काट देंगे, बिना किसी आधार के सड़क काट देंगे । मैं आपसे यह संरक्षण चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में या तो माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी यहां स्पष्ट कर दें कि उसका आधार क्या है और अगर नहीं है तो इसकी फाइल मंगवा लें और इस पर एक कमेटी बनवा दें जो विचार करके फैसला कर दें । मान्यवर, सब विधायक बराबर हैं चाहे उधर के हों या इधर के हों । तो मान्यवर, इनका कोई नियम है या बिना नियम के सरकार काम करेगी ?

श्री अम्बार रिजवी—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं किस-किस माननीय विधायकगण के क्षेत्र में कितना कार्य हुआ है, पूरे प्रदेश में, यह सूचना आपको उपलब्ध करा दूंगा । दूसरा माननीय रेवती रमण सिंह जी ने जो बात कही है तो वह पत्रावली आपके समक्ष प्रस्तुत कर दी जायेगी । माननीय रेवती रमण सिंह जी को बुला लीजिए, हमारे अधिकारी आ जायें तो आप देख लें कि किस प्रकार से कार्य हुआ है । मान्यवर, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं बरता गया है ।

(कई माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

अब आपके जवाब की बात कहां रह जाती है जब मेरे कक्ष में आने की बात है। आप मेहरबानी करें, कुछ तो व्यवस्था इस सदन में होनी चाहिए।

(व्यवधान)

जब आपके साथ भेदभाव होगा तो मैं कह तो रहा हूं कि अपने कक्ष में बुला लूंगा।

(व्यवधान)

मोहन मीकिन लि0 मोहन नगर, (गाजियाबाद) में श्रमिकों की मृत्यु के उपरान्त आश्रितों को सहायता न दिया जाना

*4--श्री अशोक बाजपेयी, श्री शारदा प्रताप, श्री मूल चन्द्र तथा श्री वीरेन्द्र सिंह (एटा)--

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मोहन मीकिन लि0, मोहन नगर, गाजियाबाद में 1 मई, 1987 को मालिकों की लापरवाही से दर्जनों श्रमिकों की मृत्यु हो गयी थी, जिसके लिए मालिकों ने श्रमिकों के परिवार के आश्रितों को कोई सहायता नहीं दिया ? यदि हां, तो सरकार ने मालिकों पर मुकदमा आज तक क्यों नहीं चलाया तथा क्या अब मुकदमा चलाने पर विचार कर रही है ?

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री जगदम्बिका पाल)--

प्रश्नगत कारखाने में दिनांक 1 मई, 1987 को सेन्ट्रीफ्यूगल मशीन के अचानक फट जाने के कारण 3 श्रमिकों की मृत्यु हुई और 4 श्रमिक घायल हुए। यह कहना सही नहीं है कि घायल व्यक्तियों एवं मृतकों के आश्रितों को सहायता नहीं दी गयी। दुर्घटना के बिन्दु पर कारखाने के देखरेख एवं प्रबन्धक के विरुद्ध कारखाना अधिनियम की धारा 92 के अन्तर्गत न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया था ?

श्री वीरेन्द्र सिंह (एटा)--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी मई, 1987 को सेन्ट्रीफ्यूगल मशीन के अचानक विस्फोट में किन-किन श्रमिकों की मृत्यु हुई और कौन-कौन लोग घायल हुए और किन-किन मृतकों के आश्रितों को क्या सहायता दी गयी ?

श्री जगदम्बिका पाल--

मान्यवर, जो एक मई 1987 को दुर्घटना हुई उसमें 3 श्रमिकों की मृत्यु हुई और 4 घायल हुए।

श्रीमन् एक श्री ओ0 पी0 मोहन, जिनकी उसी स्थान पर मृत्यु हो गयी थी, उन्हें मान्यवर, जो प्राविडेंट फण्ड लिंक इंश्योरेंस स्कीम है उसमें 10,500 रुपया दिया गया, ग्रुप परसनल एक्सीडेंट स्कीम में 1 लाख रुपया दिया गया, एक्सग्रेशिया 5 हजार रुपया दिया गया। इस तरह से कुल 1 लाख, 15 हजार, 500 रुपया दिया गया। मृतक के परिवार को यह धनराशि दी गयी और उसकी पत्नी को फैक्ट्री में नौकरी दी गयी। इसी तरह से धनेश चन्द्र जी को पी0 एफ0 इंश्योरेंस लिंक स्कीम में 10,500 रुपया दिया गया, उनकी घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गयी थी।

उनको ई0 एस0 आई0 के अन्तर्गत 28 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से उनकी पत्नी को पूरी जिन्दगी दिया जायगा और 5 हजार रुपया एक्सग्रेशिया और उनकी पत्नी को नौकरी दी गयी । तीसरे श्री वीर पाल सिंह को ग्रो0 एम0 लिक इंश्योरेंस से 10,500 रुपया दिया गया, इनकी पत्नी को जीवन पर्यन्त 28 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से दिया गया । उनकी पत्नी ने वहां नौकरी नहीं की उसके एवज में 1 लाख 55 हजार रुपये दिये गये । चौथे श्री शिव शंकर थे, मान्यवर, उनको 6 हजार 4 सौ रुपया ग्रुप परसनल एक्सीडेंट स्कीम में और 2,100 रुपया एक्सग्रेशिया मिला । वे वहां पर कार्यरत हैं । पांचवें श्री सुभाष चन्द्र मजदूर थे, उनको 22 रुपये 40 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से जीवन पर्यन्त मिलेगा और उनको 4 हजार एक्सग्रेशिया मिला । वे सर्विस में हैं । छठे श्री लक्ष्मी नारायण को 28 रुपया प्रतिदिन और 2,100 रुपया एक्सग्रेशिया मिला । वे वहां पर कार्यरत हैं । सातवें श्री बालक राम को चोट लगी थी उनको 28 रुपया प्रतिदिन और एक हजार रुपया एक्सग्रेशिया मिला और वे वहां पर कार्यरत हैं ।

उत्तर प्रदेश वस्त्र निगम द्वारा संचालित मिलों के श्रमिकों को महंगाई भत्ता अन्य निगमों के श्रमिकों के महंगाई भत्ते से भिन्न दिये जाने का औचित्य

*5—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश वस्त्र निगम द्वारा संचालित मिलों के श्रमिकों को महंगाई भत्ता 1·35 रुपया प्रति अंक की दर से दिया जाता है जब कि प्रदेश के अन्य निगमों में महंगाई भत्ता 1·65 रुपया प्रति अंक की दर से दिया जाता है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री जगदम्बिका पाल—

उत्तर प्रदेश वस्त्र निगम द्वारा संचालित मिलों के श्रमिकों को महंगाई भत्ता 1·35 रुपया प्रति अंक की दर से दिया जाता है । उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम तथा सीमेन्ट निगम के श्रमिकों को महंगाई भत्ता 1·65 रु0 प्रति अंक की दर से प्राप्त होता है ?

राज्य चीनी निगम के श्रमिकों को राज्य श्रम त्रिदलीय सम्मेलन (चीनी उद्योग) में लिये गये निर्णय के अनुसार तथा सीमेन्ट निगम के श्रमिकों को केन्द्र शासन स्तर पर गठित सीमेन्ट उद्योग के वेतन मंडल की संस्तुतियों तथा पक्षों के मध्य समझौते के आधार पर प्रति अंक 1.65 रुपया महंगाई भत्ता प्राप्त होता है । राज्य वस्त्र निगम की इकाइयों में द्विपक्षीय निर्णय से 1·35 रु0 प्रति अंक महंगाई भत्ता दिया जा रहा है ।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

पहली बात तो मान्यवर, हमारे श्रम मंत्री जी विधान सभा में कभी प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं तो श्रमिकों का प्रदेश भर में क्या हाल होगा, आप समझ सकते हैं । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि राज्य चीनी निगम और सीमेन्ट निगम के श्रमिकों को प्रति अंक 1·65 रुपया महंगाई भत्ता दिया जाता है और वस्त्र निगम द्वारा संचालित मिलों में 1·35 रुपया दिया जाता है । मैं जानना चाहता हूं कि इस असमानता का क्या कारण है क्योंकि महंगाई तो सबके लिए समान है । कुछ निगमों में महंगाई 1·65 रुपया दी जाती है और वस्त्र निगम की मिलों में 1·35 रुपया दी जाती है, इस मंहगाई का क्या कारण है ?

श्री जगदम्बिका पाल--

मान्यवर, इसमें पैसा सरकार को नहीं देना होता है, सेवायोजक को देना होता है और श्रमिकों को लेना होता है और इस सम्बन्ध में समय-समय पर सेवायोजकों और श्रमिकों में बातचीत होती रहती है और आपस में तय होता रहा है कास्ट आफ लिविंग इंडेक्स के अनुसार। इसमें भी पिछले दिनों अंतिम बैठक 29 नवम्बर, 1988 को देहरादून में हुई थी। द्विपक्षीय बैठक हुई थी। इसमें उत्तर प्रदेश वस्त्र निगम के सेवायोजक और श्रमिक थे तथा श्रम मंत्री भी उपस्थित हुए थे और आपस में आम सहमति के आधार पर निर्णय हुआ था। दूसरी अधिसूचना 9 दिसम्बर, 1988 को जारी कर दी गई है। अधिसूचना संख्या 7714 को 17 दिसम्बर, 1988 से जारी की गयी है उसमें 1.35 के हिसाब से है सूचकांक जो है वह हमने 600 पर माना है।

श्री राम आसरे वर्मा--

मैं जानना चाहता हूं कि वस्त्र निगम द्वारा संचालित कितनी मिलें हैं? क्या उनमें समान रूप से महंगाई भत्ते की बात घोषित है या उनमें भी असमानता है?

श्री जगदम्बिका पाल--

जो भी मिलें हैं, सेवायोजक और श्रमिकों के बीच में द्विपक्षीय वार्ता होती है और उस हिसाब से समय-समय पर वह होता रहता है। श्रमिकों को 1.35 रु0 जो है पूरे प्रदेश में समान रूप से लागू है।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मैंने यह पूछा कि वस्त्र निगम की कितनी मिलें हैं क्या सब में समान रूप से महंगाई भत्ते की बात लागू है यदि नहीं तो बता दें कि कानपुर के बाहर कितना दिया जाता है और कानपुर के अन्दर कितना दिया जाता है?

जगदम्बिका पाल--

यह जो सूचकांक आता है उसमें हम सारे प्रदेश में महंगाई भत्ते के आधार पर सर्वे करके देते हैं यह भारत सरकार के द्वारा शिमला ब्यूरो से होता है।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

महंगाई भत्ता समान रूप से लागू है या नहीं, इसको बतायें।

श्री जगदम्बिका पाल--

सूचकांक पर 1.35 रु0 के हिसाब से सब जगह देते हैं।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

वस्त्र निगम, चीनी निगम और सीमेन्ट निगम में आपके आई0 ए0 एस0 अधिकारी बैठते हैं वह आपके सरकारी निगम हैं और इसमें सरकारी अधिकारी बैठते हैं, तो इन निगमों में कौन सी सरकारी नीति है। इनमें भी समान नीति नहीं है। आपने कहा कि श्रमिकों को 1.35 रु0 देते हैं। जो आपने देहरादून में हुए समझौते की बात बतायी और अधिसूचना की बात बतायी। वह आप सही नहीं कह रहे हैं उसके खिलाफ लोग हाई कोर्ट में रिट में चले गये हैं रिट हो गयी है। एक मार्च को आपके ट्रेडयूनियन मजदूर विधान सभा को घेर रहे हैं। आपके श्रम मन्त्री जो हाउस में जवाब देते नहीं हैं, वह तो यहां आते नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न कर लें ।

श्री राम चन्द्र बक्श सिंह—

क्या मंत्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि निकट भविष्य में त्रिपक्षीय या द्विपक्षीय वार्ता करके इस महंगाई भत्ते को 1.65 रु0 करने पर विचार करके जल्दी कोई घोषणा करेंगे ?

श्री जगदम्बिका पाल—

जब आपस में श्रमिक सेवायोजक वार्ता करेंगे और वे त्रिपक्षीय वार्ता के लिये शासन से एप्रोच करेंगे तो हम विचार कर लेंगे ।

श्री राम चन्द्र बक्श सिंह—

मान्यवर, शासन की श्रम विरोधी नीति है, हजारों हजार मजदूरों की भावनाओं के खिलाफ इनकी नीति है । इसके विरोध में मैं सदन का बहिष्कार करता हूं ।

(श्री राम चन्द्र बक्श सिंह सदन त्याग कर चले गये)

श्री राज किशोर सिंह—

मैं भी सरकार की श्रम विरोधी नीति के विरोध में सदन का बहिष्कार करता हूं ।

(श्री राज किशोर सिंह सदन त्याग कर कर चले गये । साथ में श्री मित्रसेन भी सदन त्याग कर चले गये ।)

*6—श्री हर्ष वर्धन—

[दिनांक 7 मार्च, 1988 को ता0 प्र0 सं0 17 द्वारा उत्तरित]

<u>भूतपूर्व मुख्य मन्त्रियों को व मन्त्रियों को राजधानी में सरकारी आवास आवंटित किये जाने की नीति</u>

*7—श्री हृदय नारायन दीक्षित—

क्या राज्य सम्पत्ति मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि क्या भूतपूर्व मुख्य मन्त्रियों को राजधानी में सरकारी आवास उपलब्ध कराने की नीति है ? यदि हां, तो कितने भूतपूर्व मुख्य मन्त्री सरकारी आवासों में रह रहे हैं ? क्या मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि कितने भू0 पू0 मंत्रिगण अपनी सरकारी हैसियत से बड़े सरकारी आवासों में रह रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां ।

6 भूतपूर्व मुख्य मंत्री सरकारी आवासों में निवास कर रहे हैं ।

16 भूतपूर्व मंत्रिगण सरकारी आवासों में अनधिकृत रूप से रह रहे हैं तथा इनके द्वारा आवास रिक्त नहीं किये जा रहे हैं ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित--

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि 6 भूतपूर्व मुख्यमंत्री सरकारी आवासों में निवास कर रहे हैं, उनसे क्या कोई किराया लिया जा रहा है ?

दूसरी बात कि जो 16 भूतपूर्व मंत्रिगणों के सरकारी आवासों में अनधिकृत रूप से रहने की बात को मंत्री जी ने स्वीकार किया है, उनसे किराया वसूल करने की क्या कार्यवाही की जा रही है, क्या कार्यवाही उसी तरह से की जा रही है, जैसे काश्तकार को आर0 सी0 देते हैं, उस पर मुकदमा चलवाते हैं, यदि नहीं की जा रही है, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, जो माननीय भूतपूर्व मुख्यमंत्रीगण रह रहे हैं, उनसे किराया लिया जा रहा है और जो दूसरे भूतपूर्व माननीय मंत्रीगण हैं, उन्हें भी किराये की नोटिसें दी गई हैं, कुछ किराया थोड़ा दे दिए हैं, लेकिन फिर भी सब पर बकाया है और उसकी वसूली की कार्यवाही की जा रही है, और बराबर नोटिस दिए जा रहे हैं ।

श्री राम आसरे वर्मा--

माननीय मंत्री जी ने बताया है कि अनधिकृत रूप से मंत्रीगण आवासों में रह रहे हैं, क्या उनको बेदखल करने की कोई कार्यवाही की जा रही है, दूसरी बात यह कि जिस तरह से रिकवरी सर्टीफिकेट भेजकर साधारण जनता किसान से पैसे की वसूली करवाते हैं, क्या उसी तरह से पैसा वसूल करवाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, इसकी एक प्रक्रिया है, पहले उनको लिखा जाता है, फिर नोटिस दिया जाता है, उसके बाद प्रिसक्राइब्ड एथारिटी द्वारा नोटिस दिया जाता है, जब यह सारी चीजें नहीं होती, तो रेवन्यू डिपार्टमेंट को लिखा जाता है । अब अलग-अलग तारीखों में खत भेजे गए हैं । जहां तक सरकारी धन का सवाल है, वह अवश्य वसूल किया जायगा ।

श्री नरेन्द्र देव--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि इस सरकार के आधा दर्जन ऐसे मंत्री हैं, जिनको सरकारी आवास उपलब्ध न होने के कारण वे अन्यत्र रह रहे हैं, जिससे उत्तर प्रदेश की जनता और विधायकों को कठिनाई हो रही है यदि ऐसा है तो इन मंत्रियों के लिए, उन भूतपूर्व मंत्रियों के आवास क्यों खाली नहीं कराए जा रहे हैं, और इसमें ढिलाई के क्या कारण हैं ? क्या यह सच नहीं है कि कुछ भूतपूर्व मंत्रियों से आपके सम्बन्ध बहुत अच्छे हैं, इस आधार पर मकान खाली नहीं करा रहे हैं ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, सम्बन्ध तो इनसे भी बहुत अच्छे हैं और हर एक जो वर्तमान है, उसे एक दिन भूतपूर्व होना है । हम लोग भी भविष्य के भूतपूर्व हैं । जहां तक मकान खाली कराने का प्रश्न है और जिन मंत्रीगणों को आवास नहीं मिल पाया है उनके लिए इन मकानों को खाली कराने का प्रयास बड़ी तत्परता से कर रहे हैं

लेकिन हर एक चीज की एक प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है कि जाकर उनका सामान फेंक दिया जाय ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित--

मान्यवर, यह प्रश्न इस आदरणीय सदन में हर बार आता है । तीन दिन पहले भी दूसरे रूप में यह सवाल आया था, एक सूची भी जारी की गई थी, जिसमें बच्चा पाठक, गुलाब सेहरा, मोहसिना किदवई आदि का नाम ही नहीं था, और उन पर भी मकान का किराया बकाया है, उनसे भी मकान खाली कराने में इतना विलम्ब क्यों किया जा रहा है तथा उन पर मुकदमा आदि क्यों दाखिल नहीं कर रहे हैं, यह बता दें ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, जहां तक पहले प्रश्न का सम्बन्ध है कि माननीय मोहसिना किदवई का नाम क्यों नहीं है । माननीय किदवई जी का जो मकान है वह उन्हें भूतपूर्व मंत्री की हैसियत से एलाट नहीं है, बल्कि यह मकान, जब वह कांग्रेस की प्रेसीडेन्ट थीं, उसके हिसाब से एलाट है, यह परम्परा है कि जो भी पार्टी अध्यक्ष होता है, उसे मकान दिया जाता है । गुलाब सेहरा का जो मकान है, वह हरिजन समाज कल्याण संस्था के नाम से आवंटित किया गया था । इस वजह से इन लोगों के नाम भूतपूर्व मंत्रियों वाली सूची में नहीं थे । जहां तक कार्यवाही का सवाल है, कार्यवाही की जा रही है । अलग-अलग कार्यवाही की जा रही, जिसकी वजह से विलम्ब हो रहा है ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कौन-कौन से मंत्री हैं, जिन्होंने आवास खाली नहीं किए हैं और उनसे अभी तक मकान खाली करवाने के लिए क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री अम्मार रिजवी--

जिनके ऊपर बकाया है, उनके नाम हैं सर्वश्री जयराम गौतम, शिवानन्द नौटियाल, गुलाब सेहरा, सच्चिदानन्द बाजपेयी, हबीबुर्रहमान नोमानी, के0 एन0 राय, दलजीत सिंह, इन्द्रजीत, एल0 आर0 आचार्या, धीरेन्द्र सहाय, जफर अली नकवी, संजय सिंह, सुनील शास्त्री, प्रवीन कुमार शर्मा, मुजफ्फर हसन और कुमारी सरस्वती अम्माल ।

मुस्लिम धोबी तथा मुस्लिम भंगी जाति को अनुसूचित जातियों की सूची में रखे जाने की मांग

*8--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जब कि हिन्दू धोबी तथा भंगी अनुसूचित जाति में हैं तो मुस्लिम धोबी तथा मुस्लिम भंगी को जनरल में रखने का क्या कारण है ? क्या सरकार इनको भी उसी जाति में रखने की कृपा करेगी जिसमें हिन्दू धोबी तथा भंगी हैं ?

श्री शैलेन्द्र कुमार--

किसी जाति विशेष को अनुसूचित जातियों की वर्गीकृत सूची में सम्मिलित करने का प्रश्न केन्द्र शासन के क्षेत्राधिकार में आता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

यह सही है कि अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार केन्द्र सरकार को है। लेकिन उनका सर्वे करके और उनकी सामाजिक व आर्थिक स्थिति की जानकारी करके केन्द्र सरकार को अनुशंसा करने का काम तो राज्य सरकार का है। एक बिरादरी के भंगी व नाई को अनुसूचित जाति में माना जाता है और दूसरे को नहीं माना जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई नीति बनाई है इसका

(इस समय 12 बजकर 10 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।)

सर्वे कराया जायेगा ? यदि सर्वे करा लिया गया है तो उसका विवरण क्या है और क्या वह केन्द्र सरकार को भेज दिया गया है ?

श्रीमती दीपा--

मान्यवर, भंगी शब्द का हम इस्तेमाल नहीं करते, इसे अपमानजनक माना जाता है। इसे वाल्मीक नाम से संविधान में लिया गया है। हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, वह तो इसमें नहीं आते हैं। हमारे जो मुस्लिम स्वीपर्स हैं वे पिछड़ी जाति में आते हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

केन्द्र सरकार के क्षेत्रान्तर्गत आता है, इसमें मुझे कोई बहस नहीं करनी है। समाज के किसी जाति के बारे में, किसी वर्ग के बारे में जब आवाज उठती है तो उसका सर्वे कराया जाता है। तो क्या इस मामले में भी सरकार ने कोई सर्वे कराया है, यदि नहीं तो इस प्रश्न के प्राप्त होने के बाद जब मामला सरकार के संज्ञान में आ गया तो इस मामले पर सरकार ने सर्वे कराया यदि कराया तो उसे केन्द्र सरकार को भेज दिया है। यदि नहीं कराया है तो माननीय मंत्री जी आश्वासन देंगी कि इस पर सर्वे कराया जायेगा और इन वर्गों के लोगों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति की जानकारी लेकर केन्द्र सरकार को अनुशंसा करेगी ?

श्रीमती दीपा--

मान्यवर, हमारे संविधान निर्माताओं ने बड़ी बारीकी से संविधान को बनाया है। फिर भी माननीय सदस्य ने जो बात कही है, उसे हम दिखवा सकते हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, उत्तर नहीं आया। हम तो आश्वासन चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

वैसे तो यह भारत सरकार का मामला है लेकिन माननीय गुप्त जी का कहना है कि आप सर्वे करायेंगी या नहीं ?

श्रीमती दीपा--

मान्यवर, मैं इसको दिखलवा लूंगी।

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी--

मान्यवर, मैं जानना चाहूंगा कि मुस्लिम समुदाय में मोमिन अन्सार और जो धोबी हैं उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, सामाजिक स्तर उनका ऊंचा है। सरकार ने

मुस्लिम समुदाय में धोबी और स्वीपर का स्तर बिल्कुल नीचा है, हिन्दू समाज में जिनको आरक्षण की सुविधायें प्राप्त हैं, धोबी और भंगी को क्यों नहीं मिलती है ?

(प्रश्न के अत्यन्त अस्पष्ट होने के कारण)

श्रीमती दीपा--

इनका प्रश्न ही समझ में नहीं आया ।

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी--

मैं जानना चाहता हूं कि किसी विशेष जाति को सूची में सम्मिलित करने का अधिकार प्रदेश सरकार को नहीं है, फिर मोमिन अन्सार को शासन के किस नियम के अन्तर्गत आरक्षण दिया गया और इनको छोड़ दिया गया ?

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, यह सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं ।

(श्री विद्यार्थी को सम्बोधित करते हुये)

श्री उपाध्यक्ष--

कृपया आप बैठें ।

श्री राज किशोर सिंह--

जैसे मुस्लिम धोबी और मुस्लिम भंगी को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में माननीय गुप्ता जी ने पूछा है, तो किनरिया और गंरिया भी ऐसी जातियां हैं जो अनुसूचित जाति के समान हैं, हिन्दुओं में दियार हैं जो अनुसूचित जाति के समान हैं । क्या इस सम्बन्ध में भारत सरकार को आख्या भेजेंगे ताकि सूची में सम्मिलित कर लिया जाय ?

श्री उपाध्यक्ष--

आप लिखकर भेज दीजिये, जरूर कर लगे । इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है ।

इलाहाबाद मार्ग पर बिल ग्राम से मल्लावां तक पांच किलो मीटर मार्ग को चौड़ा करने की कार्यवाही

*9--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बिलग्राम इलाहाबाद मार्ग पर बिलग्राम से मल्लावां तक 5 किलोमीटर मार्ग चौड़ा करने से छूट गया है जिसका प्राक्कलन जिला स्तर से काफी समय पूर्व भेजा जा चुका है ? यदि हां, तो प्राक्कलन स्वीकृत कर छूटे 5 किलोमीटर मार्ग पर कब तक काम करा लिया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां, परन्तु बिलग्राम-इलाहाबाद मार्ग पर बिलग्राम से मल्लावां के 5 कि0 मी0 (कि0 मी0 8 से कि0 मी0 12) मार्ग के चौड़ा करने का प्राक्कलन शासन को प्राप्त नहीं हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम आसरे वर्मा—

बिलग्राम-इलाहाबाद, वह स्टेट हाईवे है। माननीय मन्त्री जी ने कहा कि बिलग्राम से मल्लावां के बीच में सारी सड़क तो चौड़ी हो गयी लेकिन 5 कि0 मी0 की सड़क बाकी है, वह स्वयं बतायें कि यह प्रस्ताव कहां से आयेगा ? उसका आगणन शासन के सामने विचाराधीन है। जानना चाहूंगा कि क्या जो आगणन आया है, उसका इस्टीमेट बनाकर, 5 कि0 मी0 जो बच गया है, उसकी स्वीकृति प्रदान कर पूरे टुकड़े को चौड़ा कराने की कृपा करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी—

इसका आगणन, जैसा निवेदन किया है, शासन को प्राप्त नहीं हुआ है लेकिन इस प्रकार का इस्टीमेट चीफ आफिस में आया है। चूंकि स्टेट हाईवे है इसलिये इसको स्टेट सेक्टर में चौड़ा कराने पर विचार किया जा रहा है।

श्री राम आसरे वर्मा—

बाकी हिस्सा चौड़ा हो चुका है, क्या माननीय मन्त्री जी इसमें शीघ्रता करा देंगे ?

श्री अम्मार रिजवी—

अवश्य करायेंगे, माननीय राम आसरे वर्मा जी की बात कैसे टाली जायगी।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

*10—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी तथा श्री सूर्य प्रताप शाही—

[9वें मंगलवार में ता0 प्र0 सं0 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

विकास खंड सोधी (शाहगंज) व विकास खंड सुइथाकला जनपद जौनपुर में ब्लाक के माध्यम से व हरिजन निर्बल आवास निगम द्वारा बनाये गये आवासों का विवरण

*11—श्री दीप चन्द्र सोनकर—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खंड सोधी (शाहगंज) व विकास खंड सुइथाकला जनपद जौनपुर में वर्ष 1986-87 व 1987-88 व 1988-89 में अब तक ब्लाक के माध्यम से व हरिजन निर्बल आवास निगम द्वारा कुल कितने ग्रामों में आवास बनवाये गये हैं ? क्या उक्त आवासों में लाभार्थी रह रहे हैं ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती दीपा—

विकास खंड सोधी (शाहगंज) में वर्ष 1986-87 में 5 ग्रामों में 28 आवास, तथा वर्ष 1987-88 में 8 ग्रामों में 42 आवास, विकास खंड के माध्यम से, निर्मित

नोट—नत्थी (ग) के तारांकित प्रश्न संख्या 9 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

हुये, जिनमें क्रमशः जून, 1987 तथा जुलाई 1983 से लाभार्थी रह रहे हैं। वर्ष 1988-89 का विकास खंड का लक्ष्य 306 का निर्धारित है, जो निर्माणाधीन है।

विकास खंड सोधो (शाहगंज) के ग्राम कयार में 5 आवास हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम द्वारा निर्मित हुये, जिसमें दिनांक 26 अक्तूबर, 1988 से लाभार्थी रह रहे हैं। विकास खंड सोधो (शाहगंज) के ग्राम खेतासराय में 7 आवास निर्मित हुये है, जिसमें दिनांक 26 दिसम्बर, 1988 से लाभार्थी रह रहे हैं।

विकास खंड सुइथाकलां में वर्ष 1986-87 में 15 ग्रामों में 26 आवास, वर्ष 1987-88 में 11 ग्रामों में 26 आवास, विकास खंड के माध्यम से निर्मित हुये हैं, जिनमें क्रमशः दिनांक 31 मार्च, 1987 से तथा दिनांक 30 सितम्बर, 1988 से लाभार्थी रह रहे हैं। वर्ष 1988-89 का विकास खंड का लक्ष्य 224 निर्धारित है है जो निर्माणाधीन है।

हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम लिमिटेड द्वारा सुइथाकलां विकास खंड के ग्राम गंरवाह में 8 आवास, विकास खंड सोधो के ग्राम मानोकला में 13 आवास, सुरिर में 5 आवास तथा खजुरा में 5 आवास निर्माणाधीन है। लाभार्थी स्वयं आवास का निर्माण कर रहे हैं। पूर्ण होने पर उसमें रहेंगे।

आवास में निवास करने वाले लाभार्थियों की सूची, उनके निवास की तिथि की जानकारी सहित, माननीय सदस्य को अलग से उपलब्ध करा दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर में हिन्डन नदी पर ग्राम शिकारपुर के पास पुल का निर्माण

*12--श्री हरेन्द्र सिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर में हिन्डन नदी पर ग्राम शिकारपुर के पास राज्य सेक्टर द्वारा पुल का निर्माण कराया गया था ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस पुल को पानीपत खटीमा राज्य मार्ग से जोड़ने वाले शामली भोराकलां लालूखेड़ी पुराना मार्ग से जोड़ा गया है ? क्या यह सही है कि राज्य सेक्टर द्वारा जनहितार्थ निर्मित यह पुल एक ओर से अभी तक नहीं जोड़ा जा सका है ? क्या मंत्री जी राज्य सेक्टर से उक्त पुल को जोड़ने हेतु शिकारपुर भोराकलां खड़ंजे मार्ग, जिसकी लम्बाई मात्र 4 किलोमीटर है, को लेपित कराने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां।

जी हां।

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

कार्य जिला सेक्टर योजना का है जिसकी स्वीकृति जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन एवं धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

मुख्य अभियन्ता, उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम के द्वारा की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

*13—श्री अचल सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि मुख्य अभियंता, उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम के द्वारा की जा रही अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के कार्य स्थगन प्रस्ताव पर माननीय अध्यक्ष जी ने दिनांक 12 मार्च, 1988 को सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया था। यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां।

शिकायतों की जांच करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

मेरठ रिठानी माइनर से हापुड़ रोड बाई पास बनाने की कार्यवाही

*14—श्री राजेन्द्र शर्मा—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ रिठानी माइनर से हापुड़ रोड बाई पास किस वर्ष में प्रस्तावित किया गया था और इसको पूरा करने में क्या कठिनाइयां हैं ? मेरठ शहर की सघन आबादी और यातायात की सुविधा को देखते हुए इस बाई पास मार्ग को कब तक बनवा दिया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

मेरठ-दिल्ली मार्ग से हापुड़ रोड बाई पास मार्ग (वाया रिठानी माइनर) वर्ष 1987-88 में प्रस्तावित किया गया था जो शासनादेश दिनांक 13 जनवरी, 1988 द्वारा लेखन स्तर तक स्वीकृत है।

कोई कठिनाई नहीं है।

प्रश्नगत मार्ग का निर्माण वर्ष 1989-90 में पूर्ण हो जाने की सम्भावना है।

उत्तर प्रदेश में एक हजार की आबादी वाले क्षेत्रों में सड़कों को पक्की कराये जाने की योजना

*15—श्री राकेशधर त्रिपाठी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1988 के अंत तक उत्तर प्रदेश में एक हजार की आबादी वाले क्षेत्रों में सड़कों को पक्की कराये जाने की योजना शासन स्तर पर विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत फिलहाल प्रदेश के 1,000 से ऊपर की जनसंख्या वाले गांवों को सम्पर्क मार्गों द्वारा जोड़े जाने हेतु खड़ंजा स्तर तक के मार्गों का निर्माण किया जा रहा है। यह योजना भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की गई है। प्रदेश

के सीमित संसाधनों को देखते हुए सेपन स्तर तक के मार्गों का निर्माण फिलहाल सम्भव नहीं है ।

नैना पीक से भू-स्खलन के कारण नुकसान एवं सरकार द्वारा की जा रही कार्यवाही

*16—डाक्टर दिनेश जौहरी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि गत 4/5 जुलाई, 1988 को नैना पीक से भू-स्खलन के कारण टेलीफोन एक्सचेंज के पास खड़ी दो कार दब गईं व अनेक भवनों को नुकसान पहुंचा तथा अनेक भवनों को खतरा पैदा हो गया है ? यदि हां, तो सरकार इस ओर क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

उक्त दिनांक 4 व 5 जुलाई, 1988 को नैना पर्वत पर हुये भू-स्खलन से कुछ मकानों में मलवा गया था जिससे कुछ भवनों को क्षति पहुंची थी । टेलीफोन एक्सचेंज के पास कारों के दबने की सूचना नहीं है । भविष्य में भू-स्खलन से भवनों को खतरा होने की सम्भावना को नकारा नहीं जा सकता है ।

पूर्व में गत मार्च, 1988 के भूस्खलन के बाद पर्वतीय विकास विभाग द्वारा आयोजनागत मद से स्वीकृत 24.82 लाख रु0 से सुरक्षात्मक कार्यों का पूरा सम्पादन किया जा चुका है । इस बीच दिनांक 4/5 जुलाई, 1988 को हुये उक्त भूस्खलन के बाद जिलाधिकारी, नैनीताल द्वारा तुरन्त बचाव राहत कार्य हेतु रु0 15 लाख के कार्य युद्ध स्तर पर करने के निर्देश दिये गये जिसके अन्तर्गत लगभग 80 प्रतिशत कार्य कराया जा चुका है । इसके अतिरिक्त इस सम्बन्ध में दीर्घकालीन योजना हेतु भारतीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की से जांच एवं सर्वेक्षण कराने की कार्यवाही भी की जा रही है जिस पर विचार संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर होगा ।

प्रदेश में प्रशिक्षित कम्पाउन्डर होते हुए भी अप्रशिक्षित कम्पाउन्डरों की नियुक्ति का औचित्य

*17—श्री मगौती सिंह—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि उनके अधीनस्थ कार्यरत अधिकतर कम्पाउन्डर अप्रशिक्षित हैं ? क्या यह सच है कि कुछ पदों को डाउन ग्रेड करके अप्रशिक्षित व्यक्तियों की नियुक्ति की गयी है ? यदि हां, तो कब ? इस समय प्रदेश में आयुर्वेदिक प्रशिक्षित कम्पाउन्डर उपलब्ध होते हुए भी अप्रशिक्षित व्यक्तियों की नियुक्ति क्यों की गयी ? इन पदों पर प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती दीपा—

वर्तमान समय में कार्यरत कुल 52 कम्पाउन्डर हैं जिसमें 30 कम्पाउन्डर प्रशिक्षित हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आदेश में प्रशिक्षित कर्मचारियों की उपलब्धता को विवरण दिया में नहीं है । अप्रशिक्षित कर्मचारियों की नियुक्ति शासनादेश दिनांक 20 अक्टूबर, 1967 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार हुई है । अतः ये पद जब रिक्त होंगे तभी इन पर प्रशिक्षित कर्मचारियों की पुनः नियुक्ति का प्रश्न उठता है ।

मेरठ से बाया राम राज्य बिजनौर राजकीय रोड चौड़ी करने के कार्य का आरम्भ न किये जाने का कारण

*18--श्री हर शरन सिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला 20 सूत्रीय कार्यक्रम की मीटिंग में 1985 में मेरठ से बाया रामराज्य बिजनौर राजकीय रोड डबल चौड़ी होने के लिए पास कर दी गई थी ? उस पर अभी तक कार्य आरम्भ न होने के क्या कारण हैं ? कब तक इस रोड को चौड़ा किया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी, नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्नगत मार्ग की 10 किमी0 लम्बाई के चौड़ीकरण का कार्य 27.90 लाख रु0 की लागत पर शासनादेश दिनांक 17 जनवरी, 1989 द्वारा स्वीकृत है । उक्त मार्ग पर निर्माण कार्य अप्रैल, 1989 से प्रारम्भ करके मार्च, 1991 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित है जिसकी प्राप्ति तथा मार्ग के शेष भाग की स्वीकृति संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उत्तर प्रदेश राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड लखनऊ द्वारा प्रान्तीय रिबेट को कालातीत माने जाने का औचित्य

*19--श्री भगवती सिंह विशारद--

क्या उद्योग मंत्री को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ ने अपने पत्र संख्या-1427/संस्था/रिबेट 8/87-88 दिनांक 21 जुलाई, 1987 के द्वारा स्वराज आश्रम सर्वोदय नगर कानपुर को सूचित किया है कि वर्ष 1981 के पूर्व की प्रान्तीय रिबेट को कालातीत मान लिया गया है । यदि हां, तो इसके क्या कारण है ? क्या सरकार इस मामले में पुनर्विचार करके खादी संस्थाओं को उनके द्वारा दी गयी प्रान्तीय रिबेट के भुगतान के आदेश प्रदान करेगी ?

श्रीमती बेनी बाई--

जी हां ।

सम्बन्धित संस्था द्वारा प्रश्नगत रिबेट दावे विलम्ब से प्रस्तुत करना ।

प्रश्न नहीं उठता ।

फिरोजाबाद के कांच एवं चूड़ी उद्योग में लगे बाल श्रमिकों के कल्याण हेतु तैयार की गई परियोजना

*20--श्री रघुवर दयाल वर्मा--

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के उद्योग नगर फिरोजाबाद में कांच एवं चूड़ी की उच्च तापमान की भट्ठियों पर कांच मुस्की से उठाने

का कठोर श्रम क्या 9 साल से 13 साल की आयु के बच्चे करते हैं ? यदि हां, तो भारतीय संविधान में वर्जित इस बाल श्रम को किस आधार पर अनुमति प्राप्त है ? क्या यह भी सत्य है कि इन बाल श्रमिकों के कल्याण की सरकार ने अभी तक कोई योजना आरम्भ नहीं की है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्रम एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री सैयद सईदुल हसन)--

वर्तमान में यह कार्य 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे नहीं करते हैं।

इसके लिए कभी कोई अनुमति नहीं दी गयी है ।

फिरोजाबाद के कांच एवं चूड़ी उद्योग के बाल श्रमिकों के कल्याण हेतु तैयार की गई परियोजना भारत सरकार द्वारा स्वीकृति कर दी गयी है और उसको लागू करने की कार्यवाही प्रारम्भ हो गयी है ।

अतारांकित प्रश्न

झांसी जिले के समथर से सिकन्दरा सम्पर्क मार्ग एवं गरोठा से भसनेह सम्पर्क मार्ग को डामरीकृत किये जाने विषयक-पत्र

1--कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रश्नकर्ता के मुख्य मंत्री को सम्बोधित झांसी जिले के समथर से सिकन्दरा सम्पर्क मार्ग एवं गरोठा से भसनेह सम्पर्क मार्ग जो वर्षों से अधूरे पड़े हैं डामरीकृत किये जाने विषयक, दिनांक 2 मई, 1988 के पत्र पर मुख्य मंत्री ने सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग को उक्त दोनों सम्पर्क मार्ग डामरीकृत किये जाने के आदेश किये थे ? यदि हां, तो मुख्य मंत्री के आदेशों का पालन करते कब तक उक्त दोनों सम्पर्क मार्ग डामरीकृत करा दिये जायेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां ।

कार्य जिला सेक्टर योजना से सम्बन्धित है जिसकी स्वीकृति जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन एवं धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद बरेली में डोहरा लालपुर पर नकटिया नदी पर चन्दपुर घाट पर पुल निर्माण विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र एवं कार्यवाही

2--डाक्टर दिनेश जौहरी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि माननीय मुख्य मंत्री को जनपद बरेली में चन्द डोहरा लालपुर मार्ग पर नकटिया नदी पर चन्दपुर घाट पर पुल निर्माण के विषय में 18 अप्रैल, 1988 को प्रश्नकर्ता द्वारा भेजा गया कोई पत्र प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां ।

प्रश्नगत पुल जिला सेक्टर योजना के अन्तर्गत है, जिसकी स्वीकृति जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन एवं धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

सा0 नि0 वि0, शाहजहांपुर में निलम्बित श्री मोहम्मद सलीम मिर्जा, सहायक अभियन्ता के विरुद्ध कार्यवाही एवं पुनः पदस्थ करने के आदेश

3--श्री नवाब सिकन्दर अली खां--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रान्तीय खण्ड सा0 नि0 वि0 शाहजहांपुर में स्टोर से सम्बन्धित कर्मी के लिये वर्ष 1983-84 में निलम्बित श्री मोहम्मद सलीम मिर्जा, सहायक अभियन्ता, जिसकी चार्जशीट पर जांच होने के पश्चात् फाइनल रिपोर्ट माह फरवरी, 1987 में मुख्य अभियन्ता (परिवाद) द्वारा शासन को प्रस्तुत करने के बाद भी, उनके बहाल करने के लिये अन्तिम निर्णय न लिये जाने का क्या कारण है ?

श्री अम्मार रिजवी--

श्री मोहम्मद सलीम मिर्जा, सहायक अभियन्ता, सा0 नि0 वि0 के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के सम्बन्ध में प्राप्त जांच आख्या पर विचारोपरान्त शासन द्वारा श्री मिर्जा को सहायक अभियन्ता के पद पर पुनः पदस्थ किये जाने के आदेश निर्गत किये जा चुके हैं।

वक्फ संख्या 41, 42 व 61 शाहजहांपुर का वित्तीय आडिट तथा श्रीमती अशरफ इमाम, सदस्य, विधान सभा के शिकायती-पत्र पर कार्यवाही

4--श्री नवाब सिकन्दर अली खां--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1988 के चौथे सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 55 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुस्लिम वक्फ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वक्फ संख्या 41, 42 व 61 शाहजहांपुर का वित्तीय आडिट पूर्ण हो चुका है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि वक्फ नं0 45 ए शाहजहांपुर पर अध्यक्ष सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सैयद सईदुल हसन--

सुन्नी बोर्ड से प्राप्त सूचनानुसार वक्फ संख्या 41 शाहजहांपुर का आडिट मुतवल्ली ने वर्ष 1960-61 से नहीं कराया है। बोर्ड ने सर्किल आडिटर को तत्काल आडिट करके रिपोर्ट भेजने के कड़े निर्देश पुनः दे दिये हैं तथा स्पष्टीकरण मांगा है। वक्फ नं0 42 का वर्ष 1987-88 तक का आडिट पूर्ण हो चुका है। वक्फ नं0 61, शाहजहांपुर का आडिट हो चुका है परन्तु आडिटर की रिपोर्ट प्रतीक्षित है। वक्फ नं0 45 ए (न कि 45) के विवाद की सुनवाई अध्यक्ष, सुन्नी वक्फ बोर्ड के विचाराधीन है।

शाहजहांपुर के वक्फ नं0 61 के मुतवल्ली के कार्य व आचरण की जांच एवं शासन द्वारा कृत कार्यवाही

5—श्री नवाब सिकन्दर अली खां—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1988 के पांचवे सोमवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 16 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुस्लिम वक्फ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वक्फ संख्या 61, शाहजहांपुर के सम्बन्ध में सचिव, सुन्नी वक्फ बोर्ड ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सैयद सईदुल हसन—

सुन्नी वक्फ बोर्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार सर्किल इन्सपेक्टर द्वारा वक्फ नं0 61, शाहजहांपुर के मुतवल्ली के कार्य और आचरण की जांच कराई गयी । जांच में कुछ अनियमिततायें प्रकाश में आई हैं जिनके लिये मुतवल्ली से स्पष्टीकरण मांगा गया है । मुतवल्ली से अभी स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है ।

दिनांक 2 फरवरी, 1989 को मुतवल्ली को इस आशय की नोटिस पुनः दी गयी है कि उन्हें बोर्ड के आदेशों की अवहेलना के लिये वक्फ नं0 61, शाहजहांपुर की तौलियत से क्यों न हटा दिया जाय ।

बिजनौर—मुजफ्फरनगर मार्ग रावली बैराज के पास अधूरे कार्य को निश्चित अवधि में पूरा किये जाने की मांग

6—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बिजनौर—मुजफ्फरनगर मार्ग रावली बैराज के पास अधूरा पड़ा है ? यदि हां, तो इतने महत्वपूर्ण मार्ग को अभी तक पूरा न करने का क्या कारण है ? क्या मन्त्री जी अविलम्ब समस्या के कारणों का निदान करके उक्त निर्माण को तीन महीने में पूर्ण करा देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

मीरापुर बाईपास मार्ग तथा मीरापुर देवल मार्ग नामक 14·10 कि0 मी0 लम्बे प्रश्नगत मार्ग के कि0 मी0 7 का 400 मीटर भाग, उसमें पड़ने वाली आरक्षित भूमि के हस्तान्तरण की अनुमति भारत सरकार एवं वन विभाग से मिलने में हुये विलम्ब के कारण, पूरा नहीं हो पाया है । उक्त वांछित भूमि अब सार्वजनिक निर्माण विभाग को प्राप्त हो गई है । मार्ग के उक्त भाग में कराया जा रहा मिट्टी का कार्य अगले तीन माह में पूरा कराया जाना मौसम की अनुकूलता पर निर्भर है । मार्ग के उक्त भाग से वर्तमान में यातायात एक अस्थायी डाईवर्जन से बिना किसी बाधा के गुजर रहा है ।

राजकीय अतिथि गृह के व्यवस्थाधिकारियों के स्थानान्तरण की नीति एवं वर्तमान व्यवस्थाधिकारी, राजकीय अतिथि गृह, मीराबाई मार्ग, लखनऊ में कार्यरत की अवधि

7—श्री शारदा नन्द अंचल—

क्या राज्य सम्पत्ति मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय अतिथि गृह के व्यवस्थाधिकारियों के स्थानान्तरण नीति में समय की कोई सीमा निर्धारित है ? यदि हां, तो वर्तमान व्यवस्थाधिकारी, राजकीय अतिथि गृह, मीराबाई मार्ग, लखनऊ अपने पद पर कितने समय से कार्यरत हैं ? उन्हें न हटाये जाने का क्या कारण है ?

श्री अम्मार रिजवी—

स्थानान्तरण की सामान्य नीति प्रत्येक वर्ष कार्मिक विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है। सामान्यतः एक स्थान पर तीन वर्ष नियुक्त रखने की व्यवस्था है। किन्तु कार्यहित में किसी इकाई में कार्यरत अधिकारी अधिक समय तक भी कार्यरत रखे जा सकते हैं।

राज्य अतिथिगृह, मीराबाई मार्ग, लखनऊ के व्यवस्था अधिकारी 1976 से यहां कार्यरत हैं, कार्यहित में उन्हें वहां से अब तक हटाना आवश्यक नहीं पाया गया है।

जनपद गाजीपुर विकास खण्ड कासिमाबाद के अन्तर्गत अलावलपुर—बरेसर पिडारी मार्ग को स्वीकृति एवं तारकोल स्तर तक पूर्ण किये जाने की मांग

8—श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर विकास खण्ड, कासिमाबाद के अन्तर्गत अलावलपुर—बरेसर पिडारी मार्ग लम्बाई लगभग 14 कि0 मी0 सड़क को स्वीकृति कब दी गई थी और किस स्तर तक निर्माण कार्य सम्पन्न किया जाना था ? क्या यह सही है कि उक्त मार्ग का निर्माण कार्य अभी तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो उक्त का निर्माण तारकोल स्तर (पेटिंग स्तर) तक का शीघ्र ही कर दिया जायगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

वर्ष 1980 में प्रश्नगत मार्ग सूखा योजना के अन्तर्गत 14 कि0 मी0 लम्बाई में मिट्टी/पुलिया स्तर तक कार्य स्वीकृत हुआ था। इसके अतिरिक्त वर्ष 1983 में 4 कि0 मी0 हेतु तथा वर्ष 1984 में 4·4 कि0 मी0 हेतु सोलिंग स्तर तक का कार्य स्वीकृत किया गया।

जी नहीं। 14 कि0 मी0 में मिट्टी/पुलिया तथा 8·4 कि0 मी0 में खड़ंजा स्तर तक का कार्य पूर्ण है।

प्रदेश के सीमित संसाधनों को देखते हुये पेटिंग स्तर तक का निर्माण कराया जाना फिलहाल सम्भव नहीं है।

जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत बाराचवर से जहूराबाद—मुबारकपुर रोड का निर्माण कार्य

9—श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत बाराचवर से जहूराबाद—मुबारकपुर (गंगोली) रोड लम्बाई लगभग 11 कि0 मी0 का निर्माण कार्य किस योजना के अन्तर्गत और कब स्वीकृत हुआ था ? क्या यह सही है कि उक्त मार्ग का निर्माण नहीं कराया गया ? यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ? क्या उक्त मार्ग का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा ही करा लिया जायगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

प्रश्नगत मार्ग के प्रथम 3·3 कि0 मी0 भाग की स्वीकृति सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन वर्ष 1985 में सेन्ट्रल आर0 एल0 ई0 जी0 पी0 के अन्तर्गत दी गई थी शेष भाग सा0 नि0 वि0 के स्वामित्व में नहीं है।

जी नहीं। सार्वजनिक निर्माण विभाग के मार्ग पर कार्य पूर्ण है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत सिधानगर से लेकर रेगा पिंडारी मार्ग विकास खण्ड, कासिमाबाद के निर्माण की स्वीकृति

10--श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत सिधानगर से लेकर रेगा पिंडारी मार्ग लम्बाई लगभग 6 कि0 मी0 विकास खण्ड, कासिमाबाद के निर्माण की स्वीकृति शासन द्वारा कब दी गई थी ? क्या यह सही है कि उक्त मार्ग का का निर्माण अभी तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो उक्त का निर्माण कब तक पूरा कर दिया गया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

विषयगत मार्ग की 6·00 कि0 मी0 लम्बाई में मिट्टी पुलिया का निर्माण कार्य 5/80 में तथा 2 कि0 मी0 लम्बाई में खड़ंजा का कार्य 2/86 में स्वीकृत हुआ था ।

केवल 500 मीटर कार्य को छोड़ कर जिसमें भूमि उपलब्ध नहीं है, निर्माण कार्य स्वीकृत स्तर तक पूर्ण है ।

भूमि की उपलब्धता पर निर्भर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत सिधानगर--सुखलपाली--रामगढ़ सलामत मार्ग की स्वीकृति

11--श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत सिधाकर--सुखलपाली--रामगढ़--सलामत मार्ग--लम्बाई लगभग 10 कि0मी0 विकास खण्ड, कासिमाबाद के निर्माण की स्वीकृति कब और किस योजना के अन्तर्गत शासन द्वारा दी गयी थी ? क्या यह सही है कि उक्त का निर्माण अभी तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो कब तक करा दिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

विषयगत मार्ग वर्ष 1984-85 में जिला आर0 एल0 ई0 जी0 पी0 योजना के अन्तर्गत खड़ंजा स्तर तक स्वीकृत हुआ था ।

जी नहीं । मार्ग का निर्माण कार्य स्वीकृत स्तर तक पूर्ण है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत चोनहरा--रसूलपुर अफगान--अलावलपुर मार्ग पर पड़ने वाली मगई नदी पर पक्के पुल के निर्माण की स्वीकृति

12--श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत चोनहरा--रसूलपुर अफगान--अलावलपुर मार्ग पर पड़ने वाली मगई नदी (रसूलपुर घाट) पर पक्के पुल के निर्माण की स्वीकृति कब दी गयी थी और उक्त का निर्माण कार्य

अब तक प्रारम्भ न किये जाने का क्या कारण है ? उक्त मार्ग एवं उक्त पुल का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

गाजीपुर में ननौरा से अलावलपुर अफगान मार्ग पर मगई नदी पर पुल के निर्माण की स्वीकृति 9/84 में प्रदान की गई थी तथा उसके पहुंच मार्ग की स्वीकृति 8/87 में प्रदान की गई थी ।

पुल का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है । पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु भूमि अभी विभाग को उपलब्ध नहीं हुई है, अतः कोई तिथि निर्धारित करना सम्भव नहीं है ।

13-14—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

[4थे बुधवार में अता0 प्र0 सं0 103-104 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

15—सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

प्रबन्ध निदेशक, राजकीय निर्माण निगम के विरुद्ध अब्दुल वदूद खां, सदस्य विधान परिषद् का पत्र

16—श्री मूल चन्द्र तथा श्री यदुनाथ सिंह—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1988 के छठे मंगल के लिए निर्धारित अता0 प्रश्न संख्या 97 के उत्तर के संदर्भ में सा0 नि0 मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस सम्बन्ध में सदस्य, विधान परिषद्, खान अब्दुल वदूद खां का पत्र संख्या 852 माननीय मुख्य मंत्री जी को तारीख 5 अगस्त, 1988 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां, माननीय विधान परिषद् सदस्य, खान अब्दुल वदूद खां का पत्र संख्या 852 माननीय मुख्य मंत्री जी के कार्यालय में 5 अगस्त, 1988 को प्राप्त हुआ था । उक्त पत्र में संदर्भित माननीय सदस्य के पत्रांक 823 पर प्रमुख अभियन्ता, सा0 नि0 वि0 द्वारा जांच करायी गई । जांच के फलस्वरूप आरोप सारहीन पाये गये ।

इसके अतिरिक्त माननीय सदस्य के उपर्युक्त पत्र में श्री एस0 पी0 गोयल के विरुद्ध माननीय लोकायुक्त द्वारा की जा रही जांच का भी हवाला था । तत्सम्बन्धी स्थिति यह है कि श्री गोयल के विरुद्ध श्री विशन सिंह, नैनीताल द्वारा दायर परिवाद पर माननीय लोकायुक्त द्वारा अन्वेषण के दौरान परिवादी द्वारा लगाये गये सभी आरोप निराधार पाये गये । फलस्वरूप, माननीय लोकायुक्त ने परिवाद पर अन्वेषण स्थगित करते हुए परिवाद को समाप्त कर दिया ।

उपर्युक्त परिस्थितियों में मामले में सतर्कता अधिष्ठान द्वारा अग्रेतर जांच हेतु कोई औचित्य प्रकट नहीं हुआ । अतएव, शासन द्वारा सतर्कता अधिष्ठान से कोई जांच नहीं कराई गयी ।

जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में शिविर लगाकर अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति वितरण विषयक शासनादेश

17—श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति के तुरन्त भुगतानार्थ शासन ने विधायक की उपस्थिति में शिविर लगाने हेतु शासनादेश जारी किया था ? यदि हां, तो इलाहाबाद जनपद में शासनादेश जारी होने के उपरान्त अब तक कितने शिविर विधायकों की अनुपस्थिति में लगाये गये ? क्या इन शिविरों में व्याप्त भ्रष्टाचार/अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा एक माह पूर्व शिकायत की गयी थी। यदि हां, तो शिकायतों की जांच के क्या परिणाम रहे ?

श्रीमती दीपा—

जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में शिविर लगाकर छात्रवृत्ति के वितरण के आदेश हैं।

उक्त जनपद में 25 शिविर लगाये गये हैं। विधायकों की अनुपस्थिति में लगाये गये शिविरों के बारे में अलग से सूचना उपलब्ध कराने के लिये निदेशक को निर्देशित किया गया है।

जी हां।

इस सम्बन्ध में जांच करायी जा रही है।

जनपद इलाहाबाद में विमुक्त जातियों को कुटीर एवं कृषि हेतु अनुदान का वितरित न किया जाना

18—श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद इलाहाबाद में विमुक्त जातियों को कुटीर एवं कृषि हेतु अनुदान तीन वर्षों से वितरित नहीं किया गया है जबकि प्रत्येक वर्ष अनुदान वितरित होना चाहिए ? क्या मंत्री जी अनुदान न वितरित करने वाले जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेंगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती दीपा—

विगत वित्तीय वर्ष 1985-86, 1986-87 व 1987-88 में से केवल 1985-86 में ही रु0 50,000 आवंटित किये गये थे जिसमें रु0 48,500 की धनराशि वितरित करने के लिये अवशेष है।

इस सम्बन्ध में उप निदेशक, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद को निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण द्वारा यह आदेश दे दिये गये हैं कि प्रश्नगत मामले में जांच करके अपनी आख्या उपलब्ध करायें, ताकि दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सके।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत बरही (गोविन्दपुर) डंडापुर से इंदौर खजूर कासिमाबाद मार्ग की स्वीकृति एवं तार कोल स्तर तक पूरा किये जाने की मांग

19—श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)—

क्या सा0 निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत बरही (गोविन्दपुर) डंडापुर से इंदौर खजूर कासिमाबाद मार्ग, लम्बाई लगभग 8 कि0 मी0, विकास खण्ड मरदह के निर्माण की स्वीकृति शासन द्वारा कब दी गयी थी ? क्या यह सही है कि उक्त मार्ग का निर्माण कार्य अभी तक नहीं किया जा सका है ? यदि हां, तो क्या उक्त का निर्माण तारकोल स्तर (पेन्टिंग स्तर) तक का शीघ्र ही कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अम्मार रिजवी—

प्रश्नगत मार्ग का स्वीकृति वर्ष 1985 में खड़ंजा स्तर तक के निर्माण हेतु सेक्टोरल आर0 एल0 ई0 जी0 पी0 के अन्तर्गत ग्राम विकास विभाग द्वारा दी गई थी। जी नहीं प्रश्नगत मार्ग का निर्माण खड़ंजा स्तर तक पूर्ण किया जा चुका है।

प्रदेश के सीमित संसाधनों को देखते हुए प्रश्नगत मार्ग का निर्माण पेन्टिंग स्तर तक कराया जाना फिलहाल सम्भव नहीं है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के मुख्यालय निर्माण भवन, में शिकायत के आधार पर अधिशासी अभियंता और अधीक्षण अभियंता का सम्बद्ध किया जाना एवं उनके विरुद्ध आरोप

20—श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सा0 निर्माण विभाग के मुख्यालय, निर्माण भवन में शिकायत के आधार पर कितने अधिशासी अभियंता और अधीक्षण अभियंता सम्बद्ध किये गये हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उनके विरुद्ध क्या-क्या आरोप हैं ? क्या मंत्री जी इसका सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

इस समय कोई अधिकारी उक्त खण्ड से सम्बद्ध नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियन्ता श्री धर्मवीर द्वारा इन्दिरानगर लखनऊ स्थित निजी मकान किराये पर दिया जाना

21—श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)—

क्या सा0 निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता द्वारा प्रबन्ध निदेशक, राजकीय निर्माण निगम के रूप में इन्दिरानगर,

लखनऊ में अपने निजी मकान में राजकीय निर्माण निगम/सार्व0 निर्माण विभाग का कोई कार्यालय खोला गया है ? यदि हां, तो उस हेतु सरकार को प्रतिमाह कितना रुपया किराये के रूप में व्यय करना पड़ता है ? क्या सरकार इस हेतु प्रमुख अभियंता सार्व0 निर्माण विभाग के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

सार्वजनिक निर्माण विभाग के वर्तमान प्रमुख अभियन्ता श्री धर्मवीर द्वारा इन्दिरा नगर (लखनऊ) स्थित अपना मकान अधीक्षण अभियन्ता, 57 वां वृत, सार्वजनिक निर्माण विभाग, लखनऊ के कार्यालय हेतु 19 जुलाई, 1985 से किराये पर दिया गया है। संगत समय पर श्री धर्मवीर मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग एवं पर्वतीय समन्वय के पद पर नियुक्त थे।

भवन का वर्तमान किराया रु0 1754–10 प्रतिमाह है जो शासन द्वारा संगत नियमों/आदेशों के अन्तर्गत स्वीकृत है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रमुख अभियंता के विरुद्ध उनके द्वारा अधीक्षण अभियन्ता के रूप में राष्ट्रीय मार्ग बरेली में किये गये वित्तीय भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में जांच

22—श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि प्रमुख अभियंता के विरुद्ध उनके द्वारा अधीक्षण अभियंता राष्ट्रीय मार्ग बरेली में किये गये वित्तीय भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कोई टेक्निकल जांच वर्ष 1987–88 में शासन द्वारा बैठायी गयी थी ? यदि हां, तो जांच की क्या स्थिति है तथा उक्त जांच किस अधिकारी द्वारा करायी जा रही है ? क्या सरकार जांच अपूर्ण होने की दशा एवं वरिष्ठता सूची में कनिष्ठ होने हुए भी वर्तमान पद पर पदोन्नति के लिए सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करके पदोन्नति को निरस्त करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां।

जांच प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ, सा0 नि0 वि0 से करायी गयी थी, जो कि पूर्ण हो चुकी है।

प्रमुख अभियंता पद पर प्रोन्नति हेतु चयन के समय चयन समिति द्वारा संगत तथ्यों पर विचार किया गया था। श्री धर्मवीर कनिष्ठ नहीं बल्कि पात्रता के क्षेत्र में उपलब्ध वरिष्ठतम अधिकारी थे। अतएव, उनको प्रमुख अभियंता पद पर पदोन्नति के लिए किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करके पदोन्नति को निरस्त करने पर विचार करने का प्रश्न नहीं उठता।

राज्य सम्पत्ति विभाग में कार्यरत विभागीय टेलीफोन अटेंडेंट की वरिष्ठता तथा शैक्षिक योग्यता के आधार पर समूह 'ग' की पद पर पदोन्नति

23—श्री प्रेम पाल सिंह—

क्या राज्य सम्पत्ति मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन श्री संभर लाल तथा श्री रघुबीर प्रसाद यादव तथा अन्य ऐसे कर्मचारी हैं जिनको टेली-

फोन अटेन्डेन्ट से समूह 'ग' के पद पर विभागीय पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर की गयी थी ? यदि हां, तो वर्तमान समय में कार्यरत अन्य टेलीफोन अटेन्डेन्ट को वरिष्ठता तथा शैक्षिक योग्यता के आधार पर समूह 'ग' के पद पर पदोन्नति करने पर विचार किया जायेगा ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? दिनांक 8 मई, 1988 को विभागीय पदोन्नति के लिये जाने के सम्बन्ध में लिखित परीक्षा लेने का क्या औचित्य है ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां, किन्तु उस समय सेवा नियमावली नहीं बनी थी ।

जी नहीं, दिनांक 2 दिसम्बर, 1983 से सेवा नियमावली लागू है तथा अब पदोन्नति नियमावली के अनुसार की जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विभागीय प्रोन्नति वरिष्ठता एवं शैक्षिक योग्यता के आधार पर करने का प्राविधान सेवा नियमावली में नहीं है ।

परीक्षा उत्तर प्रदेश राज्य सम्पत्ति विभाग समूह 'ख' एवं 'ग' सेवा नियमावली 1983 में निहित नियमों के अनुसार ली जाती है ।

राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा नियमों का उल्लंघन कर अप्रशिक्षित टेलीफोन आपरेटरों की अस्थायी नियुक्ति

24--श्री देव कुमार यादव--

क्या राज्य सम्पत्ति मन्त्री को जानकारी है कि उनके विभाग में अक्तूबर 1988 में नियमों का उल्लंघन करते हुए नौ अप्रशिक्षित टेलीफोन आपरेटरों की अस्थायी नियुक्ति की गयी है ? क्या यह है कि विभाग में उक्त नियुक्ति के करीब दस वर्ष पहले ही (11) प्रशिक्षित कर्मचारी टेलीफोन अटेन्डेन्ट के रूप में कार्यरत हैं ? यदि हां, तो प्रशिक्षित कर्मचारियों को नियमानुसार प्रोन्नति न देकर नये व्यक्तियों की नियुक्ति के क्या कारण हैं ? क्या सरकार इस प्रकरण की जांच करके प्रश्नगत अनियमित नियुक्ति को रद्द करके प्रोन्नति के अधिकारी, पहले से कार्यरत कर्मचारियों को प्रोन्नति देकर उनकी नियुक्ति टेलीफोन आपरेटरों के रूप में करने की कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

प्रश्नगत नियुक्तियों में नियमों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है ।

जी हां ।

विभागीय सेवा नियमावली के अनुसार समूह 'ग' की रिक्तियों का 85 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा तथा 15 प्रतिशत समूह 'घ' से प्रोन्नति द्वारा भरे जाने का प्राविधान है । 15 प्रतिशत पदों हेतु प्रोन्नति की प्रक्रिया मई, 1988 में पूरी कर ली गई थी तथा प्रशिक्षित टेलीफोन अटेन्डेन्ट को भी अवसर प्रदान किया गया था । सीधी भर्ती के 85 प्रतिशत पदों हेतु ऐसे विभागीय कर्मचारियों को कोई वरीयता नियमानुसार प्राप्त नहीं होती ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के निदेशक मण्डल द्वारा श्री एस० सी० बंसल भूतपूर्व महाप्रबन्धक को परामर्शदाता के रूप में रखा जाना

25—श्री राय लक्ष्मी नारायण सिंह—

क्या सरकार को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के निदेशक मण्डल ने श्री एस० सी० बंसल भूतपूर्व महाप्रबन्धक को परामर्शदाता के रूप में एक सौ रुपये प्रतिदिन पर लगाये जाने की अनुमति दी थी ? क्या यह सही है कि उन्हें निदेशक मण्डल के निर्णय के विपरीत एक हजार रुपये प्रतिदिन की दर से भुगतान किया गया है ? क्या सरकार इस गम्भीर अनियमितता की जांच करायेगी और दोषी अधिकारियों को दण्डित करेगी ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं । निदेशक मण्डल ने 150 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दिनांक 31 मई, 1988 तक श्री एस० सी० बंसल को रखे जाने की अनुमति प्रदान की थी ।

दिनांक 31 मई, 1988 के पश्चात् सीमेन्ट कारपोरेशन आफ इंडिया, नई दिल्ली के आरबिट्रेशन के मामले के लिए श्री एस० सी० बंसल की एक वकील तथा परामर्शदाता की हैसियत से रखा गया तथा निम्नलिखित दरों पर भुगतान किया गया :—

(1) लखनऊ में परामर्श—

(क) 250 रु० प्रतिदिन 3 घंटे के लिये ।

(ख) 450 रु० प्रतिदिन ।

(2) लखनऊ से बाहर परामर्श—

(क) 600 रु० प्रतिदिन, प्रथम श्रेणी तथा वातानुकूलित/वायुयान भाड़ा तथा उत्तर प्रदेश शासन के अनुसार आनुसंगिक व्यय ।

(ख) रहने तथा खाने की व्यवस्था ।

(ग) आरबिट्रेशन में बहस करने के लिए 1,000 रु० प्रतिदिन ।

प्राप्त आख्या से अनियमितता प्रकट नहीं होती । अतः जांच का प्रश्न नहीं उठता ।

वाराणसी-मिर्जापुर जनपदों में बसी हुई बियार जाति की अनुसूचित जाति/जन जाति में सम्मिलित किये जाने सम्बन्धी-पत्र

26—श्री राज किशोर सिंह—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी मिर्जापुर जनपदों में बसी हुई बियार जाति को अनुसूचित जाति/जनजाति की सूची में सम्मिलित किये जाने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 28 अक्तूबर, 1986 के उत्तर में उनके पत्र संख्या 1309/17/86, दिनांक 3 दिसम्बर, 1986 के अनुसार उक्त जाति के सम्बन्ध में भारत सरकार को आवश्यक कार्यवाही हेतु आख्या भेज दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती दीपा—

जी नहीं ।

मामला सर्वेक्षणाधीन है ।

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निर्माण विभाग में अभियन्ताओं के रिक्त पदों की संख्या इन पदों को भरे जाने हेतु कार्यवाही

27--श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)---

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निर्माण विभाग में अधीक्षण अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता व सहायक अभियन्ता तथा अवर अभियन्ताओं के अलग-अलग कुल कितने पद रिक्त हैं और कब से रिक्त हैं और इन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रमुख अभियन्ता द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री अम्मार रिजवी--

रिक्त पदों के विवरण निम्नवत् हैं :--

पद नाम	रिक्त पदों की संख्या	कब से रिक्त हैं
अधीक्षण अभियन्ता (सिविल)	12	जुलाई, 1987 एवं बाद से
अधीक्षण अभियन्ता (वि0/यां0)	3	फरवरी, 1987 एवं बाद से
अधिशासी अभियन्ता (सिविल)	13	फरवरी, 1987 एवं बाद से
अधिशासी अभियन्ता (वि0/यां0)	2	मई, 1988 एवं बाद से
सहायक अभियन्ता (सिविल)	231	1984 से अब तक
सहायक अभियन्ता (वि0/यां)	27	फरवरी, 1987 से अब तक
अवर अभियन्ता	1570	वर्ष 1981 में 700 वर्ष 1982 में 520 वर्ष 1983 में 350

अधीक्षण अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता के पदों पर पदोन्नति क्रमशः अधिशासी एवं सहायक अभियन्ता के पद से ज्येष्ठता सूची के अनुसार पात्र अधिकारियों में की जाती है। विभाग के अभियन्त्रण अधिकारियों की अन्तिम अविवादित मूल ज्येष्ठता सूची उपलब्ध न होने के कारण पदोन्नति की कार्यवाही नहीं की गयी है। पदोन्नति की कार्यवाही शासन स्तर पर की जाती है।

सहायक अभियन्ताओं के रिक्त पदों पर नियुक्ति लोक सेवा आयोग के माध्यम से शासन द्वारा सीधी भर्ती से तथा पात्र अवर अभियन्ताओं में से प्रोन्नति द्वारा की जाती है। सहायक अभियन्ता (सिविल) के सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्ति हेतु शासन द्वारा लोक सेवा आयोग को समय-समय पर अधियाचन भेजे गये। लोक सेवा आयोग द्वारा चयनोपरान्त 226 पद भरे जाने के सम्बन्ध में अपनी संस्तुतियां उपलब्ध करा दी गयी हैं। प्रोन्नति श्रेणी की वर्ष 1985-86 से 1987-88 तक रिक्तियों पर नियमित नियुक्ति हेतु लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजा गया है। आयोग द्वारा चयन की कार्यवाही को अन्तिम रूप दे दिया गया है। चयन परिणाम अभी प्राप्त नहीं हुआ है विद्युत/यांत्रिक के पद प्रोन्नति श्रेणी से इस शर्त के अधीन भर लिये हैं कि लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर इन्हें प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा।

अवर अभियन्ताओं के पद पर नियुक्ति हेतु प्रमुख अभियन्ता द्वारा वर्ष 1981, 1982 तथा 1983 में अधियाचन लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश को भेजा जा चुका है। आयोग द्वारा चयन की कार्यवाही प्रगति में है।

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड के निदेशक मण्डल के निर्देशों का उल्लंघन करके अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति

28—श्री मित्रसेन—

क्या सरकार को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड के निदेशक मण्डल के स्पष्ट निर्देशों का उल्लंघन करके अनुचित और अवैधानिक रूप से जनवरी, 1988 से अब तक प्रतिनियुक्ति पर अनेक अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्तियां की गयी है ? क्या मंत्री जी सदन को इस प्रकार की नियुक्तियों और निदेशक मण्डल के तत्सम्बन्धित समस्त विवरणों से इस सदन को अवगत करायेंगे ? अनियमितताओं और अवैधानिक रूप से की गयी इन नियुक्तियों और पदोन्नतियों को शासन रद्द करके दोषी अधिकारियों को दंडित करने की कार्यवाही कब तक करेगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

राजकीय निर्माण निगम के निदेशक मंडल से ऐसे कोई निर्देश नहीं दिये हैं कि प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्माण निगम में न लिया जाय। अतः निगम के निदेशक मंडल के निर्देशों के उल्लंघन का प्रश्न नहीं उठता।

शेष प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी गढ़वाल में निर्माणाधीन अधूरे मोटर मार्गों का पूरा कराया जाना

29—श्री सुरेन्द्र सिंह (गढ़वाल)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में कितने व कौन-कौन से निर्माणाधीन मोटर मार्ग किन कारणों से अधूरे पड़े हैं ?

इन मोटर मार्गों को कब तक पूरा कर लिया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

जनपद पौड़ी गढ़वाल में निर्माणाधीन मोटर मार्गों तथा उनके अपूर्ण होने के कारणों का विवरण सार्वजनिक निर्माण मंत्री के कार्यालय में उपलब्ध हैं जिसे किसी कार्य दिवस में कार्यालय समय में देखा जा सकता है।

उक्त मार्गों का निर्माण पूरा होना वांछित भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित होने तथा पर्याप्त अनुदान की उपलब्धता पर निर्भर है।

30—श्री सुरेन्द्र सिंह (गढ़वाल)—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

बलिया जनपद में शाहपुर-तेलमाज-मालदीनपुर-करनो मार्ग बन कर तैयार होने की अवधि

31—श्री शारदा नन्द अंचल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि बलिया में शाहपुर-तेलमाज-मालदीनपुर-करनो मार्ग कब तक बन कर तैयार हो जायेगा तथा उक्त मार्ग के तेन्दुआ पट्टी फरसाटार स्थित पक्का पुल कब तक बनकर तैयार हो जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी--

प्रश्नगत मार्ग की पूर्ण स्वीकृति अभी नहीं दी गई है इस पर विभिन्न स्थलों पर स्वीकृति के अनुसार कार्य पूर्ण हैं। प्रश्नगत सेतु भी अभी स्वीकृति नहीं है। दोनों कार्यों की स्वीकृति धन की उपलब्धता एवं जिला नियोजन व अनुश्रवण समिति के अनुमोदन पर निर्भर है।

बलिया जनपद के चकरा-बरौली मार्ग पर बसनही नाले पर पुल निर्माण की अवधि

32--श्री शारदा नन्द अंचल--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि बलिया जनपद के चकरा-बरौली मार्ग पर बसनही नाले का पुल कब तक बनकर तैयार हो जायेगा ? क्या सरकार तत्काल काम पूर्ण कराने हेतु निर्देश जारी करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

प्रस्तावित सेतु जिला योजना का कार्य है, जिसका निर्माण धन की उपलब्धता एवं जिला नियोजन अनुश्रवण समिति के अनुमोदन पर निर्भर है।

चूंकि प्रश्नगत कार्य अभी स्वीकृत नहीं है, अतः पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में कोई आदेश जारी किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

घाघरा नदी पर बलिया व देवरिया जनपदों को जोड़ने वाला घाघरा सेतु का निर्माण

33--श्री शारदा नन्द अंचल--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतायेंगे कि बलिया व देवरिया जनपदों को जोड़ने वाला घाघरा नदी पर बनने वाला घाघरा सेतु कब तक बन जायेगा ? क्या सरकार उक्त पुल के शीघ्र निर्माण हेतु पूर्ण धन देने की कृपा करेगी ?

श्री अम्मार रिजवी--

बलिया व देवरिया जनपदों को जोड़ने वाले तुर्तीपार के निकट बनने वाले सेतु का निर्माण 6/91 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

इस सेतु के शीघ्र निर्माण हेतु कुछ धन की सहायता के लिए सेतु निगम बैंकों से ऋण लेने का प्रयास कर रहा है।

रायल होटल एवं वर्तमान निर्माणाधीन महात्मा गांधी भवन लखनऊ के प्रांगण में दुकानों का एलाटमेंट किया जाना

34--श्री सूर्य प्रताप शाही--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रायल होटल एवं वर्तमान निर्माणाधीन महात्मा गांधी भवन लखनऊ के प्रांगण में वर्ष 1983-84, 1984-85, 1985-86, 1986-87 एवं 1987-88 में कितनी-कितनी दुकानें एलाट की गई हैं तथा एलाटमेन्ट किस अधिकारी द्वारा किया गया है और एलाटमेन्ट करने में कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई है ? उक्त एलाटमेन्ट से निर्माणाधीन भवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने को दृष्टिगत रखते हुये एलाटमेन्ट करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

प्रश्नगत वर्षों में से केवल वर्ष मार्च, 1985 में हथकरघा वस्त्रों को प्रदर्शनी एवं बिक्री को प्रोत्साहन दिये जाने हेतु मा० विधायकों की संस्तुति के आधार पर श्री मोहन लाल, अध्यक्ष, हथकरघा उद्योग के पक्ष में एक माह के लिए निःशुल्क गुमटी रखने हेतु राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा आवंटन किया गया था। किराये के आधार पर इनके पक्ष में आवंटन की अवधि कुछ समय के लिए बढ़ाई गई थी।

उक्त आवंटन के कारण निर्माणाधीन भवन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

35—श्री राम सजीवन—

[4थे शुक्रवार के लिए स्थगित]

विधायक निवासों के लिए स्वीकृत पद तथा "घ" श्रेणी के कर्मचारियों को प्रोन्नति का प्राविधान

36—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

क्या राज्य सम्पत्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधायक निवासों के लिए कौन-कौन पद स्वीकृत हैं जिन पर "घ" श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति की जा सकती है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या "घ" श्रेणी के कर्मचारियों को भी पदोन्नति का प्राविधान है? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो क्या? क्या यह सही है कि विधायक निवास के कर्मचारी अपने मूल पद पर से ही रिटायर हो जाते हैं? यदि हां तो श्रेणी "घ" के कर्मचारियों की पदोन्नति हेतु कोई प्राविधान किया जायेगा?

श्री अम्मार रिजवी—

निम्नलिखित पदों पर अपेक्षित अर्हतायें रखने वाले समूह "घ" के कर्मचारियों की नियमानुसार प्रोन्नति की जाती है :—

(1) लेखालिपिक, (2) पूंछतांछ लिपिक एवं स्वागतकर्ता, (3) टेलीफोन/टेलेक्स आपरेटर, (4) काउन्टर क्लर्क एवं स्टोरकीपर (कनिष्ठ) श्रेणी (5) स्वागतकर्ता, स्वागतकर्ता एवं स्टोरकीपर।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

समूह "ग" की रिक्तियों का 15 प्रतिशत योग्य एवं अपेक्षित अर्हतायें रखने वाले समूह "घ" के कर्मचारियों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रोन्नति के अवसर प्रदान किये जाते हैं।

नियमावली में समूह "घ" के कर्मचारियों को प्रोन्नति दिये जाने का प्राविधान है।

दारुलशफा के विधायक निवास ए, बी व सी में रिक्त कक्षों को अस्थायी रूप से गैर विधायकों को आवंटित किया जाना

37—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या राज्य सम्पत्ति मंत्री कृपया बतायेंगे कि दारुलशफा के विधायक निवास ए, बी व सी सिर्फ विधायकों के लिये सुरक्षित हैं? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि

इनमें कितने कक्षों में गैर विधायक रहते हैं और मासिक कितना किराया देते हैं ? क्या सरकार ऐसे सभी गैर विधायकों की सूची सदन के पटल पर रखेगी ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां, किन्तु माननीय विधायकों को कक्ष उपलब्ध कराने के उपरान्त कक्ष अस्थायी रूप से गैर विधायकों को आवंटित किये गये हैं। विधायक निवास-ए, बी, बी-नया व सी में क्रमशः 57, 43, 5 तथा 3 गैर विधायक रहते हैं। विधायक निवास में अध्यासित गैर विधायकों से 'क' व 'ख' श्रेणी के कक्षों का किराया क्रमशः 9 रु0 प्रतिदिन तथा 7 रु0 प्रति दिन निर्धारित था। दिनांक 1 जनवरी, 1986 व 1 जुलाई, 1988 से 'क' व 'ख' श्रेणी के कक्षों का किराया पुनरीक्षित करके क्रमशः 20 रु0 प्रतिदिन व 4 रु0 प्रतिदिन विद्युत् तथा जल शुल्क एवं 15 रु0 प्रतिदिन व 100 रु0 प्रतिमाह विद्युत् एवं 'क' जल मूल्य निर्धारित किया गया है।

प्रश्नगत विधायक निवासों में अध्यासित गैर विधायकों की सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत टोंस नदी पर स्थित गोसलपुर घाट एवं भटही घाट मार्ग से भरौली कला मार्ग का निर्माण कार्य

38--श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)--

क्या सा0 निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत टोंस नदी पर स्थित गोसलपुर घाट एवं भटही घाट मार्ग से भरौली कला मार्ग का निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं किया जा सका है ? यदि हां, तो क्या उक्त का निर्माण कार्य शीघ्र ही पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अम्मार रिजवी--

जनपद गाजीपुर में टोंस नदी के एक ओर भटही घाट तथा दूसरी ओर गोसलपुर घाट स्थित है। गोसलपुर घाट से थोड़ी दूरी पर गोसलपुर गांव स्थित है। मार्ग गोसलपुर से भरौली कला तक मिट्टी पुलिया एवं खड़न्जा स्तर तक 6.23 किमी0 लम्बाई में स्वीकृत हुआ था जो स्वीकृत स्तर तक पूर्ण है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत मगई नदी पर स्थित लट्ठडीह गोड़ऊ नारायणपुर मार्ग पर पक्के पुल के निर्माण की स्वीकृति

39--श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)

क्या सा0 निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत मगई नदी पर स्थित लट्ठडीह घाट से लट्ठडीह गोड़ऊ नारायणपुर मार्ग पर पक्के पुल के निर्माण की स्वीकृति कब दी गयी थी ? क्या यह सही है कि उक्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य उक्त स्थान पर नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

मुख्य सेतु की स्वीकृति वर्ष 1984 में तथा पहुंच मार्ग की स्वीकृति वर्ष 1987 में प्रदान की गई है।

जी नहीं। सम्पर्क मार्ग का निर्माण स्वीकृत स्थान पर ही प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

बलिया जिला में मांझी घाट से लकड़ी का स्लीपर गायब होना

40--श्री हरदेव--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 1986 में बलिया जिला में मांझी घाट से लाखों रुपये का लकड़ी का स्लीपर गायब हो गया था ? यदि हां, तो सरकार को बहुत देर से सूचना भेजने तथा इस केस में रुचि न लेने के लिये श्री पी0 के0 शर्मा, अधीक्षण अभियन्ता के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां, आंधी-तूफान के फलस्वरूप पुल टूट गया था और प्रश्नगत क्षति हुयी थी ।

सूचना के भेजे जाने में हुये विलम्ब के लिये उत्तरदायित्व निर्धारण हेतु जांच के निर्देश जारी कर दिये गये हैं । जांच-आख्या के प्राप्त हो जाने पर दोषी अधिकारी के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही की जायगी ।

बलिया जिला में प्रबोधपुर घाट पर दुबारा पैन्टून पुल बांधने के आदेश एवं बनाकर तोड़ा जाना

41--श्री हरदेव--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि बलिया जिला में प्रबोधपुर घाट पर दुबारा पैन्टन पुल मई 87 के अन्त में बांधने के लिये मौखिक रूप से अधीक्षण अभियन्ता, श्री पी0 के0 शर्मा द्वारा आदेश दिया गया था ? जून, 1987 में यह पुल तोड़ दिया गया ? पुल बांधने एवं तुरन्त तोड़ने में लाखों रुपये खर्च होने के लिये अधीक्षण अभियन्ता, श्री पी0 के0 शर्मा को क्या दण्ड दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

अधीक्षण अभियन्ता द्वारा माह अप्रैल, 1987 के अन्त में प्रश्नगत पुल के बांधने के मौखिक आदेश दिये गये थे ।

जी हां ।

जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

राष्ट्रीय मार्ग मथुरा के हाटमिक्स प्लान्ट एवं अन्य मशीनों पर किये गये घोटालों के बारे में माननीय मुख्य मन्त्री का सम्बोधित पत्र एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

42--श्री कुशल पाल सिंह--

क्या सा0 निर्माण मन्त्री की जानकारी में है कि प्रश्न कर्ता ने दिनांक 30 जुलाई, 1988 को राष्ट्रीय मार्ग मथुरा के हाटमिक्स प्लान्ट एवं अन्य मशीनों पर किये गये घोटालों के बारे में माननीय मुख्य मन्त्री को एक शिकायती पत्र दिया था ? यदि हां, तो इस की जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई तथा इसमें कौन-कौन अधिकारी दोषी पाये गये ? क्या शासन ने दोषी पाये गये अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां ।

जांच श्री एन0 एन0 सिन्हा, अधीक्षण अभियन्ता, 47वां वि0/यो0 सा0 नि0 वि0, मुरादाबाद से कराई गई । जांच आख्या प्रमुख अभि0 स्तर पर परीक्षणाधीन है ।

अभी प्रकरण शासन के समक्ष नहीं आया है ।

जनपद पिथौरागढ़ की तहसील डीडीहाट में बरडगाड से थल स्टेशन तक मार्ग का निर्माण एवं भुगतान की गई धनराशि

43—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र सं0 सार्व/76-3/87, दिनांक 2 मार्च, 1987 के सन्दर्भ में जनपद पिथौरागढ़ की तहसील डीडीहाट में बरडगाड से थल स्टेशन तक जाने वाले मोटर मार्ग के मूल निर्माता श्री गोपाल दत्त पाठक (ग्राम व पत्रालय-थल जनपद पिथौरागढ़) को मूल निर्माण का नवीनतम् दरों पर भुगतान करने हेतु जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ के पत्र सं0 578/उन्तीस-18 (86-87), दिनांक 4 नवम्बर, 1987 द्वारा सरकार को भेजी सूचना के अनुसार परगनाधिकारी डीडीहाट द्वारा कब-कब किन-किन व्यक्तियों से विस्तृत पूछताछ की गयी थी ? जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ द्वारा समस्त स्थानीय ग्राम प्रधानों समेत सम्मानित नागरिकों व जन-प्रतिनिधियों के द्वारा लिखित सूचना व अनुरोध क्रमशः किन-किन आधारों पर निरस्त किया गया ? क्या सरकार यह बतायेगी कि कथित मोटर मार्ग का मूल निर्माण कब किसके द्वारा कितनी धनराशि से किया था ?

श्री अम्मार रिजवी—

प्रश्नगत मामले में जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ के संदर्भित पत्र दिनांक 4 नवम्बर, 1987 के साथ प्राप्त परगना अधिकारी, डीडीहाट की आख्या दिनाँक 19 अगस्त, 1987 के अनुसार कानूनगो, थल द्वारा श्री गोपाल दत्त पाठक, श्री उत्तम सिंह (ग्राम अमतड), श्री दान सिंह (ग्राम प्रधान पडियात), श्री मदन सिंह (ग्राम प्रधान भद्री गांव) के बयान लिये गये थे । इसके अतिरिक्त क्षेत्र विकास अधिकारी, बेरीनाग तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग, बेरीनाग से भी परगना अधिकारी, डीडीहाट द्वारा रिपोर्ट प्राप्त की गई थी ।

इस सम्बन्ध में की गई जांच में अभिलेखों के आधार पर ऐसा कोई भी साक्ष्य सामने नहीं आया जिससे यह बात हो सके कि प्रश्नगत मार्ग के निर्माण में श्री गोपाल दत्त पाठक द्वारा कोई व्यय किया गया । श्री पाठक द्वारा भी ऐसा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

खंड विकास अधिकारी, बेरीनाग से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 86-87 में प्रधान, ग्राम सभा, बरड़गाड को बरड़गाड से थल मार्ग हेतु 1060 रु0 स्वीकृत हुआ था व प्रधान, ग्राम सभा, बरड़ द्वारा ही मार्ग निर्माण कराया गया है । जिसका अन्तिम भुगतान 1060 रु0 सम्बन्धित प्रधान को किया गया ।

राज्य सम्पत्ति विभाग में टे0 आपरेटरों की उच्च वेतनमानों में पदोन्नति

44—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

क्या राज्य सम्पत्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या ई-1157 ए/21-110/88, दिनांक 18 अक्तूबर, 1988 द्वारा विभागीय टे0 आपरेटरों की पदोन्नति उच्च वेतनमानों में की गयी है ? क्या पदोन्नति के फलस्वरूप रिक्त पदों की पूर्ति श्रेणी "ध" के शिक्षित एवं प्रशिक्षित कर्मचारियों से की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

प्रश्न में संबर्मित शासनादेश द्वारा किसी विभागीय प्रोन्नति के आदेश जारी नहीं किये गये हैं ,

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य सम्पत्ति विभाग में अप्रशिक्षित टे0 आपरेटरों को प्रशिक्षण प्रमाण--पत्र प्रस्तुत करने के आदेश

45--श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी--

क्या राज्य सम्पत्ति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विभागीय आदेश संख्या ई-116-88/32-1-98/87, दिनांक 24 अक्तूबर, 1988 को अप्रशिक्षित टे0 आपरेटरों से छः माह के अन्दर प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र विभाग में प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है ? क्या नियुक्तियां करते समय प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र नहीं देखा गया था ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उपरोक्त नियुक्तियों में विभागीय अधिसूचना संख्या ई-10021/32-1-319-77, दिनांक 2 दिसम्बर, 1983 ई0 निर्मित नियमावली नं0 8 के अन्तर्गत किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या विभागीय नियमों का पालन न करने वाले अधिकारियों को नियमानुसार दण्डनीय प्राविधान है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां ।

जी नहीं क्योंकि नियुक्तियां विभाग के कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों में से शासन की नीति के अनुसार की गयी । ऐसे कर्मचारियों को बाद में प्रशिक्षण कराने की व्यवस्था है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जी नहीं क्योंकि नियुक्तियां शासन की नीति के अनुसार वर्ष 1980 और इसके बाद से कार्यरत दैनिक वेतन भोगी शिक्षित श्रमिकों को नियमित करने हेतु की गई थी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं क्योंकि इन नियुक्तियों में शासन की नीति का अनुपालन किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

द्वितीय उत्तर प्रदेश वेतन आयोग द्वारा राजकीय मुद्रणालयों में कार्यरत कल्याण अधिकारियों के लिये संस्तुत वेतन मान

46--श्री हरिश्चन्द्र (हरीश जी)--

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि द्वितीय उत्तर प्रदेश वेतन आयोग ने अधीक्षक मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश के अधीन कार्यरत

कल्याण अधिकारी श्रेणी–प्रथम के वेतनमान रु0 900–1,600 को वेतनमान रु0 1,360–2,125, कल्याण अधिकारी श्रेणी–द्वितीय के वेतनमान रु0 550–1,200 को वेतनमान रु0 850–1,720 तथा कल्याण अधिकारी श्रेणी–तृतीय के वेतनमान रु0 450–850 को वेतनमान रु0 690–1,420 में दिनांक 1 जुलाई, 1979 से पुनरीक्षित किये जाने की अनुशंसायें की थी ? यदि हां, तो क्या इन अनुशंसाओं को लागू कर कल्याण अधिकारियों के वेतनमानों को पुनरीक्षित करने का शासनादेश जारी कर दिया गया है ? क्या उत्तर प्रदेश सरकार "द्वितीय उत्तर प्रदेश वेतन आयोग" की अनुशंसाओं के अनुरूप कल्याण अधिकारी श्रेणी–प्रथम, कल्याण अधिकारी श्रेणी–द्वितीय व कल्याण अधिकारी श्रेणी–तृतीय के नवीन वेतनमानों को 1 जुलाई, 1979 से लागू किये जाने तथा इन वेतनमानों को सभी उद्योगों में कार्यरत कल्याण अधिकारिओं को उपलब्ध कराने हेतु "उत्तर प्रदेश फैक्ट्रीज वेलफेयर अफिसर्स रूल्स, 1955" के रूल 3 (1) में आवश्यक संशोधन आदेश पारित करेगी ? यदि हां, तो शासन द्वारा कब तक संशोधन आदेश पारित कर दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सैयद सईदुल हसन—

जी हां, द्वितीय उत्तर प्रदेश वेतन आयोग ने राजकीय मुद्रणालयों में कार्यरत कल्याण अधिकारियों के लिये प्रश्न में उल्लिखित वेतनमान संस्तुत किये थे परन्तु शासकीय संकल्प दिनांक 29 सितम्बर, 1981 द्वारा यह निर्णय लिया गया कि वेतन आयोग की संस्तुतियों को निष्प्रभावी माना जाय क्योंकि इन पदों के वेतनमान श्रम विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश कारखाना कल्याण अधिकारी नियमावली, 1955 के अन्तर्गत निर्धारित किये जाते हैं। कारखानों में कार्यरत कल्याण अधिकारियों के वेतनमान पुनरीक्षित किये जाने हेतु उक्त नियमावली में संशोधन की कार्यवाही की जा रही है।

ग्राम कंकोड़ी, तहसील हापुड़, जिला गाजियाबाद में आवंटन हेतु निर्मित दुकानों के निर्माण में अनियमितता के विरुद्ध जांच

47—श्री कनक सिंह—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1987 के पहले शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 59 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि स्पेशल कम्पोनेन्ट के तहत ग्राम कांकोड़ जनपद गाजियाबाद में बनाई गई दस दुकानों के निर्माण की जांच कराई गई ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है तथा कौन–कौन अधिकारी दोषी हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्रीमती दीपा—

जी हां।

जांच रिपोर्ट की प्रतिलिपि संलग्न है। शासन इस जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है तथा इस मामले में पुनः जांच के आदेश दिये गये हैं।

अभी प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 169 पर।)

जिला लखनऊ के विकास खंड बख्शी का तालाब और चिनहट के हरिजनों को सिंचाई हेतु दी गई सुविधाएं

48—श्री भगौती सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला लखनऊ के विकास खंड बख्शी का तालाब और चिनहट के हरिजनों के लिये सिंचाई हेतु स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के

अन्तर्गत कहां-कहां नलकूप बनाये गये हैं ? उसमें से कितने नलकूप चालू हालत में हैं और कितने खराब हालत में तथा कितने-कितने दिनों से खराब हैं व कहां-कहां अधूरे बने पड़े हैं और उनके खराबी का कारण क्या है ?

श्रीमती दीपा--

जनपद लखनऊ के विकास खंड बख्शी का तालाब एवं चिनहट के हरिजनों के लिए स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत सिंचाई ग्राम हरदौरपुर, मदारीपुर, रामपुर, बहेड़ा, बसहा, इन्दारा, जमखनवा, कडवारा, चक-पृथ्वीपुर, भवानीपुर, भगौतीपुर एवं राजा सलेमपुर तथा जुग्गौर, सरौरा, बौरमऊ एवं नरहरपुर में नलकूप बनाये गये ।

उसमें से 13 नलकूप चालू हालत में हैं 12 नलकूप खराब हालत में हैं । विकास खंड बख्शी का तालाब में ग्राम इन्दारा, जमखनवा में 1 वर्ष एक माह से, इन्दारा कठवारा एवं राजा सलेमपुर में 2 वर्ष 5 माह से एवं भवानीपुर में 5 माह से तथा चिनहट विकास खंड के ग्राम बौरमऊ में 2 वर्ष 5 माह से, सरौरा एवं नरहरपुर में 3 वर्ष 5 माह से नलकूप खराब हैं । ग्राम इन्दारा एवं जमखनवा में विद्युत कनेक्शन होना है, इन्दारा कठवारा में इंजन नहीं है, भवानीपुर में रिफलेक्स वाल्व खराब है एवं राजा सलेमपुर में मोटर स्टाल का कार्य अवशेष है । ग्राम बौरमऊ में इंजन खराब है बोरिंग पुनः डेवलप होना है, सरौरा एवं नरहरपुर में इंजन नहीं है तथा बोरिंग डेवलपमेन्ट का कार्य होना शेष है ।

49--श्री राज किशोर सिंह--

[4थे शुक्रवार के लिए स्थगित]

प्रदेश के जिलों में बंधुवा मजदूरों को पता लगाने हेतु समिति का गठन

50--श्री राम सजीवन--

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जिलों में किस रीति-नीति से बंधुवा मजदूरों को पता लगाया जाता है ? क्या उनकी शिनाख्त के लिए जिलों में कोई कमेटी गठित की गई है ? यदि हां, तो बांदा जिले में बंधुआ मजदूरों की पहचान करने की कौन सी समिति बनी है ? समिति ने अभी तक कितने मजदूरों की पहचान की है ? क्या यह सही है कि पहचान करने के लिए गठित समिति की नामजदगी जिलाधिकारी द्वारा की गई है ? उक्त समिति में सम्बन्धित क्षेत्र के विधायकों को शामिल न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री सयंद सईदुल हसन--

प्रदेश के जिलों में राजस्व अधिकारियों एवं पर्यवेक्षक कर्मचारियों के द्वारा सर्वेक्षण कराकर बन्धुआ श्रमिकों का पता लगाया जाता है ।

जी हां । जनपद बांदा के लिए भी सतर्कता समिति का गठन किया गया है ।

प्राप्त सूचनानुसार समिति की देखरेख में वर्ष 1986-87 से सितम्बर, 1988 तक 805 बन्धुआ श्रमिकों की पहचान की गयी ।

बन्धित श्रम प्रथा (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के प्राविधानों के अधीन समिति का गठन शासकीय अधिसूचना द्वारा जिला मैजिस्ट्रेट के प्रस्ताव के आधार पर किया जाता है ।

उक्त केन्द्रीय अधिनियम में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है ।

श्री एल0 पी0 गोयल, मुख्य अभियन्ता (भवन) की पत्नी के नाम बने भवन के विरुद्ध श्री यदुनाथ सिंह, विधायक के शिकायती-पत्र पर जांच कार्यवाही

51—श्री मूल चन्द्र—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1987 के तीसरे मंगल के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 11 के सन्दर्भ में क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस सम्बन्ध में श्री यदुनाथ सिंह, विधायक का पत्र संख्या 550 मुख्य मन्त्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां ।

प्रश्नगत पत्र संख्या 550 माननीय मुख्य मन्त्री जी के कार्यालय में प्राप्त हुआ था । उक्त पत्र में सन्दर्भित माननीय यदुनाथ सिंह के पत्रांक 823 पर शासन द्वारा प्रमुख अभियन्ता को भेजे गये निर्देशों के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता (परिवाद), श्री संतोष कुमार द्वारा जांच की गयी । जांच के फलस्वरूप आरोप सारहीन पाये गये ।

माननीय सदस्य के उपरोक्त पत्र में श्री एस0 पी0 गोयल के विरुद्ध माननीय लोकायुक्त द्वारा की जा रही जांच का भी हवाला था । तत्सम्बन्धी स्थिति यह है कि श्री गोयल के विरुद्ध श्री विशन सिंह, नैनीताल द्वारा दायर परिवाद पर माननीय लोकायुक्त द्वारा अन्वेषण के दौरान परिवादी द्वारा लगाये गये सभी आरोप निराधार पाये गये । फलस्वरूप, माननीय लोकायुक्त ने परिवाद पर अन्वेषण स्थगित करते हुये परिवाद को समाप्त कर दिया ।

उपर्युक्त परिस्थितियों में मामले में सतर्कता अधिष्ठान द्वारा अग्रेतर जांच हेतु कोई औचित्य प्रकट नहीं हुआ अतएव शासन द्वारा सतर्कता अधिष्ठान से कोई जांच नहीं करायी गयी ।

अधिशासी अभियन्ता अस्थायी खंड, पी0 डब्लू0 डी0 मथुरा को टेटीगांव से कराहरी मार्ग पर पटरिया बनवाने में किये गये घोटालों के बारे में शिकायती-पत्र

52—श्री कुशलपाल सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को जानकारी में है कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 28 अप्रैल, 1988 को एक शिकायती-पत्र अधिशासी अभियन्ता अस्थायी खंड, पी0 डब्लू0 डी0, मथुरा को टेटीगांव से कराहरी मार्ग पर पटरियां बनवाने में किये गये घोटालों के बारे में दिया था ? यदि हां, तो इसकी जांच किस अधिकारी ने की ? इसकी जांच रिपोर्ट क्या है ? क्या शासन इसमें दोषी पाये गये अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करने पर विचार करेगा ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां ।

श्री शिव दयाल गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता एवं श्री भूदेव चन्द्र, सहायक अभियन्ता, अस्थायी खंड, सा0 नि0 वि0, मथुरा द्वारा जांच की गयी ।

पटरी मरम्मत का कार्य किमी0 1.00 से 3.60 कराहरी गांव तक पूरा-पूरा कराया गया था, एवं बिना कार्य कराये कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बलिया जनपद के सीयर व नगरा विकास खंडों में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित पुलों का निर्माण

53--श्री शारदा नन्द अंचल--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को जानकारी है कि बलिया जनपद के सीयर व नगरा विकास खंडों में विभाग द्वारा किन-किन सड़कों पर कुल कितने पुलों का निर्माण प्रस्तावित है ? क्या प्रस्तावित सभी पुलों का निर्माण सरकार वित्तीय वर्ष 1988-89 में कराने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

जनपद बलिया के सीयर विकास खंड में दो लघु सेतु निर्माण हेतु स्वीकृत हैं, जिनमें से गतियापुर, इब्राहिम पट्टी मार्ग के किमी0 1 में लघु सेतु के निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है, तथा सीयर सोनाडीह मार्ग पर फरहा नाले पर लघु सेतु का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता फिलहाल नहीं है, क्योंकि इस मार्ग पर पूर्व में ही आ0 सी0 सी0 स्लैब पुल बना हुआ है । नगरा विकास खंड में बरौली इब्राहिम पट्टी मार्ग पर स्वीकृत लघु सेतु का निर्माण प्रगति में है, तथा शीघ्र पूर्ण होने की सम्भावना है ।

हरिजन एवं समाज कल्याण बोर्ड मोती महल में कार्यरत कर्मचारी एवं प्राविडेंट फंड आदि का प्राविधान

54--श्री सुखपाल पाण्डे--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हरिजन एवं समाज कल्याण बोर्ड मोती महल में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ? क्या यह सही है कि उक्त बोर्ड के 23 कर्मचारियों को जो 23 वर्षों से कार्यरत हैं प्राविडेंट फंड अथवा पेंशन आदि का प्राविधान नहीं है ? यदि हां, तो उक्त कर्मचारियों को प्राविडेंट फंड, पेंशन एवं अन्य सुविधाओं का प्राविधान अथवा किसी अन्य विभाग में विलय करने के लिये सोच रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती दीपा--

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत मोती महल, लखनऊ में स्थित प्रशासकीय बोर्ड में इस समय 23 कर्मचारी कार्यरत हैं । इन कर्मचारियों को प्राविडेंट फंड तथा पेंशन के बारे में सेवानिवृत्ति तक लाभ स्वीकृत करके शासनादेश जारी कर दिया गया है । इन कर्मचारियों को अन्य विभाग में विलय करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

मेसर्स सीतापुर प्लाईवुड मैन्यु फैक्चरर्स लि0, सीतापुर के कर्मचारियों को ग्रेच्युटी, भविष्य निधि आदि दिलाये जाने के सम्बन्ध में पत्र

55—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मेसर्स सीतापुर प्लाईवुड मैन्यु फैक्चरर्स लि0, सीतापुर के कर्मचारियों को ग्रेच्युटी, भविष्य निधि आदि के बकाये को दिलाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के उपरिपत्र के साथ श्री आर्या बन्धु आर्य, मन्त्री, प्लाईवुड कर्मचारी संगठन का मांग पत्र, दिनांक 30 नवम्बर, 1988 अथवा उसके आस-पास किसी दिन मिला ? यदि हां, तो मुख्य-मुख्य मांगें क्या हैं तथा उनकी मांगों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

सैयद सईदुल हसन—

जी हां, प्रश्नकर्ता के पत्र, दिनांक 29 नवम्बर, 1988 के साथ श्री आर्या बन्धु आर्य का मांग-पत्र, दिनांक 21 नवम्बर, 1988 प्राप्त हुआ ।

उक्त मांग-पत्र में ग्रेच्युटी ट्रस्ट खाते में धन जमा करने, रिटायर्ड या मृतक कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का भुगतान, कर्मचारी भविष्यनिधि । का अंशदान मई, 1988 से जमा कराये जाने, कर्मचारी राज्य बीमा निगम में ई0 एस0 आई0 योजना के तहत मई, 88 से अंशदान जमा कराये जाने तथा ई0 एस0 आई0 डिस्पेन्सरी, सीतापुर में पुरुष व महिला चिकित्सक की नियुक्ति किये जाने की मुख्य मांगे हैं ।

25 कर्मचारियों से 5 श्रमिकों को ग्रेच्युटी का भुगतान किया गया है । उक्त में से शेष 20 कर्मचारियों में से 19 कर्मचारियों को अभी कार्य पर लगाये रखा जा रहा है । एक कर्मचारी के सेवा निवृत्ति के उपरांत न तो कार्य करने की अपनी सहमति और न ही एथारटी के समक्ष वाद ही प्रस्तुत किया ।

कर्मचारी भविष्य निधि एवं ई0 एस0 आई0 योजना के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम में अंशदान जमा करने का मामला भारत सरकार द्वारा देखा जाता है । तथा इस सम्बन्ध में भारत सरकार को लिखा गया है ।

विकास क्षेत्र जमालपुर, जिला मिर्जापुर में रहने वाली बियार जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करन का विचार

56—श्री राम चन्द्र शर्मा—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि विकास क्षेत्र जमालपुर, जिला मिर्जापुर में रहने वाली बियार जाति को अनुसूचित जाति/जनजाति अथवा पिछड़ी जाति माना गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार बियार जाति के लोगों को अनुसूचित जन जाति में शामिल करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती दीपा—

जी नहीं ।

किसी जाति को अनुसूचित जनजाति की वर्गीकृत सूची में सम्मिलित करने का विषय केन्द्र शासन के क्षेत्राधिकार में आता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद वाराणसी के विकास क्षेत्र भदोही के अन्तर्गत धनापुर से मईहर दो पट्टी तक सड़क को पक्की कराने की मांग

57—श्री राम चन्द्र शर्मा—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी के विकास क्षेत्र भदोही के अन्तर्गत धनापुर से मईहर दोपट्टी तक तीन किलोमीटर सड़क एन0 आर0 पी0 के अन्तर्गत सन् 1985–86 में बनाई गई थी तथा इस सड़क की गिट्टी उखड़ गई है जिससे जनता का आना जाना अवरुद्ध हो गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त सड़क को पक्की कराने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

प्रश्नगत मार्ग का निर्माण खड़न्जा स्तर तक एन0 आर0 ई0 पी0 योजना के अन्तर्गत वर्ष 1985–86 में दी गई स्वीकृति के समक्ष पूर्ण है । चूंकि सड़क पुरानी है, अतः गिट्टी को मिट्टी की ब्लाइंडिंग द्वारा सुरक्षित रखने का पूरा प्रयास किया जाता है और इस प्रकार मार्ग पर यातायात अवरुद्ध नहीं है ।

प्रश्नगत मार्ग को लेपन स्तर तक पक्का किये जाने का कार्य धन की उपलब्धता एवं जिला नियोजन व अनुश्रवण समिति के अनुमोदन पर निर्भर है ।

आंजी–आलम नगर मार्ग, हरदोई के शेष भाग को पक्का कराये जाने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र

58—श्री अशोक बाजपेयी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आंजी–आलमनगर मार्ग हरदोई के शेष भाग को पक्का कराये जाने हेतु प्रश्नकर्ता ने कई बार माननीय मंत्री एवं विभागीय अधिकारियों से अनुरोध किया जिसके उपलक्ष्य में विभाग से सर्वेक्षण एवं आगणन भी प्राप्त करा लिया गया ? यदि हां, तो उसे स्वीकृत न किये जाने का क्या कारण है ? क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि इसी मार्ग पर 40 लाख रुपये की लागत से सेतु निगम द्वारा पुल का भी निर्माण किया जा चुका है तथा सम्पर्क मार्ग के अभाव में पुल का भी यातायत समुचित नहीं है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इसी वित्तीय वर्ष में राज्य सेक्टर से उक्त मार्ग का निर्माण कराने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां ।

जिला सेक्टर का कार्य है, जिसकी स्वीकृति जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन एवं धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जी हां, परन्तु निर्मित सेतु एवं पहुंच मार्ग की लागत 30 लाख रुपये है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता क्योंकि यह जिला योजना का कार्य है ।

आगरा में राष्ट्रीय मार्ग नं0 2 को राष्ट्रीय मार्ग नं0 3 से जोड़ कर बनाये जाने के सम्बन्ध में पत्र और उस पर कार्यवाही

59—श्री विजय सिंह राणा—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में राष्ट्रीय मार्ग नं0 2 को राष्ट्रीय मार्ग नं0 3 से जोड़ कर मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में विशेष सचिव, सा0 नि0 वि0 के अर्ध शा0 प0 सं0 3213 ई/23-सा0 नि0 अनु0-11/10(6) ई/88, दिनांक 13 जून, 1988 के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ? क्या मार्ग का बनाया जाना स्वीकार कर लिया गया है अथवा नहीं ? यदि हां, तो कार्य प्रारम्भ कब तक हो जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

प्रश्नगत मार्ग का निर्माण जिला सेक्टर योजना के अन्तर्गत है अतः कार्य पर जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन हेतु कहा गया है।

कार्य की स्वीकृति जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन एवं धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत भानमऊ से सलेमपुर घाट व सफदरगंज से बासा मार्ग को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही

60—श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को जानकारी है कि जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत भानमऊ से सलेमपुर घाट व सफदरगंज से बांसा मार्ग जनपद के महत्वपूर्ण मार्गों में से हैं और इन मार्गों के पक्का होने से लाखों ग्रामवासियों को यातायात की सुविधा प्राप्त होगी। यदि हां, तो सरकार अविलम्ब इन मार्गों को पक्का मार्ग बनाने के सम्बन्ध में कार्यवाही करेगी।

श्री अम्मार रिजवी—

यह मार्ग ग्रामीण स्तर के हैं और मार्गों पर पड़ने वाले सभी गांव न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत नहीं आते हैं। भानमऊ सलेमपुर मार्ग के प्रथम 2 किमी0 जो भानमऊ-इब्राहिमाबाद मार्ग का भाग है पक्के हैं और शेष 5 किमी0 मिट्टी एवं पुलिया स्तर तक पूर्ण हैं। सफदरगंज बांवा मार्ग खड़ंजा स्तर तक का है।

भानमऊ सलेमपुर मार्ग का शेष भाग जिला सेक्टर के अन्तर्गत आता है और इनको पक्का करने की स्वीकृति जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन एवं संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

पिथौरागढ़ की तहसील पिथौरागढ़ विकास खण्ड विण में हिल मैन रिसर्च काटेज इन्डस्ट्रीज गुरना के नाम से विद्युत ऊर्जा से कार्यरत, रेशा उद्योग इकाई की स्थापना एवं ऋणी उद्योग को सहायता की मांग

61—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या उद्योग मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद पिथौरागढ़ की तहसील पिथौरागढ़ विकास खण्ड विण में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के विकास अधिकारी (द्वितीय) के पत्रांक

4034/खा0 बो0/प्रा0 वि0/77-78 दिनांक कानपुर 31 जनवरी, 1978 द्वारा हिलमैन रिसर्च काटेज इन्डस्ट्रीज गुरना के नाम से विद्युत ऊर्जा से कार्यरत, रेशा उद्योग इकाई की स्थापना की गयी थी। यदि हां, तो इस उद्योग को मशीन की खपत विभाग द्वारा निर्दिष्ट दुकान से समय पर न कराये जाने और इसी बीच कच्चे माल के सड़ जाने व विद्युत बिलों के बढ़ते जाने के कारण उद्योग पूरी तरह नष्ट होने के लिए इसके मालिक द्वारा दिनांक 30 सितम्बर, 1980 को आत्मदाह करने की घोषणा के साथ उपरोक्त खादी बोर्ड अधिकारियों को दोषी ठहराया था। यदि हां, तो इस विषय पर मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए, तथ्यों की दुबारा जांच कराते हुए असहाय ऋणी उद्योग को अधिकतम आर्थिक छूट देने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती बेनी बाई--

इकाई की स्थापना हेतु पत्रांक 4034/खा0 बो0/प्रा0 वि0/77-78, दिनांक कानपुर 31 जनवरी, 1978 द्वारा ऋण स्वीकृत किया गया था। सन् 1980 में इकाई स्थापित हुई।

खादी बोर्ड के अधिकारियों को दोषी ठहराने एवं आत्मदाह की बात नहीं कही गई थी।

प्रश्न नहीं उठता।

62--श्री राजकिशोर सिंह--

[2रे सोमवार में अता0 प्र0 सं0 181 के अन्तर्गत-स्थानान्तरित]

लखनऊ स्थित टिकैत राय राजकीय कालोनी में सड़कों का निर्माण कार्य पूरा किया जाना

63--श्री राजकिशोर सिंह--

क्या राज्य सम्पत्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित टिकैतराय राजकीय कालोनी में सभी सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी नहीं।

लखनऊ स्थित टिकैतराय राजकीय कालोनी में सभी सड़कों में से दो सड़कों को छोड़कर अन्य सड़कों की कुटाई का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है केवल फर्स्ट कोट तारकोल पेंटिंग का कार्य शेष है जो शीघ्र पूर्ण करा दिया जायेगा।

जहां तक दो सड़कों को पूर्ण कराने का प्रश्न है, इन सड़कों के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय व सिविल न्यायालय से स्थगन आदेश हैं।

जनपद अलीगढ़ के सासनी अकराबाद मार्ग पर पक्के पुल के निर्माण की मांग

64--डाक्टर बंगाली सिंह--

क्या सार्व0 निर्माण मन्त्री को जानकारी है कि जनपद अलीगढ़ के सासनी अकराबाद के 30 किमी0 लम्बे मार्ग पर सासनी से दूसरे किमी0 पर नाले का पुल न होने से 30 कि मी0 लम्बी सड़क जनहित के प्रयोग में नहीं आ पा रही है ? यदि हां, तो पुल का निर्माण किन परिस्थितियों में रुका हुआ है और कार्य कब तक पूरा होगा ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी नहीं ।

वर्तमान में प्रश्नगत स्थल पर आर0 सी0 सी0 हयूम पाइप का स्थायी सेतु बना हुआ है, जिस पर से यातायात चल रहा है तथा सड़क जनहित के प्रयोग में आ रही है ।

प्रश्नगत स्थल पर पक्के सेतु का निर्माण जिला सेक्टर योजना के अन्तर्गत है, जिसकी स्वीकृति जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन एवं धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

सा0 नि0 विभाग, आजमगढ़ के प्रभारी अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध अनियमितता बरतने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

65--श्री सुखपाल पाण्डे--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सा0 नि0 वि0, आजमगढ़ के प्रभारी अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध बस्ती जनपद को आवंटित मोटर बोट का रख-रखाव न करने तथा पंखे आदि की खरीदारी में अनियमितता बरतने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का कोई शिकायती-पत्र मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को 8 जुलाई, 1987 को प्राप्त हुआ है जिसको अर्ध शा0 प0 सं0 239/पी0 एस0 एम0 एस0/सचिवालय एम0 एल0 सी0 एनेक्सी भवन 16 जुलाई, 1987 के द्वारा सचिव, सा0 नि0 वि0 को भेजा गया है । यदि हां, तो क्या प्रश्नकर्ता के उक्त शिकायती-पत्र की जांच कराई गई ? यदि हां, तो उसमें कौन अधिकारी दोषी है, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां ।

जी हां ।

जांच अधिकारी द्वारा कोई अधिकारी दोषी नहीं पाया गया । प्राप्त आख्या विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

हरिजन समाज कल्याण विभाग, बस्ती में विधवाओं, विकलांगों के पेंशन प्रार्थना-पत्रों पर कार्यवाही

66--श्री सुखपाल पाण्डे--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हरिजन समाज कल्याण विभाग, बस्ती में कितने प्रार्थना-पत्र वर्ष 1988-89 में 31 जुलाई, 1988 तक विधवा एवं विकलांग पेंशन हेतु, कार्यालय में प्राप्त हुए तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई ? कितने ऐसे विधवा एवं विकलांग हैं जिनको पेंशन मिलती थी परन्तु अब उनकी मृत्यु हो गई है ? क्या उनकी मृत्यु के दिनांक का विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती वीपा—

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग, बस्ती के कार्यालय में वर्ष 1988-89 में 31 जुलाई, 1988 तक निराश्रित विधवाओं के 141 तथा विकलांगों के 47 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए। सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण उक्त में से किसी भी प्रार्थना-पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी।

अनुदान प्राप्त कर्ताओं में 170 विधवाओं तथा 20 विकलांग व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी है। मृत्यु का विवरण संलग्न† है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री महेश्वर पाण्डेय, एम0 एल0 सी0 का ग्राम बभनपुरवा से ग्राम बेनीपुर कला मंगलेपुर ब्लाक चोलापुर, जिला वाराणसी के सड़क निर्माण के सम्बन्ध में पत्र

67—श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री महेश्वर पाण्डेय, एम0 एल0 सी0 का कोई पत्र दिनांक 27 फरवरी, 1987 को राज्य मंत्री, सा0 नि0 विभाग को ग्राम बभनपुरवा से ग्रा0 बेनीपुर कला से मंगलेपुर ब्लाक चोलापुर, जिला वाराणसी के सड़क निर्माण के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां।

पत्र में उल्लिखित प्रश्नगत मार्ग न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 1000 से ऊपर तक की आबादी वाले किसी गांव को चिह्नित नहीं जोड़ता है, अतः सीमित संसाधनों के कारण फिलहाल उक्त मार्ग का निर्माण सम्भव नहीं है।

जनपद मऊ के विकास खण्ड, फतेहपुर मंडाव में ग्राम रसूलपुर आदनपुर उर्फ रामपुर और ग्राम लोवा साथ के बीच सम्पर्क मार्ग बनाने की योजना

68—श्री विष्णु देव—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद मऊ के विकास खण्ड, फतेहपुर मंडाव में ग्राम रसूलपुर आदनपुर उर्फ रामपुर और ग्राम लोवा साथ के बीच सम्पर्क मार्ग बनाने की योजना जिला सार्वजनिक निर्माण विभाग, आजमगढ़ ने स्वीकृत करके गत वर्ष निर्माण कार्य प्रारम्भ करा दिया था ? यदि हां, तो इस सम्पर्क मार्ग के निर्माण पर अब तक कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है ? कितना व्यय करने की योजना है तथा कब तक निर्माण कार्य पूरा हो जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां।

रुपये 2·15 लाख।

---

†छापा नहीं गया।

विषयगत सम्पर्क मार्ग पर 11·76 लाख रुपया व्यय किये जाने की योजना है। धन एवं भूमि की उपलब्धता पर निर्भर है।

69—श्री शारदानन्द अंचल—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

राजकीय निर्माण निगम, गोरखपुर इकाई द्वारा रामगढ़ ताल प्रोजेक्ट में मिट्टी भराई के कार्य का भुगतान

70—श्रीमती गेन्दा देवी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय निर्माण निगम, गोरखपुर इकाई द्वारा रामगढ़ ताल प्रोजेक्ट में अक्टूबर, 1988 तक कुल कितनी मिट्टी भराई के कार्य का भुगतान किया जा चुका है? इस कार्य का कन्टूर प्लान कब बनवाया गया? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि एम0 बी0 होने के बाद पूर्ण भुगतान न करके वर्षा ऋतु समाप्त हो जाने के बाद इस कार्य का शेष भुगतान क्यों किया जाता रहा है?

श्री अम्मार रिजवी—

प्राप्त सूचनानुसार कुल 54,603 घनमीटर मिट्टी भराई का कार्य किया गया था, जिसका भुगतान (भुगतान के एक अंश को रोकते हुये) अक्टूबर, 1988 तक कर दिया गया था।

रामगढ़ ताल परियोजना क्षेत्र का कन्टूर प्लान गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर द्वारा माह जून, 1987 में बनवाया गया था एवं पुनः कार्य करने से पूर्व कार्य-स्थल क्षेत्र का विस्तृत भूमि सतह लेबुल माह नवम्बर, 1987 में रिकार्ड किया गया था।

बरसात से पूर्व कार्य-स्थल के कुछ वांछित स्थानों पर जगह न होने के कारण मिट्टी कार्य क्षेत्र के पास ही गिराई गई तथा एम0 बी0 में मापी द्वारा किये गये रनिंग बिल का भुगतान घटी दर पर कर दिया गया। बरसात के बाद वांछित स्थान पर आवश्यकतानुसार मिट्टी भरने के उपरान्त कार्य पूर्ण होने पर रोकी गई आंशिक धनराशि अवमुक्त की गई।

श्री के0 जी0 श्रीवास्तव, सहायक अभियन्ता, सा0 नि0 वि0, प्रान्तीय खण्ड, बहराइच के कार्यकाल में विभागीय मोटर बार्ज व जीप के इंजन की चोरी के मामले पर कार्यवाही

71—श्रीमती गेन्दा देवी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि श्री के0 जी0 श्रीवास्तव, सहायक अभियंता, सा0 नि0 वि0, प्रान्तीय खण्ड, बहराइच के कार्यकाल में विभागीय मोटर बार्ज व जीप के इन्जन चोरी होने के फलस्वरूप किसके विरुद्ध और क्या कार्यवाही की गई थी?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री के० जी० श्रीवास्तव, अधिशासी अभियन्ता, सा० नि० वि०, प्रान्तीय खण्ड, गोरखपुर के कार्यकाल में विभागीय ट्रक के पहिए की चोरी व कार्यवाही

72--श्रीमती गेन्दा देवी--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री के० जी० श्रीवास्तव, अधिशासी अभियन्ता, सा० नि० वि०, प्रान्तीय खण्ड, गोरखपुर के कार्यकाल में विभागीय ट्रक के पहिए की चोरी होने के फलस्वरूप किसके विरुद्ध और क्या कार्यवाही की गई थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

प्राप्त सूचनानुसार श्री के० जी० श्रीवस्तव, अधिशासी अभियन्ता, प्रा० खण्ड, सा० नि० वि०, गोरखपुर के कार्यकाल में ट्रक के पहिये की चोरी होने की कोई घटना नहीं हुई थी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

73--श्री काशी सिंह, ऐरी--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

74--श्री कनक सिंह--

[अस्पष्टता के आधार पर निरस्त]

जनपद फैजाबाद में थिरुआ नाले पर पुल का निर्माण

75--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1988 के पहले शुक्रवार हेतु निर्धारित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या 68 के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार को जानकारी है कि थिरुआ नाले पर पुल के निर्माण का सर्वसम्मत प्रस्ताव जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति, फैजाबाद ने पारित करके उत्तर प्रदेश शासन को भेज दिया है ? यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को स्वीकार करके प्रश्नगत पुल का निर्माण शीघ्र प्रारम्भ कराने में क्या कठिनाई है और यह कार्य कब तक प्रारम्भ करा दिया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां ।

जिला सेक्टर 1988-89 के अन्तर्गत शीघ्र ही स्वीकृत किया जा रहा है । जिसके उपरान्त निर्माण की कार्यवाही शीघ्र ही प्रारम्भ की जायगी ।

जनपद फैजाबाद के गौहनियां-अकबरपुर मार्ग को लेपन स्तर तक पक्का कराने की मांग पर कृत कार्यवाही

76--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1988 के प्रथम शुक्रवार के लिये निर्धारित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या 30 के उत्तर के संदर्भ में क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति, फैजाबाद ने सर्वसम्मति से प्रश्नगत

सड़क को लेपन स्तर तक पक्की कराने का प्रस्ताव पारित करके शासन को भेज दिया है ? यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को शीघ्र स्वीकृत करके सड़क को पक्की कराने में अब क्या कठिनाई है ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां ।

1988-89 के जिला सेक्टर के अन्तर्गत स्वीकृत करने हेतु शासनादेश शीघ्र ही जारी करने की कार्यवाही की जा रही है, जिसके उपरान्त निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ।

विकास खण्ड मांट में अनुसूचित जाति व कमजोर व्यक्तियों की लड़कियों की शादी हेतु सहायता

77--श्री कुशल पाल सिंह--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री की जानकारी में है कि जिला हरिजन कल्याण अधिकारी, मथुरा ने वित्तीय वर्ष 1987-88 व 1988-89 में 1 दिसम्बर, 1988 तक मांट ब्लाक में अनुसूचित जाति व कमजोर व्यक्तियों की लड़कियों की शादी हेतु सहायता दी है ? यदि हां, तो किस-किस गांव में किन-किन व्यक्तियों को यह सहायता उपलब्ध कराई गई ? क्या यह सही है कि उक्त सहायता फर्जी प्रार्थना-पत्र पर बंटी दिखा दी गई है ? यदि हां, तो इस बारे में कितनी शिकायत प्राप्त हुई और उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्रीमती दीपा--

जी हां ।

वर्ष 1987-88 में विकास खण्ड मांट में अनुसूचित जाति के निर्बल वर्ग के व्यक्तियों की लड़कियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता दी गयी है । वर्ष 1988-89 में विकास खण्ड मांट में उक्त योजना में कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गयी ।

वर्ष 1987-88 में निम्नलिखित व्यक्तियों को पुत्रियों की शादी हेतु सहायता 500 रु0 प्रति लाभार्थी की दर से प्रदान की गई ।

1--श्री भोजराज पुत्र श्री नत्थी लाल, ग्राम हरिया, खण्ड अकबरपुर, विकास खण्ड मांट, जिला मथुरा ।

2--श्री विपती राम पुत्र श्री गयासी राम, ग्राम कराहरी, विकास खण्ड मांट, जिला मथुरा ।

3--श्री श्याम लाल पुत्र श्री किशुन, ग्राम कराहरी, विकास खण्ड मांट, जिला मथुरा ।

जी नहीं ।

सन्दर्भ विशेष के अभाव में स्थिति स्पष्ट कर पाना सम्भव नहीं है क्योंकि यह भी उल्लेख नहीं है कि उक्त शिकायतें किस स्तर पर की गई ।

श्री पन्ना लाल (हरिजन), बरुण पुल, क्लब रोड, वाराणसी कैंट का आयुक्त, वाराणसी मण्डल को वरुणा नदी पर नये पुल बनाने विषयक पत्र

78--श्री राम सजीवन--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतायेंगे कि श्री पन्ना लाल (हरिजन), बरुण पुल, क्लब रोड, वाराणसी कैंट ने 7 अक्तूबर, 1988 को आयुक्त, वाराणसी मंडल के पास

एक प्रार्थना-पत्र भेजकर शिकायत की है कि बरूना नदी पर प्रस्तावित नये पुल को बड़े असरदार लोगों की खाली पड़ी भूमि से न बनाकर गरीबों की भूमि का अधिग्रहण करके बनाने की योजना है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सही स्थिति क्या है ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ग्राम उलियापुर नरैयावामऊ, थाना कायमगंज, जनपद फर्रुखाबाद की हरिजन महिला श्रीमती राधा देवी का आर्थिक सहायता विषयक माननीय मुख्य मंत्री को सम्बोधित

79--श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम उलियापुर नरैयावामऊ, थाना कायमगंज, जनपद फर्रुखाबाद की असहाय हरिजन महिला श्रीमती राधा देवी का दिनांक 8 मई, 1987 का मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित रजिस्टर्ड डाक से अपने पति की असमय ट्रैक्टर दुर्घटना से हुई मृत्यु और उससे उत्पन्न आर्थिक संकट के सम्बन्ध में दिया हुआ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो अभी तक उसकी क्या सहायता की गयी है ?

श्रीमती दीपा--

जी हां ।

इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्री कार्यालय से स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा रही है । विभाग स्तर पर विधवा अनुदान देने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है ।

अस्थाई विभागीय निर्माण इकाई, मऊनाथ भंजन, जनपद आजमगढ़ के गठन के बाद स्वीकृत निर्माण कार्य ठप्प होना

80--श्री विष्णु देव--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि अस्थाई विभागीय निर्माण इकाई, मऊनाथ भंजन, जनपद आजमगढ़ के गठन के बाद भी सारे स्वीकृत निर्माण कार्य ठप्प हैं और पुरानी सड़कों की देखभाल मरम्मत का काम भी ठप है ? क्या यह सही है कि प्रदेश के उच्चाधिकारियों को बार-बार सूचना प्राप्त होने पर भी उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की है ? यदि हां, तो उक्त क्षेत्र में सारे निर्माण कार्यों के ठप्प हो जाने के क्या कारण हैं ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी नहीं ।

निर्माण कार्य एवं मरम्मत व रख-रखाव के कार्य सुचारु रूप से किये जा रहे हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री विक्रमा यादव, ग्राम नन्दौर, तहसील घोसी, जनपद आजमगढ़ के मधुबन-मंझवारा मार्ग के निर्माण में उनकी आराजी लेकर मुआवजा न दिये जाने विषयक पत्र

81--श्री विष्णु देव--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें श्री विक्रमा यादव, ग्राम नन्दौर, तहसील घोसी, जनपद आजमगढ़ के मधुबन-मंझवारा मार्ग के निर्माण में उनकी ग्राम नन्दौर की आराजी नं0 261, रकबा 510 कड़ी लिये जाने और उसका मुआवजा अब तक प्राप्त न होने विषयक प्रार्थना-पत्र के साथ प्रश्नकर्ता का पत्र, दिनांक 28 जनवरी, 1988, दिनांक 10 फरवरी, 1988 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो मुआवजा दिलाने के लिये अब तक क्या कार्यवाही हुयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

प्रश्न में कथित विषय पर माननीय सदस्य का पत्र दिनांक 9 फरवरी, 1988 (दिनांक 10 फरवरी, 1988 नहीं) प्राप्त हुआ है। जनपद आजमगढ़ के मधुबन-मंझवारा मार्ग के निर्माण में श्री विक्रमा यादव की ग्राम नन्दौर की आराजी संख्या 261, रकबा 510 कड़ी से कोई भूमि नहीं ली गयी है। अतः श्री यादव को मुआवजा देने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड फतेहपुर मंडाव में ग्राम लखनौर व बैरियाडीह के बीच हाहा नाले पर स्वीकृत पुल का निर्माण कार्य आरम्भ न होने के कारण

82--श्री विष्णु देव--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड फतेहपुर मंडाव में ग्राम लखनौर व बैरियाडीह के बीच हाहा नाले पर कब किस आधार पर पुल स्वीकृत हुआ था और अब तक निर्माण कार्य आरम्भ न होने का क्या कारण है तथा पुल का निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की योजना है ?

श्री अम्मार रिजवी--

प्रश्नगत नाले पर पुल वर्ष 1986-87 की जिला योजना के अन्तर्गत लघु सेतु होने के कारण स्वीकृत किया गया था।

सर्वेक्षण के उपरान्त अब इस स्थल पर 25 मीटर के स्थान पर 50 मीटर स्थान के पुल की स्वीकृति की आवश्यकता है।

पुल की पुनरीक्षित स्वीकृति जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन एवं धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

ग्राम विकास अधिकारी पद पर नियुक्त श्री नरेश चन्द्र निगम द्वारा की गई अनियमिततायें एवं निलम्बन के पश्चात् उन्हें पुनः बहाल किये जाने के कारण

83--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1984-85 में उरई में ग्राम विकास अधिकारी पद पर नियुक्त श्री नरेश चन्द्र निगम द्वारा वित्तीय

अनियमितताओं का किया जाना पाया गया जिसकी पुष्टि आडिट द्वारा भी हुई ? यदि हां, तो उसके विरुद्ध इस अनियमितताओं के लिए कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है ? क्या यह भी सही है कि हमीरपुर में वरिष्ठ लिपिक पद पर कार्य करते समय उक्त कर्मचारी को अप्रैल, 1987 में उप निदेशक द्वारा किन्हीं आरोपों में निलम्बित भी कर दिया था ? यदि हां, तो आरोपों के रहते उन्हें बहाल कर दिये जाने के क्या कारण हैं ?

श्रीमती दीपा--

जी हां।

श्री निगम द्वारा की गई अनियमितताओं के लिए उन्हें आरोप-पत्र दिया जा चुका है।

जी हां।

सक्षम अधिकारी द्वारा निलम्बन आदेश निरस्त कर दिया गया था।

जनपद बस्ती के अमहट के नये पुल का निर्माण कार्य एवं बनने की निर्धारित अवधि

84-श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)--

क्या सा0 नि0 मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के शहर दक्षिणी किनारे पर बने अमहट के नये पुल का निर्माण कब से आरम्भ किया गया और इसके कब तक बन जाने की सम्भावना है ? क्या सरकार को जानकारी है कि इस पुल के बनाये जाने के लिए निर्धारित समय समाप्त हो गया है ? यदि हां, तो इतने महत्व पूर्ण पुल के निर्माण में हो रहे विलम्ब के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं ? क्या सरकार उस अधिकारी को दण्डित करते हुए इस पुल के निर्माण के कार्य को शीघ्रातिशीघ्र पूरा कराने के निर्देश देने का कष्ट करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

अमहट के नये पुल का निर्माण कार्य वर्ष 1984 में सेतु निगम द्वारा आरम्भ किया गया था। इस पुल को अब जून, 1989 तक पूर्ण कराने का पुनरीक्षित लक्ष्य निर्धारित है।

जी हां।

विलम्ब के लिए कोई अधिकारी जिम्मेदार नहीं है इसलिए किसी को दण्डित करने का प्रश्न नहीं उठता। इस सेतु के निर्माण में विलम्ब का कारण कुआं संख्या 3 की गलाई में अन्य पुराना कुआं आ जाने के वजह से नींव के कार्य में अवरोध आया जिसके लिए सेतु की परिकल्पना आदि में परिवर्तन करना पड़ा और इस हेतु भारत सरकार परिवहन मंत्रालय से पुनः स्वीकृति प्राप्त करनी पड़ी जिसके फलस्वरूप सेतु के नींव का कार्य 12/87 तक पूर्ण नहीं हो सका। अब सेतु का निर्माण कार्य प्रगति पर है और जिसके 6/89 तक पूर्ण हो जाने की आशा है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के कुछ खण्डों के अधिकारियों/कर्मचारियों को परिकल्पना भत्ता दिये जाने के कारण

85-श्री रघुवर दयाल वर्मा--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को अनुसंधान, नियोजन, परिकल्पना कार्यों को न करते

हुए भी कुछ खण्डों के अधिकारियों/कर्मचारियों को परिकल्पना भत्ता दिया जा रहा है ? यदि हां, तो अधिकारी/कर्मचारी अलग-अलग कितने तथा कब से हैं तथा शासन पर कितना वित्तीय भार है ? शासन पर नियमों के विरुद्ध अतिरिक्त वित्तीय भार बढ़ाने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी आहरण वितरण अधिकारी के विरुद्ध शासन क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रहा है ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं ।

जी नहीं, अतः शासन पर वित्तीय भार पड़ने का प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

सा0 नि0 विभाग में खण्डीय लिपिकों के लेखा सम्वर्ग तथा पत्राचार सम्वर्ग को अलग-अलग किये जाने के शासनादेश

86—श्री रघुबर दयाल वर्मा—

क्या सा0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सा0 नि0 विभाग में शासनादेश सं0 4871-ई0 जी0/23-सा0 नि0 अनु0-5--23-ई0 जी0-82, दिनांक 10 अक्तूबर, 1983 के परिपालन में खण्डीय लिपिकों के लेखा सम्वर्ग तथा पत्राचार सम्वर्ग अलग-अलग किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? शासनादेश के अनुपालन न करने के लिए कौन-कौन अधिकारी उत्तरदाई हैं ? क्या वर्णित शासनादेश के अनुरूप कुल स्थाई व अस्थायी स्वीकृत पदों में से 12 प्रतिशत वरिष्ठ सहायक, 52 प्रतिशत वरिष्ठ तथा 36 प्रतिशत कनिष्ठ लिपिकों के अनुसार पदों का विभाजन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

प्रश्न में संदर्भित शासनादेश दिनांक 10 अक्तूबर, 1983 में निहित व्यवस्था के अनुसार लेखा सम्वर्ग तथा पत्राचार सम्वर्ग अलग-अलग नहीं किये गये हैं क्योंकि इस व्यवस्था को शासनादेश सं0 208-ई0जी0/23-सा0 नि0 अनु0-5--23-ई0 जी0-82, दिनांक 20 मई, 1985 (संलग्नक-1) द्वारा स्थगित कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 171 पर)

बाल विकास परियोजनाओं में बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद पर विभागीय पुरुष कर्मचारियों की पदोन्नति की मांग

87—श्री राज किशोर सिंह—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विभाग द्वारा संचालित बाल विकास परियोजनाओं में केवल महिलायें ही बाल विकास परियोजना अधिकारी पद हेतु पात्र हैं ? जबकि सामान्यता इनका कार्य असंतोषजनक चल रहा है ? यदि हां, तो क्या इसमें बदलाव लाने हेतु सरकार विभागीय पुरुष कर्मचारियों को जो निदेशक ह0 स0 क0 के अधीन कार्यरत हैं बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद पर पदोन्नति देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती दीपा—

जी हां ।

यह सत्य नहीं है ।

जी नहीं ।

बाल विकास परियोजना कार्य को संचालित करने हेतु बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार निदेशालय नामक अलग निदेशालय का गठन किया जा चुका है ।

बांदा जिले में पयस्वनी और बागै नदियों पर पुलों के निर्माण का सर्वे-प्लान

88—श्री राम सजीवन—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले की एक प्रमुख सड़क बांदा विसंडा-ओरन-सिंहपुर-पहाड़ी पर पयस्वनी और बागै नदियों पर पुलों के निर्माण का सर्वे-प्लान तैयार करा लिया गया है ? यदि नहीं, तो सर्वे-प्लान कब तक तैयार करा लिया जायगा ? पुलों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं ।

पुलों की वरीयता एवं मार्ग की श्रेणी पर निर्भर करता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अधिशासी अभियन्ता, रा० मा० खण्ड, लखनऊ के विरुद्ध श्री स्वामी नाथ, ठेकेदार, फैजाबाद की शिकायत की जांच

89—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि शासन ने अपने पत्रांक 2150/23—6-81, दिनांक 3 अप्रैल, 1981 को अधिशासी अभियन्ता, रा० मा० खण्ड, लखनऊ के विरुद्ध श्री स्वामी नाथ, ठेकेदार, फैजाबाद की शिकायत की जांच श्री मुन्ना लाल शुक्ला, तत्कालीन मुख्य अभियन्ता, रा० मा० को दी थी ? यदि हां, तो शिकायत की जांच में इतना अधिक विलम्ब होने का क्या कारण है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि अप्रैल, 81 से अब तक कौन-कौन मुख्य अभियन्ता, रा० मा० हुए और किन-किन के द्वारा उक्त के सम्बन्ध में क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां ।

जांच आख्या प्राप्त हो चुकी है और वह विचाराधीन है । विलम्ब का प्रश्न नहीं उठता ।

अप्रैल, 1981 से अब तक श्री सरवार हुसेन, श्री एस० डी० विद्यार्थी, श्री ए० एच० जुबैरी, श्री धर्मवीर, श्री एस० सी० त्यागी, श्री जे० सी० तायल, श्री एन० सी० सक्सेना, श्री वाई० पी० गुप्ता एवं श्री ए० एस० भटनागर मुख्य अभियन्ता (रा० मा०) रहे हैं और सम्प्रति उक्त पद पर श्री रवेश चन्द्र हैं ।

श्री एस० सी० त्यागी, मुख्य अभियन्ता के कार्यकाल में उनके पत्र दिनांक 28 जनवरी, 1988 द्वारा जांच आख्या भेजते हुए शिकायतों को निराधार बताया गया है और उक्त प्रकरण को समाप्त करने की संस्तुति की गई है ।

90—श्री यदुनाथ सिंह—

[दिनांक 17 फरवरी, 1989 को अता० प्र० सं० 120 द्वारा उत्तरित]

सार्वजनिक निर्माण विभाग के रा0 मा0-24 की तथाकथित जोन संख्याओं के निर्माण कार्य हेतु सामग्री का अनुबन्ध

91—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सा0 नि0 वि0 के रा0 मा0-24 की जोन संख्या 85026 के कि0मी0 482 से 489 तक तथा जोन संख्या 86049 के कि0मी0 472 से 481 तक के कार्य हेतु निर्माण सामग्री किस-किस अनुबन्ध संख्या से कितनी मात्रा में कितनी-कितनी धनराशि की दी गई ? इस सामग्री का अनुबन्ध वार किस अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता द्वारा भुगतान किया तथा किस-किस अवर अभियन्ता को किस-किस माह की आर0 एम0 आर0 में लिया गया ? इसकी खपत किन-किन मस्टर रोल पर अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता द्वारा की गयी ?

श्री अम्मार रिजवी—

जाब संख्या 85025 के अन्तर्गत कि0मी0 482 से 488 तक स्वीकृत है। कि0मी0 489 इस जाब के अन्तर्गत स्वीकृत नहीं है।

जाब संख्या 86049 के अन्तर्गत कि0मी0 472 से 481 तक स्वीकृत है। पूर्ण विवरण माननीय मंत्री जी, सा0 नि0 विभाग के कार्यालय कक्ष में उपलब्ध है, जिसे माननीय सदस्य किसी कार्यालय दिवस में कार्यालय समय में देख सकते हैं।

सामग्री की खपत निम्नलिखित मस्टर रोलों पर उनके सम्मुख अंकित अवर अभियंता/सहायक अभियंता द्वारा दी गयी :—

मस्टर रोल संख्या	अवर अभियंता का नाम	सहायक अभियंता का नाम
142 से 149 तक	श्री पी0 सी0 सिन्हा	श्री ए0 के0 वर्मा
375 से 383 तक		
163 से 171 तक		
302 से 310 तक		
311 से 319 तक		
150 से 153 तक	श्री एस0 सी0 सक्सेना	
185 से 189 तक		
510 से 515 तक	श्री मोहरमन सिंह	
196, 197, 204, 205, 206, 537, 538, 611 से 615 तक, 647, 648, 649, 845, 846, 917, 918, 942, 943, 1109, 1110, 1132, 1143	श्री ए0 के0 सिंह	

अधिशासी अभियन्ता रा0 मा0 खण्ड नं0 2 लखनऊ द्वारा बी0 एम0 के कार्यों पर तथा एस0 डी0 सी0 के कार्यों पर क्रय की गयी सामग्री की मात्रा

92—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या सा0 नि0 मंत्री को ज्ञात है कि अधिशासी अभियन्ता रा0 मा0 खण्ड नं0 2 लखनऊ ने वर्ष 10/86 से 6/87 तक बी0 एम0 के कार्यों पर 10910.00 मै0 टन तथा एस0 डी0 सी0 के कार्यों पर 7724.00 मै0 टन सामग्री खर्च की ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस अवधि में विभिन्न प्रकार की सामग्री कितनी-कितनी मात्रा में क्रय की गयी और किन-किन ठेकेदारों को कैश बुक के अनुसार कितना-कितना भुगतान किया गया ? क्रय की गई सामग्री को किन-किन किलोमीटर में कितना-कितना प्रयोग किया गया और उसकी क्रस्ट थिकनेस क्या है ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री एस0 डी0 श्रीवास्तव, अधिशासी अभियन्ता द्वारा स्वीकृत लागत के अतिरिक्त व्यय किये जाने के विरुद्ध शिकायती-पत्र

93—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या सार्व0 निर्माण मंत्री को जानकारी है कि मुख्य अभियन्ता, रा0 मा0 को सम्परीक्षा कोष्ठ (सिंचाई) विकास भवन का पत्रांक 3 पी0एफ0/6/86, दिनांक 11 अगस्त, 1986 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि श्री एस0 डी0 श्रीवास्तव, अधिशासी अभियन्ता द्वारा स्वीकृत लागत रु0 19.63 लाख तथा 1.50 लाख के विरुद्ध रु0 37.55 लाख एफ0 डी0 आर0 के कार्यों पर व्यय किया था ? यदि हां, तो इसकी अनुमति किस अधिकारी ने कब दी और पुनरीक्षित आगणन कब स्वीकृत हुआ ? क्या वर्ष 1984-85 में 16.91 लाख के विरुद्ध 3/84 तक 23.81 लाख एफ0 डी0 आर0 के अंतर्गत खर्च किये गये ? यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि परिवहन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत लागत के अधिक का कार्य बोगी एक्शन में रु0 3.13 का खर्च दिखा कर हड़प लिया गया ? यदि हां, तो इसकी वसूली कब की गयी तथा दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां । यह पत्र श्री एस0 डी0 श्रीवास्तव, अधिशासी अभियन्ता जो उस समय प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ (सिंचाई) में कार्यरत थे, द्वारा तत्कालीन मुख्य अभियन्ता रा0 मार्ग को लिखा गया है जिसके द्वारा उन्होंने एफ0 डी0 आर0 के कार्यों पर अधिक व्यय करने के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण दिया है ।

वर्ष 1983-84 में रा0 मार्ग खण्ड लखनऊ में 19.63 लाख रुपये के कार्य एफ0 डी0 आर0 में स्वीकृत हुये थे । रु0 1.50 लाख के कार्यों की कोई स्वीकृति नहीं थी । रु0 19.63 लाख स्वीकृत कार्यों के विरुद्ध वर्ष 1983-84, 1984-85 तथा 1985-86 में कुल रु0 44.23 लाख व्यय हुआ ।

इसकी अनुमति किसी अधिकारी द्वारा नहीं दी गई तथा अभी तक पुनरीक्षित आगणन स्वीकृत नहीं हुआ है । इस सम्बन्ध में तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता का स्पष्टीकरण प्राप्त हो गया है जिस पर अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है ।

जी नहीं । वर्ष 1984-85 में एफ0 डी0 आर0 के कार्यों पर कुल 29.19 लाख रुपय के कार्य स्वीकृत हुये थे जिसके विरुद्ध 29.20 लाख रुपये का व्यय हुआ है ।

जून, 1984 में अत्यधिक वर्षा के कारण मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया था । जगह-जगह गड्ढे हो गये थे तथा कुछ स्थानों पर बीगी एक्शन हो गया था । यातायात की सुविधा हेतु मार्ग का सुधार आवश्यक था, जिससे सुधार कराने में लगभग रु0 3.15 लाख व्यय किया गया ।

दोषी अधिकारी के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही का उल्लेख प्रश्न के तीसरे भाग के उत्तर में बताया जा चुका है ।

जनपद वाराणसी को सड़क बनाने हेतु दिया गया धन व पिच की गयी सड़क की लम्बाई

94--श्री मूलचन्द्र--

क्या सार्व0 निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी को सन् 1987-88 में कितना धन दिया गया है और इससे कितनी किमी0 सड़क पिच की गयी है ? प्रत्येक विधान सभाई क्षेत्र में कितने कितने कि0 मी0 सड़क बनाने के लिये इस वर्ष स्वीकृत है ? क्या भदोही क्षेत्र में भी सड़क उक्त विभाग द्वारा सन् 87/88 में पिच की गई ? यदि हां, तो कुल कितना-कितना कि0 मी0 ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

कर्मचारी राज्य बीमा निदेशालय, उ0 प्र0 कानपुर द्वारा चिकित्साधिकारी (होम्योपैथिक) के रिक्त पदों हेतु किये साक्षात्कार का परिणाम घोषित न होना

95--श्री धनराज यादव--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 88 के पहले शुक्रवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं0 20 के उत्तर के संदर्भ में क्या श्रम मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि सन्दर्भित विवाद के निस्तारण हेतु शासन स्तर से क्या प्रयास किये जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सैयद सईदुल हसन--

प्रश्नगत विवाद मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच तथा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में विचाराधीन है तथा विवाद के निस्तारण हेतु शासन द्वारा यथावश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

याकूबपुर सहायक मार्ग, जनपद इटावा का लेपन कार्य पूर्ण न कराये जाने के कारण

96--श्री औसान सिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि याकूबपुर सहायक मार्ग जनपद इटावा 3.5 कि0 मी0 लेपन कार्य हेतु स्वीकृत है ? यदि हां, तो यह कब स्वीकृत हुआ और कितना कार्य अवशेष है ? निर्धारित अवधि के अन्दर इसके पूर्ण न कराने का क्या कारण है तथा इसके लिये दोषी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी, हां ।

प्रश्नगत कार्य की स्वीकृति वर्ष 1979–80 में प्रदान की गई । मार्ग की 2.5 किमी0 लम्बाई में सतह लेपन का कार्य अवशेष है ।

कार्य की लागत बढ़ जाने के कारण उपलब्ध धन में कार्य पूर्ण नहीं कराया जा सकता था जिसके लिये किसी को दोषी ठहराने का प्रश्न नहीं उठता है ।

दशेरा सम्पर्क मार्ग जनपद (इटावा) फफूंद राजवाह की सर्विस रोड पर मिट्टी के कार्य में फर्जी भुगतान कर लाखों का घोटाला किया जाना

97—श्री ओसान सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि दशेरा सम्पर्क मार्ग जनपद (इटावा) फफूंद राजवाह की सर्विस रोड पर वर्ष 1987–88 में निर्मित कराया गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि इस पर मिट्टी के कार्य में फर्जी भुगतान दिखा कर लाखों रुपयों का घोटाला हुआ है ? यदि नहीं, तो क्या मंत्री जी इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां ।

प्राप्त सूचना से ऐसी कोई स्थिति प्रकट नहीं होती ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देवरिया, पकड़ी–फतेहपुर मार्ग पर कृत कार्य में दोहरा भुगतान

98—श्रीमती शारदा देवी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 12 नवम्बर, 1986 को जनपद देवरिया में पकड़ी–फतेहपुर मार्ग पर कि0मी0 1 व 2 में पटरी की चौड़ाई व रेनपट भराई अनुबन्ध 20/ए0ई0–2, दिनांक 3 फरवरी, 1984 को ठेकेदार द्वारा कार्य समाप्त कर दिये जाने तथा उसी कार्य का दोहरा भुगतान सहायक अभियन्ता श्री सूर्यकरन लाल श्रीवास्तव द्वारा मस्टर रोल द्वारा भी लिये जाने की शिकायत शासन को की गयी थी ? यदि हां, तो शासन ने उस पर दोषी सहायक अभियन्ता के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां ।

जांच आख्या प्राप्त हो गई, जो शासन के समक्ष परीक्षाधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अस्थाई खंड सा0 नि0 वि0, गोरखपुर के करमैनी खंड खड़िया मार्ग की शिकायत

99—श्रीमती शारदा देवी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 26 जुलाई, 1986 को अस्थाई खंड सा0 नि0 वि0, गोरखपुर के करमैनी खंड खड़िया मार्ग की शिकायत शासन प्रमुख अभियन्ता व अधीक्षण अभियन्ता को की थी ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

लखनऊ, सीतापुर-लखीमपुर दैनिक यात्री कल्याण परिषद् की ओर से इटौजा कुर्सी मार्ग की दुर्दशा के विषय में पत्र

100—श्री मगौती सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ सीतापुर-लखीमपुर दैनिक यात्री कल्याण परिषद् की ओर से इटौजा-कुर्सी (बाराबंकी) मार्ग की दुर्दशा के सम्बन्ध में क्रमशः माह नवम्बर और दिसम्बर 1988 में लिखे गये पत्र शासन को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त सड़क की मरम्मत हेतु क्या कार्यवाही की गई ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां ।

फ्रस्ट की मोटाई भारी यातायात के अनुरूप न होने के कारण मार्ग ध्वस्त हो गया है । सामान्य मरम्मत का कार्य बराबर किया जाता है परन्तु वह टिकाऊ नहीं हो पाता । इसके सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव मुख्य अभियन्ता स्तर पर विचाराधीन है तथा धन की उपलब्धता पर निर्भर होगा ।

इलाहाबाद जनपद में कोल जाति के बच्चों के लिए नये आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित करने की अनुमति

101—श्री राज किशोर सिंह—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विभाग द्वारा कोरांव, इलाहाबाद जनपद में कोल जाति के बच्चों के लिये एक नये आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित करने की अनुमति दी गई है ? यदि हां, तो इसमें सृजित चतुर्थ श्रेणी के पदों पर महिला प्रशिक्षण केन्द्रों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की नियुक्ति की जायेगी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती दीपा—

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सृजित पदों पर नियुक्ति नियमानुसार की जायगी ।

102—श्री सुखपाल पाण्डे—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

हरिजन एवं निर्बल आवास निगम केन्द्रीय कार्यालय द्वारा भवन निर्माण सामग्री की आपूर्ति

103—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि हरिजन एवं निर्बल आवास निगम केन्द्रीय कार्यालय द्वारा भवन निर्माण की सम्पूर्ण सामग्री लखनऊ स्थित केन्द्रीय कार्यालय द्वारा आपूर्ति की जाती रही है ? यदि हां, तो जिला इकाइयों को भवन सामग्री क्रय करने का अधिकार न देने का क्या कारण है ?

श्रीमती दीपा—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय कालोनी, बादशाह नगर एवं राजकीय कालोनी, दिलकुशा, लखनऊ के अनुरक्षण कार्यों हेतु व्यय की गयी धनराशि

104—श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय कालोनी बादशाहनगर एवं राजकीय कालोनी, दिलकुशा, लखनऊ के अनुरक्षण से सम्बन्धित कार्यों हेतु माह अगस्त, 1987 से माह जनवरी, 1988 तक कुल कितनी धनराशि का सामान खरीदा गया तथा किस-किस आवास में लगाया गया ? क्या पूरे वर्ष के लिए आवंटित धनराशि केवल इन्हीं महीनों में खर्च कर दी गयी है ? यदि हां, तो सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

105-107—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

[माननीय सदस्य द्वारा वापस लिये गये]

प्रान्तीय खंड सार्वजनिक निर्माण विभाग, झांसी के सहायक अभियन्ता द्वारा की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र

108—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि माननीय मुख्य मन्त्री को प्रान्तीय खंड सार्वजनिक निर्माण विभाग झांसी के सहायक अभियन्ता द्वारा की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 9 जून, 1988 संलग्नक सहित प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां ।

मुख्य अभियन्ता (झांसी) को जांच कराकर आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देश भेजे गये हैं ।

109—श्री सूर्य प्रताप शाही—

[दिनांक 16-2-89 को अता० प्र० सं० 116—द्वारा उत्तरित]

अछल्दा–विधूना, जनपद इटावा मार्ग में रिन्यूवल व पटरी मरम्मत के नाम पर खर्च किया गया रुपया

110—श्री औसान सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि अछल्दा–विधुना, जनपद इटावा मार्ग पर वर्ष 1986–87 व 1987–88 में रिन्यूवल व पटरी मरम्मत के नाम पर 3 (तीन) लाख रुपया खर्च होना दिखाया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इस मार्ग की जर्जर स्थिति है दो–दो फुट गहरे गड्ढे पूरे मार्ग पर हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी की उक्त मार्ग के मरम्मत पर किये गये व्यय की जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे तथा उक्त मार्ग की मरम्मत शीघ्र कराने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं । पटरी मरम्मत के कार्य पर कोई व्यय नहीं किया गया । केवल "रिन्यूवल" का कार्य किया गया, जिस पर वर्ष 1986–87 में रु0 60,000 तथा वर्ष 1987–88 में रु0 30,000 व्यय हुये ।

प्रश्न नहीं उठता । मार्ग की स्थिति अवश्य सन्तोषजनक नहीं है ।

जांच का प्रश्न नहीं उठता । मार्ग की मरम्मत करायी जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विधूना निर्वाचन क्षेत्र में आर0 एल0 ई0 जी0 पी0 एवं सेक्ट्रोरियल योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत मार्ग को पूर्ण न कराने के लिए दोषी अधिकारी

111—श्री औसान सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि विधूना निर्वाचन क्षेत्र में आर0 एल0 ई0 जी0 पी0 एवं सेक्ट्रोरियल योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 1986–87 व 1987–88 में स्वीकृत मार्ग अभी तक अपूर्ण है ? यदि हां, तो निर्धारित वर्ष में स्वीकृत मार्ग पूर्ण न कराने के लिए कौन अधिकारी दोषी है ? उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

विधूना निर्वाचन क्षेत्र में प्रश्नगत योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 1987–88 में स्वीकृत मार्ग अभी अपूर्ण हैं । वर्ष 1986–87 में उक्त निर्वाचन क्षेत्र में प्रश्नगत योजनाओं के अन्तर्गत कोई कार्य स्वीकृत नहीं हुआ था ।

वर्ष 1987–88 के उक्त स्वीकृत कार्यों को पूर्ण करने की लक्ष्य तिथि समाप्त न होने के कारण कोई दोषी नहीं है । अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है ।

उत्तर प्रदेश वस्त्र छपाई निगम द्वारा फर्रुखाबाद के छपाईदारों से खरीदे गये माल का भुगतान न किया जाना

112—श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

क्या उद्योग मन्त्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश वस्त्र छपाई निगम द्वारा फर्रुखाबाद के छपाईदारों से खरीदे गये माल का भुगतान कई साल बीत जाने पर भी

नहीं किया जाता है जब कि इस हेतु दिये गये आदेशों (आर्डर्स) में एक माह के अन्दर भुगतान की गारन्टी दी जाती है ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी ऐसे सभी बकाया सदस्यों का भुगतान एक माह में करा देने की घोषणा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्या उस अवधि के लिए जब तक बकायेदारों का भुगतान नहीं कर दिया जाता उन्हें बकाया दर पर ब्याज दिलाने की घोषणा करेंगे ?

श्रीमती बेनी बाई—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

फर्रुखाबाद में स्टीमिंग एवं वाशिंग प्लान्ट को स्थापित करने की व्यवस्था

113—श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश वस्त्र छपाई निगम को सरकार द्वारा 15.20 लाख रुपया फर्रुखाबाद में कैलेंडरिंग मशीन स्थापित कराने हेतु दिया गया था ? यदि हां, तो क्या इस रुपये से छपाईदारों की विशेष मांग पर स्टेटनर प्लान्ट क्रय करके लगवाने की व्यवस्था करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती बेनी बाई—

फर्रुखाबाद में स्टीमिंग एवं वाशिंग प्लान्ट की स्थापना के लिए शासन द्वारा 16.20 लाख की धनराशि दी गई है । वर्तमान में स्टेटनर प्लान्ट लगाने का विचार नहीं है ।

114—श्री सरदार सिंह—

[माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न वापस लिया गया]

राष्ट्रीय मार्ग आगरा नं0 1 के अधिशासी अभियन्ता, श्री श्रीवास्तव का स्थानान्तरण

115—श्री सरदार सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री की जानकारी में है कि राष्ट्रीय मार्ग आगरा नं0 1 के अधिशासी अभियन्ता, श्री श्रीवास्तव का स्थानान्तरण जनहित में प्रशासनिक आधार पर सामान्य स्थानान्तरण के समय किया था और उनके स्थान पर श्री आर0 सी0 सिंघल को प्रतिस्थापित किया था ? यदि हां, तो मात्र 3-4 माह बाद ही श्री आर0 सी0 सिंघल को हटाकर पुनः श्री श्रीवास्तव को उसी खण्ड में स्थानान्तरित करने के क्या कारण हैं ?

श्री अम्मार रिजवी—

शासनादेश संख्या 3805-ई0जी0/23—सा0नि0-5-32 (1) ई0जी0-88, दिनांक 29 जुलाई, 1988 द्वारा श्री आर0 सी0 सिंघल, अधिशासी अभियन्ता की तैनाती राष्ट्रीय मार्ग खंड-1, आगरा में की गयी थी परन्तु उक्त खंड में कार्यरत श्री श्रीवास्तव की तैनाती कहीं नहीं की गयी थी ।

विचारोपरान्त कार्यहित में शासनादेश संख्या 375 (एम0)-ई0जी0/23—सा0नि0-32 (1) ई0जी0-88, दिनांक 29 अक्तूबर, 1988 द्वारा श्री आर0 सी0 सिंघल, अधिशासी अभियन्ता को स्थानान्तरित कर श्री श्रीवास्तव को उसी खंड में तैनात कर दिया गया ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा महेन्द्रा एंड महेन्द्रा के स्थान पर जिप्सी जीप का क्रय किये जाने का औचित्य

116—श्री सरदार सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके विभाग में बिना रेट कन्ट्रोल के एवं टेक्नीकल सलाह के प्रतिकूल महेन्द्रा खंड महेन्द्रा के स्थान पर जिप्सी जीप की खरीद की जा रही है ? यदि हां, तो सार्वजनिक निर्माण विभाग निर्माण निगम व सेतु निगम अब तक कितनी जिप्सी जीपें खरीद चुका है और क्यों ? क्या सरकार 1 कि0 मी0 पर आये ईंधन का खर्चा एवं रख-रखाव का खर्चा का तुलनात्मक विवरण सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेगी ?

श्री अम्मार रिजवी—

सार्वजनिक निर्माण विभाग में अब तक जिप्सी जीप का क्रय न तो किया गया है और न किया जा रहा है । अतः शेष प्रश्न नहीं उठते हैं ।

राजकीय निर्माण निगम में अब तक कुल 35 जिप्सी जीपों और सेतु निगम में 12 जीपों का ही क्रय भारत सरकार के डी0 जी0 एस0 एण्ड डी0 की निर्धारित दरों पर ही किया गया है ।

महेन्द्र पेट्रोल जीप की अपेक्षा जिप्सी जीप का मूल्य, ईंधन एवं रख-रखाव पर खर्च कम है और यांत्रिक तथा अन्य सुविधायें अधिक हैं ।

उक्त दोनों प्रकार की जीपों का तुलनात्मक विवरण निम्नवत् है—

मारुती जिप्सी एवं महेन्द्रा गाड़ियों पर ईंधन एवं रख-रखाव पर खर्चा

	जिप्सी पेट्रोल	महेन्द्रा पेट्रोल	महेन्द्रा डीजल
ईंधन व्यय प्रति कि0मी0	80 से 90 पै0	1·40 पै0 से 1·50	40 पै0
रख-रखाव पर खर्च	30 पै0	50 से 60 पै0	75 से 85 पै0
प्रति कि0 मी0 क्रय लागत लगभग प्रति जीप	रु0 1,10,665	रु0 1,21,190 (पुराना माडल) रु0 1,27,267 (नया माडल)	रु0 1,26,896 (पुराना माडल) रु0 1,39,050 (नया माडल)

जिला ग्राम विकास अभिकरण की प्रबन्ध कारिणी समिति की बैठक में सार्वजनिक निर्माण विभाग मऊ के किसी अभियन्ता द्वारा बैठक में भाग न लेने के कारण असन्तोष

117—श्री विष्णु देव—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें जिला ग्राम विकास अभिकरण की प्रबन्ध कारिणी समिति की बैठक दिनांक 18 अक्तूबर, 1988 में सार्वजनिक निर्माण विभाग मऊ के किसी अभियन्ता द्वारा बैठक में भाग न लेने पर सदस्यों द्वारा असन्तोष व्यक्त करने तथा वहां के सहायक अभियन्ता श्री के0 एन0 राय को वहां से हटा दिये जाने सम्बन्धी स्वीकृत प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुयी है ? यदि हां, तो उक्त सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां ।

श्री के0 एन0 राय, सहायक अभियन्ता के स्थानान्तरण के विषय में प्राप्त सुझाव से सम्बन्धित कार्यवाही की जा रही है ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग की अस्थायी विभागीय इकाई, मऊनाथ भंजन के कुछ अभियन्ताओं की शिकायत के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र

118--श्री विष्णु देव--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री अवधेश सिंह, अध्यक्ष, श्रमिक संघ ट्रेड यूनियन, जनपद आजमगढ़ (अब मऊ) के सार्वजनिक निर्माण विभाग के अस्थाई विभागीय इकाई मऊनाथ भंजन के कुछ अभियन्ताओं की शिकायत के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र के साथ प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 16 नवम्बर, 1988 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो प्रार्थना-पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां ।

मुख्य अभियन्ता (गोरखपुर) को जांच हेतु निर्देश भेजे गये हैं ।

जनपद मिर्जापुर अन्तर्गत जयपट्टी, जमालपुर आदि मार्ग पर मजदूरों द्वारा किये गये कार्य की मजदूरी का भुगतान न किया जाना

119--श्री मंनेजर सिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद मिर्जापुर अन्तर्गत जयपट्टी जमालपुर मार्ग, नरायनपुर अहरोरा मार्ग, मधुपुर खोराडीह मार्ग पर 40 मजदूरों द्वारा किये गये कार्य की मजदूरी का आज तक भुगतान नहीं किया गया ? यदि हां तो उक्त सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री अम्मार रिजवी--

जनपद मिर्जापुर में जयपट्टी जमालपुर मार्ग एवं मधुपुर खोराडीह मार्गों पर किसी भी मजदूर का कोई भुगतान शेष नहीं है । नरायनपुर अहरोरा मार्ग पर जो दो मस्टर रोल रु0 4,680.00 धनराशि के निर्गत किये गये थे वे अभी सम्बन्धित अवर अभियन्ता से प्राप्त नहीं हुये हैं जिनकी वापसी के लिये उन्हें लिखा गया है, मस्टर रोल प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

उ0 प्र0 टेक्सटाइल प्रिंटिंग कारपोरेशन (वस्त्र छपाई निगम) द्वारा फर्रुखाबाद के प्रिंटर्स से हैण्ड प्रिंटर्स का माल खरीदे जाने पर भुगतान न किया जाना

120--श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी--

क्या उद्योग मंत्री को यह जानकारी है कि उ0 प्र0 टेक्सटाइल प्रिंटिंग कारपोरेशन (वस्त्र छपाई निगम) द्वारा सन् 1982-83 में फर्रुखाबाद के प्रिंटर्स से हैण्ड प्रिंटर्स का माल खरीदा गया था जिसका भुगतान अभी तक उन प्रिंटर्स को नहीं दिया गया है ? क्या टेक्सटाइल प्रिंटिंग कारपोरेशन के उपाध्यक्ष श्री आर0 के0 मित्तल के नाम से सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 14 जुलाई, 1988 विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती बेनी बाई--

जनपद फर्रुखाबाद में वर्ष 1982-83 के 61,000.00 रु0 के भुगतान लम्बित हैं।

पत्र के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है।

अधिशासी अभियन्ता वि0/यां0 खण्ड, आजमगढ़ के विरुद्ध श्री सुखपाल पाण्डे, स0 वि0 स0 के पत्र पर जांच

121--श्री सूखपाल पाण्डे--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता वि0/यां0 खण्ड, आजमगढ़ के विरुद्ध प्रश्नकर्ता द्वारा लगाये गये आरोपों की जांच श्री ए0 सी0 अस्थाना, अधीक्षण अभियन्ता 44 वि0/यां0 वृत्त, सा0 नि0 विभाग, वाराणसी द्वारा की जा रही है ? यदि हां, तो अब तक जांच से क्या-क्या तथ्य प्रकाश में आये ? उक्त जांच कब तक पूर्ण होगी ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां।

जांच अभी जारी है। अतएव, अभी कुछ कहना सम्भव नहीं है।

कोई निश्चित अवधि इंगित करना सम्भव नहीं है।

122--श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी--

[4थे सोमवार में अता0 प्र0 सं0 166 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम, लखनऊ द्वारा हरिजन लड़के तथा लड़कियों के लिये बनवाये गये छात्रावास

123--श्री सूखपाल पाण्डे--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम, लखनऊ द्वारा अगस्त, 1988 तक हरिजन लड़के तथा लड़कियों के कितने छात्रावास प्रदेश में बनवाये गये ? कितनों में वाटर सप्लाई का प्राविधान किया गया है तथा कितने में वाटर सप्लाई नहीं हो रहीं है ? जिन हरिजन छात्रवासों में वाटर सप्लाई बाकी है, उन छात्रावासों में वाटर सप्लाई की व्यवस्था कब तक उपलब्ध कर दी जायेगी ?

श्रीमती दीपा--

हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम द्वारा अगस्त, 1988 तक उत्तर प्रदेश में 41 लड़को तथा 17 लड़कियों के छात्रावास बनाये गये।

सभी छात्रावासों में आन्तरिक वाटर सप्लाई हेतु पाइप लाइन का प्राविधान किया गया है। जल आपूर्ति होने के सम्बन्ध में सूचना संकलित करायी जा रही है।

ऐसे छात्रावासों मे कनेक्शन देने के आदेश कर दिये गये हैं।

श्री आर0 पी0 बंसल, अभियन्ता, सा0 नि0 वि0 विभाग, इटावा के विरुद्ध शिकायती-पत्र

124--श्री ओसान सिंह--

क्या सा0 नि0 वि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का श्री आर0 पी0 बंसल, अधीक्षण अभियन्ता 46वां वृत सा0 नि0 विभाग

इटावा के विरुद्ध शिकायती-पत्र दिनांक 27 सितम्बर, 1988 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो आरोप पत्र में दर्शाये गये बिन्दुओं की जांच किस एजेन्सी द्वारा करायी गयी और जांच का क्या परिणाम निकला ? यदि जांच नहीं करायी गई, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां ।

मुख्य अभियन्ता, दक्षिण क्षेत्र, सा0 नि0 वि0, कानपुर द्वारा जांच की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

125--श्री बलराम यादव--

[माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न वापस लिया गया]

जनपद बलिया में गोड़, धीमर, बरिकार, दबगर जांच तुरहा, खखार जाति को जाति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में कठिनायी

126--श्री शारदानन्द अंचल--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री को जानकारी है कि जनपद बलिया में गोड़, धीमर, बरिकार, दबगर, जांच तुरहा, खखार आदि को जाति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में कठिनायी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार राजाज्ञा व मांग के अनुसार जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के लिये सम्बन्धित जिला अधिकारी व जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी को निर्देश जारी करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती दीपा--

प्रश्न में उल्लिखित जातियों में से, केवल दबगर जाति ही उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियों की वर्गीकृत सूची में सम्मिलित है । इस जाति के लोगों को अनुसूचित जाति के प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में हो रही किसी कठिनायी विशेष का उल्लेख प्रश्न में नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

हरिजन कल्याण बोर्ड, मोती महल, लखनऊ के अध्यक्ष का उक्त बोर्ड को अनुदान बढ़ाने, कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति के बाद पेंशन दिलाने भत्ता निर्धारण विषयक पत्र

127--श्री सुखपाल पांडे--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हरिजन कल्याण बोर्ड, मोती महल, लखनऊ के तत्कालीन अध्यक्ष ने बोर्ड में पारित प्रस्ताव के अनुसार दिनांक 26 मई, 1986 तथा 9 मई, 1982 व 28 अक्तूबर, 1985 में शासन ने निदेशालय को विभिन्न पत्र लिखकर अनुदान बढ़ाने तथा सेवा निवृत्ति के बाद पेंशन, फंड दिलाने व भत्ता निर्धारण के लिये प्राविधान करने के लिये लिखा था ? यदि हां, तो पत्र के किन-किन विषयों पर विचार किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती दीपा--

मोती महल, लखनऊ में हरिजन एवं समाज कल्याण बोर्ड नाम की कोई संस्था नहीं है । अपितु वहां हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत प्रशासकीय बोर्ड

संचालित है। इस बोर्ड की अध्यक्ष का 26 मई, 1986 तथा 9 मई, 1982 का कोई पत्र निदेशालय अथवा शासन में प्राप्त नहीं हुआ। किन्तु 28 अक्तूबर, 1985 का पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें बोर्ड के अन्तर्गत संचालित महिला आश्रमों एवं अनाथालयों के लिये अनुदान की धनराशि में वृद्धि करने का प्रस्ताव किया गया था। इस प्रस्ताव पर विचार किया गया किन्तु वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण इस प्रस्ताव को स्थगित रखा गया है। शासन ने उक्त बोर्ड के कर्मचारियों को विचारोपरान्त प्राविडेंट फंड तथा पेंशन के बारे में सेवानिवृत्तिक लाभ देने के आदेश जारी कर दिया है।

अधिशासी अभियन्ता श्री राजेन्द्र कुमार, प्रान्तीय खंड, सा0 नि0 वि0, आजमगढ़ के द्वारा की गयी अनियमितताओं की जांच

128--श्री शारदानन्द अंचल--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता श्री राजेन्द्र कुमार, प्रान्तीय खंड, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आजमगढ़ के द्वारा की गयी अनियमितताओं की जांच हेतु मुख्य अभियन्ता, पूर्वी क्षेत्र, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वाराणसी ने अपने अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 1184/पू0 क्षेत्र व्यय0/टी0 सी0/87, दिनांक 23 अप्रैल, 1987 द्वारा श्री लाल जी सिंह, विशेष सचिव, को जांच कराने हेतु लिखा था? यदि हां, तो एक वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद भी आज तक जांच क्यों नहीं करायी गयी? इसके लिये कौन दोषी है और जांच कब तक पूरी करके दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जायगी?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां।

जांच करायी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रान्तीय खंड, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आजमगढ़ के अधिशासी अभियन्ता श्री राजेन्द्र कुमार द्वारा स्वयं के आदेश का पालन न किया जाना

129--श्री शारदानन्द अंचल--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता श्री राजेन्द्र कुमार, प्रान्तीय खंड, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आजमगढ़ ने अपने कार्यालय आदेश सं0 778/20-ए0, दिनांक 30 मार्च, 1986 द्वारा क्या यह आदेश किये थे कि कोई भी बिल आफ क्वान्टिटी कैशियर द्वारा तब तक नहीं भेजी जायेगी जब तक कि उनके द्वारा हस्ताक्षर की हुयी बिल आफ क्वान्टिटी टेन्डर नोटिस की एक प्रति के साथ उसे प्राप्त न हो जाय तथा एक लाख से अधिक रुपयों का टेन्डर सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के माध्यम से समाचार-पत्रों में विज्ञापन के उपरान्त ही किया जायेगा? यदि हां, तो क्या उपरोक्त आदेशों का पालन हुआ है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां।

दिनांक 30 मार्च, 1986 से जुलाई, 1988 तक 407 अनुबन्ध बने जिनमें से किसी भी बिल आफ क्वान्टिटी पर अधिशासी अभियन्ता के हस्ताक्षर नहीं हैं। इस प्रकार इनमें उपरोक्त आदेशों का पालन नहीं हुआ है।

उक्त अवधि में एक लाख के अधिक की 13 निविदायें आमन्त्रित की गयीं जिनके विज्ञापन सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश के माध्यम से समाचार-पत्रों में छपाये गये ।

अधिशासी अभियन्ता ने स्वयं अपने आदेशों का पालन किन परिस्थितियों में नहीं किया, इस के लिये उनका स्पष्टीकरण प्राप्त कर आवश्यक प्रशासनिक कार्यवाही की जायगी ।

अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खंड, सा0 नि0 वि0, आजमगढ़ द्वारा निविदायें आमंत्रित करने के आदेश

130—श्री शारदानन्द अंचल—

क्या सा0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खंड, सा0 नि0 वि0 आजमगढ़ ने अपने पत्र सं0 633/18-ए, दिनांक 28-3-87 द्वारा यह आदेश किये थे कि भविष्य में जो भी निविदायें आमंत्रित की जायेंगी वह सूचना निदेशक, उ0 प्र0, लखनऊ के माध्यम से समाचार-पत्रों में विज्ञापन हेतु जायेगी चाहे निविदा की धनराशि जितने भी रुपये की हो ? क्या उक्त आदेशों का पालन किया गया है ? यदि हां, तो अब तक कितनी निविदायें आमंत्रित की गयी और उनमें से कितनी सूचना निदेशक को दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां ।

आंशिक अनुपालन किया गया । 13 निविदाओं की सूचना प्रकाशन हेतु सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को भेजी गयी । शेष 27 निविदाओं, जिनकी धनराशि रु0 1 लाख से कम थीं, में उक्त आदेशों का पालन नहीं हुआ और वे सूचना निदेशक को नहीं भेजी गयी ।

जांच की जा रही ।

अधिशासी अभियन्ता श्री राजेन्द्र कुमार, सा0 नि0 वि0, आजमगढ़ के विरुद्ध श्री रमाकान्त यादव, विधायक का पत्र

131—श्री शारदानन्द अंचल—

क्या सा0 नि0 मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता श्री राजेन्द्र कुमार, सा0 नि0 वि0, आजमगढ़ के विरुद्ध श्री रमाकान्त यादव, विधायक का का पत्र दिनांक 2 मई, 1988 सचिव, सा0 नि0 वि0 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या पत्र में उल्लिखित शिकायतों की जांच करायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री गणेश दत्त भट्ट, प्रधान, ग्राम सभा माजिर—काण्डा झूलाघाट, जनपद पिथौरागढ़ का मोटर मार्ग निर्माण विषयक पत्र के साथ संलग्न प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

132—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या सा0 निर्माण मंत्री को प्रश्नकर्ता के पत्रांक 941/86, दिनांक 2 जून, 1986 के साथ श्री गणेशदत्त भट्ट, प्रधान, ग्राम सभा माजिर काण्डा झूला घाट, जनपद पिथौरागढ़

के संलग्न पत्र द्वारा झूलाघाट–जोल जीवी मोटर मार्ग निर्माण में झूलाघाट में रोड कटान के स्थान बदलने की सूचना मिली थी ? यदि हां, तो इस संदर्भ में क्या कदम उठाये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां ।

प्रश्नगत मोटर मार्ग के प्रस्तावित वैकल्पिक समरेखण से प्रभावित होने वाले चीड़ के वृक्षों, जल निगम द्वारा निर्मित टंकी तथा मकानों को देखते हुये स्वीकृत समरेखण में परिवर्तन किया जाना सम्भव नहीं है ।

वेतन अधिनियम के अन्तर्गत वसूली के लिए प्रार्थना–पत्र/वसूली आदेश जिला मजिस्ट्रेट को दिया जाना

133—श्री हृदय नारायण दीक्षित—

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वेतन भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकृत प्राधिकारी निर्णीत धन की वसूली हेतु वसूली आदेश लैन्ड रेवन्यू की भांति वसूल करने हेतु जिलाधिकारी को भेजते हैं ? यदि हां, तो ऐक्ट की धारा 15(5) (बी) के अनुसार मजिस्ट्रेट को क्यों नहीं भेजते हैं जहां उसे जुर्माना की तरह वसूल किया जा सकता है ?

श्री सैयद सईदुल हसन—

वेतन अधिनियम के अन्तर्गत वसूली के लिए प्रार्थना–पत्र जिला मैजिस्ट्रेट को मैजिस्ट्रेट की हैसियत से दिया जाता है । यह वसूली ऐक्ट की धारा 15(5) (बी) के अनुसार की जा रही है या नहीं इसकी सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद गोण्डा में वक्फ नं0 117 की जमीन को चकबन्दी विभाग द्वारा अपात्र व्यक्तियों को गलत ढंग से दिया जाना

134—श्री फसीउर्रहमान (उर्फ मुन्ना खां)—

क्या वक्फ मंत्री को जानकारी है कि जनपद गोण्डा में एक विकास वक्फ नं0–117 के लगभग 700 एकड़ का वर्ष 1986–87 में चकबन्दी विभाग द्वारा अपात्र व्यक्तियों के नाम गलत ढंग से चक काट कर कब्जा दिया गया है और वक्फ सम्बन्धित गोण्डा के चौक स्थित मकान पर लोगों ने अवैध ढंग से कब्जा कर लिया है ? यदि हां, तो वक्फ की सुरक्षा के लिए सरकार कोई व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सैयद सईदुल हसन—

चकबन्दी एक न्यायिक प्रक्रिया है । चकबन्दी न्यायालय के निर्णय से क्षुब्ध व्यक्ति द्वारा निर्णय के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में अपील की जानी चाहिए । प्रश्नगत वक्फ ग्राम इटई रामपुर में स्थित बताया गया है । इस ग्राम के कुछ खातेदारों के खातों पर वक्फ अलल–औलाद के रूप में मुकदमा कायम किया गया है, जो न्यायालयों में विचाराधीन है ।

जहां तक वक्फ के मकान पर अवैध कब्जे का प्रश्न है उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत सम्बन्धित वक्फ बोर्ड को वक्फ की सुरक्षा, संचालन आदि के निमित्त समस्त युक्तियुक्त एवं आवश्यक कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त है । इस मामले में कथित अवैध कब्जे के विरुद्ध कार्यवाही सुन्नी वक्फ बोर्ड के स्तर से अपेक्षित है । सुन्नी बोर्ड से प्राप्त सूचनानुसार वक्फ के मुतवल्ली से कथित अवैध कब्जे के विरुद्ध

कार्यवाही के लिए कुछ आवश्यक सूचनाएं उनके द्वारा मांगी गयी हैं। इन सूचनाओं के प्राप्त न होने के कारण बोर्ड कोई कार्यवाही नहीं कर सका है।

कोंच (जालौन) के इंका नेता द्वारा अपंजीकृत संस्था "सिद्धार्थ" के बैनर पर कल्याण शिविर का आयोजन कर विधवाओं और विकलांगों को पेन्शन फार्म भराया जाना

135—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री जानकारी देने की कृपा करेंगे कि 19 अगस्त, 1988 और इसके एक दिन पूर्व कोंच (जालौन) के एक इंका नेता अशोक रावत और एक सरकारी कर्मचारी विजय वर्मा के द्वारा एक अपंजीकृत संस्था "सिद्धार्थ" के बैनर पर कल्याण शिविर का आयोजन करके सैकड़ों विधवाओं और सैकड़ों विकलांगों के पेन्शन फार्म भरवाये गये जबकि उन दिनों जालौन जिले के लिये निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक भी विधवा या एक भी विकलांग को पेन्शन देने का स्थान रिक्त नहीं था ? यदि हां, तो क्या इस आयोजन को जिला प्रशासन की अनुमति प्राप्त थी ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती दीपा—

दिनांक 18 व 19 अगस्त, 1988 को प्रश्नगत कल्याण शिविर जिसका पंजीकृत संस्था "सिद्धार्थ" द्वारा आयोजन किया गया था, में 140 निराश्रित विधवाओं और 144 निराश्रित विकलांगों के अनुदान आवेदन-पत्र भरवाये गये थे। जनपद जालौन में माह अगस्त, 1988 में 50 निराश्रित विधवाओं और 10 निराश्रित विकलांगों को अनुदान देने के लिए स्थान रिक्त थे।

इस आयोजन हेतु जिला प्रशासन की अनुमति प्राप्त थी, ताकि उपलब्ध रिक्तियों में उन प्रार्थना-पत्रों पर विचार किया जा सके।

जनपद फैजाबाद के भीटी-महरूआ मार्ग के अवशेष भाग को लेपन स्तर तक पूर्ण किये जाने की मांग

136—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद के भीटी-महरूआ मार्ग का केवल कुछ ही भाग भीटी की तरफ से लेपन स्तर तक पक्का हुआ है और शेष भाग की मिट्टी और खड़ंजा लेपन स्तर तक सड़क के पक्की न होने के कारण खराब हो रहा है ? यदि हां, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उक्त सड़क पर रोडवेज की कई बसें और काफी प्राइवेट वाहन चलते हैं तथा काफी आवागमन होता है क्या सरकार सड़क के अवशेष भागों को भी शीघ्र लेपन स्तर तक पक्की कराने की कृपा करेंगी ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां, इस मार्ग की कुल लम्बाई 13.25 कि0मी0 में से 4 कि0मी0 लेपित है तथा शेष 9.25 कि0मी0 का भाग खड़ंजा स्तर तक निर्मित है। मार्ग पर यातायात चल रहा है।

मार्ग जिला सेक्टर में आता है और इसके निर्माण की स्वीकृति जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन एवं धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

गढ़मुक्तेश्वर पुल एवं नरौरा पुल जनपद बुलन्दशहर के मध्य क्षेत्र माण्डू आश्रम ग्राम मवई में गंगा पर पुल निर्माण की मांग

137—श्री इम्तियाज मोहम्मद खां—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माननीय मुख्य मंत्री ने गंगा नदी पर गढ़मुक्तेश्वर पुल एवं नरौरा पुल जनपद बुलन्दशहर के मध्य क्षेत्र माण्डू आश्रम ग्राम मवई जनपद बुलन्दशहर में एक नव गंगा के पुल निर्माण हेतु तत्काल सर्वेक्षण के आदेश किये हैं ? यदि हां, तो क्या हरियाणा प्रान्त को कुमायूं मण्डल से सीधा सम्पर्क करने हेतु उपरोक्त गंगा के पुल का निर्माण एवं जमुना के पुल पलवल से जेवर खुर्जा शिकारपुर, जहांगीराबाद, दौलतपुर माण्डू आश्रम रहेरा आदमपुर सम्भल, मुरादाबाद स्टेट हाईवे का सुदृढ़ीकरण करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां ।

प्रदेश के सीमित संसाधनों को देखते हुए ।

फिलहाल यह सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद के कटेहरी विधान सभा क्षेत्र में स्थित भीटी—महरूआ मार्ग तथा विकवाजीतपुर बसोहरी—नरायनपुर—महरूआ मार्ग पक्का न कराये जाने के कारण

138—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि किसी भी सड़क का निर्माण कार्य स्टेट सेक्टर से कराने हेतु शासन द्वारा निर्धारित मानक क्या हैं और उन निर्धारण मानकों में से कौन सी शर्त पूरी न होने के कारण जनपद फैजाबाद के कटेहरी विधान सभा क्षेत्र में स्थित भीटी—महरूआ मार्ग तथा विकवाजीतपुर बसोहरी—नरायनपुर—महरूआ मार्ग को स्टेट सेक्टर से पक्की कराने हेतु नहीं लिया गया ? क्या यह सही है कि उनसे कम महत्वपूर्ण बीकापुर विधान सभा की कई सड़कों को पिछले तीन वर्षों में स्टेट सेक्टर से निर्माण हेतु ले लिया गया है ? यदि हां, तो सही स्थिति क्या है ? उक्त मार्गों को कब तक स्टेट सेक्टर में लेकर पक्का करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

सड़कों/पुलों की महत्ता को दृष्टि में रखते हुये इस सम्बन्ध में निर्णय लिया जाता है । भीटी—महरूआ मार्ग की कुल लम्बाई 13.25 कि0 मी0 में से प्रथम 4 किमी0 लेपन स्तर तक तथा शेष 9.25 किमी0 खड़ंजा स्तर तक पक्का है जिसमें से 6.25 कि0 मी0 लेपन स्तर तक पक्का करने के लिये स्वीकृति 1988—89 जिला सेक्टर से जारी की जा रही है । इस मार्ग के शेष 3 कि0 मी0 एवं विकवाजीतपुर बसोहरी—नरायनपुर—महरूआ मार्ग की स्वीकृति जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन एवं धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

स्थानीय महत्ता को दृष्टिगत रखते हुये बीकापुर विधान सभा क्षेत्र के निम्नलिखित मार्ग स्टेट सेक्टर के अन्तर्गत स्वीकृत किये गये हैं :—

(1) बीकापुर जाने बाजार मार्ग स्वीकृत लम्बाई 16·00 कि0 मी0 है ।

(2) नेतवारी केसरवा बुजुर्ग एमीघाट मार्ग स्वीकृत लम्बाई 6.50 कि0 मी0 है ।

(3) बीकापुर इनायतपुर मार्ग स्वीकृत लम्बाई 16.00 कि0मी0 है।

प्रश्न नहीं उठता।

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग में बिना रेट कान्ट्रैक्ट के एवं टैक्नीकल सलाह के प्रतिकूल महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा के स्थान पर जिप्सी जीप की खरीद और उनकी संख्या

139--श्री सरदार सिंह--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री के संज्ञान में है कि विभाग में बिना रेट कान्ट्रैक्ट के एव टैक्नीकल सलाह के प्रतिकूल महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा के स्थान पर जिप्सी जीप खरीद रहा है ? यदि हां, तो विभाग एवं अधीनस्थ निगमों में अब तक कितनी जिप्सी जीपें खरीदी जा चुकी हैं और क्यों ? क्या सरकार इन जीपों पर हुए खर्चों रख-रखाव एवं ईंधन का तुलनात्मक विवरण सदन के पटल पर रखेगी तथा क्या सरकार यह भी बतायेगी कि प्रति कि0 मी0 खर्च किस पर कम तथा किस पर ज्यादा है ?

श्रीमती दीपा--

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री एम0 पी0 सिंघल, सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खंड, सा0 नि0 वि0, उन्नाव के विरुद्ध शिकायतों की जांच

140--श्री मनोहर लाल--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री एम0 पी0 सिंघल, सहायक अभियन्ता जो इस समय कार्यकारी अधिशाषी अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग सर्वेक्षण खंड, सा0 नि0 वि0, इटावा का कार्य कर रहे हैं, के खिलाफ प्रान्तीय खंड, सा0 नि0 वि0, उन्नाव में कराये गये कार्यों की जांच के आदेश मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रदान किये गये हैं ? क्या यह सही है कि तकनीकी जांच समिति उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सितम्बर, 1988 में उनके कार्य निम्न स्तर के पाये तथा लाखों रुपये का घोटाला भी पाया गया और जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट शासन को दी थी जिस पर जांच समिति ने श्री सिंघल को तुरन्त निलम्बन करने हेतु शासन को संस्तुति किया था और सचिव, सा0 नि0 वि0, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उनके निलम्बन की स्वीकृति भी दे दी है परन्तु अभी तक उक्त सहायक अभियन्ता के निलम्बन आदेश जारी न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां, श्री एम0 पी0 सिंघल, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खंड, सा0 नि0 वि0, उन्नाव के विरुद्ध शिकायतों की जांच कराने का आदेश माननीय मुख्य मंत्री जी ने दिया था। प्राप्त शिकायतों की जांच प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ से कराई गयी। प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ द्वारा अनियमिततायें पायी गयीं। उनके द्वारा श्री एम0 पी0 सिंघल को निलम्बित करने की संस्तुति नहीं की गयी है। प्राप्त जांच आख्या का परीक्षण किया जा रहा है और अभी अन्तिम रूप से कोई निर्णय नहीं लिया गया है। परीक्षणोपरान्त मामले में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

आगरा में आफीसर्स होस्टल में अधिकारी निवासों के किराये की वसूली न किये जाने के कारण

141--श्री यदुनाथ सिंह--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1988 के दूसरे मंगल के लिये निर्धारित अता0 प्र0 सं0 101 के संदर्भ में सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध

में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 623 मुख्य सचिव को दिनांक 9 जून, 1988 को मिला है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ? सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों से किराया वसूल न किये जा सकने का क्या कारण है ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद उन्नाव में विषाक्त पोषाहार से हुई बच्चों की मृत्यु तथा जनपद सुल्तानपुर की पुष्टाहार के मद में हुई अनियमितताओं की जांच

142--श्री सुखपाल पाण्डे--

विधान सभा के दूसरे सत्र 86 के दूसरे शुक्र के लिए निर्धारित ता0 प्र0 सं0 12 के उत्तर के सन्दर्भ में हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1983-84, 1984-85 में जिला उन्नाव में पुष्टाहार से बच्चों के मृत्यु की जांच जो निदेशक, हरिजन कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा कराई गयी थी, उसका परिणाम क्या है ?

श्रीमती दीपा--

जनपद उन्नाव में कथित बच्चों की मृत्यु से सम्बन्धित मामले की जांच निदेशक, हरिजन समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश द्वारा करायी गयी थी । उक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर जनपद उन्नाव की बाल विकास परियोजनाओं में दूषित पोषाहार से बच्चों की हुई कथित मृत्यु का मामला परिलक्षित नहीं होता ।

श्री केदार मिश्रा, ग्राम रौली, नरैनी, जनपद बांदा का रौली-कल्यानपुर के पास स्पीड ब्रेकर बनवाने के विषयक पत्र पर कार्यवाही

143--श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

क्या सा0 नि0 वि मंत्री बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 7 अप्रैल, 1988 के साथ श्री केदार मिश्रा, ग्राम रौली कल्यानपुर, ब्लाक नरैनी, जनपद बांदा का पत्र सचिव, सा0 नि0 वि0 को बांदा-मिर्जापुर रोड में बांदा जनपद के ग्राम रौली-कल्यानपुर के पास दुर्घटनाओं को रोकने हेतु स्पीड ब्रेकर बनवाने अथवा वाहनों की तेज गति को रोकने के अन्य उपाय करने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अम्मार रिजवी--

प्रश्नगत विषय में मा0 सदस्य के पत्र दिनांक 5 अप्रैल, 1988 (7 अप्रैल, 1988 नहीं) के साथ श्री केदार नाथ मिश्र का पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें केवल गति अवरोधक बनाने का अनुरोध किया गया । कथित स्थल पर मार्ग की चौड़ाई 12 मी0 तथा काली सतह की चौड़ाई 3.70 मीटर है और वहां पर 300 मी0 व्यास का एक घुमाव है । परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों तथा भारतीय रोड कांग्रेस के कोड के अनुसार ऐसे स्थल पर गति अवरोधकों का निर्माण कराना वर्जित है ।

उत्तर प्रदेश, सा0 नि0 वि0, श्रमिक संघ के अधिशासी अभियन्ता, अस्थायी खण्ड, सा0 नि0 वि0, फैजाबाद के प्राप्त पत्रों पर कृत कार्यवाही

144--श्री मित्रसेन--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश, सा0 नि0 वि0, श्रमिक संघ का पत्रांक 112/श्रमिक-86, दिनांक 30 अगस्त, 198

गोपनीय व 113/श्रमिक-86, दिनांक 30 दिसम्बर, 1986 गोपनीय व 914/श्रमिक-86, दिनांक 30 दिसम्बर, 1986 गोपनीय अधिशासी अभियन्ता अस्थायी खण्ड नं0-2 सा0 नि0 वि0 फैजाबाद को प्राप्त हुए थे ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां, परन्तु पत्रांक-112/श्रमिक-86 पर दिनांक 30 अगस्त, 1986 के बजाय दिनांक 30 दिसम्बर, 1986 अंकित है ।

जांच प्रगति में है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अनुसूचित जाति छात्रावास नदेसर कैंट, वाराणसी की चहार दीवारी बनाने हेतु दी गई धनराशि

145—श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सरकार को जानकारी है कि अनुसूचित जाति छात्रावास नदेसर कैन्ट, वाराणसी को कई लाख रु0 चहार दीवारी के लिए स्वीकृत होकर हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, वाराणसी के यहां कई महीने पूर्व से भेजा जा चुका है ? यदि हां, तो क्या उक्त धनराशि छात्रावास को चहारदीवारी बनाने को दी गयी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती दीपा--

जी हां ।

1,53,947 रु0 की धनराशि दी गयी है ।

जी हां ।

दिनांक 25 मार्च, 1988 को धनराशि हरिवास को निर्माण कराने हेतु उपलब्ध करा दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उन्नाव जिले की हिलौली पी0 एच0 सी0 बिल्डिंग के घटिया निर्माण की शिकायत

146—श्री हृदय नरायन दीक्षित--

क्या सा0 नि0 मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले की हिलौली पी0 एच0 सी0 की बिल्डिंग का निर्माण कब शुरू हुआ ? यह भवन कब बनकर तैयार हुआ है ? क्या यह सच है कि भवन बनते ही वर्ष 88 की जुलाई में छत से पानी टपक रहा है ? घटिया निर्माण के लिए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों पर क्या कार्यवाही की जा रही है ? क्या मंत्री जी उक्त भवन के घटिया निर्माण की शिकायत से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 21 जुलाई, 1988 मिला है ? क्या पत्र में टी0 ए0 सी0 जांच की मांग की गई थी ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही हुई ?

श्री अम्मार रिजवी--

पी0 एच0 सी0 हिलौली की बिल्डिंग का निर्माण माह दिसम्बर, 1982 में शुरू हुआ । टाइप-4 के एक आवास को छोड़कर शेष टाइप-1 तथा 2, प्रत्येक के चार-चार

भवन तथा मुख्य भवन मार्च, 1985 तक पूर्ण कर दिया गया था । टाइप-4 का एक अधूरा भवन मार्च, 1987 में पूर्ण किया गया ।

वर्ष 1988 की जुलाई में हुई घनघोर वर्षा से प्रश्नगत भवन की छत और दीवाल के जोड़ से कुछ स्थानों पर पानी टपका है ।

सम्प्रति उपलब्ध करायी गई सूचना के अनुसार प्रश्नगत भवन का निर्माण कार्य घटिया प्रकार का नहीं है । भवन का उचित रख-रखाव न होने के कारण उसकी छत पर घास उग आई थी जिससे वर्षा में पानी निकासी में हुये अवरोध के कारण छत से पानी टपका था जिसे नवम्बर, 1988 में ठीक भी करा दिया गया था ।

जी हां ।

मुख्य अभियन्ता, मध्य क्षेत्र, लखनऊ को जांच के निर्देश भेजे गये । जांच-आख्या अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

उन्नाव जिले की हिलौली लउवा रोड के ग्राम लउवा और हड़हरा के मध्य पुलिया के क्षतिग्रस्त होने के कारणों की जांच

147-श्री हृदय नरायन दीक्षित--

क्या सा0 नि0 मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि उन्नाव जिले की हिलौली लउवा रोड के ग्राम लउवा और हडहरा के मध्य ग्राम हड़हरा के निकट स्थित पुलिया का ह्यूम पाईप टूट गया है ? क्या पुलिया के पैराफिट भी टूट गए हैं ? यदि हां तो पुलिया कब बनी ? इतनी जल्दी, पुलिया टूटने के कारण क्या है ? क्या इसकी जांच टी0 ए0 सी0 से करायेंगे ।

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां, हुयूम पाइप आंशिक रूप से टूट गया था ।

जी हां, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए थे ।

पुलिया 1985 में बनी थी ।

अतिवृष्टि से पाइपों के ऊपर की मिट्टी बह गई तथा यातायात चालू रहा, जिससे पाइपों के ज्वाइंट के निकट क्षति हो गई । पैराफिट की क्षति भी इसी कारण हुई । पुलिया की मरम्मत की जा चुकी है ।

जी नहीं, जांच की आवश्यकता नहीं है ।

उन्नाव जिले के कालू खेड़ा काथा मुसन्ना रोड में डामर डालने व खराब पिच को ठीक करने में घपले के सम्बन्ध में प्रश्न कर्ता का पत्र

148-श्री हृदय नरायन दीक्षित--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह अप्रैल, मई, जून, 88 में उन्नाव जिले के कालू खेड़ा काथा मुसन्ना रोड में डामर डालने व खराब पिच को को ठीक करने के काम में घपले के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 15 जुलाई, 1988 उनको मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां ।

उक्त पत्र पर जांच प्राविधिक संपरीक्षा कोष्ठ सा0 नि0 वि0, लखनऊ द्वारा कराई गई ।

सा0 नि0 वि0 के बजट भाषण में दिए गए सुझावों के सम्बन्ध में श्री सरदार सिंह स0 वि0 स0 के सड़क निर्माण विषयक पत्रों पर कार्यवाही

149-श्री सरदार सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 9 जुलाई, 1987 को सा0 नि0 वि0 के बजट भाषण में दिए गए सुझावों के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के दो पत्र सड़क के निर्माण हाट मिक्स प्लान्ट द्वारा न कराने तथा निर्माण सामग्री ठेकेदार द्वारा क्रय न किए जाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो प्रत्येक बिन्दु पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी, हां ।

उक्त दोनों पत्रों के सम्बन्ध में बिन्दुवार स्थिति संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 173 पर) ।

मेसर्स साकेत सर्विस स्टेशन एण्ड आटोमोबाइल्स वर्क शाप सिविल लाइन मोदहा फैजाबाद का विभागीय गाड़ियों के रख रखाव के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता सा0 नि0 वि0 फैजाबाद को सम्बोधित पत्र

150-श्री मित्रसेन—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि मेसर्स सर्विस स्टेशन एण्ड आटोमोबाइल्स वर्क शाप सिविल लाइन मोदहा फैजाबाद का पत्र दिनांक 18 फरवरी, 1988 मुख्य अभियन्ता सा0 नि0 वि0 फैजाबाद परिक्षेत्र फैजाबाद को प्राप्त हुआ है जो विभागीय गाड़ियों के रख रखाव के सम्बन्ध में है ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है ? क्या सचिव परिवहन उ0 प्र0 शासन परिवहन अनुभाग-4 के पत्रांक 35531/दो 30-4-30 जे0 वी0/70 दिनांक लखनऊ 31 दिसम्बर, 1986 का अनुपालन वि0/यांत्रिक खण्ड सार्वजनिक निर्माण विभाग फैजाबाद में हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां ।

चूंकि यह फर्म विभाग में ठेकेदारों के पंजीकरण से सम्बन्धित शासनादेश संख्या 2365 एम0 एस0/23-पी0 डब्लू-41 एम0 एम0/1964, दिनांक 24 अगस्त, 1982 की नियमावली एपेन्डिक्स-3 के अनुसार यांत्रिक कार्यों हेतु पंजीकृत नहीं हैं अतः इस पर कोई कार्यवाही सम्भव नहीं है ।

चूंकि परिवहन विभाग से मान्यता प्राप्त गैराज उक्त नियमावली के अन्तर्गत अपना पंजीकरण नहीं कराते हैं जिसके फलस्वरूप परिवहन अनुभाग-4 के पत्रांक 35531/दो-30-4-30 जे0 वी0/70, दिनांक 31 दिसम्बर, 1986 का अनुपालन फैजाबाद में सम्भव नहीं हो पाता है ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग में राष्ट्रीय मार्ग 24 तथा कथित जाब संख्याओं के लिए निर्माण सामग्री का अनुबन्ध

151—श्री सरदार सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय मार्ग—24 के जाब सं0 85026 के कि0 मी0 483 से 489 तक तथा जाब सं0 86049 के कि0 मी0 472 से 482 तक के लिए निर्माण सामग्री किस—किस अनुबन्ध संख्या से कितनी—कितनी मात्रा में कितनी—कितनी धनराशि की ली गई ? इस सामग्री का अनुबन्धवार किस अधिकारी अभियन्ता सहायक अभियन्ता, अवर अभियंता ने भुगतान किया तथा किस—किस अवर अभियंता को किस—किस माह की आर0 एम0 आर0 एवं एम0 बी0 में लिया गया ? इसकी खपत किन—किन मस्टर रोलों पर अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता द्वारा की गई ? आर0 एम0 आर0 का समय से समायोजन न करने के लिए किसके विरुद्ध कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जाब संख्या 85028 के अन्तर्गत किमी0 482 से 488 तक स्वीकृत है, न कि किमी0 483 से 489 तक । जाब संख्या 86049 के अन्तर्गत किमी0 472 से 481 तक स्वीकृत है । इस जाब में किमी0 482 स्वीकृत नहीं है । दोनों जाबों से सम्बन्धित पूर्ण विवरण माननीय मंत्री जी, सा0 नि0 विभाग के कार्यालय कक्ष में उपलब्ध है, जिसे माननीय सदस्य किसी कार्य दिवस को कार्यालय समय में देख सकते हैं ।

इसका विवरण निम्न प्रकार है :—

मस्टर रोल संख्या	अवर अभियन्ता का नाम	सहायक अभियंता का नाम
1	2	3
1—142 से 149 तक 375 से 383 तक 163 से 171 तक	श्री पी0 सी0 सिन्हा	श्री ए0 के0 वर्मा
302 से 318 तक 311 से 319 तक	श्री पी0 सी0 सिन्हा	तदेव
2—150 से 153 तक 185 से 189 तक	श्री एस0 सी0 सक्सेना	तदेव
3—510 से 515 तक	श्री मोहरमन सिंह	तदेव
4—196, 197, 204, 205, 206, 537, 538, 611, से 615 तक 647, 648, 649, 845, 846, 917, 918, 942, 943, 947, 1109, 1110, 1132, 1143	श्री ए0 के0 सिंह	तदेव

दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा रहा है। प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देहरादून के प्रान्तीय खण्ड के अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता के नेतृत्व में गान्धी मार्ग के निर्माण खर्च तथा भुगतान की गई धनराशि आदि का विवरण

152—श्री सरदार सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतायेंगे कि जनपद देहरादून के प्रान्तीय खंड के अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता श्री जी० सी० गर्ग के नेतृत्व में गांधी मार्ग के निर्माण में 40 लाख खर्च कर 68 लाख रुपये का भुगतान किया गया ? यदि नहीं, तो क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि उक्त कार्य का आगणन कितने का स्वीकृत था एवं निर्माण कार्य कब पूर्ण होना था ? क्या नीची दर के टेन्डर छोड़ कर ऊंची दर के टेन्डर स्वीकृत किये गये ? यदि नहीं, तो किस-किस फर्म के टेन्डर कितनी-कितनी दर से प्राप्त हुए ? क्या माह जून, 1988 में प्रोमिक्सिंग का कार्य कराया गया ? यदि हां, तो कितने किलोमीटर में और उस पर क्या लागत आयी ?

श्री अम्बार रिजवी—

जी, नहीं।

अम्बाला-मसूरी मोटर मार्ग के कि० मी० 182 से 216 में बी० एम०/एस० डी० सी० के कार्य हेतु आगणन 280 लाख रु० के लिए स्वीकृत है जिसके अन्तर्गत गांधी मार्ग लम्बाई 2 कि० मी० (मुख्य मार्ग का कि० मी० 184 व 185) में उक्त कार्य हेतु 16 लाख रु० का प्राविधान है। यह कार्य अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार 19 जनवरी, 1986 तक पूर्ण होना था।

जी नहीं।

इस कार्य के लिए अलग से निविदा नहीं मांगी गई थी अपितु अम्बाला-मसूरी मार्ग के कि० मी० 182 से 197, जिसमें गांधी मार्ग सम्मिलित है, की निविदायें निम्न तीन फर्मों से उनके सम्मुख अंकित दरों की प्राप्त हुई थी :

	रु०
1—अमर कान्स्ट्रक्शन	62,69,000
2—रिकान्डो लि०	87,03,200
3—ओरियन्टल स्ट्रक्चर्स इन्जीनियर्स	87,24,400

जी नहीं। प्रश्नगत गांधी मार्ग की पूरी लम्बाई (2 कि० मी०) पर माह जून, 1988 में बी० एम० का कार्य कराया गया। उक्त मार्ग पर माह जून, 1988 में 9,12,755 रु० का व्यय किया गया।

अधिशासी अभियन्ता राष्ट्रीय मार्ग निर्माण खण्ड कानपुर द्वारा निलम्बित किये गये आशुलिपिक के विरुद्ध कार्यवाही

153—श्री सरदार सिंह—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 86 के प्रथम मंगलवार के अता० प्र० सं०-37 के सम्बन्ध में क्या सार्व० निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य अभियन्ता (मु०) सा० नि० वि० के पत्रांक 7410/ई० एफ०/सी०-66 ई० एफ०-2005/85, दिनांक

2 दिसम्बर, 1985 से निलम्बन अवधि का वेतन एवं भत्ता भुगतान किया गया ? यदि हां, तो क्या अधीक्षण अभियन्ता 16वां वृत्त कानपुर के आदेश दिनांक 18 दिसम्बर, 1986 को निरस्त किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या विधायक श्री मदुनाथ सिंह का पत्र दिनांक 8 दिसम्बर, 1987 तथा 18 दिसम्बर, 1987 प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो इन पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बार रिजवी--

जी हां ।

जी नहीं ।

उपलब्ध करायी गई सूचना के अनुसार अधीक्षण अभियन्ता 16वां वृत्त का दिनांक 18 दिसम्बर, 1986 का आदेश श्री धर्मवीर आशुलिपिक को निलम्बन अवधि में देय वेतन व भत्तों की अनुमन्यता से संबंधित है जबकि प्रश्न के पूर्वभाग में उल्लिखित दिनांक 2 दिसम्बर, 1985 के आदेशों का संबंध श्री मदन मोहन चतुर्वेदी मानचित्रकार के प्रकरण से है। ऐसी दशा में अधीक्षण अभियन्ता के दिनांक 18 दिसम्बर, 1986 के आदेशों के निरस्त किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

माननीय सदस्य के उल्लिखित पत्र प्राप्त हुए थे, परन्तु दिनांक 8 दिसम्बर, 1987 का पत्र उपलब्ध नहीं हो पा रहा है ।

अधीक्षण अभियन्ता 6वां वृत्त, सा0 नि0 वि0 ने उक्त पत्र पर अपनी आख्या मुख्य अभियन्ता (रा0 मा0) को प्रस्तुत कर दी है, जो उनके विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जालौन जिले के कालपी नगर स्थित औद्योगिक आस्थान के भूखण्डों की दरों में कमी करने की मांग

154--कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

क्या उद्योग मन्त्री जानकारी देने की कृपा करेंगे कि सरकार जालौन जिले के कालपी नगर स्थित औद्योगिक आस्थान के भूखण्डों की दरों में कमी करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उन्हीं परिस्थितियों में, उसी जालौन जिले में स्थित कोंच के औद्योगिक आस्थान के भूखण्डों की कीमत कम करने पर भी क्या सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती बेनी बाई--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

भूखण्डों का मूल्य अधिग्रहीत की गयी भूमि के मूल्य, उसके विकास तथा अवस्थापना आदि हेतु किये गये व्यय पर निर्भर करता है ।

गढ़वाल व कुमायूं मण्डलों में हाट मिक्स प्लान्ट से सड़कों को पक्का किया जाना

155--श्री सुरेन्द्र सिंह (गढ़वाल)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल व कुमायूं के किन-किन मण्डलों में हाट मिक्स प्लान्ट से सड़कों को पक्का किया जा रहा है ? कितनी-कितनी धनराशि प्रति जनपद इस कार्य के लिये दी जा रही है ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री हरदयाल श्रीवास्तव अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई कोष्ठ, जनपथ उ0 प्र0 शासन का स्थानान्तरण

156—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या मुख्य मन्त्री को जानकारी है कि श्री हर दयाल श्रीवास्तव, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई कोष्ठ, जनपथ उ0 प्र0 शासन से स्थानान्तरित हो कर रा0 मा0 खण्ड नं0 2 सा0 नि0 वि0 लखनऊ में तैनात किया गया है ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि सचिव, सिंचाई विभाग ने कब कार्यमुक्त किया ? क्या श्रीवास्तव इससे पूर्व भी रा0 मा0 खण्ड में ही तैनात थे ? यदि हां, तो पुनः रा0 मा खण्ड मे तैनात करने का क्या कारण है ? क्या रा0 मा0 खंड लखनऊ की 42 शिकायतों की जांच पूर्ण कर ली गयी ? यदि नहीं, तो किन-किन शिकायतों की जांच पूर्ण की गयी और 22 लाख रुपये की वसूली के लिए शासन ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्या शासन श्री श्रीवास्तव को अन्य मण्डल में स्थानान्तरित करके शासन को हुई हानि की वसूली करायेगी और लंबित शिकायतों की जांचे पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां।

श्री हर दयाल श्रीवास्तव, अधिशासी अभियन्ता को शासनादेश दिनांक 15 जुलाई, 1988 द्वारा अस्थायी राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लखनऊ में तैनात किया गया।

मुख्य प्राविधिक परीक्षक, सिंचाई विभाग द्वारा श्री श्रीवास्तव, को सिंचाई सचिव शाखा से सा0 नि0 वि0 में कार्यभार ग्रहण करने हेतु दिनांक 11 अगस्त, 1988 (अपराह्न) से कार्यमुक्त किया गया। सा0 नि0 वि0 में श्री श्रीवास्तव ने दिनांक 21 जुलाई, 1988 को ही कार्यभार ग्रहण कर लिया था।

श्री श्रीवास्तव दिनांक 5 दिसम्बर, 1980 से 18 जुलाई, 1984 तक राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लखनऊ में तैनात रहे थे।

कार्यहित में श्री श्रीवास्तव को अस्थाई राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लखनऊ में तैनात किया गया।

42 शिकायतों की जानकारी नहीं है। केवल 8 शिकायतें उपलब्ध हैं, जिनमें से 2 की जांच पूर्ण कर ली गयी है। 22 लाख की वसूली का मामला प्रकाश में नहीं आया। अब तक की जांच कार्यवाही से कोई हानि का मामला भी प्रकाश में नहीं आया है।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार नगर में "गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन लि0" के कार्यालय के कर्मचारियों के साप्ताहिक अवकाश के वेतन में कटौती

157—श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी—

क्या परिवहन मन्त्री को जानकारी है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार नगर में "गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन लि0" का मुख्यालय स्थापित है। इस मुख्यालय के ट्रैफिक ब्रांच में चेकिंग सेक्शन के 50 प्रतिशत लिपिकों का वेतन साप्ताहिक अवकाश

मिलने पर इस आशय से काट दिया था कि उस दिन दिवाली, दशहरा, भैया दूज एवं कार्तिक पूर्णिमा (वर्ष 1987) के पूर्व आये थे ? यदि हां, तो क्या सरकार इस 50 प्रतिशत श्रमिकों का साप्ताहिक अवकाश का वेतन जो कि वैधानिक है और हमेशा से मिलता रहा है, दिलाने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री सैयद सईदुल हसन—

प्राप्त सूचनानुसार गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन लि0 के कोटद्वार कार्यालय में ट्रैफिक ब्रांच में चेकिंग सेक्शन के लिपिकों का कोई वेतन साप्ताहिक अवकाश उपभोग करने के आधार पर नहीं काटा गया है ।

मथुरा जनपद की मांट तहसील में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना एवं सहायक उद्योग अधिकारी की नियुक्ति

158—श्री कुशलपाल सिंह—

क्या उद्योग मन्त्री को जानकारी है कि मथुरा जनपद की मांट तहसील में औद्योगिक क्षेत्र बनाने को स्वीकृत वर्ष 1986-87 में करने के उपरांत सहायक उद्योग अधिकारी की नियुक्ति मांट में कर दी गयी है ? यदि हां, तो औद्योगिक क्षेत्र के लिए मांट में जमीन कब तक आरक्षित कर उपलब्ध करा दी जायेगी ?

श्रीमती बेनी बाई—

मथुरा जनपद की मांट तहसील में वर्ष 1986-87 में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की स्वीकृति नहीं दी गयी थी अपितु वर्ष 1987-88 में तहसील मांट, जनपद मथुरा में एक मिनी औद्योगिक आस्थान की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गयी है । मिनी औद्योगिक आस्थान में सहायक उद्योग अधिकारी की नियुक्ति का कोई प्राविधान नहीं है ।

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित भूमि चयन कमेटी द्वारा स्थल चयन की कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद फैजाबाद में यू0 पी0 प्रोजेक्ट अकबरपुर में फैले भ्रष्टाचार के विषय में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

159—श्री इन्द्रमणि तिवारी—

क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में यू0 पी0 प्रोजेक्ट अकबरपुर में फैले भ्रष्टाचार के विषय में प्रश्नकर्ता का मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन को सम्बोधित-पत्र, दिनांक 28 अक्तूबर, 1988 मिल गया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक की कृत कार्यवाही का विवरण क्या है ?

श्रीमती बेनी बाई—

जी हां ।

जांच की जा रही है ।

हरदोई जिले में जीर्ण कंकाल रोड को बनाये जाने की मांग

160—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या नगर विकास मन्त्री हरदोई शहर के महत्वपूर्ण मार्ग न्यू सिविल लाइन में कंकाल रोड की जीर्ण स्थिति पर विचार करते हुए इसे डिस्कोल बनाये जाने की व्यवस्था करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बार रिजवी—

जी हां ।

हरदोई नगर में कमाल निरीक्षण भवन से हरदोई-सीतापुर मार्ग तक 1'5 कि0 मी0 लम्बाई में 8'60 लाख रुपये की लागत पर शहरी मार्गों की राइडिंग क्वालिटी का सुधार योजना के अन्तर्गत बी0 एम0 एस0 डी0 सी0 का कार्य 11/88 में स्वीकृत कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

161—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

[दिनांक 17 फरवरी, 1989 को अता0 प्र0 सं0 172 द्वारा उत्तरित ।]

झांसी जिले के समथर से सिकन्दरा सम्पर्क मार्ग एवं गरौठा से मसनेह सम्पर्क मार्ग को डामरीकृत किये जाने विषयक पत्र

162—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रश्नकर्ता का मुख्य मन्त्री को सम्बोधित झांसी जिले के समथर से सिकन्दरा सम्पर्क मार्ग एवं गरौठा से मसनेह सम्पर्क मार्ग जो वर्षों से पड़े हैं, डामरीकृत किये जाने विषय दिनांक 2 मई, 1988 के पत्र पर, मुख्य ने सचिव ग्राम विकास विभाग को उक्त सम्पर्क मार्ग डामरीकृत किये जाने के आदेश दिए थे ? यदि हां, तो क्या मुख्य मन्त्री के आदेशों का पालन किया जा रहा है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री अम्बार रिजवी—

जी हां ।

कार्य जिला सेक्टर योजना से सम्बन्धित है, जिसकी स्वीकृति जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन एवं धन की उपलब्धता पर निर्भर है । जिला अधिकारी झांसी को इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने के लिये लिखा जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

टिहरी-गढ़वाल जनपद में चम्बाघरासू मोटर मार्ग निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि का विवरण

163—श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी-गढ़वाल जनपद में चम्बाघरासू मोटर मार्ग के निर्माण करने हेतु कितनी धनराशि सा0 नि0 वि0 खंड चम्बा को दी गयी है ? यह मार्ग कितना किलोमीटर बना है ? क्या इस मार्ग के निर्माण में सिलसिलेवार एक तरफ या दोनों तरफ से निर्माण न करके जगह-जगह पर पहाड़ छोड़ा गया है और अपार धनराशि खर्च की गयी और अधिकांश मार्ग वर्षा से टूट-फूट कर नष्ट हो गया है ? यदि हां, तो विभाग ने दोषी अभियन्ताओं के खिलाफ क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त मार्ग के निर्माण में किसानों की भूमि का कटान व दखल का मुआवजा सभी को दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बार रिजवी—

1—प्रश्नगत चम्बा-घरासू मोटर मार्ग निर्माण हेतु निर्माण खंड, सा0 नि0 वि0 चम्बा को अब तक 584'81 लाख रु0 दिये गये हैं ।

प्रश्नगत मार्ग का चम्बा से प्रथम 10 किमी0 भाग लेपन स्तर तक तथा उससे आगे 9 किमी0 में सोलिंग स्तर तक कार्य पूर्ण है। उक्त 19 किमी0 मार्ग यातायात हेतु सुलभ है। मार्ग के शेष भाग में 28 किमी0 में पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण है।

उक्त मार्ग का निर्माण भूमि की उपलब्धता के अनुसार पूर्ण लम्बाई में दोनों ओर से प्रारम्भ किया गया है।

वर्षाकाल में मार्ग पर स्लिप आने से विभिन्न स्थलों पर मार्ग क्षतिग्रस्त हुआ है। प्रथम 19 किमी0 भाग में क्षतियों की मरम्मत करके यातायात चालू रखा जा रहा है। किमी0 20 से 25 तक मार्ग को यातायात हेतु उपलब्ध कराने का इस वर्ष लक्ष्य है जिनमें क्षतियों की मरम्मत की जा रही है। नये मार्गों पर पहाड़ कटान के बाद विशेष रूप से अधिक स्लिप आते हैं अतः मार्ग में जो टूट फूट है उसके लिये कोई भी अभियंता दोषी नहीं है। जी, नहीं। अब तक किसानों की भूमि के कटान व दबान का 24.20 लाख रु0 के मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है। मार्ग के संरेखन में परिवर्तन के फलस्वरूप उससे प्रभावित भूमि का प्रतिकर अभी नहीं दिया जा सका है।

जिला फैजाबाद में विकास खण्ड पूरा मया में स्थित भगवाकोट स्कीम योजना के निर्माण में घोटाले के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत

श्री उपाध्यक्ष—

आज नियम 301 के अन्तर्गत 17 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिनमें से 7 सूचनायें स्वीकार की गयी हैं जो कि निम्नलिखित हैं :—

1—श्री मित्रसेन,

2—श्री गोरी नाथ वर्मा,

3—श्री रघुवर दयाल वर्मा,

4—श्री राम आसरे वर्मा,

5—श्री अकबर हुसैन बाबर,

6—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी तथा

7—श्री सरजू प्रसाद सरोज।

इन सब सूचनाओं को पढ़ा हुआ माना जाय ?

श्री मित्रसेन—

[मान्यवर, फैजाबाद में विकास खण्ड पूरा मया में स्थित भगवाकोट स्कीम योजना के निर्माण में भारी घोटाला किया गया है बीसों कीलोमीटर लम्बे इस नाले के सही निर्माण न होने के कारण जहां एक तरफ जल निकासी में भारी अवरोध बना हुआ है। वहीं दूसरी ओर इतने लम्बे नाले पर पुल न निर्मित किये जाने के कारण लाखों लोगों को आवागमन में भारी कठिनाई बनी हुयी है। मांझा क्षेत्र के रामपुर, पुआरी, काजीपुर, मांझा, मूडाडीहा, मांझा, क्षेत्र से लाखों कुन्टल गन्ने तथा फसल की ढुलाई में भारी कठिनाई जनता को उठानी पड़ रही है। भगवाकोट स्कीम योजना के निर्माण में स्वीकृत धनराशि के आधार पर पुलों के न निर्माण कर लाखों रुपये का घोटाला किया गया। जिससे जनता में आक्रोश व्याप्त है।

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उक्त परियोजना के निर्माण में निर्माण कार्य सही ढंग से सम्पादन न किये जाने के कारण जल निकासी तथा आवागमन में भारी व्यवधान एवं कठिनाई बनी हुई है जिसमें लाखों रुपये का घोटाला किया गया है।

[अतः आपके माध्यम से शासन से मांग है कि इस लोक महत्व के प्रश्न पर जांच करायी जाय।]

जनपद फैजाबाद में अयोध्या में संस्कृत विश्वविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गोपीनाथ वर्मा—

[मान्यवर, पूरे फैजाबाद मण्डल में संस्कृत विश्वविद्यालय न होने से संस्कृत के विद्यार्थियों को बेहद कठिनाई होने सहित अयोध्या नगरी और फैजाबाद मण्डल के संस्कृत प्रेमियों में बेहद निराशा व्याप्त है।

अयोध्या में 10 डिग्री कालेज, 21 पाठशालायें, सुल्तानपुर में 20, प्रतापगढ़ में 33, गोण्डा में 20, बहराइच में 9, बाराबंकी में 6 विद्यालयों को वर्ष 1986–87 में 80 लाख रुपये सरकारी सहायता दी गयी है जबकि अयोध्या के तीन महाविद्यालयों को सहायता लेते ही नहीं। अयोध्या में गुरुकुल महाविद्यालय है जिसमें 20 एकड़ भूमि उपलब्ध है और विश्वविद्यालय स्थापना हेतु मुफ्त भूमि को देने का प्रस्ताव गुरुकुल महाविद्यालय कर चुका है तथा उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग को लेकर साकेत महाविद्यालय के अध्यक्ष महन्त चन्द्र प्रकाश त्रिपाठी तथा छात्र नेता राम नाथ वर्मा एवं टी0 एन0 डिग्री कालेज, टांडा के अध्यक्ष हीरा लाल यादव के नेतृत्व में हजारों छात्रों का एक प्रतिनिधि मण्डल मुख्य मंत्री से मिलकर 19 जनवरी, 1989 व 23 दिसम्बर, 1988 को जिलाधिकारी, फैजाबाद को एक ज्ञापन दिया जा चुका है। यही नहीं फैजाबाद के समस्त विद्यालयों के छात्रों द्वारा उक्त मांग को लेकर अनिश्चित कालीन हड़ताल कर विद्यालय बन्द कराकर माह मार्च के जेल भरो आन्दोलन शुरू करने जा रहे हैं जिसके कारण जनपद की शिक्षण व्यवस्था बेहद प्रभावित हो जायेगी। जिससे स्थिति विस्फोटक हो सकती है।

अयोध्या जैसी पावन नगरी में संस्कृत विश्वविद्यालय खुल जाने से पूरे फैजाबाद मण्डल के संस्कृत विद्यार्थियों की कठिनाई दूर की जा सकती है। संस्कृत भाषा प्रेमियों में व्याप्त निराशा को दूर किया जा सकता है और संस्कृत भाषा को आदर देकर जनमानस के आन्दोलनात्मक भावों को दबाया जा सकता है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए सरकार से मांग करता हूं कि जनपद फैजाबाद में संस्कृत वि0 वि0 की स्थापना कराने की तत्काल व्यवस्था करें।]

राजकीय श्रम हितकारी केन्द्रों पर नियुक्त उपचारक तथा अन्य कर्मचारियों को पेन्शन, ग्रेच्युटी, फण्ड आदि की सुविधाएं दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

[मान्यवर, आपसे अनुरोध है कि राजकीय श्रम हितकारी केन्द्रों और इनमें सेवारत उपचारक तथा अन्य कर्मचारी जो चतुर्थ श्रेणी के हैं जो वर्ष 1986 से सेवारत हैं, उन्हें अभी तक पेन्शन, ग्रेच्युटी, फण्ड आदि की सुविधायें प्राप्त नहीं हो सकी हैं जिसके कारण प्रदेश भर के राजकीय श्रम हितकारी केन्द्रों के सेवानिवृत्त उपचारक और कर्मचारी गण

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मरने की स्थिति में पहुंच गये हैं। सर्वाधिक खेद का विषय है कि प्रदेश सरकार की स्पष्ट घोषणाओं के बाद कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन आदि की सुविधा तत्काल उपलब्ध की जायेगी थोथी और असत्य साबित हुई। इसी सन्दर्भ में श्री राम आधार, उपचारक, राजकीय श्रम हितकारी केन्द्र, श्रमिक बस्ती, फिरोजाबाद तथा अन्य ऐसे ही सैकड़ों लोग फाकेकशी कर अपनी जीवन लीला समाप्त करने पर तुले हैं।

ऐसी स्थिति में मैं मांग करता हूं कि सरकार सेवा निवृत्त कर्मचारियों को पेंशन, फण्ड, ग्रेच्युटी आदि तुरन्त दिलावें और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही कर उन्हें भुखमरी से बचावें।]

जनपद हरदोई के कस्बा मल्लावां एवं कुरसठ को स्थापना अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम आसरे वर्मा—

[मान्यवर, जनपद हरदोई में मल्लावां कस्बों को नगर पालिका तथा कुरसठ को टाउन एरिया घोषित किया गया है। इन दोनों कस्बों की शीर्ण स्थिति ठीक करने एवं इनके कार्यालयों के समुचित संचालन हेतु स्थापना अनुदान नहीं दिया गया है।

सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए स्थापना अनुदान दिये जाने की मांग करता हूं।]

जिला फैजाबाद की तहसील अकबरपुर के ग्राम सुलहन तारा में मजदूरों की भूमि तथा पाठशाला आदि की भूमि पर अवैध कब्जा के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अकबर हुसैन बाबर—

[मान्यवर, ग्राम सुलहनतारा, तहसील अकबरपुर, जनपद फैजाबाद के लगभग 50 घर खेत मजदूरों और दलित वर्ग के लोगों का घर से निकलने का रास्ता, पुलिस और तहसील के अधिकारियों के सहयोग से बड़े लोगों ने बन्द कर दिया है। भूमि नम्बर 158, 18 बिसवा प्राइमरी पाठशाला की भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया, चकरोड रास्ते घोर गड्ढा आवंटित भूमि पर खलिहान बचत की जमीन नाली आदि पर अवैध कब्जा कर लिया है।

हवबन्दी से बचने के लिए श्री उदयराज की भूमि पर उनके जीवन में ही उनके लड़कों को वारिस बनाकर अधिकांश भूमि उनके लड़कों के नाम कर दी गयी है। मजदूरों के जानवर बाहर निकलने नहीं पा रहे हैं। शादी विवाह गांव के बाहर हो रही है। स्थिति विस्फोटक हो गयी है।

मैं पूरे प्रकरण को सदन के संज्ञान में लाते हुए माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा से शासन से उच्चस्तरीय जांच नियुक्त कर अवैध कब्जा करने वालों तथा दोषी तहसील अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने की मांग करता हूं।]

मेसर्स फर्टिलाइजर्स, फर्रुखाबाद द्वारा फैलने वाले प्रदूषण को दूर करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

[मान्यवर, फर्रुखाबाद स्थित मेसर्स फर्टिलाइजर्स नामक खाद कारखाने से निकलने वाले धुआं, जहरीली गैस और रसायनयुक्त जल निकासी से सम्पूर्ण क्षेत्र का पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और आस-पास के क्षेत्र के निवासियों के स्वास्थ्य को जहां खतरा

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उत्पन्न हो रहा है वहीं जानवरों व आम आदि के पेड़ों पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। कारखाना के मालिकों की ओर से पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिये कोई उपकरण नहीं लगाये गये हैं और न उसकी व्यवस्था ही की गई है किन्तु फिर भी न जाने कैसे उक्त कारखाना चलने दिया जा रहा है। कारखाने का जो विषाक्त जल बगैर नाला होता हुआ काली नदी में गिरता है उससे काली नदी भी प्रदूषित होती जा रही है और आस-पास के अनेक पशु जानवरी तथा कछवरी में प्रदूषित जल पीने से मर गये हैं। इस सिलसिले में 20 फरवरी को कर्रलाबाद के नागरिकों ने एक सभा आयोजित कर उक्त खाद कारखाने में प्रदूषण दूर कराने का उपकरण लगाये जाने और ऐसा न करने पर उक्त कारखाना बन्द कराये जाने की मांग की है।

अतः इस लोकमहत्व के प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट करने और वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जिला गाजीपुर के कासिमाबाद ब्लाक में उच्चतर माध्यमिक बालिका विद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सरयू प्रसाद "सरोज"—

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान जनहित में अविलम्बनीय लोकमहत्व की ओर जनपद गाजीपुर के कासिमाबाद में बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलने हेतु आकृष्ट करना चाहता हूं। यह स्थान उस क्षेत्र का मुख्य केन्द्र है जहां पर कई हजार बालिकायें छात्रों के विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आती हैं। यहां के अभिभावक अपनी बालिकाओं को कक्षा 8 के बाद शिक्षा देने में असमर्थ हैं, क्योंकि अपनी बालिकाओं को दूर के कालेज में भेजना उनके सामर्थ्य के बाहर है। इस क्षेत्र के करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर लड़कियों का विद्यालय है इसलिए कई हजार छात्रायें कक्षा 8 के बाद हाईस्कूल तक नहीं पढ़ पाती हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप सरकार को निर्देशित कर शीघ्र इसी वित्तीय वर्ष में कासिमाबाद में बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलवाने का कष्ट करें, ताकि यहां की हजारों छात्राओं का भविष्य उज्ज्वल हो सके।]

औचित्य के प्रश्नों की सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 300 के अन्तर्गत भी 7 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जो कि इस प्रकार हैं :—

(1) श्री अकबर अहमद (डम्पी)
(2) श्री देवेन्द्र कुमार सिंह
(3) श्री बनराज यादव और श्री सूर्य प्रताप शाही
(4) श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त और श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी
(5) श्री राम अंसरे वर्मा
(6) श्री हृदय नारायन दीक्षित तथा श्री हरीशंकर तिवारी
(7) श्री सूर्य प्रताप शाही।

(श्री अकबर अहमद डम्पी के खड़े होने पर)

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री उपाध्यक्ष—

डम्पी साहेब, यह था कि कल आप बोल रहे थे, हम बात को समझ नहीं पाये। आप कलाई मिल के बारे में कहना चाह रहे थे, जहां तक मैं समझ रहा हूं क्यों ?

पशु विकास, पशुधन एवं मत्स्य मंत्री (श्री अरुण कुमार सिंह)—

इनका नाम अकबर अहमद है, क्या डम्पी, डम्पी कह रहे हैं ?

श्री नरेन्द्र देव—

जैसे अरुण सिंह "मुन्ना" का नाम मुन्ना है, ऐसे ही इनका नाम डम्पी है। इन्होंने अपने नाम में डम्पी लिख रखा है।

*श्री अकबर अहमद (डम्पी)—

मान्यवर, मेरे खड़े होने पर पता नहीं सत्ता दल के लोगों को क्यों परेशानी होती है, जैसे ही मेरा नाम आता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सूत मिल में जो इतनी बड़ी घटना घटी वह माननीय नारायण दत्त तिवारी के क्षेत्र में वह क्षेत्र आता है और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी वहीं से चुनाव लड़े और जो नतीजा हुआ, वह आप भी जानते हैं। माननीय नारायण दत्त तिवारी जी भी जानते हैं और माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी भी जानते हैं और इतने बड़े जिम्मेदारी के पद पर बैठे हुए हैं। मेरा निवेदन है कि इतनी बड़ी घटना वहां पर घटी, उस पर न वक्तव्य में कोई सवाल पूछा गया और न इस पर कोई चर्चा ही रखी गयी और न इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मन्त्री जी का कोई ध्यान ही आया था।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय डम्पी साहब, आप पहले मेरी बात को सुन लें, लिये कि यहां पर सारा कार्य विधि-विधान से ही चलेगा। मद संख्या 13 को मैंने पुकारा ही नहीं था।

*श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, इसमें मेरी भी सूचना है।

श्री उपाध्यक्ष—

आपकी भी है, माननीय गुप्ता जी की भी है। मैंने तो कल मद संख्या 13 को पुकारा ही नहीं था।

श्री जयदीप सिंह बरार—

चूंकि मामला यह इतना संवेदनशील है और माननीय मुख्य मन्त्री जी का जहां का जीवन है, मेरी भावना यह थी कि कुछ लोग वहां नफरत फैला करके माननीय मुख्य मन्त्री जी को बदनाम करना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में, मैं आपसे व्यवस्था चाह रहा था। हम इस पर आपत्ति नहीं कर रहे थे कि आपने मद संख्या 13 पहले क्यों नहीं ली ? यह ठीक है कि लेखानुदान प्रस्तुत करने का समय 5 बजे का था और वह समय से प्रस्तुत हो जाता। मैं तो यह चाह रहा था कि जब आप मद संख्या 13 को लें तो उस समय भी माननीय मुख्य मन्त्री जी यहां पर रहें क्योंकि उनको यहां बदनाम करने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की साजिश चल रही है। उस क्षेत्र में ऐसा घटनाक्रम बनाया जा रहा है। जब माननीय डम्पी जी आपसे निवेदन कर रहे थे तो वे यही कह रहे थे कि अब वे इस पर बोलें जो माननीय मुख्य मन्त्री जी सदन में उपस्थित रहें।

श्री उपाध्यक्ष—

वो तो बैठे ही हुए थे।

श्री जयदीप सिंह बरार—

वे तो बैठे रहे, लेकिन आपने देखा होगा कि जानबूझ कर सत्ता पक्ष के विधायक खड़े होकर यहां अव्यवस्था पैदा कर रहे थे।

(शोर)

मान्यवर, अब भी अव्यवस्था फैलाने का काम हो रहा है। हम इस समय आपकी अनुमति से बोल रहे हैं, यह कुछ माननीय सदस्य अव्यवस्था फैला रहे हैं, वही षडयन्त्र मान्यवर कल वाला फिर आज काम कर रहा है। यह मान्यवर किसी नेता के इशारे पर फिर व्यवधान पैदा करने का काम हो रहा है और यही स्थिति कल भी पैदा की गयी थी ताकि माननीय मुख्य मन्त्री जी यहां मौजूद न रहें इसलिए आज आपका ध्यान आकृष्ट करना चाह रहा हूं कि आप ऐसे लोगों को निर्देश दें।

श्री उपाध्यक्ष—

बरार साहब आप यही चाह रहे हैं कि मद संख्या 13 व 14 आगे ले लिए जाएं, वह आगे की किसी तारीख में ले लिये जायेंगे।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर कल जो लेखानुदान प्रस्तुत करने का समय था उस समय वह प्रस्तुत नहीं हो पाया और न ही उसकी प्रतियां भी बंट पायीं।

श्री उपाध्यक्ष—

लेखानुदान तो प्रस्तुत हो गया था और प्रतियां भी वितरित हो गयीं थीं, वह सारा प्रासेस तो पूरा हो गया आप कल उत्तेजित बहुत थे, शायद इस लिए सुन नहीं सके और देख नहीं सके।

श्री जयदीप सिंह बरार—

नहीं मान्यवर लेखानुदान विधिवत प्रस्तुत नहीं हो सका, इसलिए पुनः प्रस्तुत किया जाना चाहिए, आपके सदन स्थगन कर देने के बाद तक माननीय सदस्य व कुछ माननीय मंत्रीगण सदन में उपस्थित रहे, उन सभी लोगों ने इस बात को महसूस किया है। इसलिए मान्यवर इसे विधिवत ढंग से प्रस्तुत करना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आसन महसूस करे वह बात आपके 13 व 14 मद लिए गये हैं कि सुविधा मिलने पर फिर रख लिये जायेंगे।

श्री अकबर मुहम्मद (डम्पी)—

इन मदों को फिक्स करने की डेट क्या बता दीजिए ?

श्री उपाध्यक्ष--

डेट बाद में बतायेंगे ।

श्री अकबर अहमद (डम्पी)--

मान्यवर बहुत महत्वपूर्ण मामला है कई परिवार इससे प्रभावित हैं ।

(व्यवधान)

*श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर जैसे कि माननीय सदस्य का कहना है कि समय बता दीजिए क्योंकि कई परिवारों का बहुत गम्भीर मामला है ।

श्री उपाध्यक्ष--

एजेंडा देखकर समय निश्चित कर देंगे और बता देंगे ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता--

मान्यवर नियम 300 के अन्तर्गत जैसा कि माननीय अकबर अहमद साहब ने व माननीय बरार साहब ने घटनाओं का विवरण देते हुए कहा है । इसी पर मान्यवर हमने भी पूरा विवरण लिखकर दिया है । वैसे मान्यवर कल सदन की कार्यवाही विधिवत चल रही थी, लेखानुदान प्रस्तुत करने की वजह से यह मद आए नहीं, इस पर जब कुछ माननीय सदस्य खड़े हो गये तो आपने आज 11.00 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया, इस वजह से हमारी सूचना जो मद 12 पर है, वह आ नहीं सकी । यह मामला भी मान्यवर बहुत महत्वपूर्ण मामला है गोरखपुर के वकीलों का, इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि अब जब भी आप मद 13 व 14 लगाएं तो साथ में 12 को भी लगा दें । इस तरह से अब 12, 13, व 14 हो गए । जो आपको दुबारा लेने चाहिए । आप कहेंगे कि इसे कार्य-मंत्रणा समिति में लाए बगैर निर्णय नहीं हो सकेगा । तो मान्यवर उसमें विचार करके ही ले आइए यह मामला भी उतना ही अविलम्बनीय लोक महत्व का है जितना कि माननीय अकबर अहमद का जनपद मुरादाबाद के असपुर स्थित स्पिनिंग मिल और दूसरा वाराणसी में राष्ट्रीय राजमार्ग के अवरुद्ध होने का है, ठीक इसी प्रकार से गोरखपुर में वकीलों द्वारा न्यायालयों के बहिष्कार के फलस्वरूप जो स्थिति उत्पन्न है, वह भी मान्यवर बहुत गम्भीर है, इसलिए इसे भी मान्यवर दुबारा लिया जाए ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

कल कौन सी परिस्थिति पैदा हो गयी, इतना महत्वपूर्ण विषय था । चूंकि आपने कहा कि इसको बाद में ले लेंगे । लेकिन ऐसा मालूम पड़ता था कि मुख्य मंत्री की उपस्थिति में सत्तापक्ष के सदस्य यह नहीं चाहते थे कि डम्पी और बरार साहब उस गम्भीर घटना के बारे में प्रश्न करें और मुख्य मंत्री जी खड़े होकर उन प्रश्नों का जवाब दें । इसलिये वह परिस्थिति पैदा कर दी गयी और उसके कारण कल चर्चा नहीं हो सकी और आपने कह दिया कल 11.00 बजे मिलेंगे । आज जब एजेन्डा आया तो मैं समझता था कि यह विषय इसमें सम्मिलित होगा ।

(व्यवधान)

---

*प्रेसों में भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष—

मद संख्या 12 पर 20 मिनट की चर्चा हो गयी है ।

(व्यवधान)

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

कितने श्रमिक मारे गये और कितने घायल हुये हैं, श्री आर० डी० शर्मा द्वारा कितनी लूट मची हुयी है । मैं समझता था कि यह आज एजेन्डा का विषय बनेगा लेकिन नहीं आया । यह व्यवगत नहीं हुआ है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

मद संख्या 13 और 14 को ले रहा हूं ।

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, मैं तो कल सदन में हाजिर नहीं था लेकिन माननीय सदस्यों द्वारा और माननीय गुप्ता जी द्वारा माननीय अकबर अहमद जी द्वारा जो बताया गया है उससे ऐसा लगता है कि आपने जरूर कहा है कि बाद में ले लेंगे । अब स्थिति यह हो जाती है कि उसकी वजह से कौन सा अवरोध आ गया है जिसकी वजह से इतने गम्भीर मामले को बचाया जा रहा है ? हमारे लिये और सदन के लिये और प्रदेश की जनता के लिये यह उचित नहीं होगा । यह कोई साधारण मामला नहीं है, बड़ा गम्भीर मामला है । गोरखपुर के वकीलों की घटना हो चाहे जसपुर में जो लोग मारे गये हैं उनका मामला हो, अगर नियमों की बात है तो नियम इन्सान की सुरक्षा के लिये और उसकी भलाई के लिये बनाये जाते हैं और इन्सान नियमों के लिये नहीं बनाया जाता है । अगर नियम बाधक हैं तो आप विचार कर लें और विचार करके इतने गम्भीर मामले पर चर्चा करा देना चाहिये । इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिये । श्री आर० डी० शर्मा के बारे में विपक्ष के लोग एक बात कह रहे हैं । और उनके विरुद्ध गम्भीर आरोप हैं तो वहां पर गम्भीर स्थिति पैदा हो गयी है । जांच कराने की बात है, तो आप उसे करायें । अगर आप इसकी गम्भीरता पर विचार करके चर्चा नहीं करायेंगे, जांच नहीं करायेंगे तो, मामला और भी गम्भीर हो जायेगा । पूरब और पश्चिम का झगड़ा नहीं है जो लोग दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिये । उस पर पर्दा डालना एक साजिश है । आपको इस पर चर्चा स्वीकार करनी चाहिये । 10 हजार रुपये एक आदमी की मृत्यु पर मुआवजा के रूप में दिया गया है । अगर जान का मुआवजा दिया गया है तो एक लाख रुपया मुआवजा मिलना चाहिये । इस काण्ड में जो लोग मारे गये हैं । अगर नियम आड़े आते हैं तो आप विचार कर लें और इस पर चर्चा करा दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

मद संख्या 13 और 14 दोनों को मान लिया है । मद संख्या 12 के बारे में केवल वक्तव्य था, 20 मिनट चलवा दिया । केवल वक्तव्य पर सवाल तो नहीं होते ।

(व्यवधान के मध्य)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, माननीय सदस्यों की इच्छाओं का समादर करते हुये आपने कहा कि लेखानुदान के बाद इसे जारी रखें । मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि यदि 10-5

मिनट इस मामले पर और चर्चा हो जाती तो बहुत अच्छी बात थी क्योंकि यह बहुत ही महत्व का सवाल था। मान्यवर, क्योंकि जिनकी सूचना थी उनको भी बोलने का मौका नहीं मिला था। सोमवार को आप आइटम संख्या 13/14 ले ही रहे हैं आइटम 12 के लिये भी थोड़ा समय दे दें।

श्री जगदीप सिंह बरार—

मान्यवर, जैसा कि माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने कहा, वही बात मैं भी कहना चाहता हूं कि सोमवार को जरूर इसे भी आप ले लें।

श्री उपाध्यक्ष—

देखता हूं। जल्दी करा देंगे।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, आपने आश्वासन भी दिया था कि इसको ले लिया जायेगा। तो जब आपने आश्वासन दिया है तो इसको लेने में क्या कठिनाई है। 12, 13 और 14 तीनों को ले लें। इसमें कोई व्यावहारिक कठिनाई नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

मंत्रि जी, इसमें आपका एक-आध सवाल ही रह गया होगा, यह हो सकता था। 13, 14 वाले को ही हम लेंगे.... ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

जितना समय मना करने में लगा रहे हैं, उतने में तो काम हो जाता।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने 13, 14 की आपकी बात मान ली। एक बात मेरी भी मान लें।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता—

12 की मेरी बात भी मान लें।

श्री उपाध्यक्ष—

आप तो आधी भी नहीं मान रहे हैं.... ।

(व्यवधान)

ठीक है। इस पर विचार कर लेंगे।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

सोमवार को गोरखपुर वाले विषय पर एक घन्टे की चर्चा लगी हुई है। उसी वक्त इसे भी रख लें।

श्री उपाध्यक्ष—

27 तारीख को एक घन्टे की चर्चा इस पर लगी हुई है उसी में इसको भी करा देंगे।

श्री राम शरण दास—

कल दोनों तरफ से आप ही बोल रहे थे कि ले भी लेंगे और नहीं भी लेंगे। हम तो चुप बैठे हुये थे।

श्री देवेन्द्र कुमार सिंह—

मान्यवर, यह जो सरकार है और उसके जो अधिकारी हैं उनका जनता के प्रति कैसा व्यवहार है वह सब को अवगत है। हम विधायकों के प्रति जब हम जनता की समस्याओं को लेकर अधिकारियों के सामने जाते हैं तो वे किस तरह से व्यवहार करते हैं यह मैं आपको बतलाना चाहता हूं। मान्यवर, अभी पिछली 16 तारीख को मेरे निवास स्थान पर मेरे क्षेत्र में एक जैन तीर्थ मेला लगा हुआ था जिसका मैं संरक्षक था। वह मेला 16 तारीख को समाप्ति पर था, ललितपुर जनपद के बाट तथा माप निरीक्षक उस मेले में आये। मेले में दुकान लगी हुई थी जो परमानेन्ट दुकानें नहीं थीं। वे उन दुकानों का निरीक्षण करने लगे और दुकानदारों के बाट आदि देखने लगे। ठीक है, यह उनका काम था वे कर रहे थे। अगर कोई नाजायज था तो उससे बाट को लेकर उसका चालान कर देते। लेकिन उन्होंने चालान न करके एक-एक आदमी से सौ-सौ, दो दो सौ और तीन-तीन सौ रुपये मांगना शुरू किया। मैं भी उस समय मेले में था। जब दूकानदारों को यह मालूम हुआ कि मैं भी वहां पर हूं तो कुछ लोग मेरे पास आये और कहने लगे कि वे इस तरह से पैसा ले रहे हैं। उन्होंने जब उनसे जा कर यह कहा कि हम विधायक जी को बुलाकर लायें और जैसे ही उन्होंने यह समझा कि विधायक जी यहां पर हैं तो उन्होंने तुरन्त 6/7 आदमियों का चालान कर दिया और पैसा मांगना बन्द कर दिया और गांव की तरफ आ गये। उनके साथ रीजिनल मार्केटिंग अफसर भी आये हुये थे जो गांव के बैरियर के पास रुके हुये थे। मैं बाट माप अधिकारी के पास गया और मैंने कहा कि आज मेले का आखिरी दिन था दुकानें व्यवस्थित नहीं लगी हुई थीं और आपने इस तरह से चालान कर दिया। ठीक है आपने चालान कर दिया लेकिन आप वह बाट दिखाने की कृपा करें जो आपने जब्त किये हैं। जैसे ही उनके सहयोगी जो बाट लिये हुये थे मैंने देखने चाहे अधिकारी ने आगे आकर मेरा गिरेबान पकड़ लिया और मुझसे कहने लगे कि आप कौन होते हैं? शायद उनको मेरा परिचय नहीं था तो मैंने परिचय दिया मेरा नाम देवेन्द्र कुमार सिंह है और मैं विधायक हूं और इस मेले क्षेत्र का संरक्षक हूं। उसके पश्चात् भी अनाप-सनाप बकते रहे और गाली देते रहे। मैं सिर्फ उनके बाटों को देखना चाहता था इसलिये वहां गया था लेकिन एकदम ही उन्होंने मेरा गिरेबान पकड़ लिया जब मेरे सुरक्षा गार्ड ने उनको पकड़ कर अलग किया तो उसके पश्चात् मैं पुलिस चौकी गया और उनके विरुद्ध एफ0 आई0 आर0 लाज की। यह मामला आर0 एस0 ओ0 के पास गया तो उन्होंने इन 6 दुकानदारों से 10-10 रु0 लेकर सबमिट कर दिया और उसकी रसीद भी व्यापारियों को नहीं दी। मेरे साथ जो अभद्र व्यवहार हुआ उससे मुझे मानसिक क्लेश पहुंचा। मैं आपसे इस पर व्यवस्था चाहता हूं कि आगे भी इस तरह की घटनायें होंगी तो हम किस प्रकार जनता की सेवा कर पायेंगे और अधिकारियों से किस तरह जनता की बात कह पायेंगे? अगर इस तरह से विधायकों की बेइज्जती होती रही तो आगे चल कर कोई साहस नहीं कर पायेगा कि वह जनता की सेवा में कार्य करेगा।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, यह गम्भीर प्रश्न है अकेले इनके साथ दुर्व्यवहार की बात नहीं है यह एक तरह से सिलसिला चल रहा है इसके परिणाम आगे चल कर अच्छे नहीं होंगे।

*खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, मुझे खेद है कि माननीय देवेन्द्र कुमार सिंह जी की भावना को ठेस पहुंची है और उनके साथ किसी अधिकारी ने दुर्व्यवहार किया। थोड़ी तकलीफ इस बात की भी है कि माननीय देवेन्द्र कुमार सिंह जी को मैं बहुत दिनों से जानता हूं, उनके क्षेत्र और जनपद में भी मैं गया हूं। मैं आश्वस्त करता हूं माननीय सदस्य को माननीय सदन के कोरम की आवश्यकता ही नहीं वे मेरी जानकारी में लक्ष्य को ला देते तो अभी तक कार्यवाही हो गयी होती। मैं माननीय सदस्य से स्वयं संपर्क भी करूंगा और सारी जानकारी करूंगा और जो भी कार्यवाही आपको संतोषजनक लगे उसके अनुरूप कार्यवाही की जायेगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय देवेन्द्र कुमार सिंह जी ने जो विषय यहां रखा है उसमें मैंने जानबूझ कर किसी तरह से बीच में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा। माननीय मंत्री जी को बात को ध्यान से सुना और जिस स्वभाव के वह व्यक्ति हैं वह विधायकों का सम्मान करते हैं। मैं अपेक्षा करता था कि वह तत्काल कोई घोषणा करेंगे जिससे हमारा समाधान होगा। लेकिन उनके वाक्य सुनकर निराशा हुई और उन्होंने कहा कि माननीय सदस्य मुझसे मिल लिये होते। यह नहीं मिले यह गलती हुई लेकिन सूचना तो कल 10 बजे दे दी थी आज करीब-करीब 26 घंटे हो गये इन 26 घंटों में क्या कार्यवाही हुई उसमें अपनी सहृदयता का परिचय दिये होते क्या उन्होंने सचिवालय की बैठक की उसकी घोषणा सदन में करते कि उस अधिकारी को निलम्बित कर दिया गया है या फलां तरह से दंडित कर दिया गया है या उसे हटा दिया गया है जिसने इस दुष्कर्म का परिचय दिया है और उसके लिये यहां खेद प्रकाशित करते। खेद भी प्रकाशित नहीं किया। उस कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की है इसका परिणाम है कि आज नौकर शाही अनियमित हो गयी है। आज वस्तुस्थिति क्या है कि विधायकों के साथ दुर्व्यवहार होता है और अधिकारी भ्रष्टाचार में लगे हुये हैं और उस पर कोई आपत्ति करता है तो कहते हैं कि यह गलत काम कर रहे हों इस तरह से तहबाजारी वसूल कर रहे हो तो माननीय विधायक के साथ यह व्यवहार होता है। विधायक अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि होता है अगर वह प्रतिनिधि होने के नाते अधिकारी को टोके तो उसका गरेबान पकड़ ले। माननीय देवेन्द्र कुमार सिंह जी ने बड़े संयम से काम लिया इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया अगर यह अपनी जनशक्ति का उपयोग करते उनके पीछे कितनी जनशक्ति रहती है अगर उसका उपयोग करते तो उस कर्मचारी की बोटी-बोटी नहीं मिलती। शासन ने जिस हलकेपन से इसे लिया है उससे मुझे पीड़ा हुई है। मैं चाहता हूं कि तत्काल उस कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही करने की घोषणा करें।

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, मेरा पहला वाक्य है कि इस बात की मुझे स्वयं तकलीफ है कि आपके साथ इस तरह का व्यवहार हुआ। जब यह सूचना कल मुझे मिली तो मैं स्वयं सदन में आया उनसे सम्पर्क करना चाहता था लेकिन वह सदन में नहीं थे। मैं इस उम्मीद से आया था कि कल ही इस पर विचार किया जायेगा आप नहीं थे आपको तलाश करवाया लेकिन आप नहीं मिले। मैं स्वयं ललितपुर के सम्बन्धित अधिकारियों से सम्पर्क करने का प्रयास किया और हमारे विभाग के अधिकारी उपलब्ध नहीं हो सके। डी0 आई0 जी0 और जिलाधिकारी से सम्पर्क किया और न जाने किस कारण से दोनों ही इस घटना से अनभिज्ञ थे। यदि माननीय सदस्य से कल सम्पर्क हो गया होता और कार्यवाही

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तब नहीं होती जो आपने कहा स्वीकार कर लेते । इसलिये स्वयं में सम्पर्क माननीय सदस्य से करके सारे तथ्यों की जानकारी करके जिससे उनको संतोष होगा वही कार्यवाही की जायेगी ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, माननीय सदस्य श्री देवेन्द्र कुमार सिंह ने सारे तथ्य सदन के सामने रख दिये तो जो निर्णय करें उसकी घोषणा कर दें।

श्री उपाध्यक्ष—

मंत्री जी को जानकारी नहीं है तो घोषणा क्या करेंगे ?

श्री बाबू राम यादव—

मान्यवर, अब स्थिति गम्भीर है उधर के कई माननीय सदस्य पीटे जा चुके हैं लेकिन उधर यह आफत रही तो कोई कठिनाई नहीं रही किन्तु अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उधर की बीमारी इधर आ गयी है इसलिये इसको गम्भीरता से लें और आप सरकार को निर्देश दें कि इतने भ्रष्ट और बेईमान अधिकारी के खिलाफ जो कार्यवाही करना हो उसकी घोषणा आज ही करें ।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, यदि वह अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त न होता और सरकार का संरक्षण उसे प्राप्त न होता तो ऐसे दुर्भाग्य और चर्चा की स्थिति यहां न आती और उसे सरकार का संरक्षण प्राप्त है जिससे मंत्री जी स्पष्ट रूप से कार्यवाही करने का निर्देश नहीं दे रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

मंत्री जी को जानकारी नहीं है तो क्या घोषणा कर दें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं चाहता हूं कि मामला शांति से निपट जाये चूंकि माननीय सदस्य को असंतोष और उत्तेजना है । हमारे दल की मीटिंग भी हुई थी, प्रति पक्ष के और भी माननीय सदस्यों से बात हुई, सभी दुखी हैं । हम मंत्री की बात मान भी लेते हैं कि उन्होंने सम्पर्क करने का प्रयास किया लेकिन नहीं हुआ । इसलिये मैं जानना चाहता हूं आज सदन उठने से पहले सरकार की तरफ से, जो सम्पर्क करना हो वह कर लें, अंतिम निर्णय क्या लिया उस भ्रष्ट कर्मचारी के खिलाफ जिसने माननीय सदस्य के साथ अभद्र व्यवहार किया ? यह हम सब के लिये लज्जा की बात है । इसलिये मान्यवर, आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप शासन को निर्देश दें कि सदन उठने से पहले की गयी कार्यवाही से सदन को अवगत करायें ?

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, इस प्रकरण में मुझे जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है सदन के सम्मानित सदस्य जो बात कह रहे हैं हमारे लिये उतना ही पर्याप्त है । दूसरी बात जानकारी करने के सम्बन्ध में कल के लिये कहा था आज के लिये नहीं और यदि माननीय सदस्य कल ही मिल गये होते तो जानकारी नहीं करता । हमने स्वयं कहा है कि सम्मानित सदस्य से सम्पर्क करेंगे और उनकी संतुष्टि के अनुसार कार्यवाही करेंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, यह पूरे सदन की अवमानना का सवाल है, इसलिये सदन की कार्यवाही समाप्त होने से पहले शासन का निर्णय हम लोग जाना चाहते हैं । आपने मंत्री जी का

संकेत दिया, मंत्री जी खड़े हुए, लेकिन फिर वही बात कही गयी। यानी पर नाला वही गिरेगा बात वही हुई कि हम सम्पर्क कर लेंगे, हम निर्णय कर लेंगे तो आज सदन की कार्यवाही समाप्त होने के पहले शासन की ओर से उनका निर्णय आ जाने में बाधा क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष—

सम्पर्क इनका नहीं हुआ तो यह क्या करें ?

श्री देवेन्द्र कुमार सिंह—

माननीय मंत्री जी हमारे यहां बीस सूत्री कार्यक्रम के भी मंत्री रहे हैं, वह हमारे स्वभाव से पूर्ण रूप से परिचित हैं कि मैं किसी भी व्यक्ति से अनुचित बात नहीं करता हूं। वह मेरे स्वभाव से पूर्णतया परिचित हैं। फिर भी इस घटना की सूचना मैंने 16 तारीख को ही दे दी थी और आज 24 तारीख है। मैंने पुलिस चौकी पर सारी घटना लिखित दे दी थी, जिसका डी0 जी0 पर अंकित नम्बर 29 है।

श्री उपाध्यक्ष—

अब माननीय राम आसरे का मामला है, यह तो पहले उठ चुका है।

श्री राम आसरे वर्मा—

सुन लीजिए। मान्यवर, नियम 301 में जो सूचनाएं दी जाती हैं, उनको आप स्वीकार करते हैं और सदन के समक्ष वह पढ़ी जाती हैं फिर वह शासन को भेजी जाती हैं। शासन को भेजने के बाद अपेक्षा यह की जाती है कि वह तत्परता से उन पर कार्यवाही करें। शासन औपचारिकता के नाते उनका जवाब दे देता है, किन्तु जवाब के अनुसार कार्यवाही नहीं होती है। पिछले सत्र में हमारे क्षेत्र में गंगा नदी में बाढ़ आयी थी, जिसमें बहुत गांव कट गये थे और तमाम गांवों में पानी भर गया था। इस सम्बन्ध में मैंने एक सूचना सदन में 4 अक्तूबर को नियम 301 में दी थी। उसका जवाब यह दिया गया कि राहत कार्य किया गया, राहत सामग्री का वितरण किया गया, अब उसमें किसी को 3 किलो गेहूं और किसी को 5 किलो गेहूं दे दिया गया। उसके बाद इसमें यह कहा कि बाढ़ से जिन ग्रामों में मकान कट गये अथवा अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त हुए हैं उनमें पात्रता के आधार पर गृह अनुदान वितरण की कार्यवाही की जा रही है। इसी प्रकार जिन ग्रामों में फसलों को 50 प्रतिशत से अधिक क्षति पहुंची है वहां पर भू-राजस्व माफी की भी कार्यवाही की जा रही है। अब बाढ़ और अतिवृष्टि के कारण जो गृह अनुदान देने की कार्यवाही की बात इन्होंने कही है, यह 7 अक्तूबर का हमको पत्र लिखते हैं और उसमें कहते हैं कि गृह अनुदान वितरण की कार्यवाही की जा रही है, किन्तु आज फरवरी आ गयी और वह भी माह समाप्त होने का है, किन्तु आज तक वहां पर गृह अनुदान देने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही प्रकाश में नहीं आई है। जब वह अनुदान नहीं दे रहे हैं और फिर अगली बरसात में इसी बात को दोहरायेंगे, तो आप इन्हें निर्देशित कर दें कि जो जवाब शासन की ओर से दिया जाए, उस जवाब के अनुसार तत्परता से कार्यवाही भी करा दिया करें। इस सिलसिले में मैंने औचित्य का प्रश्न उठाया है, इस सम्बन्ध में आप शासन को निर्देशित कर दें।

*श्री अम्मार रिजवी (सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री)—

उपाध्यक्ष जी 301 का जो प्रश्न उठाया है, जो वह सूचनाएं देते हैं तो उसको सम्बन्धित विभाग को भेजा जाता और उनसे आशा की जाती है कि वह उस पर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कार्यवाही करेंगे और जो भी कार्यवाही होती है, वह माननीय सदस्य को सूचित कर दी जाती है। इसमें 60 सूचनाएं प्राप्त हुई थीं और 59 का जवाब दिया गया, एक का जवाब माननीय सदस्य के कहने पर रोक लिया गया था। अब आपके इस प्रश्न को फिर से दिलवा लिया जाएगा। शासन, सम्बन्धित विभाग सिंचाई विभाग है, नहीं राजस्व विभाग से सम्बन्धित है, तो राजस्व के मंत्री जी बैठे हैं, उसको वह तत्परता से दिलवा लेंगे और जो वितरण की बात है कि उसमें कुछ लोग रह गये हैं, तो उनको मिले। और यदि कोई अनियमितता हुई है तो उसको भी दिलवा लेंगे।

श्री राम आसरे वर्मा—

इसकी बात नहीं है, अन्न तो वितरित किया गया है। किसी को तीन किलो और किसी को पांच किलो। किन्तु जो बाढ़ से मकान गिर गये, उस सम्बन्ध में गृह अनुदान के बारे में और भू-राजस्व के बारे में जो आश्वासन दिया गया है जो यह जवाब मेरे पास आया इसे मैं आश्वासन समझता हूं और सदन के पटल पर रखा हुआ आश्वासन समझता हूं तो ऐसे आश्वासन की पूर्ति के लिये मन्त्री जी तत्परता से कार्यवाही करेंगे।

श्री धनराज यादव—

मान्यवर, आज मैंने नियम 300 के अन्तर्गत औचित्य के प्रश्न की सूचना दी है उसमें मेरा कहना है कि जो यह कह दिया गया कि क्षेत्र जलमग्न होता है जो मेरा प्रश्न था उसका स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया। इसी सन्दर्भ में सदन में याचिका प्रस्तुत की थी उसमें विशेष सिंचाई सचिव ने बयान दिया है कि 452 एकड़ फसली भूमि जलमग्न होकर बरबाद होती है, तो उसका सिंचाई शुल्क माफ होना चाहिये, मैं व्यवस्था चाहता हूं कि विशेष सचिव जब इस बात को स्वीकार करते हैं कि 452 एकड़ फसल जलमग्न होती है तो जिन किसानों की फसल जलमग्न होती है उन्हीं से महसूल मांगे जाने का क्या तात्पर्य है इसमें मन्त्री जी स्पष्ट घोषणा कर दें कि जलमग्न क्षेत्र का सिंचाई महसूल नहीं लगेगा।

*सिंचाई राज्य मन्त्री (श्री मुईद अहमद)—

मान्यवर, जो औचित्य का प्रश्न आया है उसके बारे में कहना चाहूंगा कि चार एकड़ जमीन जलमग्न होती है रेगुलेटर पर 14 एकड़ जमीन जलमग्न होती है दूसरी जो जमीन है उसमें रबी की फसल की बहुत अच्छी खेती होती है। जहां रेगुलेटर लगा है वहां का सिंचाई शुल्क माफ करने को यह कह रहे हैं तो यह तो काफी वर्ष पुराना है यहां सिंचाई शुल्क माफ करने का कोई औचित्य नहीं है।

श्री धनराज यादव—

मान्यवर, यह गलतबयानी कर रहे हैं आप दिखवा लें।

श्री उपाध्यक्ष—

यह नियम 300 में नहीं आता है। आप याचिका समिति के प्रतिवेदन में इस पर चर्चा की मांग कर सकते हैं।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, मैं याचिका समिति के प्रतिवेदन का अखिरी पैरा पढ़ दूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—

इस पर आप चर्चा की मांग कर लें ।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, मैंने औचित्य का प्रश्न दिया है जो आपकी पीठ से सरकार को बराबर दिये जा रहे निर्देशों के सम्बन्ध में है । आपके द्वारा जो निर्णय लिये जाते हैं उसका संकलन जो 1979-84 है उसके क्रम संख्या-314, पेज 147 और क्रम संख्या-418, पेज 218 पर जो है "उसे पढ़ दूं"—जिन क्षेत्रीय बैठकों में सांसद या विधायक होंगे उनकी अध्यक्षता सरकारी अधिकारी नहीं करेगा । इस सम्बन्ध में निवेदन है कि इस प्रदेश के प्रत्येक जनपद में ग्राम्य विकास अभिकरण बनाया गया है और उस अभिकरण के माननीय सदस्य या सांसद पदेन सदस्य हुआ करते हैं लेकिन इस समिति की अध्यक्षता जिला मजिस्ट्रेट करते हैं वह शासन के निर्देशानुसार करते हैं मान्यवर, क्रम संख्या-418, पेज 218 पर यह व्यवस्था दी गयी है कि "जिन समितियों में माननीय विधायक भी सदस्य हों, उनकी अध्यक्षता सरकारी अधिकारी नहीं करेंगे" इसमें मुख्य मन्त्री जी ने आश्वासन दिया था कि जहां सरकारी अधिकारी अध्यक्षता कर रहे हैं उसमें सरकार निर्देश देगी कि जनप्रतिनिधि अध्यक्षता करें । आपके निर्देशों के बावजूद भी और मुख्य मन्त्री जी के आश्वासन के बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ है और प्रत्येक जिले में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की अध्यक्षता जिला मजिस्ट्रेट कर रहे हैं जो लोकतांत्रिक परम्पराओं, संसदीय मर्यादाओं और परिपाटी के विपरीत है । सरकारी अधिकारियों द्वारा अध्यक्षता करना उचित नहीं है ।

मेरा दूसरा निवेदन यह है कि जिले की यह समिति सदन की उप समिति जैसी शक्तियां रखती है और करोड़ों रुपये व्यय करती है । जो विकास कार्यक्रम होते हैं और जो धन आवंटित होता है उसकी यह समिति प्रबन्धकारिणी समिति होती है । मान्यवर, जिला मैजिस्ट्रेट, देवरिया का पत्र आया है उसमें कहा गया है कि यह-यह कार्य कराने जा रहे हैं इसका अनुमोदन माननीय सदस्य भेजें । मान्यवर, माननीय सदस्य इस समिति के पदेन सदस्य होते हैं और उनके अधिकारों का हनन जिला मैजिस्ट्रेट, देवरिया द्वारा हो रहा है मैं समझता हूं कि प्रदेश के अन्य जिलों के जिला अधिकारियों द्वारा भी ऐसा ही किया जा रहा है । यह सरकार जिलाधिकारियों को अपना भगवान मानती है । आपकी पीठ से स्पष्ट निर्देशों के बाद भी यदि सरकार इस तरह की अवहेलना करती है और जिला मैजिस्ट्रेट ऐसी महत्वपूर्ण समितियों की अध्यक्षता करते हैं तो यह लोकतन्त्र की मर्यादाओं और परिपाटी के खिलाफ है । मैं इस सम्बन्ध में आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अम्मार रिजवी—

माननीय शाही जी ने जिला ग्राम्य विकास अभिकरण समिति के बारे में कहा और जिस निर्णय के बारे में कहा और जिस निर्णय के बारे में कहा गया तो मान्यवर, जिन समितियों में सांसद और माननीय विधायकगण सदस्य होंगे उनकी अध्यक्षता वही लोग करेंगे कोई सरकारी अधिकारी नहीं करेगा, मान्यवर, यह बात सत्य है । इसी सिलसिले में आदेश भी भेजे जा चुके हैं । 28 अप्रैल, 1984 को श्री गंगा बख्श सिंह, सचिव, संसदीय कार्य विभाग द्वारा यह आदेश भेजे गये हैं ।

माननीय शाही जी ने जो यह बात कही तो जहां तक ग्राम्य विकास अभिकरण समिति का सम्बन्ध है इसका गठन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नहीं किया गया है । इसका प्रारूप और इसकी रूपरेखा केन्द्र सरकार द्वारा आयी है । इस कमेटी में किस

प्रकार के मेम्बर होंगे, कौन अध्यक्ष होगा यह प्रारूप वहां से आया है । उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके अन्दर यह कहा है कि जो माननीय सदस्य या सांसद इसमें न जाना चाहें तो वह अपने किसी रिप्रेजेन्टेटिव, प्रतिनिधि को वहां भेज सकते हैं । तो उत्तर प्रदेश शासन के जितनी चीजें अधीनस्थ थीं उसमें यह व्यवस्था की है कि उन समितियों की अध्यक्षता केवल माननीय विधायक और जनप्रतिनिधि ही करेंगे । लेकिन जो भारत सरकार से इस समिति के बारे में रूपरेखा आयी है उसमें हमारा कोई अख्तियार, कन्ट्रोल नहीं है । अगर इसमें माननीय सदस्य न जाना चाहें तो अपना कोई प्रतिनिधि भेज सकते हैं । इसमें किसी प्रकार जिलाधिकारी को या ब्यूरोक्रेसी को वरीयता देने की बात नहीं है बल्कि जो एक रूपरेखा वहां से आयी है उसके अनुरूप कार्य करने का प्रश्न है ।

*श्री सुखपाल पाण्डे—

माननीय मन्त्री जी ने कहा कि इस समिति की रूपरेखा भारत सरकार से आयी है, जिसमें जनप्रतिनिधियों को आदर नहीं दिया है। क्या प्रधान मन्त्री जी ने विदेशों, इटली का अनुकरण करके इसको किया है कि इसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी ही करें ।

श्री उपाध्यक्ष—

इसका जवाब वह क्या देंगे ?

श्री सुखपाल पाण्डे—

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि उत्तर प्रदेश की सरकार केन्द्र सरकार को लिखें कि इस तरह से जनप्रतिनिधियों का अपमान केन्द्र सरकार न करे । मेरा आपसे भी निवेदन है कि आप इस सम्बन्ध में निर्देश दें ।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, ब्लाक प्रमुखों के सम्मेलन में प्रधानमन्त्री जी ने कहा है कि जिलों की सरकार का गठन किया जायगा और उसमें जनप्रतिनिधियों को शामिल किया जायगा । प्रदेश में जिला परिषदों के चुनाव हो गये और जिला परिषद् के अध्यक्षों को अधिकार दे दिये गये, माननीय प्रधान मन्त्री जी उसकी विकेन्द्रीकरण की नीति में विश्वास रखते हैं, लेकिन मुझे खेद है कि उत्तर प्रदेश के संसदीय कार्य मन्त्री जी उनकी भावनाओं को भी नहीं समझ पा रहे हैं । मैं आपके माध्यम से संसदीय कार्य मन्त्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा, माननीय सुखपाल पाण्डे जी की बात पर बल देते हुये कि उत्तर प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार से आग्रह करे कि ऐसी समितियों के अध्यक्ष जनप्रतिनिधियों को बनाया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप बैठें ।

(व्यवधान)

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, इसकी बैठक अनिवार्य रूप से 3 महीने के अन्दर होनी चाहिये, लेकिन बैठक नहीं होती है । मेरा निवेदन है....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब कोई निवेदन नहीं । अब आप बैठिये ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा--

मान्यवर, जो ग्राम्य विकास अभिकरण समिति बनी है और जिस प्रकार से उसका प्रारूप क्षेत्रों के विकास के लिये बनाया गया है, उसके अनुसार माननीय सांसद और माननीय विधायकों की राय से कार्य होना चाहिये । यही मेरी प्रार्थना है ।

(व्यवधान)

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मन्त्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)--

मान्यवर, जिला ग्राम्य अभिकरण के बारे में संसदीय कार्य मन्त्री जी ने बहुत ब्योरे के साथ बताया कि उसके गठन की क्या रूप-रेखा है । माननीय शाही जी को माननीय प्रधान मन्त्री को बधायी देनी चाहिये । पंचायत राज की संस्थाओं को किस तरह से मजबूत किया जाय, इस दिशा में एक बिल इसी सत्र में पार्लियामेंट में आ रहा है । यह आप अखबारों और रेडियो के माध्यम से सुने होंगे । उसी सन्दर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार भी यह चाहती है कि हम किस तरह से गांव सभाओं को मजबूत करें, जिला परिषदों को किस तरह से सुदृढ़ करें । इस दिशा में हम विचार कर रहे हैं कि जिला ग्राम्य विकास अभिकरण को अध्यक्षता डी0 एम0 करें या जनप्रतिनिधि से कराया जाय या जिला परिषद् के अध्यक्ष से कराया जाय । इस सारे पहलुओं पर शासन स्तर से विचार हो रहा है, जैसे ग्राम सभाओं के स्कूल के निर्माण ग्राम सभाओं के माध्यम से कराये जायं । इसी तरह से एन0 आर0 ई0 पी0 और आर0 एल0 जी0 ई0 पी0 आदि के बारे में विचार हो रहा है । इन सारे पहलुओं पर शासन स्तर पर विचार हो रहा है । साही जी ने कहा कि जिला परिषदों के मेम्बरों को परिपत्र जारी हो गया है । मान्यवर जिला परिषद् आटोनामस बाडी है । जिला परिषद् नियम के अनुकूल कार्य कर रहा है या प्रतिकूल कर रहा है, वह स्वायत शासी संस्था के कार्य कलापों के बारे में यहां पर चर्चा करें, मैं समझता हूं यह तो उचित बात नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष--

सभी सूचनाओं को मैं अस्वीकार करता हूं जो नियम 300 के अन्तर्गत हैं ।

विज्ञप्ति संख्या एस0 टी0-2-7317/दस-6(1)-88-उ0 प्र0 अधि0-15-48 आदेश, 88, दिनांक 31 अक्तूबर, 1988

विज्ञप्ति संख्या एस0 टस0-2-5530/दस-13(29)-84-उ0 प्र0 अधि0-15-48 आदेश-88, दिनांक 31 अक्तूबर, 1988 एवं

विज्ञप्ति संख्या एस0 टी0-2-7376/दस-6(1)-86 उ0 प्र0 अधि0 15-48 आदेश 88, दिनांक 31 अक्तूबर, 1988†

सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से, वित्त (बिक्रीकर) अनुभाग-2 की दिनांक 31 अक्तूबर, 1988 के असाधारण गजट में प्रकाशित :

---

†छापी नहीं गई ।

(1) विज्ञप्ति संख्या एस0 टी0-2-7317/दस-6(1)-88-उ0 प्र0 अधि0-15-43 आदेश-88, दिनांक 31 अक्तूबर, 1988।

(2) विज्ञप्ति संख्या एस0 टी0-2-5530/दस-13-(29)-84-उ0 प्र0 अधि0-15-48-आदेश-88, दिनांक 31 अक्तूबर, 1988 एवं

(3) विज्ञप्ति संख्या एस0 टी0-2-7376/दस-6(1)-88-उ0 प्र0 अधि0 15-48-आदेश-88, दिनांक 31 अक्तूबर, 1988 को उत्तर प्रदेश बिक्रीकर एक्ट, 1948 की धारा 3-क की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) (नवां संशोधन) विनियमन, 1988†

सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से कार्मिक अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 15/93/86-कार्मिक-1-88, दिनांक 2 नवम्बर, 1988 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) (नवां संशोधन) विनियमन, 1988 को संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (5) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (अठारहवां संशोधन) नियमावली, 1988††

सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से सहकारिता अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 6350/12-सी-1-88-7(8)-88, दिनांक 24 नवम्बर, 1988 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (अठारहवां संशोधन) नियमावली, 1988 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

किशोर न्याय (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1987 एवं तत्सम्बन्धी शुद्धि-पत्र संख्या 442/छब्बीस-2-88-28(पी)/87, दिनांक 17 जून, 1988†

हरिजन एवं समाज कल्याण उप मन्त्री (श्री शैलेन्द्र कुमार)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से हरिजन तथा समाज कल्याण अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 232 मा0 स0/26-2-87/28 (पी0)-87, दिनांक 16 जनवरी, 1988 के साथ प्रकाशित किशोर न्याय (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1987 एवं तत्सम्बन्धी शुद्धि-पत्र संख्या 442/छब्बीस-2/88/28 (पी0)/87, दिनांक 17 जून, 1988 को विलम्ब के कारणों सहित किशोर न्याय अधिनियम, 1986 की धारा 62 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

† छापा नहीं गया।

†† छापी नहीं गयी।

श्रम अनुभाग-2 की आज्ञा संख्या 6921 (एच0 आई0)/36-2-234 (डब्लू) (एस0 एम0)-88, दिनांक 2 नवम्बर, 1988 अधिसूचना संख्या 6255 (एच0 आई0)/136-2-234(डब्लू) (एस0एम0)-81, दिनांक 24 नवम्बर, 1988 एवं अधिसूचना संख्या 385 (एच0 आई0)/36-2-234(डब्लू) (एस0 एम0)-81, दिनांक 12 जनवरी, 1989†

सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से श्रम अनुभाग-2 की आज्ञा संख्या 6921 (एच0 आई0)/36-2-234 (डब्लू) (एस0 एम0)-88, दिनांक 2 नवम्बर, 1988 अधिसूचना संख्या 6255 (एच0 आई0)/36-2-234 (डब्लू) (एस0 एम0)-81, दिनांक 24 नवम्बर, 1988 एवं अधिसूचना संख्या 385 (एच0 आई0)/36-2-234(डब्लू0) (एस0 एम0)-81, दिनांक 12 जनवरी, 1989 को संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ों का एक्ट, 1947 की धारा 6-क की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् में सदस्यों का निर्वाचन सम्पन्न किये जाने हेतु कार्यक्रम के सम्बन्ध में सदन को दी गई सूचना

श्री उपाध्यक्ष--

उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अधिनियम, 1962 की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (3) के अनुसार विधान सभा के 4 सदस्यों तथा संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1983 की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड(ज) के विधान सभा के 2 सदस्यों, का निर्वाचन सम्पन्न किये जाने हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम अनुसार निर्धारित किया गया है :

(1) नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि तथा समय मंगलवार 7 मार्च, 1989 को अपराह्न 4.00 बजे तक।

(2) नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तिथि तथा समय बुधवार 8 मार्च, 1989 को अपराह्न 3.00 बजे (सचिव विधान सभा के कार्यालय कक्ष में)।

(3) नामों की वापसी की अंतिम तिथि तथा समय सोमवार 20 मार्च, 1989 को अपराह्न 4 बजे तक।

(4) निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो मतदान शुक्रवार 31 मार्च, 1989 को पूर्वाह्न 10.30 से बजे अपराह्न 4.30 बजे तक विधान पुस्तकालय, विधान भवन, लखनऊ में होगा।

उपर्युक्त निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्तानुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जायेगा। उक्त निर्वाचनों सम्बन्धी नाम-निर्देशन पत्र पटल कार्यालय से कार्यालय समय के भीतर प्राप्त किये जा सकते हैं।

†छापी नहीं गई।

वित्तीय वर्ष 1989-90 की लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति तथा सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति और 30 स्थायी समितियों का निर्वाचन सम्पन्न किये जाने हेतु कार्यक्रम के सम्बन्ध में सदन को दी गई सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

एक और सूचना है।

वित्तीय वर्ष 1989-90 की लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति तथा सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति और 30 स्थायी समितियों का निर्वाचन सम्पन्न किये जाने हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किया गया है :

(1) नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि तथा समय शुक्रवार 10 मार्च, 1989 को अपराह्न 4.00 बजे तक।

(2) नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तिथि तथा समय शनिवार 11 मार्च, 1989 को अपराह्न 3.00 बजे (सचिव विधान सभा के कार्यालय कक्ष में)।

(3) नामों की वापसी की अंतिम तिथि तथा समय शनिवार 18 मार्च, 1989 को अपराह्न 4.00 बजे तक।

(4) निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो, मतदान—

(क) लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति तथा सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति के लिए, मंगलवार 28 मार्च, 1989 को तथा

(ख) मन्त्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों के लिए बुधवार 29 मार्च, 1989 को विधान पुस्तकालय में पूर्वाह्न 10.30 बजे के अपराह्न 4.30 बजे तक होगा। उक्त निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्तानुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जायेगा। मतगणना 29 से 31 मार्च, 1989 तक होगी। उक्त निर्वाचनों सम्बन्धी नाम निर्देशन-पत्र पटल से कार्यालय समय के भीतर प्राप्त किये जा सकते हैं।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

[समय 1 बज कर 20 मिनट]

श्री उपाध्यक्ष—

आज 15 सूचनाएं नियम 56 के अन्तर्गत प्राप्त हुई, जिनमें से 10 सूचनायें निम्नलिखित रूप से चयनित की गयी हैं :

(1) श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री सूर्य प्रताप शाही, श्री राज किशोर सिंह, श्री राम चन्द्र बख्श सिंह, श्री मित्रसेन तथा श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी की कानपुर में कपड़ा मिल मजदूरों के आन्दोलन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री हृदय नारायन की औद्योगिक इकाइयों द्वारा निर्धारित शक्ति से अधिक पावर के इस्तेमाल से विद्युत् परिषद् को करोड़ों रुपये की क्षति के सम्बन्ध में :

(3) श्री पारस नाथ यादव की शारदा सहायक खण्ड 39 नारायनपुर रजबहा-इलाहाबाद से पानी न छोड़े जाने के कारण कृषकों में व्याप्त रोष के सम्बन्ध में ।

(4) श्री देव कुमार यादव की "कर्वी को जिला बनाओ" मांग को पूरी कराने हेतु भूतपूर्व विधायक श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा द्वारा आमरण अनशन के कारण उनकी स्थिति चिंताजनक होने के सम्बन्ध में ।

(5) श्री विष्णुदेव की ग्राम समाज की सुरक्षित भूमि एवं सार्वजनिक सम्पत्ति पर जबरदस्त लोगों द्वारा अवैध कब्जा करने के सम्बन्ध में ।

(6) श्री किरन पाल सिंह, श्री जगवीर सिंह, श्री वीरेन्द्र सिंह, श्री हरेन्द्र सिंह, श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी, श्री लक्ष्मी नारायण, श्री रिछपाल सिंह बंसल तथा श्री नरेन्द्र सिंह की प्रदेश के किसानों को विद्युत् परिषद् द्वारा विद्युत् कनेक्शनों से सम्बन्धित सामग्री उपलब्ध न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

(7) डा0 दिनेश जौहरी तथा श्री श्याम बिहारी सिंह की मोटे सूत के दामों में 120 प्रतिशत की वृद्धि से दरी उद्योग में लगे हजारों मजदूरों के बेरोजगार हो जाने की आशंका के सम्बन्ध में ।

(8) श्री गोपी नाथ वर्मा की प्रदेश के बुनकरों के पावरलूम व हथकरघा उद्योग हेतु लिये गये ऋण की अवैध व मनमानी वसूली से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

(9) श्री रघुवर दयाल वर्मा की फिरोजाबाद विद्युत् वितरण खंड द्वारा निजी नलकूप काश्तकारों को समय से विद्युत् कनेक्शन आदि न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

(10) श्री बलराम यादव की जनपद आजमगढ़ के अतरौलिया क्षेत्र में शारदा सहायक समादेश द्वारा कथित फर्जी निर्मित कराई गयी गूलों के निर्माण के व्यय की किसानों से जबरिया वसूलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में बाकी सभी सूचनाएं अस्वीकार की गई ।

कानपुर के कपड़ा मिल मजदूरों के आन्दोलन से उत्पन्न स्थिति विषयक कार्य-स्थगन की सूचना पर चर्चा कराये जाने की मांग

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, उत्तर भारत की औद्योगिक राजधानी कानपुर में 35 हजार कपड़ा मजदूर अपनी न्यायोचित मांग के लिये एक ऐतिहासिक आन्दोलन कर रहे हैं । वे 8 घंटे काम करते हैं और 16 घंटे सड़कों पर जाम करते हैं । उनकी मुख्य मांग यह है कि जो के0 के0 पान्डे एवार्ड घोषित हुआ है जिसमें उनके काम के लोड को बढ़ा दिया गया है, जिसका परिणाम है कि 35 हजार में से 14 हजार मजदूर बेकार हो जाएंगे तथा नवम्बर, 1985 से दी जा रही रु0 60.00 की अन्तरिम राहत वापस कर दी जाएगी। तो वह पान्डे एवार्ड लागू नहीं होना चाहिये और अन्तरिम सहायता भी वापस नहीं होनी चाहिये, इसके लिये वे लोग शान्तिपूर्वक आन्दोलन कर रहे हैं । जब सरकार द्वारा कोई बात नहीं की गयी तो मजबूर होकर मजदूरों को विरोध प्रदर्शित करने के

लिये और शासन के संज्ञान में यह न्यायोचित मांग लाने के लिये सड़क जाम कर रास्ता रोको आन्दोलन शुरू करना पड़ा। कल अनेक रेलें रोक दी गयीं और लखनऊ और कानपुर में यात्री पड़े रहे। केवल रेलें ही नहीं माल ढोने वाली गाड़ियां भी रोक दी गयीं। मेरी जानकारी है कि हर्दुआगंज, पनकी और 24 घंटे में कोयला नहीं पहुंचता है तो सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में बिजली मिलना समाप्त हो जायेगी। यानि बिजली मिलना समाप्त हो जायेगी। जो मैंने नाम लिये, पनकी वगैरह बन्द हो जायेगा। इससे विस्फोटक स्थिति हो जायेगी। अब तक सरकार ने उनकी न्यायोचित मांगों को मानने का कोई प्रयास नहीं किया है। कल एक नाटक जरूर हुआ माननीय मुख्य मंत्री जी, माननीय श्रम मंत्री जी की बात हुई उनसे, लेकिन मजदूरों की मांगों का समाधान नहीं हुआ। आज उनकी बातों को लेकर केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के बीच मतभेद पैदा हो गया है, दोनों सरकारें टकरा रही हैं उनकी न्यायोचित मांगे बिलाने के लिये जनता को गुमराह करने के लिये सरकार की ओर से घोषित कर दिया गया कि समझौता हो गया है रात्रि में। लेकिन, आज भी वहां पहले की तरह मजदूरों का धरना चल रहा है। कानपुर का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उनका धरना शान्तिपूर्ण है। वहां कोई हिंसक घटना नहीं हुई है। मैं उनको बधाई देता हूं कि वे एक ऐतिहासिक ढंग से न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार के अधिकारी कर्मचारी उनमें उत्तेजना पैदा करने की चेष्टा कर रहे हैं। अगर उनको उत्तेजित किया गया और जानबूझकर शान्ति व्यवस्था को भंग करने का प्रयास किया गया तो कानपुर में ऐसी आग लगेगी जिसकी सम्भालना सरकार के लिये सम्भव नहीं होगा। अब तक जो इनका मजदूर विरोधी रवैया रहा है, उसकी मैं भर्त्सना करता हूं निन्दा करता हूं। मैं आरोप लगाता हूं कि अगर सरकार ने समय रहते उनकी मांगों पर विचार किया होता तो आज यह स्थित न पैदा हुई होती।

मैं कहना चाहता हूं कि पान्डे एवार्ड लागू करने के बारे में सरकार साफ-साफ मना कर दे, अन्तरिम राहत के बारे में फैसला कर दें कि मिल जायेगा और अन्य उनकी छोटी-छोटी मांगों पर भी विचार करके निर्णय ले ले। यह मजदूरों के बारे में सरकार के नजरिये का सवाल है। आज भी यहां एक मामला श्रम विभाग का सदन के पटल पर रखा। अफसोस है कि माननीय श्रम मंत्री जी तो हाउस में आने में शरमाते हैं, हाउस में जनाब देने आते नहीं। पाल जी को आज भेज दिया। पाल जी योग्य मंत्री हैं, लेकिन वे इस विभाग को देखते नहीं तो उनको समस्याओं के बारे में पूरी जानकारी कहां से हो। अगर आप उन्हें लेबर मिनिस्टर बना दें, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन, सईदुल हसन साहब तो सदन में आते ही नहीं जिस कारण समस्याओं की सही जानकारी सदन को नहीं हो पाती है। इन्हीं सब चीजों का परिणाम है कि आज यह स्थिति है। सरकार के रवैये के कारण मजदूरों के आन्दोलन को कुचला जा रहा है, ट्रेड यूनियन मूवमेन्ट को कुचल रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में अपने इस कार्य स्थगन के प्रस्ताव पर बल देता हूं। मान्यवर, यह नीति सम्बन्धी मामला है, कानपुर के मजदूरों की समस्या का मामला है। आप इस मसले पर चर्चा करा दें, यही मेरी आपसे प्रार्थना है।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मित्रसेन जी समय का ध्यान रखें।

श्री मित्रसेन—

मान्यवर, अत्यन्त लोक महत्व का कार्य स्थगन का प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया गया है, यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। कानपुर एक औद्योगिक नगर है जहां लाखों मजदूर रहते हैं। 40 हजार मजदूर आज आन्दोलन की राह पर हैं। यह किसी एक संगठन के नहीं

सारे संगठनों के मजदूर आन्दोलन पर चले गये हैं। केन्द्र सरकार की रेल व्यवस्था को वहां भंग कर दिया है। उनकी सिर्फ मांग यह है कि जो के0 के0 एवार्ड, के0 के0 पाण्डे का काला कानून बना है, उनकी वजह से उनकी अन्तरिम राहत की व्यवस्था बन्द कर दी गयी है, वहां बड़े पैमाने पर छटनी हो रही है, उस काले कानून को न लागू किया जाय। इसी को लेकर मजदूर आन्दोलन कर रहे हैं। मान्यवर, उनके आन्दोलन समय-समय पर होते रहे हैं लेकिन सरकार की मजदूर विरोधी नीति के कारण इसका समाधान नहीं हो सका। समाधान न होने के कारण, वह जो एवार्ड लागू किया गया है, उसके अन्तर्गत वर्क लोड बढ़ा दिया गया है और अन्तरिम राहत के रूप में मिलने वाली 60-70 की सहायता नहीं दी जा रही है। सरकार चाहे तो इस समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन जानबूझकर वे उसे हल नहीं करना चाहती हैं। मजदूरों के इस मसले को यदि समय रहते नहीं देखा गया, उसका समाधान नहीं हुआ तो इस औद्योगिक नगरी के ही नहीं बल्कि दूसरी जगहों के भी मजदूर दूसरे भी श्रमिक नियमों के मजदूर इसमें शामिल हो सकते हैं, जिससे प्रदेश के अन्दर अशान्ति फैल सकती है। अगर समय रहते सरकार ने इस मसले को हल नहीं किया तो यह मामला पूरे प्रदेश को उद्वेलित करेगा। इस पर चर्चा करायी जाय।

श्री अमरनाथ त्रिपाठी—

मान्यवर, यह विषय जो कानपुर के मजदूरों की हड़ताल और धरने के सम्बन्ध में है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह कोई 2-4 मजदूरों का सवाल नहीं है। कानपुर उत्तर भारत का एक प्रमुख औद्योगिक नगर है और कानपुर में जितनी भी सूती और ऊनी मिलें हैं, उनके सभी मजदूर आन्दोलनरत हैं। महीनों से वह लोग शान्तिपूर्ण ढंग से अपना आन्दोलन चलाते रहे, लेकिन सरकार के बहरे कानों में जूं नहीं रेंगी, तब बाध्य होकर उन्हें शान्तिपूर्ण तरीके से रास्ता जाम करना पड़ा और उससे भी दुखद निर्णय लेने पर उन्हें बाध्य होना पड़ा, जब उन्होंने रेलों का चक्का जाम किया। आज प्रदेश में चलने वाली प्रमुख 103 रेलगाड़ियां बन्द हैं। मजदूर धरना दे रहे हैं, इसलिये नहीं कि वह कोई अनैतिक कार्य कराना चाहते हैं, बल्कि इसलिये कि अपनी जायज मांगों को लेकर उन्होंने धरना दिया है, वह इस सरकार से निवेदन करते-करते थक गये। आज जो काला कानून लागू किया गया है, पान्डे एवार्ड लागू किया है, उससे मजदूरों के काम के घन्टे कम करने के बजाय उनके ऊपर वर्कलोड और बढ़ा दिया, जिसका परिणाम यह हो रहा है कि 15 हजार मजदूरों की छटनी होने जा रही है, उनमें भूखमरी की समस्या पैदा हो गई है, इस लिए मान्यवर यह धरना जारी है। आज सरकार द्वारा उनको उत्तेजित करने की कोशिश की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि लाठी चार्ज किया जायगा, गोली चलायी जायगी, लेकिन मान्यवर, मजदूर वहां शान्तिपूर्ण ढंग से अपना काम करने जाते हैं, और फिर वहां आकर बैठ जाते हैं। इसको देखते येहु आज बाम्बे, अहमदाबाद और दूसरी जगहों पर यह आन्दोलन शुरू हो गया है। आज अगर इस प्रदेश की सरकार ने समय रहते-रहते जल्दी ही इस समस्या का समाधान न सोचा, तो पूरे भारत में यह मजदूर आन्दोलन फैल जायगा और जिम्मेदार उसकी यह सरकार होगी, जो श्रम विरोधी है, मजदूरों की विरोधी है, जो मजदूरों पर दमन करती है। आज कोयला नहीं पहुंच रहा है, खाद सामग्री नहीं पहुंच रही है, कानपुर में आवश्यक वस्तुओं का अभाव हो रहा है, आस-पास में भी अभाव हो रहा है। अगर कोयला नहीं पहुंचेगा तो कारखाने बन्द हो जायेंगे, बिजली नहीं मिल पायेगी और इतना ही नहीं, हजारों लाखों की तादाद में यात्री इधर से उधर जाने के लिये पड़े हुये हैं लेकिन यह सरकार एक नाटक रचा रही है, यह कुछ सोचते नहीं हैं, मान्यवर, यह बहुत गम्भीर मामला। मेरी मांग है कि सदन की कार्यवाही रोककर इस मामले पर चर्चा करवायें और हौसन को यह आदेश दें कि आज वह स्पष्ट घोषणा करे कि पान्डे एवार्ड को वापस लिया जायगा जिससे मजदूरों की समस्या का समाधान हो सके।

श्री राज किशोर सिंह—

कपड़ा बनाने वाले मजदूर, भी कपड़ा उपलब्ध कराते हैं, वह आन्दोलन के रास्ते पर हैं : कानपुर के लगभग 40 हजार मजदूर आज अपनी न्यायोचित मांगों के लिये लड़ाई कर रहे हैं । यह सभी केन्द्रीय मजदूर संगठन एटक, इंटक सिटू, उनका नेतृत्व कर रहे हैं । आज के0 के0 पाण्डे एवार्ड ने मजदूरों के ऊपर बहुत बड़ा हमला किया है, उसके खिलाफ कानपुर के तमाम सूती मिल के मजदूरों ने धरना, प्रदर्शन किया है । इन लोगों के प्रतिनिधि तमाम बार यहां के श्रम मंत्री, माननीय मुख्य मंत्री को लिखे लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, इस वजह से आज वहां चक्का जाम आन्दोलन है । यह मजदूर आन्दोलन के इतिहास में एक अभूतपूर्व आन्दोलन है और यह कितनी बड़ी बात है कि जिस आन्दोलन में इतने बड़ी संख्या म मजदूर आन्दोलन कर रहे हों और वहां कोई घटना न घटे । इससे मालूम होता है कि मजदूरों में कितना अनुशासन है और किस धैर्यपूर्वक तरीके से वह अपनी मांगों की लड़ाई लड़ रहे हैं । यह काला एवार्ड, जो के0 के0 पान्डे ने दिया है, वह दिया है, वह मजदूरों को छूट देने के बजाय उनके ऊपर काम का बोझा और बढ़ा रहा है, इससे मजदूरों की छटनी हो जायगी । मुख्य मंत्री जी बजट भाषण में कहते हैं कि मजदूरों को सुविधा देंगे, बेरोजगारों को रोजगार देकर समस्या हल करना चाहते हैं, लेकिन वह यह नहीं देख रहे हैं कि कानपुर के हजारों-हजार मजदूर इस के0 के0 एवार्ड लागू होने से बेकार हो जायेंगे, उसमें बेरोजगारी आ जायगी । वे भूखों मरेंगे, उनके परिवार के लोग भूखों मरेंगे । जो यह आन्दोलन चल रहा है, वाजिब है । सरकार को चाहिए कि वह मजदूरों के प्रतिनिधियों का शीघ्र बुलाकर उनसे वार्ता करें और के0 के0 एवार्ड को वापस करे और जो उनकी अन्य मांगें हैं, उनको सरकार पूरा करे । यह केवल कानपुर सूती वस्त्र के मजदूरों का प्रश्न नहीं है, वह पूरे देश के मजदूरों का प्रश्न है । अगर सरकार यह सोचती है कि यह केवल कानपुर के मजदूरों का प्रश्न है तो यह एक धोखा है । आज पूरे देश का मजदूर उनके साथ है । यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है, हमारे जीवन से सम्बन्धित है इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज के शेष कार्य को रोक कर इस पर आप चर्चा करवायें ।

(श्री नेक चन्द्र पाण्डेय के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपा करके बैठ जांय । पहले मैं इस पर सुन लूं, फिर अपना निर्णय दूंगा ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, के0 के0 एवार्ड के खिलाफ कानपुर के मजदूरों ने हड़ताल कर रखी है, कहीं इसकी आग सारे देश में लग गई तो उस आग में यह शासन भस्म होकर रह जायेगा ।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

कपड़ा मिल मालिकों के ऊपर यह सरकार कहर ढा रही है । आज मजदूरों का शोषण किया जा रहा है, उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है । शान्तिपूर्ण ढंग से मजदूर प्रदर्शन कर रहे थे, धरना दे रहे थे, जुलूस निकाल रहे थे, लेकिन इस सरकार ने समय रहते हुए उनके मांगों पर सुनवाई नहीं की, फलस्वरुप कपड़ों मजदूरों को विवश होकर आन्दोलन करना पड़ा । आज कानपुर स्टेशन पर 35 हजार की संख्या में मजदूरों ने धरना दिया है । 2 दिन से धरना चल रहा है, शान्तिपूर्ण ढंग से चल रहा है । मजदूरों को धमकाने के लिए और स्थिति को विस्फोटक बनाने के लिए इस सरकार ने

वहां 7 पी0 ए0 सी0 कंपनियों से ज्यादा वहां पर पुलिस लगाई है । कभी भी वहां पर दुर्घटना हो सकती है । प्रदेश की वितरण व्यवस्था भी इस आन्दोलन से ठप्प हो गई है । जीवनोपयोगी चीजें नहीं मिल रही हैं, ट्रान्सपोर्टेशन बन्द हो गया है । सभी विद्युत् केन्द्र बन्द होने की स्थिति में हैं, इसलिए इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शेष सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा करवाई जाय ।

(श्री रघुवर दयाल वर्मा के खड़े होने पर)

सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मेरा एक अनुरोध है कि या तो आप उन्हीं लोगों को सुनने की कृपा करें जिन्होंने हस्ताक्षर किए हैं या फिर कानपुर जिले से सम्बन्धित जो अन्य विधायक हैं, उन्हें भी सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष--

जिन्होंने हस्ताक्षर किए हैं, उन्हीं को सुन रहा हूं ।

(श्री रघुवर दयाल वर्मा व श्री नेक चन्द्र पाण्डेय के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

वर्मा जी कृपा करके आप बैठ जांय । यदि आपको सुनूंगा तो श्री पाण्डे जी को भी सुनना पड़ेगा ।

श्री नेक चन्द्र पाण्डेय--

मान्यवर, इस पर चर्चा करवा दी जाय ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, सत्ता पक्ष के सदस्य भी चाहते हैं कि इस पर चर्चा करवा दी जाय । के0 के0 एवार्ड के विरुद्ध मजदूरों ने आन्दोलन किया है सारा ट्रान्सपोर्ट जाम किया है । सरकार के लिए यह एक शर्मनाक बात है । इस पर आप चर्चा करवा दें ।

*श्रम एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (सैयद सईदुल हसन)--

मान्यवर, 1 अक्तूबर, 1985 को कानपुर के कपड़ा मिल के श्रमिक भाइयों ने भारत सरकार से और उत्तर प्रदेश सरकार से यह अनुरोध किया कि यहां पर भी वही वेतन होना चाहिये जो बम्बई में है । चूंकि यह मामला डी0 आई0 सी0 का एन0टी0सी0 का है लिहाजा उस समय के मुख्यमंत्री श्री वीर बहादुर सिंह जी ने एक मीटिंग दिल्ली में करके तय कराया कि 60 रु0 बढ़ा दिये जांय और ट्रिब्यूनल के एवार्ड के लिये इसको भेज दिया जाय कि कितनी इनकी तनख्वाह बढ़ाई जाय और वर्कलोड क्या होना चाहिये । 24 दिसम्बर, 1988 को.....

(घोर व्यवधान)

श्री विजय सिंह राजा--

यह क्या पढ़वा रहे हैं आप ?

(घोर व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष—

बढ़ लेने दीजिये ।

श्री सैयद सईदुल हसन—

24 दिसम्बर, 1988 को वह भेज दिया गया और 24 जनवरी, 1989 को लागू हुआ । एम्प्लायर ने जब इसको लागू किया तो श्रमिक भाइयों को एहसास हुआ कि उनके इन्ट्रेस्ट के खिलाफ है । इसके बाद उन्होंने जो कहा सुना और लेबर कमिश्नर से भी आपत्ति की तो हमने उसको रि-कन्सीडरेशन के लिये ट्रिब्यूनल को भेज दिया । चूंकि एक महीना गुजर चुका था, धारा 6(ए) में है कि गवर्नमेन्ट किसी भी एवार्ड को पब्लिक इन्ट्रेस्ट में कैन्सिल कर सकती है । चूंकि एक महीना गुजर चुका था तो 11(बी) में उसको रि-कन्सीडरेशन के लिये भेजा और वहां पर उन्होंने उसको "स्टे" कर दिया 26 फरवरी, 1989 को और उसके बाद 19 फरवरी, 1989 को हाई कोर्ट से "स्टे" ले लिया और 22 फरवरी, 1989 से एजीटेशन शुरू कर दिया तो हमने कल एम्प्लायर्स को बुला कर मुख्यमंत्री जी के सामने यह तय किया कि यह एवार्ड, जो चाहते थे कि लागू न किया जाय 23 दिसम्बर, 1988 को "स्टेटस-को" मेण्टेन रहा । उसके लिये तय कर दिया और उन्होंने कहा कि इसको लागू नहीं करेंगे । इसमें 300 पेज का एवार्ड है और उसमें उन्होंने तय किया है कि इसकी मानीटरिंग करेंगे, लेबर कमिश्नर और 5 आदमी एम्प्लायर के होंगे और 5 आदमी लेबर रि-प्रेजेन्टेटिव होंगे लिहाजा मानीटरिंग करने का मौका नहीं मिला । इसलिये एम्प्लायर से तय कर दिया कि मानीटरिंग जब तक न हो जाय उस वक्त तक इसको लागू नहीं किया जायगा । इसके साथ-साथ लेबर कमिश्नर ने हाई कोर्ट में 'स्टे" को वेकेट कराने के लिए भी दरखास्त दी है । हम उम्मीद करते हैं कि हम श्रमिक भाइयों के किसी भी इन्ट्रेस्ट को "किल" नहीं होने देंगे । वह लोग एग्री थे कि "ले-आफ" में हमारी तनख्वाहें न काटें, 8 दिनों का वह न काटें और 60 रु० मिलते रहें, जिस तरह से मिलते चले आये हैं । तय कर दिया, गेट पर नोटिस भी लग गयी है और आज उसी के हिसाब से तनख्वाहें दी गयी हैं ।

(विपक्ष की ओर से "निरस्त कर दीजिये" की आवाज आने पर)

श्री सैयद सईदुल हसन—

निरस्त भी कर देंगे । मैं अर्ज करना चाहूंगा कि माननीय नेता विरोधी दल, माननीय गुप्ता जी तथा माननीय सिंह साहब आप सब तशरीफ लावें तीन-चार बजे स्पीकर साहब के कमरे में और वहां पर सब एग्जामिन कर लें कि सरकार क्या कर सकती है, कहां गवर्नमेन्ट की तरफ से जरा सा भी नगलीजेन्स हो, उसे आप देख लें । एवार्ड एक महीने तक एग्जीक्यूट होता है, एक महीने तक तो किसी ने आपत्ति नहीं की और जब एक महीना का समय बीत गया तब आपत्ति हुई । यह ऐसी समस्या है जिसमें हम आप सबका सहयोग चाहेंगे, यह बहस की बात नहीं है । इसमें आप वहां पर तशरीफ लावें और जो सुझाव आप देंगे, उसे हम करने के लिये तैयार हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

नहीं मान्यवर, माननीय मंत्री जी से मैं दो बातें जानना चाहता हूं कि इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट ऐक्ट की धारा 6 का जो इन्होंने अभी हवाला दिया है, माननीय मंत्री जी सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं । एक तरफ तो ये बात करने की बात कहते हैं क्या इनको मजदूरों के नेताओं की प्रक्रिया को जानने की जरूरत नहीं थी ? इसमें मजदूरों की भागीदारी क्या है ? आप एक एवार्ड रद्द कर सकते हैं, यह नियम में

प्राविधान है । आपने यह न करके आप हाई कोर्ट चले गये इससे लगता है कि आपकी नियत साफ नहीं थी । सरकार के वकील ने मौके पर इसकाउन्टर दाखिल क्यों नहीं किया ? मजदूरों का कोई समाधान नहीं हुआ है ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय गुप्ता जी, अब मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह) —

मान्यवर, यह "काम रोको प्रस्ताव" जो आया है ।

(श्री आर0 एन0 पाठक अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने का प्रयत्न करते हुए)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय पाठक जी, आप बैठें, मैंने नेता विरोधी दल को बुला लिया है ।

श्री सत्यपाल सिंह—

मान्यवर, मैं कह रहा था कि यह जो काम रोको प्रस्ताव आया है जिसे कि माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्ता जी ने अन्य सदस्यों ने दिया है, यदि मान्यवर, वास्तव में देखा जाय तो यह सूचना तात्कालिक महत्व की है और इसका अत्यन्त महत्व है । सत्ता पक्ष के भी काफी माननीय सदस्य इस बात के पक्ष में हैं । यह समस्या अब केवल श्रमिकों की ही समस्या नहीं रह गयी है, बल्कि अब यह प्रदेश की समस्या बन चुकी है । के0 के0 एवार्ड यदि वापस ले लिया जाता तो शायद यह समस्या न पैदा होती । अभी माननीय मंत्री जी ने जो कुछ पढ़ा या कहा इसको इन्होंने गम्भीर रूप से नहीं लिया, जितनी गम्भीरता से इस विषय को लिया जाना चाहिए था, वह नहीं लिया गया । मैं चाहूंगा कि या तो माननीय मंत्री जी सदन में घोषणा करें कि के0 के0 एवार्ड को वापस लेने की जो मांग है, उसको आप वापस ले रहे हैं अन्यथा इसके तात्कालिक महत्व को देखते हुए इस विषय को आप अभी चर्चा के लिए लेने का आदेश देने की कृपा करें ।

श्री सैयद सईदुल हसन—

मान्यवर, इन्डस्ट्रियल डिसप्यूट ऐक्ट की धारा 6–ए में साफ लिखा हुआ है 6–ए—कमेन्समेन्ट आफ दि ऐक्ट (1) एन एवार्ड (इनक्लूडिंग एन आरबिट्रेशन एवार्ड) शैल विकम एनफोर्सिएबल आन दि एक्सपायरी आफ थर्टी डेज फ्राम दि डेट आफ इट्स पब्लिकेशन अन्डर सेक्शन 6 ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, इस ऐक्ट की आगे की धारा को भी आप पढ़वाइये उसमें लिखा है कि सरकार किसी भी एवार्ड को रद्द कर सकती है ।

श्री सैयद सईदुल हसन—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैंने अर्ज किया है—

(एक साथ कई माननीय सदस्यों के खड़े हो कर बोलने के कारण शोर व्यवधान)

मान्यवर, इनका विधान सभा के किसी कायदे और कानून से कोई वास्ता नहीं है ।

(शोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

एक घंटे की चर्चा स्वीकार करते हैं इसे अब समाप्त कीजिए। कृपया अपना-अपना आसन ग्रहण करें और शांत बनाए रखें। कृपया...

श्री रघुवर दयाल वर्मा -

मान्यवर, यह मामला सारे प्रदेश के जन-जीवन से संबंधित हो गया है. सारे रास्ते बन्द पड़े हैं कानपुर स्टेशन पर और कानपुर स्टेशन के बाहर मजदूरों के घेराव के कारण। इसलिए श्रीमन् इस महत्वपूर्ण मामले पर आज ही विचार करना चाहिए, इन गाड़ियों द्वारा बहुत सी दवाइयां व अन्य आवश्यक पदार्थ आते हैं, जो सारे के सारे बंद हैं, इसलिए इससे महत्वपूर्ण विषय कोई हो ही नहीं सकता है, इस पर बल देते हुए मैं पुनः कहूंगा कि आज ही सदन के कार्य को स्थगित करते हुए चर्चा कराई जाय।

(घोर व्यवधान)

*श्री शत्रुघ्न प्रकाश--

मान्यवर, मेरा भी व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, हमारा निवेदन है कि मामला बहुत ही गम्भीर है। नियम 56 के अन्तर्गत इस मामले की सूचना दी गयी है जब कि यह मामला नियम 56, 57 व 58 सभी के अन्तर्गत आता है, बहुत ही गम्भीर मामला है, इससे ज्यादा कोई मामला आज से 24 घंटे के भीतर नहीं आया है जितना यह गम्भीर है। इसलिए तत्काल इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन की कार्यवाही स्थगित कर इसे चर्चा हेतु लेना चाहिए।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

इसीलिए मैंने इसको ग्राह्य करके एक घंटे की चर्चा स्वीकार कर ली है, अब कृपया आसन ग्रहण करें।

*श्री शत्रुघ्न प्रकाश--

नहीं मान्यवर, इससे गम्भीर बात और कोई हो नहीं सकती है। पूरे प्रदेश स्तर पर जन-जीवन से यह मामला जुड़ गया है और केन्द्र सरकार द्वारा करीब 15 ट्रेनों का रास्ता बदल दिया गया है, रेल मंत्रालय को मान्यवर अपना महत्वपूर्ण रेल-मार्ग इस कारण बदलना पड़ गया है, लगभग पूरा प्रदेश इससे प्रभावित है। इसलिए यह मामला मान्यवर, जैसा कि पहले भी मैंने कहा था कि यह नियम 56, 57 व 58 सभी की शर्तों को पूरा करता है, इसलिए आप आज सदन के कार्य को प्रदेश के जन-जीवन के हित के लिए स्थगित करें तब इस पर चर्चा कराएं। मान्यवर यह सरकार और इस सरकार के यह श्रम मंत्री सब [× × ×] हो गए हैं

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष--

आपने एक घंटे की मांग की थी चर्चा की, यह स्वीकार कर ली गयी अब इस प्रकरण को समाप्त करिये और अपने आसन को ग्रहण करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट--[×××] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री शत्रुघ्न प्रकाश--

नहीं मान्यवर, आप सदन की कार्यवाही को पहले स्थगित करें बाद में इस पर चर्चा प्रारम्भ कराएं .....

श्री उपाध्यक्ष--

इस तरह से अगर सभी लोग एक साथ बोलेंगे तो मैं तो किसी का भी सुन नहीं पाऊंगा। कृपया बैठ।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, इस सरकार को तुरन्त निरस्त कर देना चाहिए और आज की कार्यवाही स्थगित कर तब इस पर बहस हो क्योंकि यह प्रदेश के इतिहास का पहला गम्भीर मामला है, इसलिए इस पर सदन का स्थगन होना चाहिए .....

(एक साथ कई माननीय सदस्यों के बराबर खड़े रहकर बोलने पर घोर व्यवधान हो गया)

श्री आर० एन० पाठक--

मान्यवर, यह सही है कि यह बहुत गम्भीर मामला उठ खड़ा हुआ है जिससे सारा प्रदेश व सारी जनता इससे प्रभावित है इसलिए इस पर चर्चा होनी चाहिए दोनों ओर के माननीय सदस्य यही चाहते हैं।

(घोर व्यवधान)

मान्यवर, इस प्रकार से समय बहुत नष्ट हो रहा है....

(व्यवधान)

आपको जानकारी नहीं है। यह लोग समय नष्ट कर रहे हैं।....

श्री उपाध्यक्ष--

चर्चा मांगी थी, वह मैंने दे दी है।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, व्यवस्था का सवाल है आप सुन तो लें।]

श्री उपाध्यक्ष--

कार्य स्थगन के प्रस्ताव को अस्वीकार करके एक घंटे की चर्चा स्वीकार कर ली है।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

आप सदन की कार्यवाही को रोक कर चर्चा करावें।

(व्यवधान)

श्री सत्यपाल सिंह--

यह प्रश्न दोनों ग्राह्यता की शर्तों को पूरा करता है व अत्यन्त लोक महत्व का है, इस पर काम रोको स्वीकार करें और चर्चा तुरन्त प्रारम्भ करावें। अथवा के0 के0 पाण्डे एवार्ड वापस लें। गाड़ियां रुकी हुई हैं लोग प्लेट फार्म पर जमा हैं। यह टालने वाला मामला नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने तो उस पर चर्चा स्वीकार कर ली है।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

आप सदन को स्थगित करके चर्चा करावें। सारी शर्तें पूरी हैं।

श्री अम्मार रिजवी--

शतरुद्र प्रकाश जी ने कहा कि शर्तें पूरी हो गयी हैं। नियम 57 में है कि कार्य स्थगन का प्रस्ताव अध्यक्ष की सम्मति से प्रस्तुत किया जा सकेगा। तो क्या आपने अनुमति दान कर दी है

श्री उप ध्यक्ष--

मैं तो अस्वीकार कर दिया है और चर्चा स्वीकार की है।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

जब आपने अनुमति दे दी है तभी तो सबकी सुन रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

ग्राह्यता पर सुन रहा हूं और मैंने उसको अस्वीकार कर दिया है और चर्चा स्वीकार कर ली है।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

नियमावली के मुताबिक सारी शर्तें पूरी हो रही हैं। आप नियमावली के विरुद्ध नहीं जा सकते हैं। नियम 57 और 58 को देख लें। 1/10 लोग मौजूद हैं। अगर आप चाहें तो खड़ा करा लें। कार्य स्थगन प्रस्ताव है, नियम 56 के अन्तर्गत काम रोको प्रस्ताव है इसको आप स्वीकार करें।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, व्यवस्था का सवाल है। आप पहले कह दें कि कार्य-स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। तब आप बुलवायें।

(व्यवधान)

श्री आर0 एन0 पाठक--

यूनियन के लोग मेरे पास आये थे।...:

(व्यवधान)

ट्रेड यूनियन के लोग मेरे पास आये थे.... ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब ग्राह्यता पर कोई सवाल नहीं है । अब मैं अगला ले रहा हूं ।

(व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश--

इसको ग्राह्य कीजिये । अब कार्यस्थगन पर चर्चा हो रही है ।

(विरोध पक्ष के कई सदस्य खड़े होकर एक साथ बोलते रहे जिससे सदन में घोर व्यवधान हो गया ।)

श्री सत्यपाल सिंह--

आप यह बता दें कि चर्चा कब होगी ?

श्री उपाध्यक्ष--

चर्चा में जल्दी लगा दूंगा । माननीय संसदीय कार्य मंत्री, चर्चा का स य...।

(व्यवधान)

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, आज ही शाम को चर्चा रख लें ।

श्री सत्यपाल सिंह--

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी इस कामरोको प्रस्ताव के विषय में केवल एक ही बात कही है कि इन कामरोको के लिये माननीय अध्यक्ष की अनुमति.... ।

(श्री शतरुद्र प्रकाश, श्री विजय सिंह राणा, डाक्टर दिनेश जौहरी, श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी, श्री धनराज यादव, श्री मित्रसेन, श्री सूर्य प्रताप शाही, श्री किशन लाल दिलेर, श्री राज किशोर सिंह तथा कुछ अन्य विरोध पक्ष के सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये और नारा लगाने लगे । जिससे सदन में घोर व्यवधान हो गया ।)

श्री उपाध्यक्ष--

आप लोग आसन ग्रहण करें । आज शाम को चर्चा होगी कार्यस्थगन का प्रस्ताव अग्राह्य करता हूं । अब तो चर्चा स्वीकार हो गई । चर्चा शाम को होगी ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

कार्यस्थगन पर अभी चर्चा करा दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

शाम को विशेष चर्चा होगी : मैंने कह दिया है । आप लोग अपना-अपना आसन ग्रहण करें ।

(व्यवधान)

श्री मित्रसेन--

मान्यवर उठ कहां रहे हैं, बैठे रहें.... ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं सदन को सवा दो बजे तक के लिये स्थगित करता हूं ।

(इस समय 1 बजकर 52 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 2 बजकर 15 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी ।)

2 बजकर 15 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सूचित किया कि माननीय उपाध्यक्ष ने सदन का स्थगन 2 बजकर 30 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया है 2 बजकर 30 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने पुनः सूचित किया कि माननीय उपाध्यक्ष ने सदन का स्थगन 2 बजकर 45 मिनट तक के लिए और बढ़ा दिया है । 2 बजकर 45 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने पुनः सूचित किया कि माननीय उपाध्यक्ष ने सदन का स्थगन 3 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है । 3 बजे सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, नियम 56 में सूचना थी गई थी उसमें कहा गया था कि कार्यस्थगन को सुनकर स्थगित कर दीजिए, उस समय मान्यवर, सदन स्थगित हो गया, फिर सदन बैठा है और नियम 66-57-58 तीनों में ग्राह्यता की शर्तें पूरी हैं इससे बड़ा सवाल और हो नहीं सकता है वहां बीसियों मजदूरों ने यातायात को रोक रखा है, केन्द्र सरकार ने भी अपना मार्ग बदल दिया है । सरकार के0 के0 एवार्ड का बहाना बताकर, मजदूरों के हितों से खेल रही है । इस सरकार से हमें उम्मीद नहीं है कि यह किसानों का हित कर पायेगी । ग्राह्यता की जो शर्तें हैं वह पूरी हैं । इसमें मान्यवर, जो नेता हैं उनको भी आप सुन लें और सारी कार्यवाही को स्थगित करके आप चर्चा करायें ।

श्री रामशरण दास--

मान्यवर, आप इस मामले में सदन की एक समिति बना दें जो मौके पर जाकर लेबर लीडर से मिलकर इस मामले का समाधान निकाले मेरे इस प्रस्ताव से सरकार के लोग भी सहमत होंगे ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, के0 के0 एवार्ड से कानपुर के मजदूरों में ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के मजदूरों में असन्तोष की भावना फैली है । कानपुर के मजदूरों ने चक्का जाम कर दिया है । इस गम्भीर स्थिति के रहते अगर कार्यवाही चलती रहती है, तो जनता की समस्याओं से हम अपने को नहीं जोड़ पायेंगे । माननीय रामशरण दास जी ने जो सुझाव रखा है उससे मैं अपने को जोड़ता हूं, लेकिन इस सुझाव में एक बात यह भी जोड़ना चाहूंगा कि एक कमेटी आप बना दें और कमेटी जब तक अपनी रिपोर्ट न दे दे तब तक सदन का कोई कार्यवाही न चले । वह कमेटी कानपुर में जाकर प्रतिनिधियों से बात करे । क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, तो समस्या की गम्भीरता को देखते हुए आप एक कमेटी बना दें । यह बहुत ही गम्भीर मामला है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, यह मामला काफी गम्भीर है । यह एक तात्कालिक समस्या है इस पर आप चर्चा करायें और चर्चा के साथ-साथ जो एक समिति का सुझाव आया है उसको

बना दें तो ठीक होगा। इस समय तो कानून और व्यवस्था की स्थिति को देखना है। आदमी रुके हुये हैं, बच्चे रुके पड़े हैं आगरा और दिल्ली की गाड़ियां नहीं जा पा रही हैं उस सम्बन्ध में व्यवस्था की जानी चाहिये। इस पर चर्चा हो जाय और जो समिति बनाने का प्रस्ताव है वह हो जाय तो उचित हो होगा।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

मान्यवर, इस वक्त कानपुर से आने वाली सारी ट्रेनें रद्द हैं और हजारों आदमी परेशान हैं। आम लोगों की परेशानी को देखते हुये सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित हो रहा है। वहां का टेक्सटाइल मजदूर परेशान है। पांडेय एवार्ड के कारण तमाम मजदूरों की छटनी होने जा रही है। मजदूरों पर वर्कलोड बढ़ाया जा रहा है और सरकार पूंजीपतियों के प्रभाव में मजदूर विरोधी नीति अपना रही है। मैं साफ कहना चाहता हूं कि मैं किसी कमेटी के पक्ष में नहीं हूं। यदि कमेटी बनायी जाय तो वह सर्वदलीय होनी चाहिये जो सारी चीजों को देखकर और सलाहमशिवरा करके यह कमेटी अपनी रिपोर्ट दे। इस कमेटी को यह पावर हो कि जो रिपोर्ट यह इस एवार्ड के सिलसिले में दे उसको पूर्ण रूप से सरकार द्वारा माना जायगा तो मैं इस कमेटी के पक्ष में हूं। यह बहुत महत्वपूर्ण लोकमहत्व का प्रश्न है। आप सारा कार्य रोककर चर्चा करायें और सरकार आश्वासन दे कि यह समिति जो पांडेय एवार्ड में मजदूर विरोधी बातें हैं उनको खत्म कराने तथा जितनी मजदूरों के हित में बातें हैं उनको लागू कराने के सम्बन्ध में जो रिपोर्ट देगी उसको माना जायगा।

श्री आर० एन० पाठक--

मान्यवर, मैं विपक्ष के सुझाव का स्वागत करता हूं।

श्री सरदार सिंह--

मान्यवर, मैंने कल ही यह मुद्दा उठाया था।

श्री आर० एन० पाठक--

मान्यवर, यह जिस बात से अनभिज्ञ हैं उस पर बोलना चाहते हैं।

श्री सरदार सिंह--

मान्यवर, यह पूंजीपतियों के [× ×] हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

इस पर अभी चर्चा नहीं हो रही है। एक बात आयी थी कि एक कमेटी बना दी जाय, वह बात तय हो गई। इस पर चर्चा तो बाद में होगी। कमेटी 27-28 तक रिपोर्ट दे देगी यह तय हो गया था।

श्री आर० एन० पाठक--

मान्यवर, यह चर्चा क्यों करने जा रहे हैं यह तो इस बात से अनभिज्ञ हैं। मान्यवर, इनको बैठाइये।

श्री सरदार सिंह--

पाठक जी पूंजीपतियों के [× ×] हैं।

(संसदीय कार्य मंत्री जी को पुकारे जाने पर।)

नोट :—[× ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री आर० एन० पाठक—

मान्यवर, मेरी बात सुन लीजिये मैं खड़ा हुआ हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

इस वक्त मौका नहीं है, आप बैठिये ।

श्री आर० एन० पाठक—

मान्यवर, कमेटी की बात सही है । वह स्पाट पर जायगी । मैं संसदीय कार्य मंत्री को धन्यवाद देता हूं कि कमेटी के गठन का निर्णय लिया गया । इससे रेलों का आवागमन शुरू हो जायगा ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, अभी पाठक जी जो बुजुर्ग आदमी हैं गुस्सा हो रहे थे, धमकी दे रहे थे । हम लोगों को बुरा लग सकता है ।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, माननीय शतरुद्र प्रकाश प्यार और धमकी में फर्क नहीं समझ रहे हैं ।

श्री पारस नाथ यादव—

यह सदन ऐसे नहीं चलेगा मान्यवर ।

(विरोधी पक्ष के कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप संसदीय कार्य मंत्री जी को पहले सुन लीजिए, तब मैं आपकी बात सुनूंगा ।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, यहां पर पक्ष और विपक्ष का सवाल नहीं है । सम्मानित सदन के विश्वास में सरकार कार्य करना चाहती है और सबसे हमारा अनुरोध है कि इसमें सहयोग दें ताकि इस समस्या का समाधान निकल सके और सामान्य जीवन जैसा पहले था, वह वापस आ सके । माननीय सदस्यों ने अपने-अपने सुझाव दिए कि इसमें चर्चा होनी चाहिए, एवार्ड के बारे में भी चर्चा हुई कि वहां पर मजदूरों से बात कर ली जाय । इस सिलसिले में परसों से मुख्य मंत्री जी ने घंटों बात की है । तो कहीं पर सरकार का हठधर्मी का रवैया नहीं है । एक सुझाव आया है माननीय रामचन्द्र बख्श सिंह का, माननीय द्विवेदी जी की माननीय राम शरण दास जी का, माननीय राम आसरे वर्मा जी का, सबने यह कहा है कि एक सर्वदलीय कमेटी बना दी जाय, जो वहां पर जाकर बात करे । उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि मजदूरों का किसी भी प्रकार से मिल मालिकों के द्वारा उत्पीड़न न हो, उनकी छटनी न हो, उनकी समस्याओं का समाधान हो । मैं भी चाहता हूं कि 7 सदस्यों की एक सर्वदलीय कमेटी बना दी जाय, जो अपनी रिपोर्ट 27 तारीख तक दे दें, उससे हमको मदद मिलेगी । मैं इस सुझाव का स्वागत करता हूं ।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने बड़ी खूबसूरती के साथ इस मसले को टाला चाहा है। अभी जो सुझाव यहां पर सर्वदलीय समिति के सिलसिले में आया था, आपने उसमें यह बात जोड़ दी कि बड़ा अच्छा सुझाव है, मार्ग दर्शन मिलेगा। मान्यवर, अगर उस समिति की राय से यह सरकार मार्ग दर्शन लेना चाहती है, तो समिति का कोई औचित्य नहीं रहता। मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी यह घोषणा कर कि एक सर्वदलीय समिति बनेगी, कानपुर के मजदूरों से वह समिति बात करेगी और जो पाजिटिव आब्जेक्टिव्स है, उस पर बात करेगी और जो समिति की राय होगी, उसकी राय के अनुसार सरकार कार्य करेगी। मान्यवर, अगर उस समिति की राय के मुताबिक कार्यवाही नहीं की जानी है, तो समिति का कोई औचित्य नहीं रहेगा। मार्ग दर्शन से श्रमिकों का उद्देश्य हल होने वाला नहीं है।

(व्यवधान)

श्री शारदा प्रताप—

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने बड़ी खूबसूरती से सर्वदलीय समिति बनाने की बात की और उसके मार्ग दर्शन की भी बात की। मान्यवर, अगर मार्ग दर्शन ही बात है, तो मान्यवर, सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों से सुझाव ले लीजिए।

(व्यवधान)

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

मान्यवर, समस्या अत्यन्त गम्भीर है और उस समस्या पर विचार होते हुए एक विचार आया कि समिति बना दी जाय लेकिन मान्यवर, यह तो तय होगा कि जो सर्वदलीय समिति बनेगी उसका अधिकार क्षेत्र क्या होगा। क्या वह समिति आपको परामर्श ही देगी, वह माननीय सदस्यों की समिति है उसका कोई अधिकार भी होगा। अगर वह आल पावरफुल न हो तो केवल संस्तुति करने से कैसे काम चलेगा।

(व्यवधान)

श्री मित्रसेन—

मान्यवर, जो द्विवेदी जी कह रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, यह हाउस है या और कुछ है।

श्री उपाध्यक्ष—

मित्रसेन जी, आप बैठें।

कानपुर के कपड़ा मजदूरों के आन्दोलन के सम्बन्ध में 7 सदस्यों की सर्वदलीय समिति के गठन का प्रस्ताव

सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री कुमार रिजवी)—

जो राय माननीय सदस्यों की आयेगी, कमेटी की आयेगी, सरकार उसका अमल करेगी। मान्यवर, यहां पर केन्द्र सरकार से भी बहुत बातें सम्बन्धित हैं। कमेटी की जो राय बनी, वह अच्छी बात है। जो कमेटी एक बार हाउस को सदन एडवाइज

कर रहा है, सरकार उससे सहमत है। तो ऐसी बात नहीं है कि कमेटी इसलिए भेजी जा रही है कि उसकी राय के खिलाफ किया जायेगा, जो राय है, सरकार उसका आदर करेगी। मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननीय उपाध्यक्ष 7 सदस्यों की एक सर्वदलीय समिति का गठन करें जो कानपुर में कपड़ा मिल के हड़ताली मजदूरों से वार्ता करने के उपरान्त अपने सुझाव माननीय उपाध्यक्ष को 27 फरवरी, 1989 को प्रस्तुत कर दे।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्यमंत्री ने सदन में प्रस्तुत किया है उससे सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुखपाल पाण्डे--

क्या आप चाहते हैं कि सदन न चले ?

[(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, जब प्रस्ताव आया है तो प्रस्ताव में संशोधन का भी अधिकार है। एक संशोधन माननीय जयदीप सिंह बरार जी रख रहे हैं।

(व्यवधान के मध्य)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रस्ताव स्वीकार हो गया, अब उसकी जरूरत नहीं है।

श्री जयदीप सिंह बरार--

मान्यवर, मेरा अधिकार है संशोधन करने का।

श्री सुखपाल पाण्डे--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने एक प्रस्ताव पेश कर दिया माननीय सदस्य लोग जो भी हों वह कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी लेकिन सरकार मानेगी नहीं। इसलिए इस सदन के माध्यम से उस कमेटी को अधिकार दिया जाय कि वह जो निर्णय देगी, वह इनको मान्य होगा।

श्री जयदीप सिंह बरार--

जो इन्होंने बिना सूचना के एक प्रस्ताव सदन में रखा है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आप आसन ग्रहण करें, प्रस्ताव स्वीकृत हो गया।

श्री हरदेव--

मान्यवर, प्रस्ताव सर्वसम्मत से पास हो गया है।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, मुझको उसमें संशोधन करने का अधिकार है ।

श्री नरेन्द्र देव—

मान्यवर, उन लोगों की रुचि किसी भी प्रकार से जनता के हित में नहीं है, प्रदेश के हित में नहीं है । यह नहीं चाहते हैं कि किसी समस्या का हल निकले । कक्ष में कुछ बात कहकर आते हैं और यहां पर कुछ बात किया करते हैं ।

एक सदस्य—

सदस्यों का नाम बता दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग बैठें । अभी नाम बता देंगे सदस्यों के ।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री हृदय नारायन दीक्षित—

मान्यवर, राज्य विद्युत् परिषद् के अभियन्ताओं और पूंजीपतियों की सांठ-गांठ से बिजली की जो बहुत बड़ी चोरी हो रही है, उसकी ओर माननीय सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और कामरोको प्रस्ताव के रूप में रखने की अनुज्ञा चाहता हूं । मान्यवर, मेरी सूचना है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो बिजली के कारखाने चल रहे हैं, बड़े-बड़े पूंजी पतियों के....

श्री हरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, इसी में हमको भी जोड़कर सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष—

उसका मैं इंतजाम करूंगा ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, इसी से हमारा भी जुड़ा हुआ है ।

श्री उपाध्यक्ष—

सबका इंतजाम हो जाएगा, चिंता मत कीजिए । आपका इंतजाम हो जाएगा ।

श्री हृदय नारायन दीक्षित—

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि उत्तर प्रदेश में जितने भी बड़े-बड़े कारखाने हैं, उनमें स्वीकृत लोड से अधिक बिजली का प्रयोग हो रहा है और बड़ी-बड़ी चोरियां हो रही हैं । मैं उन्नाव की ओर उदाहरण देना चाहूंगा कि वहां जितनी भी ट्रेनरीज या स्टील के कारखाने हैं, उनमें जितना लोड स्वीकृत है, उससे ज्यादा बिजली उपयोग की जा रही है । इसमें बड़ी चोरी हो रही है । इसमें न केवल वहां के अधिशासी अभियन्ता और सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, बल्कि यहां के मुख्यालय के अभियन्ताओं की भी सांठ-गांठ है । बल्कि मैं तो आरोप लगाना चाहता हूं कि इसमें सरकारी पक्ष से माननीय मंत्री जी की भी सांठ-गांठ है । मैं निवेदन कर रहा था कि कुछ समय

पूर्व पुलिस प्रवर्तन दल, रायबरेली ने उन्नाव में छापा मारा तो वहां पर उन्नाव में कुछ फैक्ट्रियां पकड़ी गयीं। एक सुपर बोर्ड मिल है, उसे 95 हार्स पावर का लोड स्वीकृत है, लेकिन 97 हार्स पावर का काम लिया जा रहा है। इसी प्रकार वेतन टैनरी को 25 हार्स पावर का लोड स्वीकृत है लेकिन 147 हार्स पावर इस्तेमाल हो रही है। इसी तरह से रायबरेली वेस्पा कार कम्पनी में भी इसी प्रकार की चोरी हो रही है। लेकिन इस प्रकार की चोरी में जो लोग पकड़े गए, उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी। अधिशासी अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता दायित्व निर्धारित नहीं हुआ। एक काश्तकार पकड़ा जाता है तो उसका डिस्कनेक्शन हो जाता है और चोरी का इतना बड़ा आरोप लगता है कि मुकदमा सेशन में ट्रायल होता है।

श्री उपाध्यक्ष--

समाप्त करें।

श्री हृदय नरायन दीक्षित--

एक सोमानी उन्नाव इण्डस्ट्रीज है। वह एक स्टील फैक्ट्री है। वहां अधिशासी अभियन्ता द्वारा चोरी करने में मदद की गई और मोटर तुड़वा कर बैक कराया गया। इसी के साथ में अनुरोध कर रहा हूं कि जो निजी नलकूप के कनेक्शन सिंचाई काश्तकारों को दिये जाते हैं, उनको 300 मीटर तार और 3 खम्बे निःशुल्क मिलते हैं। लेकिन पूरे प्रदेश में जो कनेक्शन लगाए जाते हैं, तो नलकूप जितनी दूरी पर है, उससे ज्यादा दूरी दिखाकर उनके खम्भे और तार औद्योगिक कनेक्शन वालों को बेचे जाते हैं। इसी तरह से पूरे प्रदेश में बिजली विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा विद्युत् विभाग को चूना लगाया जा रहा है और मेरा आरोप है कि इसमें सरकार की साजिश है और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् को करोड़ों रुपयों का घाटा हो रहा है। इसीलिये इस पर काम रोक कर चर्चा की मांग करता हूं।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, किसानों को बिजली नहीं मिल रही है। अगस्त, 1988 से दिसम्बर, 1988 तक जितने लोगों ने कनेक्शन मांगे थे. . .

श्री उपाध्यक्ष--

यह बिजली की समस्या जिसके बारे में किरन पाल सिंह जी ने नोटिस दी है, वर्मा जी की भी है, इस पर मैं एक घंटे की चर्चा स्वीकार करता हूं।

श्री किरन पाल सिंह--

मान्यवर, सुन लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष--

अभी नहीं। एक घंटे की चर्चा में मौका मिलेगा। खूब बोल लीजियेगा।

श्री किरन पाल सिंह--

(घोर व्यवधान के मध्य)

विद्युत् विभाग के पास न ट्रान्सफार्मर हैं, न खम्भे हैं, न तार हैं, न केबिल हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

जब उस पर चर्चा स्वीकार कर ली है, आप लोग बैठें।

श्री किरन पाल सिंह--

मान्यवर, 1987 से एग्रीमेंट हुए पड़े हैं किन्तु विद्युत का कनेक्शन नहीं दे रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, इस पर एक मिनट सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय वर्मा जी मैंने उस पर चर्चा स्वीकार कर ली है उस पर अब कुछ न कहिये।

श्री हरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, बिजली के अभाव मे खेतों को पानी नहीं मिल रहा है। मान्यवर, इस पर एक मिनट सुन लें, किसानों में हाहाकार मचा हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष--

अब हरेन्द्र जी यह बात ठीक नहीं है। इस पर चर्चा स्वीकार कर ली है। जब चर्चा होगी, तब सुनूंगा।

माननीय ऊर्जा मन्त्री जी हृदय नारायण दीक्षित के मामले में कुछ कहना है।

ऊर्जा एवं बीस सूत्री कार्यक्रम मन्त्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)--

मान्यवर, हृदय नरायन दीक्षित जी ने उन्नाव और प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों द्वारा चोरी की जा रही विद्युत् की बात कही। इस सम्बन्ध में विद्युत् परिषद् की तरफ से बहुत प्रयास किये गये हैं और मान्यवर, 33 पुलिस स्क्वायड इस काम में लगाये गये हैं विद्युत् परिषद् के अधिकारियों के अलावा इसमें इस साल पहली अप्रैल से 15 फरवरी तक 37,488 छापे पुलिस दस्तों द्वारा डाले गये हैं, जिसमें 11 हजार 6 सौ 36 मामले चोरी के प्रकाश में आये। मान्यवर, एक्सेस लोड की जो बात माननीय दीक्षित जी ने कही है वह अपनी जगह सही है। इसमें 4,101 मामले एक्सेस लोड के पाये गये पूरे प्रदेश में। जिनसे मान्यवर, 13 करोड़ 43 लाख 78 हजार 9 सौ 50 रु० आन दि स्पाट रिलायज किये गये हैं। बिजली चोरी को रोकने के लिये पूरा प्रयास हो रहा है।

अगर कोई अधिकारी, कर्मचारी जिम्मेदार है उसके लिये तो उसकी हम जांच करायेंगे और उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही करेंगे। मैं माननीय दीक्षित जी से अनुरोध करूंगा कि वे ऐसी हल्की बात न करें कि उसमें माननीय मन्त्री जी की भी सांठ-गांठ है, अगर ऐसी हल्की बात कहेंगे, तो यह बात मुनासिब नहीं है, क्योंकि हमने तो विद्युत् चोरी के खिलाफ एक अभियान चला रखा है। विद्युत् चोरी करने वालों को हम किसी तरह से माफ करने वाले नहीं हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, इस प्रस्ताव के साथ ही नियम 56 में एक दूसरा प्रस्ताव रखा गया है। जो चयन समितियां है विद्युत् परिषद् की 1987 से एक भी गांव का चयन नहीं हुआ।

श्री उपाध्यक्ष---

आप बैठें ।

श्री विजय सिंह राणा---

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण मांग रहा हूं । 1987 के बाद से आज तक एक भी गांव का चयन नहीं हुआ । नलकूपों के कनेक्शन के लिये जो आवेदन किये गये हैं 1987 से आज तक वह पेंडिंग पड़े हुए हैं ।

श्री उपाध्यक्ष---

आप बैठें, चर्चा में यह सब आ जायेगा ।

श्री विजय सिंह राणा---

मान्यवर, जब रोकने वाली बात होती है तब तो आप रोकते नहीं हैं जो जरूरी बात है उसे पूछने नहीं दे रहे हैं । यह नलकूपों का कनेक्शन रुका पड़ा है । जो गांवों के चयन के लिये समितियां हैं, उसमें 1987 से आज तक चयन नहीं हुआ । कहीं तार नहीं है, कहीं ट्रांसफारमर नहीं है । इसके बारे में यह स्पष्टीकरण दें ।

श्री उपाध्यक्ष---

चर्चा के समय जवाब दे देंगे ।

*श्री पारस नाथ यादव---

मान्यवर, मेरा यह जो कार्य-स्थगन का प्रस्ताव है, किसानों से सम्बन्धित है । आज जो स्थिति है किसान खून पसीना एक करके 2 जून का भोजन नहीं कर पाता है । खाद देकर फसल बोता है, उसकी फसल सूखी रहती है । कहीं बाली निकल आयी है, उसमें दूध आ गया है तो पानी का अभाव है । राजकीय ट्यूबवेलों की स्थिति यह है कि 50 से 77 फीसदी ट्यूबवेल खराब हैं ।

जो नहरें हैं, उनमें पानी नहीं पहुंच रहा है । हमारे क्षेत्र में शारदा सहायक खंड 39 नहर जो इलाहाबाद से शुरू होती है, उसमें पानी काफी दिनों से नहीं आ रहा है, अगर कभी-कभार पानी आता भी है, तो नहर इस ढंग से बनायी गयी है कि पानी नीचे ही रह जाता है और टेल पर पानी नहीं पहुंच पाता है । विकास खंड, रामपुर में भी पानी नहीं पहुंच पा रहा है । किसानों की जमीन जो 10 साल से खुदाई करके पड़ी हुयी है और वह अपनी फसलों को सींच नहीं पा रहे हैं, इससे किसानों में बड़ा असंतोष और रोष व्याप्त है । किसान आज भूखों मर रहे हैं, आन्दोलित हो रहे हैं और धरना देने के लिये मजबूर हैं । मैं आज आपसे मांग करता हूं कि आज इस सदन की कार्यवाही रोककर आप इस गम्भीर मसले पर चर्चा करायें ।

श्री अम्मार रिजवी---

मान्यवर, मैं जरा उधर देख रहा था । जब यह सूचना हमारे पास प्राप्त हुयी, हमने उसे सिंचाई विभाग में भिजवाया है । कुछ तक पानी पहुंचना बहुत मुश्किल है, लिहाजा इस बात का प्रयास कराया है कि माननीय सदस्य जिस कुम पर पानी चाहते हैं, वहां शीघ्र पानी पहुंचाया जाय, इसको हम लोग सुनिश्चित करेंगे ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री पारस नाथ यादव--

मान्यवर, मन्त्री जी इसको बहुत हल्के-फुल्के ढंग से ले रहे हैं। आज किसानों की फसल सूख रही है, फसल एकदम जवानी पर है, बालियों में दूध आ रहा है। यह किसानों का बहुत गम्भीर मामला है। मन्त्री जी ने जिस हल्के-फुल्के ढंग से इसको लिया है, वह ठीक नहीं है। क्या पानी पहुंचायेंगे जब फसल सूख जायेगी।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, आज ही इस बारे में हम वहां पर मुख्यालय में आदेश भेज रहे हैं कि वहां पर सुनिश्चित करें कि पानी वहां पहुंचाया जाय। मैंने तो सिर्फ एक अंग्रेजी शब्द का अनुवाद कर दिया था क्योंकि माननीय सदस्य बार-बार कहते हैं कि अंग्रेजी शब्द का हिन्दी अनुवाद कर दिया करें। यदि इस शब्द से माननीय सदस्य को कोई ठेस पहुंची है, तो मैं इसके लिये उनसे क्षमा मांगता हूं।

*श्री देव कुमार यादव--

मान्यवर, यह बहुत गम्भीर मसला है और इस सदन के माननीय भूतपूर्व विधायक श्री लल्लू प्रसाद वर्मा, कर्वी जिला बनाओ मांग को लेकर 20 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हुये हैं। श्री वर्मा पहले ही हृदय रोग से पीड़ित हैं और आमरण अनशन पर बैठने से उनकी स्थिति बहुत गम्भीर हो गयी है। इस प्रश्न के माध्यम से मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि यह बहुत गम्भीर मसला है और सरकार कान में तेल डालकर बैठी हुयी है। सन् 1982 से कर्वी को जिला बनाने का आन्दोलन चल रहा है और सन् 1982 में भूतपूर्व राजस्व मन्त्री श्री कुरील जी वहां गये थे और उन्होंने वायदा किया था कि जब भी प्रदेश में कोई नया जिला बनाया जायगा, तो सबसे पहले कर्वी को जिला बनाया जायगा। अभी थोड़े दिन पहले प्रदेश में कई नये जिलों के बनाने की घोषणा की गयी, लेकिन कर्वी के साथ अन्याय किया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष--

समाप्त करें।

श्री देव कुमार यादव--

उसके बाद फिर इसी 23 तारीख से अधिवक्ता संघ का आन्दोलन हो रहा है, वहां 10 लाख जनता इस संभाग को आन्दोलित है। 2 जनवरी से अधिवक्ताओं ने न्यायालय, कचेहरियों का बहिष्कार किया हुआ है, सारा कामकाज ठप पड़ा हुआ है। 9 जनवरी से रास्ता जाम आन्दोलन किया जा रहा है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि अगर सरकार इस मांग को जल्दी नहीं मानती है, तो फिर पूरे प्रदेश में कहीं भी रास्ता जाम हो सकता है और जैसी स्थिति आज कानपुर में है, उससे भी खराब स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वहां पर 9 जनवरी को पुलिस फायरिंग हुयी, गिरफ्तारियां हुयीं और लाठीचार्ज किया गया।

श्री उपाध्यक्ष--

देव कुमार जी, समाप्त करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री देव कुमार यादव—

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आप इस सरकार को निर्देश दें कि यह सरकार उनकी इस मांग को जल्दी पूरा करने की घोषणा करे, साथ ही मैं इस गम्भीर मामले पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराये जाने पर बल देता हूं ।

(श्री राम सजीवन जी के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपा करके बैठ जायं । कोई चर्चा नहीं हो रही है । मैंने राजस्व मन्त्री जी को बुला लिया है ।

राजस्व मंत्री (श्री माता प्रसाद)—

मान्यवर, 1982 में जिला पुनर्गठन समिति ने कर्वी को जिला बनाये जाने हेतु संस्तुति नहीं की थी । इधर कुछ नये जिले सृजित किए गये हैं । सरकार के संज्ञान में है कि कुछ जगह जिला बनाये जाने हेतु आन्दोलन चल रहे हैं । इसी को दृष्टि में रखते हुए एक समिति बना दी गई है, जिसमें अध्यक्ष, राजस्व परिषद्, सचिव, राजस्व परिषद्, प्रमुख सचिव, वित्त या उनका कोई प्रतिनिधि, नियोजन का सचिव या उनका कोई प्रतिनिधि, कमिश्नर, मेरठ मण्डल, और लखनऊ मण्डल के कमिश्नर हैं । जहां-जहां से भी नये तहसील व जिला बनाये जाने के सम्बन्ध में मांगें आ रही हैं, इन्हें हम उस समिति के पास भेज देंगे । यदि वह समिति सिफारिश करती है तो हम इस पर फिर विचार कर लेंगे ।

(श्री राम आसरे वर्मा, श्री देव कुमार, श्री राम सजीवन व श्री शारदा प्रताप के एक साथ खड़े होने पर शोर)

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, कर्वी को जिला बनाये जाने के मामले को माननीय मन्त्री जी ने किस तरह से टाल दिया, यह एक गम्भीर बात है ।

(इसी बीच दर्शक दीर्घा से किसी व्यक्ति द्वारा नारे लगाये जाने पर)

(व्यवधान)

(श्री देव कुमार व श्री राम सजीवन सदन के फ्लोर में आकर बैठ गये ।)

श्री उपाध्यक्ष—

इस प्रकार सदन नहीं चलेगा । आप कृपा करके अपना-अपना आसन ग्रहण करें । यदि आप लोग सदन को विधिवत् नहीं चलने देंगे तो मैं हाउस को स्थगित कर दूंगा ।

(घोर-व्यवधान)

(श्री राम सजीवन तथा श्री देव कुमार यादव के सदन के फ्लोर पर बैठे रहने तथा श्री राम आसरे वर्मा द्वारा अपने स्थान से खड़े होकर बिना अनुमति बोलते रहने से उत्पन्न घोर व्यवधान के मध्य)

आप अपना आसन ग्रहण करें ।

(उक्त माननीय सदस्यों द्वारा आसन ग्रहण न करने पर)

मैं सदन को 15 मिनट के लिये स्थगित करता हूं ।

(इस समय 3 बजकर 40 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी । 3 बजकर 55 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सूचित किया कि माननीय उपाध्यक्ष ने सदन का स्थगन 15 मिनट और बढ़ा दिया है । 4 बजकर 10 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

*श्री राम सजीवन--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय आपको कर्वी को जिला बनाने की मांग तुरन्त स्वीकार करनी चाहिए और आज ही इसी समय इस सदन के अन्दर आपको घोषणा करनी चाहिए क्योंकि सदन में मौजूद सभी माननीय सदस्यों ने और सदन के बाहर भी सभी माननीय सदस्यों ने इसका समर्थन किया है कि कर्वी को जिला बनना चाहिए और यही नहीं मान्यवर कांग्रेस के संसद माननीय श्री भीष्मदेव दूबे व सभी दल के लोगों ने चाहे वह लोकदल हो, जनता पार्टी हो, कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस (जे0) हो, सभी ने समर्थन दिया है । तो मान्यवर जब सदन के सभी दलों का समर्थन प्राप्त है तो इस सब को देखते हुए मैं आपसे आशा करता हूं कि आप तत्काल कर्वी को जिला घोषित करने की कृपा करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप कृपया आसन ग्रहण करें, बस हो गया ।

श्री राम सजीवन--

नहीं मान्यवर आप इस मांग को स्वीकार करें और इसी बात को लेकर एक भूतपूर्व माननीय सदस्य आमरण अनशन पर बैठे हैं, जिनकी जिन्दगी खतरे में है, उसे बचाने का प्रयास करें । मान्यवर आप इस बात को स्वीकार क्यों नहीं करते हैं आखिर इसमें शासन का क्या नुकसान है । इसलिए आपसे निवेदन है कि आप तुरन्त आज ही और इसी समय कर्वी को जिला बनाने की घोषणा करें, अगर आप इस मांग को स्वीकार नहीं करेंगे तो इसका मैं डटकर विरोध करूंगा क्योंकि अनशन पर बैठे हुए लोगों की जान खतरे में है ।

श्री उपाध्यक्ष--

कृपया विराजें, हो गयी बात आपकी, बैठ जाएं

श्री विष्णु देव--

मान्यवर जो हमने कार्य-स्थगन का प्रस्ताव दिया है, वह पूरे प्रदेश के ग्रामीण अंचलों से सम्बन्धित है । गांव में जितनी भी ग्राम समाज की जमीनें हैं, चाहे वह सार्वजनिक हों, बंजर हों, खेत व खलिहान हों, सारी चीजें आज असुरक्षित हैं, यहां तक कि चक रोड है, चक नाली, जिसे गांव के जबर्दस्त लोग जबर्दस्ती से उन पर कब्जा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

करते चले जा रहे हैं। बहुत हल्ला होने पर 115-सी में मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है और पिछले 10-15 सालों के यह मुकदमें आज तक निस्तारित नहीं हो सके हैं। मेरे क्षेत्र में भी मान्यवर यही हो रहा है। ग्राम चक्की मूसाडोही में दो जबर्दस्त परिवारों द्वारा लगभग 300 एकड़ भूमि पर कब्जा कर लिया गया है, वहां के प्रधान व अन्य लोगों ने जिलाधिकारी को बराबर दरख्वास्तें दीं और मान्यवर शासन को भी दे रहे हैं, लेकिन कोई बात कहीं सुनी नहीं गयी, यहां तक वह जबर्दस्त लोग उस बंजर भूमि का पूरी तरह से हथिया लिए, जिलाधिकारी व अन्य तमाम लोग सब तमाशा देखते रहे। इस प्रकार से प्रदेश में जहां-जहां जबर्दस्त लोगों द्वारा ग्राम समाज की जमीन, जो गरीबों को, भूमिहीन किसानों को मिलती, जबरदस्त लोगों द्वारा हड़प की जा रही हैं, लेकिन शासन की ओर से कहीं भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, इसीलिए मान्यवर यह बहुत ही गम्भीर मामला है, इस पर सदन की कार्यवाही रोक कर आज ही चर्चा करायी जानी चाहिए, यही मान्यवर हमारी मांग है।

राजस्व मंत्री (श्री माता प्रसाद)--

जहां भी इस प्रकार की कोई सूचना मिलती है, चाहे वह जमीन गांव समाज की हो या कहीं की भी हो, अनधिकृत रूप से यदि कब्जा की गयी है तो उसके खिलाफ जैसा कि आपने स्वयं कहा कि 115-सी का मुकदमा कायम होता है और उसके अनुसार कार्यवाही पूरी की जाती है और यदि गांव समाज की भूमि के अनधिकृत रूप में अनुसूचित जाति के व्यक्ति ने कब्जा कर ली है तो उस कब्जे को जो 30 जून, 1985 तक 3 1/8 एकड़ भूमि कर रखी है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए जो अनुसूचित जाति वर्ग से सम्बन्धित है तो जमींदारी उन्मूलन अधिनियम के नियम 122--बी 4 (एफ) के अन्तर्गत वह भूमि विनियमित कर दी जाती है।

लेकिन जो इस श्रेणी में नहीं आते हैं, उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है और उन पर जुर्माना किया जाता है और जमीन निकाल ली जाती है और दुबारा फिर से अगर कोई उस जमीन पर कब्जा करता है, तो अलग से मुकदमा चलाया जाता है।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, गुप्ता जी ने जो सवाल उठाया है, वह बड़ा ही अहम सवाल है और माननीय मन्त्री जी ने पिटी-पिटाई बात बता दी। वस्तु स्थिति यह है कि हरिजनों और गरीबों को जमीनों पर कब्जा नहीं मिलता है। मुकदमा चलता रहता है, जो जुर्माना किया जाता है, उसका कोई असर नहीं पड़ता है तो क्या माननीय राजस्व मन्त्री जी रेवेन्यू एक्ट में संशोधन करके ऐसा कानून बनायेंगे जिससे इस तरह के काम को अपराधी किस्म का माना जाये और उसके लिये 5 या 7 साल की सजा का प्राविधान हो और दूसरी बात यह है कि गुप्ता जी ने जो 300 एकड़ वाली बात को उठाया है, क्या उसको खाली करायेंगे और उन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री माता प्रसाद--

मान्यवर, जिस तरफ माननीय सदस्य ने ध्यान दिलाया है, उसकी मैं जांच करा लूंगा। इस प्रकार से अगर किया गया है तो उस जमीन को खाली कराया जायेगा और जो अनधिकृत कब्जा किया गया, उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। जहां तक 5 या 7 साल की सजा देने की बात है, तो दफा 198-ए में यह व्यवस्था है कि अगर कोई

आदमी किसी की आवंटित भूमि पर कब्जा करता है तो मुंसिफ कोर्ट में मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन जैसा माननीय सदस्य ने कहा, अदालत में देरी अवश्य होती है ।

श्री उपाध्यक्ष--

श्री गोपीनाथ वर्मा, डा० दिनेश जौहरी और श्याम बिहारी की सूचनाओं को, जो बुनकरों के सम्बन्ध में हैं, एक घन्टे की चर्चा स्वीकार करता हूं । श्री देव कुमार यादव की सूचना को स्टेटमेन्ट के लिये और श्री बलराम यादव की सूचना को वक्तव्य के लिये स्वीकार करता हूं । बाकी सभी सूचनाओं को अस्वीकार करता हूं ।

वित्तीय वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमागत)†

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय--

मान्यवर, आपने प्रस्तुत बजट पर बोलने का जो अवसर प्रदान दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं ।

सदन में नियमों का कड़ाई से पालन किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । हम लोग अपने-अपने क्षेत्रों से चुन कर आते हैं, मैं किसी पर आरोप नहीं लगाता हूं, लेकिन जिस तरह से एक-एक मिनट में अव्यवस्था हो रही है, उससे हम अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं और अपने अधिकारों से वंचित हो जाते हैं । असरकारी दिवस को सरकारी दिवस में परिवर्तित कर दिया जाता है । पीठ के सारे अधिकारों से लैस होने के बावजूद भी नियम बदल जाते हैं, तो हम किससे आग्रह करें । क्या हमारे हितों की रक्षा होगी ? अगर इसी प्रकार से सदन चलेगा तो हम अपने अधिकारों से वंचित रह जायेंगे ।

*श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, आप में इतने अधिकार हैं कि अगर कोई सदस्य वेल में चला जाता है, तो उस दिन भर के लिये सस्पेंड हो जाता है, लेकिन जो नियम बनाये गये हैं, उनका पालन नहीं होता है । जब नियमों का पालन नहीं होता है, तो वह क्यों बनाये जाते हैं ? संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी कहा कि यह नहीं होना चाहिये । मैं पाण्डेय जी की बात का समर्थन करता हूं कि या तो नियम बनाये जायें तो उनको कड़ाई के साथ पालन किया जाये अन्यथा न बनाये जायें । नियमों का उपहास आपकी पीठ से होता है और उसमें सत्ता पक्ष की मदद होती है, लोगों को चर्चा से वंचित करते हैं । मैं कहना चाहता हूं कि इतने नियमों से लैस होने के बाद भी कौन सी असमर्थता है कि आप सदन को व्यवस्थित रूप से नहीं चला पाते हैं । आखिर आप उन अधिकारों का प्रयोग कब करेंगे ? अगर नहीं करते हैं तो वे नियम क्यों बनाये हैं ?

---

†दिनांक 21 फरवरी, 1989 की कार्यवाही से ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, माननीय माता प्रसाद पाण्डेय, माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी न जो बात कही है उससे मैं भी सहमत हूं। चाहे कोई भी सदस्य हो, हमारी एक संसदीय परम्परा है और यदि उसके खिलाफ आचरण होता है तो आप सख्ती से पेश आयें।

श्री उपाध्यक्ष--

नियमों का कड़ाई से पालन होगा।

श्री राम आसरे वर्मा--

लेकिन होता क्या है कि जब हमारी बोलने की बात आती है तो लोग वहां पर पहुंच जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

अब तो मान लीजिये। मैं कह रहा हूं कि अब वह बात हो गई।

(व्यवधान)

अभी भी नहीं मान रहे हैं।

सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, माननीय माता प्रसाद जी ने, माननीय तिवारी जी ने तथा माननीय राम आसरे वर्मा जी ने जो बात कही है मैं पूरी तरह से उसका समर्थन करता हूं और आपसे यह भी अनुरोध करता हूं कि माननीय सदस्यगण नियमों का पालन करें। हम देख रहे हैं कि हर व्यक्ति यह कह रहा है नियमों का पालन होना चाहिए लेकिन नियम टूट कहां से रहे हैं, यह बात समझ में नहीं आयी। इस पर रोशनी डाल दें।

श्री उपाध्यक्ष--

आइन्दा नियमों का कड़ाई से पालन किया जायेगा।

वित्तीय वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमागत)†

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने प्रस्तुत बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया है। सर्व प्रथम मैं माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत क्रांतिकारी बजट जो कि प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिये जनोपयोगी साबित होगा, इस का स्वागत करता हूं, समर्थन करता हूं और इसके लिये उन्हें बधाई देता हूं। प्रदेश को हर दृष्टिकोण से देखने के बाद जो जनहित में आवश्यक था उन सभी बिन्दुओं पर विचार करने के बाद यह प्रस्तुत किया गया है। मान्यवर, सर्व प्रथम मैं अपनी सरकार को इस बात के लिये बधाई देना चाहता हूं, मान्यवर, आप इस बात से अवगत होंगे कि बीच में एक सरकार यहां पर आयी थी और जो जिला परिषदें

†दिनांक 21 फरवरी, 1989 की कार्यवाही से।

यहां थीं, निर्वाचन के बाद उन जिला परिषदों का गठन हुआ था, उन सबको बिना कारण भंग कर दिया गया था। लेकिन हमारी सरकार ने प्रजातंत्र को ध्यान में रखते हुये उसके सिद्धांतों पर चलकर इन जिला परिषदों का गठन किया। इसके लिये भी हमारी सरकार बधाई की पात्र है।

मान्यवर, इस बजट का पूरा अवलोकन करने के बाद मैं कुछ बिन्दुओं की तरफ अपने सभी माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज सबसे बड़ी समस्या हमारे प्रदेश में युवा वर्ग की बेरोजगारी की थी। विपक्ष के सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार इस बात पर ध्यान नहीं दे रही है। हमारी सरकार ने युवा वर्ग के रोजगार के लिये तीन करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट रखा है और विशेष रूप से इस हेतु बैंकों को, वित्तीय संस्थाओं को, खादी बोर्ड को, जिला उद्योग बोर्ड को सक्रिय रूप से सम्बद्ध किया है जिससे हमारे युवकों को रोजगार मिल सके। यदि यह योजना कायदे से लागू हो गई तो मुझे यह कहने में कतई संकोच नहीं है कि जो युवक आज रोजगार मांग रहे हैं वे अपना उद्योग स्थापित करके दूसरों को रोजगार दिलाने में सक्षम हो सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में ट्राइसेम योजना तथा नगर क्षेत्रों में नगरीय योजनायें सरकार ने लागू की हैं। कुछ मानवीय दृष्टिकोण से, बीच में धनाभाव होने के कारण विधवाओं और वृद्धों को पेंशन का आर्थिक लाभ नहीं पहुंच पा रहा था लेकिन इसके लिये हमारी सरकार ने 15 करोड़ रुपया अतिरिक्त बजट में रखा है। इससे विधवाओं और वृद्धों को पेंशन मिल सकेगी। इस दृष्टिकोण से भी हमारी सरकार बधाई की पात्र है। समाज के कमजोर वर्ग के कल्याण हेतु सरकार ने बीमा योजना चलाई है। जैसे रिक्शा तांगा चालक हैं, खेतिहर मजदूर हैं उनके लिये कोई बीमा योजना लागू नहीं थी, उनके मृत्यु के बाद वारिसान को कोई देखने वाला नहीं था। हमारे मुख्य मंत्री जी ने उनके प्रति चिन्तन किया और उसी के फलस्वरूप उनके लिये बीमा योजना लागू की गई।

मान्यवर, एक चीज मैं और कहना चाहता हूं औद्योगीकरण के सम्बन्ध में जो सरकार ने पायोनियर प्रोजेक्ट स्कीम रखी है वह बहुत अच्छी है और प्रदेश के हित में है। अक्सर देखा जाता है कि जो नगर या जनपद औद्योगीकृत होते हैं वहीं पर आगे भी बड़े-बड़े उद्योग लग जाते हैं लेकिन पायोनियर प्रोजेक्ट के अन्तर्गत अब प्रत्येक तहसील पर कम से कम एक बड़ा उद्योग लगेगा जिसका औद्योगीकरण में बहुत महत्व है। अब हम आशा कर सकते हैं कि कोई जनपद या तहसील ऐसी नहीं बचेगी जिसका औद्योगीकरण न हो सके।

इसके साथ ही जो व्यापार मित्र की स्थापना की गयी है और नोएडा की तरह औद्योगिक आथारिटी स्थापित की गयी है उसमें नये उद्योगों की स्थापना के लिये 10 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है और उद्यमिता निधि की स्थापना की गयी है। इससे उद्यमियों को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। प्रदेश में 8 औद्योगिक प्रोथ सेंटर के रूप में चयनित होंगे मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह जो 8 औद्योगिक प्रोथ सेंटर खोले जायेंगे इसमें ऐसा न हो कि गोंडा जनपद रह जाय। गोंडा बहुत पिछड़ा हुआ जनपद है। यहां एक टेलीफोन इंडस्ट्री भारत सरकार की मेहरबानी से और प्रदेश सरकार की संस्तुति से खुली है केवल उससे पूरे जनपद का औद्योगिक विकास नहीं हो सकता है। इसलिये मेरा अनुरोध है कि इन 8 सेंटर्स में से एक हमारे यहां गोंडा में भी खोला जाय।

शिक्षा के बारे में मैं आभार प्रकट करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

एक मिनट में समाप्त करें ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय--

मैं दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं । सरकार ने 8वीं कक्षा तक लड़कों के लिये निःशुल्क शिक्षा का व्यवस्था की है । इससे गरीब और हरिजन तथा बेसहारा लोग जिनके पास पैसा नहीं है उनके बच्चे 8वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे और हमारी सरकार उनको आगे भी शिक्षा देगी । शिकायत भी उसी से होती है जो शिकायत को सुनते हैं आपको भी तजुर्बा होगा एक बीच में सरकार आई थी उससे शिकायत लोग कम करते थे क्योंकि लोग मान कर चलते हैं कि जो पूरा नहीं कर सकता है उससे शिकायत नहीं करते हैं । मुझे याद है जब मैं यूथ कांग्रेस का प्रेसीडेंट था तो हमारा अधिवेशन हो रहा था उसमें माननीय स्व0 प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी आयी थीं उन्होंने कहा था कि शिकायत भी वहीं लोग करते हैं जहां समझते हैं कि सुनवाई होगी और समझ लीजिये कि यह प्रगति की निशानी है । हमारे विपक्ष के सदस्य भी इसीलिये आपके माध्यम से शिकायत करते हैं और आप उनको सुनते हैं ।

शिक्षा के लिये भवन बनाने के लिए बजट में प्राविधान किया गया है और 12050 भवन बनाने का विचार है लेकिन इसमें एक चीज का अभाव दिखाई पड़ता है । इसमें जगह ढूंढने से भी नहीं मिलती है इसके लिये सरकार को जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेना होगा वरना ऐसा न हो कि इस योजना को पूरा करने में सफलता पूरी तरह से न मिल पाये । इसी के साथ में कहना चाहता हूं कि गोंडा में एक महिला डिग्री कालेज की नितांत आवश्यकता है इसके लिये मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं । इन शब्दों के साथ में बजट का समर्थन करता हूं । धन्यवाद ।

कानपुर के कपड़ा मजदूरों के आन्दोलन के सम्बन्ध में गठित सर्वदलीय समिति के सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री उपाध्यक्ष--

(श्री हरिशंकर तिवारी का नाम पुकारने पर) आप एक मिनट रुक जांय मैं एक घोषणा कर दूं ।

जो 7 सदस्यों की कमेटी बनाने का प्रस्ताव आया था संसदीय कार्य मन्त्री जी की तरफ से वह सर्वसम्मति से स्वीकार हो गया था । मैं उनके नाम पढ़ दूं ।

श्री आर0 एन0 पाठक, संयोजक, श्री राम आसरे वर्मा, श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी, श्री राज किशोर सिंह, श्री शतरुद्र प्रकाश, श्री नेकचन्द्र पाण्डेय, और श्री जौहरी लाल त्रिवेदी यह 7 सदस्य हैं ।

वित्तीय वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमागत)

श्री हरिशंकर तिवारी--

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जो वित्त मंत्री भी हैं जो एक अच्छे नियोजक भी हैं जब उनके द्वारा बजट प्रस्तुत हुआ था तो मुझे आशा हुई थी कि यह बजट एक अच्छे

नियोजक के द्वारा रखा गया है और इसमें प्रदेश के सर्वांगीर्ण विकास की चर्चा और समस्याओं के समाधान का रास्ता होगा । लेकिन जब इस बजट की तरफ....

(व्यवधान)

श्री हरदेव--

व्यवस्था का प्रश्न है कि समिति में आपने 7 सदस्य रखे उसमें अनुसूचित जाति का कोई सदस्य नहीं है, इसलिये हनुमान प्रसाद कुरील को रखें ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । आप बैठ जायं ।

श्री हरि शंकर तिवारी--

लेकिन जब इस बजट में मैंने अपने विधान सभा क्षेत्र और जनपद के सम्बन्ध में देखा तो बड़ी निराशा हुयी । दोनों पक्ष के माननीय सदस्य सहमत होंगे कि बेरोजगारी की समस्या एक विकट समस्या है, आज पढ़े लिखे लोग, इंजीनियर्स जिन पर लाखों रुपये सरकार व्यय करती है आज वह आन्दोलित हैं और उनको रोजगार देने के लिये बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है ।

मान्यवर, अब मैं अपने जनपद की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुये कहना चाहता हूं कि वहां का जिला प्रशासन भ्रष्टाचार में डूबा है । एक तरफ जहां मुख्य मन्त्री बधाई के पात्र हैं कि जिला परिषदों के चुनाव करा दिये वहीं दुख भी है कि इन चुनावों में वहां के जिलाधिकारी, डी0 आई0 जी0 और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने इतना भ्रष्टाचार और अत्याचार किया कि जिला परिषद् के सदस्य श्री चन्द्र शेखर को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने घर से पकड़ कर बन्द कर दिया जबकि उनका लड़का बीमार था और मरने की खबर मिलने पर भी उनको नहीं छोड़ा गया । जब उनका लड़का मर गया और दूसरे दिन वोट डलवा लिया तभी उनको छोड़ा गया, तो यह हृदयहीनता की पराकाष्ठा है ।

मान्यवर, अब मैं अपने क्षेत्र के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि राप्ती और घाघरा प्रदेश की इन दो बड़ी नदियों से मेरा क्षेत्र घिरा हुआ है और 150 गांव बाढ़ से प्रति वर्ष प्रभावित होते हैं और उनका कटान होता है । मैं चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र के कोठा, नेवादा, मेड़ी, रकहट, गरयाकोल, असवन पार, पूर, आछोडीह, पोहरिया, दिस्तोलिया जो राप्ती नदी के किनारे हैं और घाघरा नदी के किनारे टेढ़िया तथा राष्ट्रीय मार्ग नं0 29 पर बने घाघरा सेतु के दोनों तरफ नदियों की भीषण कटान से उनको बचाने के उपाय किये जायं इसी के साथ सेमरा से पटना तक और डेरवा से टेढ़िया तक बांध बनाया जाये ताकि यह क्षेत्र बाढ़ से सुरक्षित हो सके ।

मान्यवर, मैं यह भी चाहता हूं कि मेरी तहसील गौला है जो उद्योग शून्य है, इसलिये वहां उद्योग की स्थापना की जाये इस तहसील में 250 किलो मीटर तक नदियों की बेल्ट है जो घास से भरे हैं, इसलिये यहां कागज के उद्योग लगायें जिससे वहां के लोगों को रोजगार मिल सके । मान्यवर, वहां के लोग आज भी 42 साल स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भी विदेशों में अपना जीवनयापन करने के लिये जाते हैं और जब उन्हें अपने परिवार में रहकर परिवार में सेवा करने का अवसर प्रदान होना

चाहिये, तो रोजगार के अभाव मे वह बेचारे दर-दर भटकते हैं। इसलिये वहां पर उद्योग का लगाना अतिआवश्यक है। हमारे यहां सांऊपुर से सेमरा मार्ग है, सार्वजनिक निर्माण मन्त्री जी बैठे हुये हैं, वहां पर तरेहना नाले पर पुल बनवा दिया जाय। इससे देवरिया और बिहार के आने-जाने की दूरी 100 किलो मीटर कम हो जायेगी। इससे धन का जो अपव्यय होता है, उसकी बचत होगी। ऐसे ही पिढ़हनी से बेरिया मार्ग पर भुतहा नाले पर भी माननीय सार्वजनिक निर्माण मन्त्री जी एक पुल बनवा दें, उससे वहां के लोगों का काफी भला होगा और देवरिया जिले की ओर जाने के लिये काफी दूरी कम हो जायेगी और धन की बचत होगी। मैं अन्त में, नेता विरोधी दल द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

*श्री नारायण हरि शर्मा—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने 1989-90 के आय-व्ययक बजट पर बोलने का मुझे अवसर दिया। यह जो उत्तर प्रदेश का बजट माननीय मुख्य मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, यह गरीबों के लिये है किसानों के लिये हैं, मजदूरों के लिये, पिछड़े हुये लोगों के लिये और निर्बल वर्ग के लोगों के लिये हैं। हमारे मा0 मुख्य मन्त्री जी ने जब पिछली बार केन्द्र में भारत सरकार का बजट उसके वित्त मन्त्री के रूप में प्रस्तुत किया था, तो उस अच्छे और समाजवादी बजट से सारे देश को आश्चर्य चकित कर दिया था। उसकी देश के सारे लोगों ने प्रशंसा की थी और कहा था कि यह किसानों और मजदूरों का बजट है। आज उन्हीं भावनाओं का परिचायक यह बजट है। इसमें भी उन्होंने उन्हीं भावनाओं को साकार करने की चेष्टा की है। इसमें भी उन्होंने हर वर्ग के लोगों को पूरा लाभ पहुंचाने का प्रयास किया है। आठवीं कक्षा तक के बालकों की शिक्षा निःशुल्क, करीब साढ़े 12 हजार स्कूल जो भवन विहीन थे उनको भवन दिया जाना, पेंशन में वृद्धि और लोनिंग की बाधाओं को दूर किया जाना आदि घोषणायें इस बात की द्योतक हैं कि वह गरीबों की मसीहा के रूप में इस बजट के माध्यम से काम करना चाहते हैं।

उन्होंने भारी उद्योगों की चर्चा में अलीगढ़ जनपद का जिक्र किया है। उन्होंने यहां के लिये पेट्रोलियम सलेमपुर प्रोजेक्ट के बारे में कहा है कि केन्द्र सरकार से उसकी स्वीकृति मिल चुकी है। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि बजट में इसकी दो-तीन वर्ष से चर्चा है, लेकिन इसका अभी कार्य शुरू नहीं हुआ है। यह इतना बड़ा प्लान है कि इससे न केवल अलीगढ़ बल्कि पूरे आगरा मंडल के जिलों का इससे भला होगा। किन्तु अभी तक यह मूर्त रूप में परिणित नहीं हो पाया है। इसलिये मैं चाहता हूं कि वायदे को पूरा किया जाय और यह चिरप्रतीक्षित योजना शीघ्र लगायी जाये। क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड-न्याय देर से मिलता है तो उसका कोई महत्व नहीं रहता है। इस तरह की बड़ी और महत्वपूर्ण योजना जो इतने दिनों से घोषित की जा चुकी है, यदि देर से लगायी जायेगी तो उसके साथ और भी योजनायें लग जाने से इसका कोई महत्व नहीं रहेगा। इसको लगवाने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार केन्द्र का यह सन्देश दे कि यह शीघ्र लगवायी जाये।

मैं अब बीस सूत्री कार्यक्रम की तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह राष्ट्रीय कार्यक्रम है और यह किसी दल विशेष का कार्यक्रम नहीं है। इसमें सबसे बड़ी कमी यह है। जब तक इसका अनुदान खत्म

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं किया जायेगा, तब तक इससे भ्रष्टाचार नहीं जायेगा। इसलिये मेरा सुझाव है कि जो भी लाभार्थी को पैसा दिया जाये किसी भी योजना में या किसी भी कार्य में तो उसका बैंक में खाता खोला जाय और चेक से उसमें रुपया पहुंचाया जाये और बिना ब्याज के किस्तों पर उसका रुपया दिया जाये। अन्यथा कोई शक्ति भ्रष्टाचार को रोकने की नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से माननीय मुख्य मन्त्री जी से और सभी माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि अगर इसको जन उपयोगी बनाना चाहते हैं इसके आलोचकों का मुंह बन्द कराना चाहते हैं तो इसमें कार्यवाही करनी होगी। मैं अपने क्षेत्र की एक-दो समस्याओं के बारे में कहना चाहूंगा। मान्यवर, पटेनी का पुल करवन यदी पर बनवाया जाये बरसात में 40 गांव जो मेरे क्षेत्र के हैं वह कट जाते हैं यातायात नहीं हो पाता है तो पटेनी का पुल शीघ्र बनवाया जाये। मान्यवर, दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि 61वां जिला फिरोजाबाद बसाया गया है जब हाथरस को जिला बनाने की बात थी तो यह कहा गया कि फिरोजाबाद जिला बनाने के बाद हाथरस का स्थान आयेगा, तो हाथरस जो कानपुर से दूसरे नम्बर का व्यवसायी शहर है, हाथरस को भी जिला बनाया जाना चाहिये। एक बात आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्री जी के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जितने भी जिले बने परिसीमन की घोषणा पहले होनी चाहिये ताकि परिसीमन के बाद आन्दोलन न हो, तो जिले बनाने की योजना कार्यान्वित की जाये और परिसीमन से पहले घोषणा कर दी जाये कि कौन-कौन सी तहसीलें राजी से आना चाहती हैं।

मान्यवर, तीसरी बात किसानों के बारे में कहना चाहता हूं किसानों की बात मैं किसान की हैसियत से कह रहा हूं। गेहूं की जो सपोर्ट प्राइज दिया गया है वह 183 प्रति कुन्टल दिया गया है। मान्यवर, आगरा कमिश्नरी और अलीगढ़ जिले में कृषि उत्पादन में गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक होता है। जो मूल्य दिया गया है सरकार उसको बढ़ाने पर विचार करे--

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें।

श्री नारायण हरि शर्मा--

बोनस और ट्रान्सपोर्ट के नाम से किसानों को कुछ दिया जाये जिससे किसान सन्तुष्ट हो सकें। इन्हीं शब्दों के साथ में बजट का समर्थन करता हूं।

कानपुर के कपड़ा मजदूरों के आन्दोलन के सम्बन्ध में गठित सर्वदलीय समिति में 7 सदस्यों के बजाय 9 सदस्य कर दिये जाने हेतु सदन की सहमति का प्रस्ताव

श्री हरदेव--

माननीय उपाध्यक्ष जी, जो कानपुर के मजदूरों के लिए समिति गठित की गई है मैं चाहूंगा कि उसमें एक अनुसूचित जाति का सदस्य और एक अल्पसंख्यक का सदस्य रखा जाए इस बात का मैं प्रस्ताव करता हूं।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, जब सदन ने एक प्रस्ताव पेश कर दिया तो उसको निरस्त करने की क्या आवश्यकता है। इसमें प्रस्ताव की क्या जरूरत पड़ गई, आपको तो खुद अधिकार है।

श्री उपाध्यक्ष—

सात सदस्यों की समिति थी वह नौ सदस्यों की करनी है तो इसमें सदन की सहमति तो लेनी ही पड़ेगी। प्रश्न यह है कि जो 7 सदस्यों की समिति थी उसमें 9 सदस्य कर दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष—

श्री हनुमान प्रसाद कुरील और डा० मोहम्मद उमर, यह नाम और जोड़ दिये जायेंगे।

वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमागत)

श्री नरेन्द्र देव—

मान्यवर, आपके नर्णय को चुनौती नहीं दी जाती है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि माननीय जयदीप सिंह बरार कांग्रेस विधान मंडल दल के सदस्य हैं। परम्परा यह है कि यहां से बोलने के बाद विपक्ष से बुलाया जाता है। आपने बरार साहब को बुलाया है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठिये बरार साहब को बोलने दीजिये।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, इनके नेता से कहें कि इन्हें उचित जानकारी दे दें। इन्हें अपने दल के बारे में ज्ञान नहीं है।

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट यहां पर प्रस्तुत किया उसको मैंने सुना। उनके बजट भाषण को सुनकर मुझे एक चीज का पता और चला कि वास्तव में मुख्य मंत्री जी हर कला में निपुण हैं। उन्होंने सदन मे बजट प्रस्तुत करते समय सदन को गुमराह किया और तमाम घोषणायें की कि यह काम करेंगे वह काम करेंगे जबकि सरकार का सारा काम उधार खाते पर चल रहा है। इनके खजाने में पैसा नहीं है। अगर आप देखें तो लोक लेखा की प्राप्तियों का जो उल्लेख किया गया है उसमें दिखाया गया है कि 1813 करोड़ रुपये की शुद्ध प्राप्तियां इस मद में होंगी। 1985-86 में जो बजट प्रस्तुत किया गया था उसमें लोक लेखा की प्राप्तियां 233 करोड़ रुपये की थीं। 1986-87 में 255 करोड़ रुपये की थीं। 1987-88 में 267 करोड़ रुपये की थीं और 1988-89 में 360 करोड़ रुपये की थी। इस वर्ष उन्होंने अपने तथाकथित क्रांतिकारी बजट में 1813 करोड़ रुपये की प्राप्तियां लोक लेखे में दिखायी हैं। तो यह कहां से प्राप्त होंगी। यह दाहिने हाथ से देते हैं और बायें हाथ से ले लेते हैं। श्रीमन्, लोक लेखे में कौन सा पैसा होता है। ठेकेदारों की सिक्योरिटियां, स्थानीय निकायों, अभिकरणों का पैसा, प्राविडेन्ट फंड तथा रिजर्व फंड्स, यह पैसे लोक लेखे में होते हैं। इन्होंने घोषणा की है कि कर्मचारियों का वेतन बढ़ायेंगे। इन्होंने वह सारा पैसा लोक लेखे में फ्रीज कर दिया है और पी० एफ० में जमा कर दिया है और इस तरह से इस बजट को लम्बा चौड़ा और क्रांतिकारी बना दिया। इसका नतीजा यह होगा कि इस सरकार के जाने के बाद, इनको मालूम है कि दोबारा इस सदन को फेस नहीं करना है,

जो सरकार अगले साल आने वाली है वह सरकार इस पैसे को अदा करेगी और आगे आने वाली सरकार पर 1500 करोड़ रुपये मार पड़ेगा। इस तरह से देखा जाय तो इस बजट का घाटा 57 करोड़ के बजाय 1500 करोड़ रुपये है।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सी बातें कानून व्यवस्था के बारे में कहीं, विकेन्द्रीकरण के बारे में कहीं, विधवाओं की पेन्शन के बारे में कहीं लेकिन मान्यवर, स्थिति क्या है यह देखने की जरूरत है। इनकी जो कार्यशैली है उसको देखकर अगले साल का अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार क्या काम करेगी। कानून और व्यवस्था के के बारे में बहुत सी बातें कही गयीं लेकिन पहले ही दिन सदन ने देख लिया। सारे प्रांत में अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया जा रहा है। मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की कि अपराधियों की जमानत का सरकार अपील करेगी लेकिन होता है कि इनके पदाधिकारी, बरेली के सिटी महामंत्री ताहिर हुसैन जो हत्या और अपहरण के मुलजिम थे उनकी जमानत दे दी गयी। इसके कुछ दिन बाद ही उन्होंने एक और हत्या कर दी जिसमें उनको फिर जमानत दी गयी तो यह स्थिति कानून और व्यवस्था की है 9 फरवरी को बरेली में इनके पी0 ए0 सी0 के कमान्डेन्ट जो आई0 पी0 एस0 अधिकारी थे वह कार से जा रहे थे साथ में शंडो बैठा था। एक सैनिक अधिकारी ने गाड़ी की चेकिंग करनी चाही। कमांडेंट साहब गाड़ी खुद चला रहे थे। उन्होंने कहा कि चेकिंग कैसे करोगे इसी में तू-तू, मैं-मैं, हुयी और उनके शंडो ने गोली से प्रहार कर दिया। वह आई0 पी0 एस0 अधिकारी अपनी कार को दौड़ाकर भाग गये वह वहां पर रुके नहीं। इस पर जिले में वायरलेस किया गया लेकिन वह गाड़ी पकड़ी नहीं गयी क्योंकि नजदीक ही पी0 ए0 सी0 का मुख्यालय था जहां वह गाड़ी लेकर चले गये थे। उनके शंडो की गिरफ्तारी हो गयी, परन्तु उस गैर जिम्मेदार आई0 पी0 एस0 अधिकारी के खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी, जो वहां से गाड़ी भगाकर चल दिया। जो कानून-व्यवस्था को कायम रखने के लिए अधिकारी हैं, वे अधिकारी ही अपराध करके घटना स्थल से भाग रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन में कहा था कि माननीय सदस्य राम जन्म भूमि तथा बाबरी मस्जिद के विवाद को हल करने में उनका सहयोग दें। मेरा उनसे निवेदन है कि पहले वह अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों का ही सहयोग ले लें, मुजफ्फरनगर की सड़कों पर इन्हीं के मंत्रिमंडल के एक मंत्री सईदुज्जमा तथा दूसरे मंत्री माननीय हुकुम सिंह के समर्थकों में सीधा टकराव हुआ, पत्थर और गोली चली और मुजफ्फरनगर की सड़कों पर खून बहा, परन्तु माननीय मुख्य मंत्री उनको नियंत्रित नहीं कर सकते, तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि प्रदेश की जनता में ये शान्ति-व्यवस्था कायम कर देंगे? माननीय मुख्य मंत्री जी अभी रुद्रपुर गये थे, वहां पर जो बंगाली शरणार्थी बसे हुए हैं, उनकी महिलाओं के साथ पुलिस के लोगों ने कुछ गुण्डों के साथ मिल कर सामूहिक बलात्कार किया। पीड़ित लोग पुलिस में गये और वहां की एस0 डी0 एम0 जो एक महिला हैं के पास गये कोई कार्यवाही नहीं हुई। जब हम लोगों ने इस मामले पर आंदोलन चलाया तो माननीय मुख्य मंत्री जी पीड़ित महिलाओं के पास पहुंचे और उन्हें दो-दो चार-चार हजार रुपये राहत अनुदान दे आये परन्तु दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं किया। तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या जिन औरतों की इज्जत लूटी गयी तथा रक्षकों ने भक्षक बन कर जो प्रशासन पर कलंक लगाया है.... ।

(श्री हरदेव खड़े होकर कुछ कहने लगे, जोकि व्यवधान के मध्य सुनाई नहीं पड़ा।)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय हरदेव जी, आप आसन ग्रहण करें, माननीय बरार जी को बोलने दें।

(व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार--

तो मान्यवर मैं निवेदन कर रहा था कि जो रक्षक हैं वे भक्षक बन कर प्रशासन पर कलंक लगा रहे हैं । वहां पर औरतों के साथ जो ज्यादती हुई उसे पैसे देकर उस कलंक को धो रहे हैं और आज तक दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है.... ।

(श्री हरदेव के पुनः खड़े होकर कुछ कहने पर)

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

हरदेव जी बैठिये । आप हाउस को डिस्टर्ब करते हैं ।

(व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार--

1985-86 में तत्कालीन मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी । उससे पहले जो गांव नदियों से कटते थे, उनकी सुरक्षा के लिए पत्थर के ठोकर लगाये जाते थे । उस समय यह निर्णय लिया गया था । वहीं पर आज मुख्य मंत्री जी जो गांव के विकास की बात करते हैं उनके बारे में उन्होंने यह निर्णय लिया है कि जो गांव नदियों से कटते हैं उनको ठोकर लगा कर न बचाया जाय ।

माननीय मुख्य मन्त्री जी ने निर्णय किया कि ऐसे गावों को नदियों में कट जाने दिया जाय और शहरों को बचाने के लिए योजनाएं चलाई जायं। मान्यवर, आज एक भी गांव को दूसरी जगह बसाना हो तो लाखों रुपये की जरूरत है और उजाड़ने और बसाने की परेशानी अलाहिदा है । पता नहीं इनको गांवों से क्या नफरत है कि गांवों को नदी के कटाव से भी बचाना नहीं चाहते हैं । मान्यवर, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने ग्रामीण क्षेत्र में अधिक पूंजी निवेश करने की बात कही है परन्तु वास्तविकता यह है कि ग्रामीण कर्मकारों की आय प्रति व्यक्ति शहरी कर्मकारों के मुकाबले आधे से भी कम है और गिरती जा रही है इस बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा । ग्रामीण क्षेत्र से कृषि तथा पशुपालन सेक्टर से आय 1970-71 के भावों पर प्रदेश की कुल आय में 54 प्रतिशत थी वहीं 1983-84 में 38 प्रतिशत हो गयी और अब और भी घट गयी है । पता नहीं इनका ग्रामीण क्षेत्रों में जो पूंजी निवेश है वह कहां जाता है । मान्यवर, इन्होंने यह भी कहा कि हम ग्रामीण क्षेत्र का विद्युतीकरण बहुत जल्दी कर देंगे । हमारे पास विधान सभा प्रश्न का उत्तर है जिसमें माननीय ऊर्जा मन्त्री ने बताया है कि बरेली के 1009 गांव एल0 टी0 मेन्स द्वारा विद्युतीकरण होना शेष है । जिस गति से यह विद्युतीकरण कर रहें हैं उस हिसाब से इन गांवों का विद्युतीकरण करने में 40 वर्ष लगेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें ।

श्री जयदीप सिंह बरार--

मान्यवर, इस सरकार के सही कार्यकलापों का आंकलन इनके शासन के उच्चाधिकारी कर रहें हैं । इनके सर्वोच्च अधिकारी क्या कहते हैं उसके बारे में बताना चाहता हूं । मान्यवर, राजस्व परिषद् के अध्यक्ष श्री एस0 एन0 आचार्य 29 नवम्बर को बरेली

गये थे उन्होंने वहां सर्किट हाउस में मीटिंग की और बयान दिया कि विकास सम्बन्धी तमाम सरकारी योजनाओं के आशाजनक परिणाम न प्राप्त होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि विभागों में तालमेल नाम की कोई चीज नहीं है, हर व्यक्ति सिर्फ अपना स्वार्थ पूरा करने में लगा रहता है । यह प्रमाण-पत्र इन्हीं के अधिकारी इनके प्रशासन को दे रहे हैं ।

(व्यवधान)

मान्यवर इनका जो बजट भाषण है उसमें घोषणाएं कुछ और है और पैसा वास्तव में और जगह पर पहुंच रहा है जैसे हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, और खाने के और होते हैं इसलिए मैं बजट का विरोध करता हूं ।

(कुछ माननीय सदस्यों द्वारा बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

वित्तीय वर्ष 1989-90 में उत्तर प्रदेश सरकार के व्यय के लिए लेखानुदान का प्रस्ताव

*वित्त राज्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं "31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष 1989-90 के माह अप्रैल तथा मई, 1989 में उत्तर प्रदेश सरकार के व्यय के लिए लेखानुदान के विवरण, जो 23 फरवरी, 1989 को सदन में प्रस्तुत किया गया, के पृष्ठ 1-5 में दिये हुये प्रत्येक सेवा या प्रयोजन के सम्बन्ध में होने वाले अनुमानित व्यय को चुकाने के लिए राज्यपाल महोदय को इस लेखानुदान द्वारा उतनी धनराशि पेशगी दी जाय जो 17,55,22,97,000 रुपये से अधिक न हो ।"

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि "31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष 1989-90 के माह अप्रैल तथा मई, 1989 में उत्तर प्रदेश सरकार के व्यय के लिए लेखानुदान के विवरण, जो 23 फरवरी, 1989 को सदन में प्रस्तुत किया गया, के पृष्ठ 1-5 में दिये हुए प्रत्येक सेवा या प्रयोजन के सम्बन्ध में होने वाले अनुमानित व्यय को चुकाने के लिए राज्यपाल महोदय को इस लेखानुदान द्वारा उतनी धनराशि पेशगी दी जाय जो 17,55,22,97,000 रुपये से अधिक न हो ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1989†

वित्त राज्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1989 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1989 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

†दिनांक 25-2-1989 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1989 को पुरः स्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रतियां वितरित कर दी जायं।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1989 पर विचार किया जाय।

वित्तीय वर्ष 1989-90 के लिए दो माह का लेखानुदान लिये जाने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण की मांग

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, मैं परम्परा के विपरीत कुछ नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन यह जो लेखानुदान रखा गया है, यह 2/12 भाग है, दो माह का है। क्या यह मान लें कि सरकार अगले कुछ दिनों में बिहार की स्थिति में जाने वाली है यह मध्य प्रदेश की पुनरावृत्ति होने वाली है, इनका स्पष्टीकरण तो दिलवा दें। एक माह का लेखानुदान होता तो कोई बात न थी। आपका एक बार में बजट पास हो जावेगा और एक माह में वित्तीय स्वीकृतियां जारी हो जायेंगी। तो फिर यह दो माह का लेखानुदान लेने का क्या कारण है ?

मुख्य मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

श्रीमन्, सम्मानित सदस्य, बस्ती जनपद कुछ स्वप्नलोक में विचरण करते नजर आते हैं। मुझे श्रीमन्, इस बात की कल्पना नहीं थी कि उन जैसा व्यवहारिक व्यक्ति स्वप्नलोक में विचरण करेगा। मैं अनुरोध करूंगा कि यदि वे स्वप्नलोक में विचरण करें तो सुन्दर सपने देखें। सुन्दर कल्पना करना उन जैसे व्यक्ति के लिए उचित नहीं है। एक माह या दो माह केवल व्यवहारिकता का प्रश्न है। दो माह के लिये भी वही तर्क हैं जो एक माह के लिए दिया जा सकता है। जब एक माह के लिये राजी हैं तो दो माह के लिये भी वही तर्क हैं।

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1989 (क्रमागत)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1989 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2, 3 अनुसूची, खण्ड 1 प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1989

1 अप्रैल, 1989 ई0 को प्रारम्भ होने वाले वर्ष के एक भाग के व्यय के लिए राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के निकालने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के चालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम 1989 कहलायेगा ।

उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से वर्ष 1989-90 के लिये 22,37,46,68,000 रुपये का दिया जाना

2—ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त, जो 1 अप्रैल, 1989 ई0 को प्रारम्भ होने वाले वर्ष में किये जाने वाले भुगतान के सम्बन्ध में करने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से उतना रुपया निकाला जा सकता है जितना कि अनुसूची के स्तम्भ-3 में दी हुई धनराशियों से, जिन सबका कुल योग 22,37,46,68,000 रुपये (केवल बाइस अरब, सैंतीस करोड़, छियालिस लाख, अड़सठ हजार रुपये) होता है, अधिक न हो ।

विनियोग

3—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से जिन धनराशियों को निकालने का अधिकार दिया जाता है, उन-उन धनराशियों का विनियोग उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो उक्त वर्ष के सम्बन्ध में अनुसूची में दिये गये हैं ।

अनुसूची

(धारायें 2 व 3 देखें)

अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन			निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)		
				विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1	2			3		
1	आबकारी विभाग	..	राजस्व	91,75	2	91,77
			पूंजी	..	..	..
2	आवास तथा नगर विकास विभाग (आवास)	..	राजस्व	3,53,17	3,00,00	6,53,17
			पूंजी	8,60,15	3,00,33	11,60,48
3	आवास तथा नगर विकास (नगर विकास)	..	राजस्व	35,81,28	..	35,81,28
			पूंजी	56,58	..	56,58
4	उद्योग विभाग (खानें और खनिज)	..	राजस्व	33,53	2	33,55
			पूंजी	68,33	..	68,33
5	उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग)	..	राजस्व	6,82,85	4	4,82,89
			पूंजी	1,68,21	..	1,68,21
6	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	..	राजस्व	6,92,28	111	6,93,39
			पूंजी	42,18	110	43,28

उत्तर प्रदेश विधान सभा

7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	..	राजस्व	43,69	21,59	65,28
			पूंजी	4,99,17	26,42	5,25,59
8	उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण)	..	राजस्व	3,04,84	..	3,04,84
			पूंजी	3,34	..	3,34
9	उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन)	..	राजस्व	8,00	..	8,00
			पूंजी	18,67	..	18,67
10	ऊर्जा विभाग	..	राजस्व	25,40	..	25,40
			पूंजी	54,96,67	..	54,96,67
11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक विकास)	..	राजस्व	3,27,03	131	3,28,34
			पूंजी	66,38	..	66,38
12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	..	राजस्व	27,67,37	35	27,67,72
			पूंजी	16,51,69	8	16,51,77
13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	..	राजस्व	96,74,29	8	96,74,37
			पूंजी	2,46,03	..	2,46,03
14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	..	राजस्व	7,09,69	4	7,09,73
			पूंजी	17	..	17
15	कृषि तथा सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	..	राजस्व	6,95,29	2	6,95,31
			पूंजी	29,44	..	29,44
16	कृषि तथा सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	..	राजस्व	53,69	40	54,09
			पूंजी	14,17	100	15,17
17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	..	राजस्व	1,12,35	1	1,12,36
			पूंजी	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2			3		
18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	..	राजस्व	2,17,26	1,62,94	3,80,20
			पूंजी	9,18,44	1,35,30	10,53,74
19	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास)	..	राजस्व	8,68 86	..	8,68,86
			पूंजी	24,54	..	24,54
20	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	..	राजस्व	16,25	..	16,25
			पूंजी	..	..	..
21	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	..	राजस्व	7,71	36,34	44,05
			पूंजी	3,00	..	3,00
22	खाद्य तथा रसद विभाग	..	राजस्व	4,04,17	35,02	4,39,19
			पूंजी	1,77,55,08	6,66,75	1,8 4,21,83
23	खेल विभाग	..	राजस्व	58,94	..	58,94
			पूंजी	25,44	..	25,44
24	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	..	राजस्व	2,68,73	12	2,68,85
			पूंजी	83,33	67	84,00
25	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	..	राजस्व	4,06,78	3,78,52	7,85,30
			पूंजी	10,33,34	29,97	10,63,31
26	गृह विभाग (कारागार)	..	राजस्व	4,66,80	1	4,66,81
			पूंजी	77	..	77
27	गृह विभाग (पुलिस)	..	राजस्व	71,10,29	9,01	71,19,30
			पूंजी	1,21,21	7,70	1,28,91
28	गृह विभाग (राजनैतिक पेन्शन तथा अन्य व्यय)	..	राजस्व	2,68,83	..	2,68,83
			पूंजी	..	..	..
29	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	..	राजस्व	5,62,18	..	5,62,18
			पूंजी	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

30	गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)	..	राजस्व	8,20	..	8,20
			पूंजी	..	..	..
*31	गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)	..	राजस्व	..	11,80	11,80
			पूंजी	..	..	..
32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	..	राजस्व	28,35,72	17	23,35,89
			पूंजी	1,48,81	..	1,48,81
33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)	..	राजस्व	3,77,68	1	3,77,69
			पूंजी	..	..	..
34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)	..	राजस्व	1,23,74	..	1,23,74
			पूंजी	..	..	..
35	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	..	राजस्व	9,80,20	4	9,80,24
			पूंजी	3,14	..	3,14
36	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	..	राजस्व	12,03,24	7	12,03,31
			पूंजी	17,45	..	17,45
37	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	..	राजस्व	12,70,76	8	12,70,84
			पूंजी	..	..	..
38	नागरिक उड्डयन विभाग	..	राजस्व	42,57	..	42,57
			पूंजी	1,50	..	1,50
39	नियुक्ति विभाग	..	राजस्व	4,45	..	4,45
			पूंजी	..	..	..
40	नियोजन विभाग	..	राजस्व	1,65,98	..	1,65,98
			पूंजी	..	..	..
41	निर्वाचन विभाग	..	राजस्व	1,85.18	..	1,85,18
			पूंजी	..	..	..
42	न्याय विभाग	..	राजस्व	6,69,71	1,13,89	7,83,60
			पूंजी	13,36	..	13,36

*भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम-संख्या

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2			3	
43	परिवहन विभाग ..	राजस्व	7,19,65	2	7,19,67
		पूंजी	2,50,00	..	2,50,00
44	पर्यटन विभाग ..	राजस्व	25,58	..	25,55
		पूंजी	23,47	..	23,47
45	प्रशासनिक सुधार विभाग ..	राजस्व	6,94	..	6,94
		पूंजी	..	..	..
46	प्राविधिक शिक्षा विभाग ..	राजस्व	5,54,92	10,00	5,64,92
		पूंजी	33,93	..	33,93
47	पर्वतीय विकास विभाग ..	राजस्व	25,64,29	4,00	25,68,29
		पूंजी	14,32,76	2,50	14,35,26
48	मुस्लिम वक्फ विभाग ..	राजस्व	6,61	46	7,07
		पूंजी	..	..	..
49	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) ..	राजस्व	7,56,54	6	7,56,60
		पूंजी	2,50,00	..	2,50,00
50	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) ..	राजस्व	1,73,07	4,79,17	6,52,24
		पूंजी	23,71	4,48	28,19
51	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) ..	राजस्व	23,89,97	26,18	24,16,15
		पूंजी	10,46	33,59	44,05
52	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग ..	राजस्व	12,97	..	12,97
		पूंजी	17	..	17
53	वन विभाग ..	राजस्व	12,43,24	3	12,43,27
		पूंजी	4,71	..	4,71
54	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) ..	राजस्व	3,33,35,09	1,87,07,83	5,20,42,92
		पूंजी	6,54,17	2,52,92,62	2,59,46,79

उत्तर प्रदेश विधान सभा

55	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते एवं पेन्शनें)	..	राजस्व	30,30,18	2,56	30,32,74
			पूंजी	..	..	..
56	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	..	राजस्व	1,40,62	..	1,40,62
			पूंजी	5,18	..	5,18
57	वित्त विभाग (राज्य लाटरी)	..	राजस्व	21,13,69	..	21,13,69
			पूंजी	..	..	..
58	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि)	..	राजस्व	3,04,01	1	3,04,02
			पूंजी	..	..	..
59	वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	..	राजस्व	2,35	2,81,62	2,83,97
			पूंजी	..	..	..
60	विधान परिषद् सचिवालय	..	राजस्व	28,44	61	29,05
			पूंजी	..	..	..
61	विधान सभा सचिवालय	..	राजस्व	1,08,25	1,43	1,09,68
			पूंजी	..	..	..
62	विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मन्डल)	..	राजस्व	..	..	..
			पूंजी	50,67	..	50,67
63	विज्ञान एवं पर्यावरण विभाग	..	राजस्व	1,13,59	..	1,13,59
			पूंजी	..	..	..
64	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	..	राजस्व	19,14,95	9,31	19,24,26
			पूंजी	5,00	..	5,00
65	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	..	राजस्व	76,14,41	4,51,76	80,66,17
			पूंजी	25,08	..	25,08
66	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	..	राजस्व	1,15,04,32	6,38,84	1,21,43,16
			पूंजी	..	..	..
67	शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा)	..	राजस्व	2,91,49	..	2,91,49
			पूंजी	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2			3	
68	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)	राजस्व	1,00,46	..	1,00,46
		पूंजी	..	..	..
69	श्रम विभाग (श्रम कल्याण) ..	राजस्व	6,24,20	1	6,24,21
		पूंजी	..	..	..
70	श्रम विभाग (सेवायोजन) ..	राजस्व	4,66,00	3	4,66,03
		पूंजी	20,63	..	20,63
71	सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) ..	राजस्व	13,61,08	1	13,61,09
		पूंजी	..	..	..
72	सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) ..	राजस्व	86,34	1,50	87,84
		पूंजी	4,52,33	17	4,52,59
73	सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन) ..	राजस्व	61,33	3,55	64,88
		पूंजी	75,18	8	75,26
74	सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) ..	राजस्व	20,88	3	20,91
		पूंजी	2,30,17	54	2,30, 71
75	सार्वजनिक (संचार साधन) ..	राजस्व	37,90146	2	37,90,48
		पूंजी	64,94,00	8	64,94,08
75–क	सार्वजनिक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) ..	राजस्व	95	..	95
		पूंजी	..	..	..
76	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) ..	राजस्व	16,66,34	3	16,66,37
		पूंजी	11,79,40	..	11,79,40
77	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) ..	राजस्व	79,49,11	4,29	79,53,40
		पूंजी	71,94,77	20,92	72,15,69
78	संस्थान वित्त विभाग (निदेशालय) ..	राजस्व	6,87	1	6,88
		पूंजी	63	..	63

उत्तर प्रदेश विधान सभा

79	संस्थागत वित्त विभाग (बिक्री-कर)	..	राजस्व	5,74,16	7	5,74,23
			पूंजी	..	..	..
80	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)	..	राजस्व	21,34	..	21,34
			पूंजी	..	..	..
81	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	..	राजस्व	95,30	1	95,31
			पूंजी	1,67	..	1,67
82	सचिवालय प्रशासन विभाग	..	राजस्व	4,77,81	1	4,77,82
			पूंजी	..	..	..
83	सतर्कता विभाग	..	राजस्व	48,73	2,79	51,52
			पूंजी	..	..	..
84	सहायता एवं पुनर्वासन विभाग	..	राजस्व	8,80	1	8,81
			पूंजी	4,83	8	4,91
85	सांस्कृतिक कार्य विभाग	..	राजस्व	44,06	1	44,07
			पूंजी	..	..	..
86	सामान्य प्रशासन विभाग	..	राजस्व	2,56	1	2,57
			पूंजी	..	..	..
87	सार्वजनिक उद्यम विभाग	..	राजस्व	6,22	..	6,22
			पूंजी	..	..	..
88	सूचना विभाग	..	राजस्व	1,41,80	..	1,41,80
			पूंजी	..	..	..
89	सैनिक कल्याण विभाग	..	राजस्व	28,76	1	28,77
			पूंजी	3,95	..	3,95

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2			3		
90	हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (हरिजन कल्याण)	..	राजस्व	20,13,73	1	20,13,74
			पूंजी	..	..	..
91	हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण)	..	राजस्व	11,48,73	1	11,48,74
			पूंजी	..	..	..
92	हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	..	राजस्व	43,59	1	43,60
			पूंजी	..	..	..
	योग ..		राजस्व ..	12,77,25,51	2,16,99,33	14,94,24,84
			पूंजी ..	4,77,97,46	2,65,24,38	7,43,21,84
	कुल	..		17,55,22,97	4,82,23,71	22,37,46,68

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 व 3, अनुसूची, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्त राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)—

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1989 पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1989 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

आज नियम 51 के अन्तर्गत 5 सूचनाएं प्राप्त हुई है, जिसमें केवल श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी जी की सूचना वक्तव्य के लिये स्वीकार की है।

गृह राज्य मंत्री (श्री सईदुज्जमा)—

मान्यवर, माननीय बरार साहब ने एक बात हाउस के सामने रखी है जिसमें मेरा नाम लिया है। मेरा कहना है कि इन्होंने सदन को गुमराह करने की कोशिश की है। हम लोगों ने शांति व्यवस्था कायम रखने के लिये प्रयास किया। सर्वदलीय मीटिंग बुलाई। शासन की ओर से पूरा प्रयास किया गया है कि वहां शांति व्यवस्था कायम रहे और आगे भी कायम रखी जाय। कुछ तत्व वहां की शांति व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे थे। जैसा कि मैंने कहा, यही काम माननीय हुकुम सिंह जी ने भी किया है। हमारी सरकार की ओर से पूरा प्रयास किया गया कि वहां पर शांति व्यवस्था की स्थिति कायम की जाय। कुछ लोग अव्यवस्था पैदा करना चाहते हैं। हमारा प्रयास है कि शांति व्यवस्था कायम रहे।

दिनांक 11 फरवरी, 1989 को अवध शुगर मिल हरगांव, जिला सीतापुर के खजाने का एक लाख बीस हजार रुपया चलती ट्रेन से आतंकवादियों द्वारा लूट लिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सूचना पर नियम 51 के अन्तर्गत गृह राज्य मंत्री का वक्तव्य

एक सदस्य—

मान्यवर वक्तव्य को पढ़ा हुआ माना जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

गृह राज्य मंत्री (श्री सईदुज्जमा)--

[दिनांक 11 फरवरी, 1989 को अवध शुगर मिल हरगांव, जनपद सीतापुर का रु0 1,20,000 तीन सुरक्षागार्ड सर्वश्री लेखराज, बृजमोहन तथा गोकरन 80 डाउन लखनऊ मेलानी पैसेन्जर द्वारा प्रातः साढ़े ग्यारह बजे ले जा रहे थे। मिल के तीन गार्डों में से एक के पास दो नाली 12 बोर बन्दुक भी थी। ट्रेन के हरगांव रेलवे स्टेशन से चलने पर आउटर सिगनल के निकट उसी डिब्बे में बैठे 4 बदमाश जिनमें से 2 सिख थे, ने गार्डों से मारपीट किया और मारपीट के मध्य गार्ड लेखराज को उसकी दो नाली बन्दूक के साथ ट्रेन से बाहर गिरा दिया था और रुपयों का थैला छीनकर चलती गाड़ी से एक-एक करके चारो बदमाश कूद गये। पहले कूदने वाला बदमाश लूटी गई धनराशि अपने साथ ले गया।

2--गार्ड लेखराज को ट्रेन से गिरा दिये जाने के कारण काफी चोट आई थी और फलस्वरूप उसी दिन उसकी हरगांव अस्पताल में मृत्यु हो गई। इस लूट की घटना में बदमाशों द्वारा कोई फायर नहीं किया गया, परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि मिल के गार्ड के पास दो नाली बन्दूक थी जिससे ही किसी प्रकार एक फायर हुआ जिसके छर्रे गार्ड गोकरन के लगे थे। ट्रेन से गिराये गये गार्ड लेखराज के पास ही मिल की दो नाली बन्दूक तथा उसकी नाल में चला हुआ कारतूस भी मिल गया। डिब्बे में मौजूद एक यात्री इस्माइल, निवासी हरगांव भी मारपीट के मध्य डिब्बे से बाहर गिर गया जिसके हाथ और पांव की हड्डियां टूट गई। एक अन्य यात्री बिदुर यादव, निलम्बित सचिव, जिला सहकारी बैंक, लखीमपुर खीरी जिसके पास एक एक नाली 12 बोर बन्दूक थी, छीनकर बदमाशों ने चलती ट्रेन से फेंक दिया। ओयल स्टेशन पर गार्ड गोकरन ने उतरकर घटना की सूचना दी जिसके आधार पर थाना जी0 आर0 पी0 सीतापुर की रिपोर्टिंग चौकी खीरी पर अभियोग पंजीकृत करके विवेचना प्रारम्भ की गई।

3--घटना में हरनेक सिंह पुत्र सरदार करनैल सिंह, निवासी ग्राम मुस्तफाबाद थाना इमलिया सुल्तानपुर, जनपद सीतापुर के इस अभियोग में सम्मिलित होने की बात प्रकाश में आई। दिनांक 11 फरवरी, 1985 से पुलिस के पूर्ण प्रयास एवं बराबर दबिश के फलस्वरूप दिनांक 17 फरवरी, 1989 को एक अपराधी देवेन्द्र सिंह पुत्र सेवा सिंह, निवासी मुस्तफाबाद, थाना इमलिया सुल्तानपुर, जनपद सीतापुर गिरफ्तार किया गया जिससे पूछताछ के मध्य इस अभियोग में शरीक हरनेक सिंह तथा भाई मन्जीत सिंह तथा विशम्भर यादव पुत्र रामलाल, निवासी ग्राम पट्टीपुर, थाना मितौली, जिला खीरी का इस जुर्म में शरीक होना पाया गया। दिनांक 17 फरवरी, 1989 को ही अभियुक्त हरनेक सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके पास से 20,000 रुपये के नोटों की गड्डी बरामद की गई तथा दिनांक 20 फरवरी, 1989 को मन्जीत सिंह भी बन्दी बना लिया गया और उसके पास से लूटी हुई धनराशि का 25,000 रुपये बरामद किये गये। चलती ट्रेन से कूदने के कारण हरनेक सिंह के बायें कूल्हे के नीचे व देवेन्द्र सिंह के पांव व घुटने में चोटें आई थी। अब केवल विशम्भर यादव की गिरफ्तारी शेष है।

अभी तक प्रकाश में आये तथ्यों से घटना पूर्णतया सामान्य आपराधिक प्रवृत्ति की प्रतीत होती है और अभियुक्तों का किसी आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित होना ज्ञात नहीं हुआ है। हरनेक सिंह व मन्जीत सिंह के पिता सरदार करनैल सिंह तथा देवेन्द्र सिंह, जनपद गंगानगर, राजस्थान के रहने वाले हैं जहां से 18-20 वर्ष पूर्व

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आकार जनपद सीतापुर के थाना इमलिया सुल्तानपुर के ग्राम मुस्ताफाबाद में आबाद हुये और कृषि का काम करते हैं। अभी तक पंजाब के उग्रवादियों के सम्पर्क में होने का कोई सूत्र प्रकाश में नहीं आया है। अतः यह कहना सही नहीं है कि ट्रेन में हुई लूटपाट की घटना आतंकवादी गतिविधियों की कड़ी है। यह सामान्य आपराधिक लूटपाट की घटना है]

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, इस वक्तव्य में अभियुक्तों के नाम बताये गये हैं जैसे हरनेक सिंह पुत्र सरदार करनैल सिंह, आगे और व्याख्या दी गयी है। लास्ट में माननीय मंत्री जी ने दिया है कि पूर्णतया सामान्य आपराधिक प्रवृत्ति की घटना है, यह कोई आतंकवादी घटना नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने किस तरीके से यह अनुमान लगाया कि आतंकवादी घटना नहीं है। जिस प्रकार से लूट बतायी गयी है यह तो आतंकवादी प्रवृत्ति से लूट की गयी है। इनके नामों से पता चलता है कि जरूर इनका आतंकवाद से रिश्ता होगा। आप कैसे कहते हैं कि यह आतंकवादी घटना नहीं है ?

श्री सईदुज्जमा--

मान्यवर, इनका पहले कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह जो तीनों मुल्जिमान हैं, मुस्ताफाबाद, सीतापुर के रहने वाले हैं। जो इन्वेस्टीगेशन हुआ है उससे यह भलीभांति अवगत है कि इनका कोई ऐसा इतिहास नहीं रहा है। यह वाकिया 11 तारीख को हुआ है और 17 से 20 तारीख तक ये अरेस्ट हो गये।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

जिस तरीके से ट्रेन में घुसकर लूटपाट किया मारपीट की है, आतंकवादियों का आतंक भी है इस प्रदेश में, मैं जानना चाहूंगा कि उस स्थिति के निराकरण के लिये इसकी विवेचना का काम किससे करा रहे हैं स्थानीय पुलिस कौन कर रही है या कौन कर रहा है ?

श्री सईदुज्जमा--

इसका इन्वेस्टीगेशन जी0 आर0 पी0 कर रही है।

दर्शक दीर्घा में नारे लगाकर सदन की अवमानना करने हेतु दण्डित श्री राज बहादुर सिंह की मार्शल की अभिरक्षा से रिहाई हेतु सदन की सहमति

श्री उपाध्यक्ष--

ठीक है, यह समाप्त हुआ। सदन में एक सूचना देनी है।

आज दिनांक 24 फरवरी, 1989 को अपराह्न 3.37 बजे जब श्री देव कुमार यादव बोल रहे थे, सभा मण्डप की दर्शक दीर्घा संख्या 2 से एक व्यक्ति ने कुछ नारे लगाये : उस व्यक्ति को सुरक्षा कर्मियों के द्वारा नियंत्रित कर लिया गया और हिरासत में ले कर उक्त दर्शक दीर्घा से बाहर ले आया गया। पूछताछ पर उक्त व्यक्ति ने अपना नाम राज बहादुर सिंह पुत्र श्री सुखलाल, निवासी ग्राम बनकट (कर्वी), जनपद बांदा बताया। उक्त व्यक्ति के पास से 3-00 बजे अपराह्न से उपवेशन के

अन्त तक का दर्शक दीर्घा का प्रवेश-पत्र संख्या 8773 प्राप्त हुआ, जो माननीय सदस्य श्री देव कुमार यादव की संस्तुति पर जारी किया गया है। माननीय श्री देव कुमार यादव ने अपनी संस्तुति पत्र में उक्त व्यक्ति का स्थानीय पता जी-8, पार्क रोड अंकित किया है जो उनका (खुद का) स्थानीय निवास है। उक्त व्यक्ति के नारे लगाने एवं इस आचरण से विधान सभा की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न हुआ। वह व्यक्ति इस समय मार्शल की अभिरक्षा में है। श्री राज बहादुर सिंह के पास से प्राप्त दर्शक दीर्घा का प्रवेश-पत्र संख्या 8773, श्री देव कुमार यादव, सदस्य, विधान सभा द्वारा उक्त व्यक्ति को दर्शक दीर्घा प्रवेश-पत्र जारी किये जाने हेतु संस्तुति-पत्र संख्या 069975, मूल रूप में इस टिप्पणी के साथ संलग्न है। श्री राज बहादुर सिंह ने दर्शक दीर्घा से नारे लगाकर सदन के कार्य में बाधा डालने का प्रयास किया है। उसका यह कार्य सदन का अवमानना आधार बनता है। यह व्यक्ति इस समय मार्शल की अभिरक्षा में है। ऐसे उच्छृंखल व्यक्तियों को अनावश्यक महत्व देना उचित न होगा।

अतः यदि सदन सहमत हो तो आज के उपवेशन की समाप्ति तक उपरोक्त व्यक्ति को मार्शल की अभिरक्षा में रखा जाय और तदुपरान्त उसे रिहा कर दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

औचित्य के प्रश्न पर दी गई सूचना न्यायालय में अभिलेखों के प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में पुनर्विचार हेतु किये गये अनुरोध पर श्री अध्यक्ष द्वारा लिये गये निर्णय की सूचना

श्री उपाध्यक्ष--

[श्री हरिश्चन्द्र, "हरीश जी" तथा श्री अचल सिंह द्वारा दिनांक 14 मार्च, 1988 को नियम 300 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को माननीय अध्यक्ष ने निरस्त कर दिया है। दिनांक 15 फरवरी, 1989 को श्री मैनेजर सिंह ने न्यायालय में अभिलेखों के प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में पुनर्विचार हेतु जो अनुरोध किया था, उसे भी माननीय अध्यक्ष ने अस्वीकार कर दिया है। श्री माता प्रसाद पाण्डेय द्वारा दिनांक 5 अक्तूबर, 1988 को अभिसूचित सूचना को माननीय अध्यक्ष ने प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति के बजाय प्राक्कलन समिति को निर्दिष्ट करने का निर्णय लिया है। उपरोक्त तीनों निर्णय सदन की आज की कार्यवाही के अंग माने जायेंगे।]

श्री हरिश्चन्द्र "हरीश जी" एवं श्री अचल सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा अधिकारियों एवं कर्मचारियों की प्रोन्नति का आधार योग्यता रखे जाने की घोषणा सदन के बाहर किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये औचित्य के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष--

[अधिकारियों एवं कर्मचारियों की प्रोन्नति का आधार योग्यता रखे जाने की घोषणा सदन के बाहर किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 14 मार्च, 1988 को उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 300 के अन्तर्गत श्री हरिश्चन्द्र "हरीश जी" तथा श्री अचल सिंह, सदस्यगण, विधान सभा से औचित्य प्रश्न की सूचनायें प्राप्त हुई थी।

उपर्युक्त सूचनाओं के सम्बन्ध में मैंने उस समय निर्णय सुरक्षित रखा था तथा सदन में यह घोषित किया था कि प्रश्नगत मामले में माननीय गृह मंत्री से जानकारी प्राप्त करके निर्णय लिया जायगा। तदनुसार माननीय गृह मंत्री से वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की गयी है। उन्होंने अपने पत्र दिनांक 9 मई, 1988 द्वारा सत्र के दौरान विधान सभा के बाहर की गयी कथित नीतिगत घोषणा से इन्कार करते हुये यह सूचित किया है कि उनके द्वारा इस प्रकार की कोई बात नहीं कही गयी थी।

उपरोक्त परिस्थिति में मैं उक्त औचित्य प्रश्न की सूचनाओं को अस्वीकार करता हूं]

श्री माता प्रसाद पाण्डेय, सदस्य विधान सभा द्वारा शिक्षा विभाग में पर्सनल एकाउन्ट विषयक कथित वित्तीय अनियमितता के सम्बन्ध में दिये गये औचित्य के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष—

["श्री माता प्रसाद पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा ने प्रक्रिया नियमावली के नियम 300 के अन्तर्गत शिक्षा विभाग "पर्सनल लेजर एकाउन्ट" विषयक कथित वित्तीय अनियमितता के सम्बन्ध में औचित्य प्रश्न की एक-एक सूचना दिनांक 18 एवं 22 मार्च, 1988 को दी थी। उसके सम्बन्ध में दिनांक 22 मार्च, 1988 को सदन में मैंने यह व्यवस्था दी थी कि सम्बन्धित पत्रावली देखकर निर्णय होगा और उस दिन अपराह्न में मैंने माननीय वित्त राज्य मंत्री से विचार-विमर्श भी किया था। इसके पश्चात् इसी विषय पर श्री माता प्रसाद पाण्डेय ने एक सूचना दिनांक 5 अक्तूबर, 1988 को पुनः दी। दिनांक 5 अक्तूबर, 1988 के उपवेशन में मैं मैंने कहा था कि उक्त सूचना को प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति को भेज दूंगा। उसी दिन अपराह्न में शासन के वित्त विभाग से दिनांक 22 मार्च, 1988 को उक्त सूचना में उठाये गये बिन्दुओं के सम्बन्ध में शासन का दृष्टिकोण लिखित रूप में प्राप्त हुआ। पूरे मामले पर सम्यक रूप से विचार करने से उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति को कोई मामला तभी सौंपा जा सकता है जब उसका विषय किसी अन्य समिति के क्षेत्राधिकार में न आता हो। "पर्सनल लेजर एकाउन्ट" से सम्बन्धित प्रश्नगत वित्तीय मामला विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 232 (1) के अनुसार प्राक्कलन समिति के कार्यक्षेत्र में आता है। अतः श्री पाण्डेय की उक्त सूचना के विषय तथा इस सम्बन्ध में शासन से प्राप्त आख्या की जांच एवं प्रतिवेदन हेतु प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति के बजाय अब मैं प्राक्कलन समिति को निर्दिष्ट करता हूं।"]

कतिपय सदस्यों द्वारा न्यायालय में अभिलेखों के प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में पुनर्विचार हेतु किये गये अनुरोध पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष—

[दिनांक 15 फरवरी, 1989 को माननीय उपाध्यक्ष द्वारा सदन को यह सूचना दी गई थी कि विधान सभा सचिवालय के सेवा-निवृत्त प्रधान रक्षक (श्री श्याम दत्त तथा श्री धन सिंह) द्वारा उच्च न्यायालय में दायर की गई रिट याचिका से सम्बन्धित पत्रावली संख्या 210(2) के अधीन माननीय न्यायाधीशों को अवलोकनार्थ उस दिन प्रस्तुत

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

की गई थी, जब सदन का सत्र नहीं चल रहा था। सदन को उपरोक्त सूचना देने पर कतिपय माननीय सदस्यों ने इस मामले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया था। पुनर्विचार करते समय यह समीचीन प्रतीत हुआ कि इस मामले में एक सुविचारित निर्णय दिया जाय ताकि भविष्य में वह मार्गदर्शक सिद्धान्त प्रतिपादित कर सकें।

न्यायालयों में साक्ष्य देने तथा विधान सभा सचिवालय के अभिलेखों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया का उल्लेख करण संख्या 210 में वर्णित है। इस करण में कुल पांच प्रस्तर हैं। करण 210 के प्रथम प्रस्तर में कहा गया है कि सदन का कोई सदस्य या कोई अधिकारी, सदन का उसकी किसी समिति की कार्यवाही अथवा ऐसी कार्यवाही से सम्बद्ध किसी लेख्य को सदन की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना न्यायालय में साक्ष्य हेतु प्रस्तुत नहीं करेगा। उसी प्रस्तर में यह व्यवस्था भी की गई है कि सचिव की अभिरक्षण में रखे हुए किसी अन्य लेख्य को भी न्यायालय में साक्ष्य हेतु प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा। विचारणीय बिन्दु मात्र इतना है कि यदि विधान सभा सचिवालय के किसी अधिकारी या कर्मचारी ने अपनी सेवा सम्बन्धी मामलों में कोई वाद प्रस्तुत किया है और उक्त वाद में अध्यक्ष, सचिव या किसी अन्य व्यक्ति को पक्षकार बनाया गया है तो क्या ऐसे वाद में विधान सभा सचिवालय के सम्बन्धित अभिलेख न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकते हैं अथवा नहीं ?

करण के उपरोक्त प्राविधान का मुख्य उद्देश्य यही है कि विधायिका एक स्वतंत्र और प्रभुसत्ता सम्पन्न संवैधानिक संस्था है और उसकी कार्यशैली पर न्यायपालिका द्वारा किसी प्रकार कोई नियंत्रण नहीं लगाया जा सकता है। इसी परिपेक्ष्य में यह व्यवस्था की गई है कि यदि सदन या उसकी समिति की कार्यवाही के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य दिया जाना अपेक्षित हो या तत्सम्बन्धी कोई अभिलेख न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना हो, तो सदन या पूर्वानुमति की आवश्यकता होगी। सदन या उसकी समितियों की कार्यवाही न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में नहीं आती और इसी कारण यह व्यवस्था प्राविधानित है कि सदन का समितियों की कार्यवाहियां अथवा उनके सम्बन्धित अभिलेख सदन की पूर्व अनुज्ञा के बगैर न्यायालयों में प्रस्तुत नहीं किये जायेंगे। यह मामला सदन की गरिमा से सम्बन्धित है और इस सम्बन्ध में करण 210 का अनुपालन होना ही चाहिये।

किन्तु जहां तक सचिवालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का प्रश्न है, उनके द्वारा दायर की गई रिट याचिकाओं में न्यायालय को आवश्यक तथ्यों से अवगत कराना न्यायोचित ही नहीं, आवश्यक भी प्रतीत होता है ऐसे मामलों में सदन या उसकी समितियों की गरिमा का प्रश्न अंतर्ग्रस्त नहीं होता। अतः इस सचिवालय के कर्मचारियों के मामलों में सम्बन्धित पत्रावलियों को साक्ष्य हेतु प्रस्तुत न करना समीचीन न होगा।

इस प्रकरण में विधिक प्राविधानों के निर्वाचन के सिद्धान्तों का भी उल्लेख करना उचित होगा। इस सम्बन्ध में विभिन्न न्यायालयों द्वारा एजुसडेम जेनेरित का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है जिसके अनुसार यदि किसी कानून में पहले विशिष्ट शब्दों का प्रयोग किया गया हो और बाद में सामान्य शब्दावली प्रयुक्त की गई हो तो बाद में आने वाले सामान्य शब्दों का अर्थ उसी संदर्भ में लगाया जायगा जिस अर्थ में पूर्वगामी विशिष्ट शब्द प्रयुक्त किये गये हों। यदि इस सिद्धान्त को करण संख्या 210 (1) पर लागू किया जाय तो यह स्पष्ट होगा कि उक्त प्राविधान में प्रयुक्त शब्द "अन्य लेख्य" का तात्पर्य उन्हीं अभिलेखों से है जो सदन अथवा उसकी समितियों से सम्बन्धित हो। इस विश्लेषण के अनुसार भी यह स्पष्ट है कि अधिकारियों और कर्मचारियों से सम्बन्धित पत्रावली के विषय में करण 210 (1) लागू नहीं होता और ऐसी पत्रावलियों को न्यायालय में प्रस्तुत करने के पूर्व सदन की अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं है।

उक्त पृष्ठ भूमि में दिनांक 15 फरवरी 1989 को दी गई सूचना पर पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं है ।"]

प्रदेश के असहायता प्राप्त विद्यालयों को अनुदान सूची पर न लाने के बारे में शिक्षकों द्वारा किये जा रहे घेराव तथा धरना से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री बलराम यादव आदि द्वारा दिनांक 17 फरवरी, 1989 को दी गई सूचनाओं पर एक घण्टे की चर्चा का स्थगन

श्री उपाध्यक्ष—

मद संख्या 21 को स्थगित किया जाता है ।

अब हम उठते हैं दिनांक 27 फरवरी, 1989 को 11 बजे फिर मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 10 मिनट पर सोमवार 27 फरवरी, 1989 के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :
दिनांक 24 फरवरी, 1989

मोल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बिहार मदरसा शिक्षा सभा

नत्थी 'क'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 47 का उत्तर पीछे पृष्ठ 149 पर)

जांच रिपोर्ट

निर्मित दुकानों की संख्या 10

निर्मित हुए समय की अवधि लगभग 3-1/2 वर्ष

शिकायत	
(1) छतें टपकती हैं	चूंकि बरसात के अभाव में टपकने की स्थिति न देखी जा सकी, इस कारण छत में धब्बे आदि देखने की चेष्टा की गई। धब्बे कई दुकानों में देखने के बाद भी नहीं मिले। अतः प्रधान एवं ग्राम वासियों से पूछा गया उन्होंने बताया कि धब्बे इस कारण प्राप्त नहीं हुए क्योंकि इन 10 दुकानों में से दुकान संख्या 1 से 6 तक टपकती नहीं हैं और 7 से 10 तक 4 दुकानें अत्यधिक वर्ष में नम हो जाती हैं तथा टपकन की संभावना रहती है।
	इसके कारण की जानकारी हेतु छत पर चढ़ कर देखा गया छतों पर समुचित ढलान पाई गई। छत का प्लास्टर भी कठोरता लिए हुए पाया गया। प्रत्येक दुकान की छत एक दीवार से दूसरी दीवार तक बिना टूट-फूट के पाई गई।
	दुकान संख्या 7 से 10 तक क्वासवाल के ऊपर हेयर क्रेक आ गये हैं और संभवतः इन दुकानों की नमी या टपकाव का स्रोत यही हो सकती है। तकनीकी दृष्टिकोण से छतों की मजबूती इससे प्रभावित नहीं होती है। इसपर कितनी भी मजबूती से किए गए सीमेन्ट और बालू के प्लास्टर पर बिटुमेन और बालू गर्म अवस्था में मिलाकर लगा दिया जाए तो यह कारण दूर हो जायगा।
(2) मरम्मत न होने से दीवारों में पानी आने से दरार आ गई	इस हेतु दुकान के अन्दर एवं बाहर दीवारें देखी गई, किन्तु दीवार के ब्रिक वर्क में दरारें नहीं पाई गई। उप प्रधान से पूछने पर उन्होंने कतिपय दुकानों के फर्श तल जो दीवार से जुड़ा होता है, की ओर इंगित किया इसलिए उस स्थान पर प्लास्टर तोड़कर देखा गया किन्तु दीवार में दरार प्राप्त नहीं हुए। यहां फर्श के ऊपरी सतह को दीवार के प्लास्टर के साथ मिला दिया गया है। अतः प्लास्टर और फर्श के मामले की अलग-अलग विशिष्टियों के कारण अलगाव आ गया है। इस अलगाव को खुरच कर यदि इस पट्टी पर अलग से प्लास्टर कर दिया जाए तो यह स्थिति समाप्त हो जायेगी।
(3) फर्श टूट गई है	इस हेतु दुकान की फर्श को और बरामदे की फर्श को देखा गया, जिसमें ऐसी स्थिति नहीं देखी गई। इस हेतु गांव वालों से भी पूछा गया और उन्होंने बताया कि फर्श ठीक है।

इस प्रकार तकनीकी दृष्टिकोण से यह पाया गया कि भवनों के कमजोर होने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता। चूंकि इन दुकानों को बने हुए लगभग 3–1/2 वर्ष व्यतीत हो गए हैं और यह अब भी खाली पड़ी हुई हैं, अतः ऐसी स्थिति में इनकी देखभाल न होने के कारण यह अवस्था प्रतीत होती है। अतः इनकी थोड़ी सी मरम्मत कराने एवं लाभार्थियों द्वारा उपयोग में लाए जाने पर इस प्रकार की शिकायतें उत्पन्न होने की सम्भावना नहीं रहेगी।

इन दुकानों को अभी तक आवंटित न करने का कारण ग्राम के उप प्रधान से जानने की चेष्टा की गई उन्होंने व्यक्तिगत रूप से यह बताया कि ग्राम में अन्य योजनाओं के अन्तर्गत लाभार्थियों पर पहले से ही कुछ ऋण है, जिसको चुकाने के बाबत में लाभार्थी इस स्थिति में आ जायेंगे कि वह दुकाने ले सके, इसलिए पहले यह दुकानें आवंटित न हो उन्होंने आश्वासन दिलाया कि दुकानें शीघ्र ही आवंटित हो जायेंगी। इसके अतिरिक्त ग्रामवासियों ने भी इन दुकानों के आवंटन में काफी रुचि व्यक्त की।

इसी सम्बन्ध में पुराने कलेक्ट्रेट स्थित अपर जिला विकास अधिकारी के कार्यालय में जाने से उनसे भी वार्ता हुई जिस पर अपर जिला विकास अधिकारी ने आश्वासन दिया कि यह दुकानें शीघ्रातिशीघ्र अधिगृहीत कर ली जाएगी।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ख'

(देखिये अता० प्र० सं० 86 का उत्तर पीछे पृष्ठ. 65 पर)

संलग्नक–एक

संख्या–208 ईजी/23–सा० नि०–5–23 ईजी/82

प्रेषक,

हरि मोहन सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता,
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

सार्वजनिक निर्माण अनुभाग–5 लखनऊ : दिनांक 20 मई, 1985

विषय–सार्वजनिक निर्माण विभाग के खंडीय कार्यालयों के विभिन्न लिपिकीय पदों का प्रतिशत के आधार पर विभाजन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–30 व्य "ग"/63–व्य "ग"/83, दिनांक 8 जनवरी, 1985 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के खण्डों में लेखाकार का पद महालेखाकार के संवर्ग से भरा जाता है और विभाग के कर्मचारियों को प्रोन्नति हेतु उपलब्ध नहीं है । ऐसी स्थिति में सार्वजनिक निर्माण विभाग के खण्डीय कार्यालयों में विभागीय कर्मचारियों का लेखा संवर्ग इस समय नहीं बनाया जा सकता है । अतएव, उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–4871 ईजी/23–सा० नि०–5–23 ईजी/82, दिनांक 10 अक्तूबर, 1983 के आंशिक संशोधन में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय ने उक्त शासनादेश के प्रस्तर–2, जिसमें विभाग के खण्डों में लेखा कार्य के लिए तथा सहायक अभियंताओं से सम्बद्ध लिपिकों का संवर्ग अन्य लिपिकीय कर्मचारियों से पृथक् संवर्ग बनाये जाने की व्यवस्था निहित है, को तब तक के लिए स्थगित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है जब तक कि महालेखाकार का संवर्ग विभाग के खण्डों में लेखाकार के पद के लिए उपलब्ध है । संदर्भित शासनादेश को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय ।

2––मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि लेखाकार के उक्त पद विभागीय कर्मचारियों को प्रोन्नति हेतु उपलब्ध होने के उपरान्त अथवा लेखा संगठन के पुनर्गठन पर लेखा संवर्ग अलग से बनाये जाने पर विचार किया जायगा ।

3––यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–वे० आ० 525/दस–1985, दिनांक 14 मई, 1985 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं ।

भवदीय,

ह०
(हरि मोहन सिंह)
विशेष सचिव ।

सं0 208 (1) ईजी0/23–सा0 नि0 5 तक विनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. महालेखाकार उ0 प्र0 इलाहाबाद ।
2. वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग/2(2–3 प्रति)/वित्त (व्ययनियंत्रण) अनुभाग 8/वित्त सामान्य अनुभाग 1–2/सा0 नि0 वि0–4
3. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, प्रमुख अभियन्ता सा0 नि0 वि0, उ0 प्र0, लखनऊ

आज्ञा से

ह0

(हरि मोहन सिंह)

विशेष सचिव ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ग'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 149 का उत्तर पीछे पृष्ठ 88 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र 1989 के दूसरे शुक्रवार हेतु निर्धारित श्री सरदार सिंह के अतारांकित प्रश्न सं0–149 के उत्तर का संलग्नक

(1) सड़क निर्माण हाट मिक्स प्लान्ट द्वारा न कराने विषयक पत्र

1––गांवों को सड़कों से जोड़ा जाना––

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत सप्तम् पंचवर्षीय योजना के अन्त (31 मार्च, 1990) तक 1500 से अधिक आबादी वाले 100 प्रतिशत गांव एवं 1000 से 1499 तक की आबादी वाले 50 प्रतिशत ग्रामों को सब ऋतु योग्य मार्गों से जोड़ने का राष्ट्रीय लक्ष्य है। 1000 से कम आबादी वाले गांवों को जोड़ने की कोई योजना मैदानी क्षेत्रों में स्वीकृत नहीं है। परन्तु 1500 से अधिक आबादी तथा 1000 से 1499 तक की आबादी के गांवों को जोड़ने की योजना के अन्तर्गत 1000 से कम आबादी वाले जो गांव उन मार्गों के किनारे पड़ते हैं स्वतः जुड़ जायेंगे।

2––सड़क निर्माण हाट मिक्स प्लान्ट द्वारा न कराया जाना––

शहरों में सड़कों के आधुनिकीकरण का कार्य न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के बाहर किया जा रहा है जो कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिए निर्धारित परिव्यय के अतिरिक्त है। प्रश्नकर्ता के सुझाव के अनुसार प्रदेश के समस्त गांवों को सड़कों से जोड़े जाने तक राष्ट्रीय मार्ग के अतिरिक्त प्रदेश की कोई भी सड़क हाट मिक्स प्लान्ट से बनाये जाने का कार्य स्थगित रखना सम्भव नहीं है।

3––हाट मिक्स प्लान्ट से निर्मित सड़कों को विभिन्न विभागों द्वारा काटा जाना––

शहरों में जो सड़कें हाट मिक्स प्लान्ट द्वारा बनायी जा रही हैं उनमें यह ध्यान रखा जा रहा है कि जहां तक हो सके उन्हें टेलीफोन, नगर पालिका तथा विद्युत विभाग आदि द्वारा न काटा जाये। फिर भी अपरिहार्य परिस्थितियों में जहां इन विभागों द्वारा सड़कें काटी जाती हैं उसके लिए उनसे पैसा लेकर ही उन्हें अनुमति दी जाती है। सड़कों के नीचे बिजली, पानी, टेलीफोन एवं सीवर लाइनें जहां नई डाली जा रही हैं वहां प्रश्नकर्ता के सुझाव के अनुसार ही कार्यवाही किये जाने के पूर्व में ही विभागीय आदेश हैं।

4––गांवों की सड़कों का निर्माण एक ही विभाग द्वारा कराया जाना––

प्रदेश में विभिन्न विभागों की विभिन्न श्रेणी की सड़कों का निर्माण एक ही एजेन्सी से कराने तथा एक ही विशिष्टियां अपनाये जाने के सम्बन्ध में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा स्वतः कोई निर्णय लिया जाना सम्भव नहीं है।

(2) निर्माण सामग्री ठेकेदार द्वारा क्रय न किये जाने विषयक पत्र

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों के निर्माण के लिए सामग्री की आपूर्ति खनिज विभाग द्वारा एवं कुमायूं विकास मण्डल द्वारा लिये जाने के आदेश हैं। परन्तु खनिज विभाग एवं कुमायूं मण्डल विकास निगम विभाग की पूरी आवश्यकता के अनुसार आपूर्ति करने में असमर्थ हैं। उनकी आपूर्ति क्षमता विभाग की आवश्यकता की 20 प्रतिशत है। अतः उक्त निगमों से विभाग को पूरी सामग्री नहीं मिल पाती है। विभाग द्वारा ठेकेदारों से स्पर्धात्मक निविदाएं मांग कर सामग्री ले जाती है। जहां तक ठेकेदारों द्वारा स्टोन सामग्री के घटिया और कम होने का सम्बन्ध है, प्रत्येक मामले में सही नहीं प्रतीत होता है। जहां किसी अनियमितता का मामला प्रकाश में आता है वहां सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाती है।